सप्तम माला, खण्ड 20 अंक 21, सोमवार, 14 सितम्बर 1981/23 भाद्र, 1903 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(छठां सत्र)

(खण्ड 20 में अंक 21 से 25 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 21, सोमवार, 14 सितम्बर, 1981/23 भाद्र, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 413 से 417	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 418 से 435	21—43
अतारांकित प्रश्न संख्या 4001 से 4200	43—222
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	223—226
सभा पटल पर रखे गये पत्र	226—227
बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक—पुरः स्थापित	228
नियम 377 के अधीन मामले	228—239
(एक) बीकानेर जिला में रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिग्रहण किया गया चान्दमारी क्षेत्र	
श्री दौलत राम सारण	233—234
(दो) उड़ीसा की एक गैर-सरकारी फर्म को अपवा रक्षित बिजलीघर बनाने की अनुमति	
श्री चिन्तामणि पाणीग्राही	234
(तीन) दीवाली के त्यौहार पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चीनी	
श्री रणवीरसिंह	235
(चार) शाहजहांपुर और मैलानी के बीच नई रेल लाइन बिछाना	
श्री जितेन्द्र प्रसाद	235
(पांच) उड़ीसा में मुक्ति मण्डप और अन्य स्मारकों का समुचित रखरखाव और मरम्मत	
श्री चिन्तामणि जैना	235—236
(छः) संसद सदस्यों के टेलिफोनों के गलत बिल बनाये जाना	
श्री राम विलास पासवान	236

*किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(सात) बिहार में सूखा और बाढ़ को देखते हुए बिहार राज्य को गेहूं की सप्लाई	
श्री रामावतार शास्त्री	237
(आठ) अगरतला से कलकत्ता तक के विमान किराये को घटाने की आवश्यकता	
श्री अजय विश्वास	237—238
(नौ) मुरादाबाद— दिल्ली एक्सप्रेस को मध्याह्न पूर्व 6 बजे बरेली से चलाना	
श्री हरीश कुमार गंगवार	238—239
आयकर (संशोधन) अध्यादेश 1981 के निरनुमोदन के बारे में संविधिक संकल्प और	
आयकर (दूसरा संशोधन) विधेयक	239—270
विचार करने का प्रस्ताव :—	
श्री फूलचन्द वर्मा	249
श्री आर० वेंकटरामन	245
श्री सुनील मैत्रा	246
श्री के० टी० कोसलराम	249
श्री रशीद मसूद	250
श्री ईरा मोहन	254
श्री टी० आर० शमन्ना	257
श्री इन्द्रजीत गुप्त	259
खंड 2 से 7 और 1	
पारित करने का प्रस्ताव	264—270
श्री आर० वेंकटरामन	264
श्री कमला मिश्र मधुकर	270
सभा का कार्य	271
आवश्यक सेवा अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में संविधिक संकल्प और	
आवश्यक सेवा विधेयक	271
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री सोमनाथ चटर्जी	271—282
श्री जैल सिंह	282—592
श्री समर मुखर्जी	293
श्री एच० के० एल० भगत	
श्री चिरंजीलाल शर्मा	
श्री रवीन्द्र वर्मा	

लोक सभा

सोमवार, 14 सितम्बर, 1981/ 23 भाद्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चिड़ियाघरों का रखरखाव

*413. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
श्री आर० पी० गायकवाड : } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्यमान चिड़ियाघरों की बिगड़ती हुई हालत के कारणों का पता लगाने और उनके रखरखाव तथा प्रशासन को सुव्यवस्थित करने की सिफारिश, करने के लिए विशेषज्ञों की किसी पैनल की नियुक्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण निर्माण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) : चिड़ियाघरों के विषय में भारतीय अन्य प्राणि बोर्ड की एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है, जिसका गठन व कार्यकलाप निम्नलिखित है :—

गठन : (1) लेफ्० करनल फतेह सिंह राव गायकवाड़, (2) श्री दुलीप मुखर्जी, (3) निदेशक, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण, (4) आन्ध्र प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि (जिसका हैदराबाद के चिड़ियाघर की व्यवस्था से सीधा सम्बन्ध है), और (5) निदेशक भारत सरकार का वन्य प्राणि संरक्षण, जो इस समिति का संयोजक भी है। आवश्यकतानुसार समिति अपनी बैठक में किसी विशेष विषय के सम्बन्ध में दूसरे विशेषज्ञ को बुला सकती है।

कार्य : यह समिति सामान्यत: चिड़ियाघरों तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर भारतीय अन्य प्राणि बोर्ड की विशेषज्ञ समिति के रूप में कार्य करेगी। यह इस विषय में बोर्ड को सहायता तथा सलाह देगी। इसके अलावा समिति ऐसे सभी कार्य करेगी जो बोर्ड समय-समय पर उसे सौंपे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस बोर्ड के गठन के बाद क्या-क्या सुधार किए गए हैं और क्या वे उत्साह जनक हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : हम इस क्षेत्र की सभी गतिविधियों का समेकन करने का प्रयास कर रहे हैं। बोर्ड द्वारा चिड़ियाघर के पक्षियों तथा अन्य वन्य प्राणियों के बारे में 3 समितियां बनाई गई है और छठी योजना में काफी धन रखा गया है। समिति में गैर-सरकारी लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। और इसमें संसद सदस्य भी शामिल हैं। हम वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयत्नशील है कि हमारे चिड़ियाघरों में स्थिति में सुधार लाने और वन्य प्राणियों में परिरक्षण के लिए और कौन-कौन से सुधार आवश्यक हैं।

श्री० एम० रामगोपाल रेड्डी : वन्य प्राणी बोर्ड का सभापति कौन है, उपसभापति कौन हैं और सभापति द्वारा क्या-क्या अनुदेश दिए गए हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की सभापति स्वयं प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने कृपा करके इस बोर्ड की अध्यक्षता तथा इसकी स्थायी समिति की अध्यक्षता भी स्वीकार की है क्योंकि वन्य प्राणियों के परिरक्षण और चिड़ियाघरों की दशा सुधारने में वह निजी तौर पर रुचि ले रही हैं। अत: मेरा विश्वास हैं कि काफी अच्छा काम होगा। इस योजना के लिए काफी धन की भी व्यवस्था की गई है।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चूंकि आजकल चिड़ियाघरों में रखे गए जंगली जानवरों की परिभाषा बदल रही है और इन प्राणियों को अपने-अपने पिंजरों में खुश रखने के लिए उचित वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, क्या विशेष समिति पर यह बात स्पष्ट कर दी गई और क्या उक्त समिति ने इस दृष्टि से सभी चिड़ियाघरों का मुआयना करने पर विचार किया है और क्या उसने देश में कई नये चिड़ियाघर खोलने की सिफारिश की है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जैसा मैं बता चुका हूं, बोर्ड द्वारा समितियां बनाई गई है और उनमें से एक चिड़ियाघरों के बारे में है, दूसरी पक्षियों के बारे में तथा तीसरी फूल-पौधों के सम्बन्ध में है। देश में अधिकांश चिड़ियाघर राज्यों के हैं, केवल एक ही चिड़ियाघर अर्थात दिल्ली का चिड़िय-घर केन्द्र सरकार के अधीन है। कुछ गैर-सरकारी संगठनों तथा उपक्रमों और कुछ निजी व्यक्तियों के भी अपने-अपने कुछ चिड़ियाघर हैं। यदि माननीय सदस्य को इसमें रुचि हो तो मैं बता दूं कि इस समय देश में चिड़ियाघरों की कुल संख्या 44 है।

श्री जगदीश टाईटलर : क्या सभ्यता और गैर-कानूनी भूमि अर्जन के कारण राष्ट्रीय

वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल कम हो गया है और यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ? दिल्ली के चिड़ियाघर के बारे में क्या सरकार को दिल्ली में जीव-विज्ञान संग्रहालयों के निर्माण के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं जहां चर्म प्रसाधकों द्वारा प्राकृतिक वातावरण में फूलों, पौधों तथा जीव जन्तुओं के नमूनों आदि का प्रदर्शन किया जा सके ।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं उनके दूसरे प्रश्न के लिए अलग से सूचना चाहता हूं । पहले प्रश्न के बारे में हमें भी वनों की कटाई हमारे वन क्षेत्रों के विकृत हो जाने के कारण प्राकृतिक वातावरण के कम होने पर गहरी चिन्ता है और हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि देश में विशेषकर उड़ीसा स्थित सिमलीपुर चीता संरक्षित क्षेत्र में चीतों का संहार किया जा रहा है जैसा कि दिनांक 12-9-1981 के ब्लिट्ज समाचार पत्र में छपा है । यदि हां, तो इस शानदार पशु को समाप्त होने से बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : भारत सरकार ने पहले ही अनेक चीता संरक्षण क्षेत्र स्थापित किए हुए हैं और हम राज्यों से भी आग्रह करते हैं कि वे उनकी उचित देखभाल करें । परन्तु आज का प्रश्न विशेषकर चिड़ियाघरों से सम्बन्धित है ।

श्री जेवियर अराक्कल : चिड़ियाघर और संग्रहालय राज्यों के विषय है । तथापि यदि हम इन 44 चिड़ियाघरों में से किसी एक में भी जायें तो हमें अनेक पशुओं और पक्षियों की दशा देखकर गहरा दुःख होगा । मुझे पता चला है कि कुछ चिड़ियाघरों में पशु चिकित्सक तथा अन्य डाक्टर भी पर्याप्त संख्या में नहीं रखे गए हैं । यह बोर्ड इसी सन्दर्भ में गठित किया गया है और यह देखना उसका एक बड़ा जटिल काम होगा कि वहां रखे गए पशुओं और पक्षियों की अच्छी तरह से देखभाल की जाये । अतः मैं जानना चाहता हूं कि यह बोर्ड मौके पर जाकर अपना अध्ययन प्रतिवेदन कब तक दे देगा और राज्यों द्वारा उन्हें आबंटित धन कहां तक उचित प्रकार से खर्च किया गया है । क्या बोर्ड इस पहलू पर भी विचार करेगा ?

राव वीरेन्द्र सिंह : चिड़ियाघरों सम्बन्धी समिति का गठन उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसका सदस्य महोदय ने उल्लेख किया है । वे देशभर में सभी चिड़ियाघरों की दशा की जांच कर रहे हैं । मैं सदस्य महोदय की इस बात से सहमत हूं कि इस समय हमारे चिड़ियाघरों की दशा आदर्श नहीं कही जा सकती और उसमें सुधार लाने का हम प्रयास कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सारे हिन्दुस्तान में 44 चिड़ियाघर इन्होंने बताये हैं, उनके लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितने धन का प्रावधान रखा गया है ? क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे कि जो जानवर मर जाते हैं, क्या उनके बचाने हेतु भी कोई खास प्रबन्ध किया जा रहा है या नहीं और इसके साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में इस परपज के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : स्टेट-वाइज तो मैं इस वक्त नहीं बता सकूंगा कि हरेक स्टेट के लिए कितना-कितना रखा गया है । मरे हुए जानवरों का क्या प्रबन्ध हो सकता है, यह तो मैं नहीं

जानता, हां, उनको मरने से बचाने के लिए हम सारी तजवीज कर रहे है कि किस तरीके से जू की हाइजिन का ख्याल रखा जाय जिससे जानवरों की हैल्थ बेहतर बनाई जा सके।

श्री जमीलुर्रहमान : मेरे राज्य बिहार में, हवाई अड्डे के निकट, वहां से लगभग 100 से 125 मीटर दूर एक चिड़ियाघर है जहां चीलें उड़ती हैं, जो कलकत्ता दिल्ली तथा अन्य स्थानों को जाने वाली उड़ानों के लिए खतरा है। सरकार ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ? क्या सरकार यह समझती है कि उस चिड़ियाघर को वहां रखना ठीक नहीं है ? और क्या उसे किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर ले जाया जाएगा ?

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं नहीं समझता कि हवाई अड्डों के निकट चिड़ियाघर होने से वे कोई विशेष खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। परन्तु यदि सदस्य महोदय हवाई अड्डों तथा उनके आसपास का आकाश साफ रखने के लिए की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें अपना प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय को सम्बोधित करना चाहिए...(व्यवधान)

श्री के० लक्कप्पा : सभा के सभी वर्गों ने जिनमें मंत्री महोदय तथा प्रधान मंत्री भी शामिल हैं, चिड़ियाघरों के रखरखाव तथा उनमें विद्यमान स्थिति के बिगड़ने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि देश में हमारे फूल पौधों तथा पशु पक्षियों की पुर्नस्थापना के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और चिड़ियाघरों के रखरखाव तथा उचित कार्यकरण के बारे में सन्तोष का वातावरण बनाने की दिशा में क्या किया जा रहा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस प्रयोजन के लिए कितने धन का नियतन किया गया है और मंत्री महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

राव वीरेन्द्र सिंह : छठी योजना में एक नई स्कीम स्वीकृत की गई है और चिड़ियाघरों को सहायता देने के लिए 50 लाख रुपए की राशि रखी गई है। उसमें से 10 लाख रुपए चालू वर्ष के लिए हैं।

हुडको योजनाओं का कार्यान्वयन

414. **श्री एस०बी० सिदवाल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि ऐसे कस्बों और राज्यों की संख्या और नाम क्या हैं जहां हुडको की मंजूरशुदा योजनायें कार्यान्वित की जा रही है।

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

31.7.1981 तक, आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा प्रदत्त ऋण सहायता के अन्तर्गत 18 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 366 शहर आते हैं।

राज्यवार संघ राज्य क्षेत्रवार शहरों की सूची इस प्रकार है :—

उन शहरों की राज्यवार संख्या तथा नाम जहां आवास तथा नगर विकास निगम की स्वीकृत योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

राज्य	लाभान्वित शहरों की संख्या	शहरों का नाम
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	70	विशाखापटनम, हैदराबाद, वारागंल; गुंटूर, मंगलागिरी, करीमनगर, मेलोर, विजयवाड़ा, सूर्यपट्ट, त्रिरूपति, अधिलागु, कुड्डापाली, पालवन्चा, काकीनाडा, साँगारेडी, निजामाबाद, रामचन्द्रपुरम, भद्राचलम, श्री काकुलम, नारगोंडा, गोदावरी, अंगोले, गिड्लूर, राजागमूद्री, सागंलकोटा, तुन्नी, अमलापुरम, अनाकापाली, मंडापेटा, पिथापुरम, ताडीपटरी, चेकपुरुपली, मिनूकेड़ा, गोडाबाल, पडापुरम, छेलना, नारासरोवपेट, चलापल्ली, धर्मवरम, मर्कापुर, महबूबाबाद, नारासनापेट, आरसूर, वांसवाड़ा, पेडापली, रायेरदुर्ग, कदीवी, पालासा विजयनगरम, चित्तौड़, गुंटाकल, ऐलूरु, पिड्गुरुला, आनन्द-पुर, गुडूर, अमादालाबालासा, सीरीसिला, मच्छेरला, कागजनगर, कोलापुर, जहीराबाद, रामागुन्डम, चिराला, कुरनूल, गाड़ी विडी, जोगीपेट चेवेला, पटापलेम, पुटूर और तेनाली ;
असम	19	ढुवरी, गोहाटी, नालवाड़ी, वारपेटा, जोरहाट, गोलाघाट, नवगांव, गोलपाड़ा, तेजपुर, मंगलदरी, शिवसागर, डिबरुगढ़, करीमगंज, हटौंग, डिफू, सिखर, होलाकांडी, लखीमपुर और तिनसुखिया ।
बिहार	12	गया, राँची, जमसेदपुर, पटना, धनवाद, ससाराम, मुजफरपुर, भागलपुर, बोकारो, मोतीहारी, आरा और छपरा ।
गुजरात	38	राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा, नादियाद, भावनगर, सूरत, जामनगर, सुरेन्द्रनगर, वापी, नवसारी, अंक्लेश्वर, कालोल, पलेमपुर, भुज, अमरेली, गाँधीधाम, कपाडवंज, भड़ौंच, नन्देसरी विठल, नरोदा, गांधी नगर, नागलपुर, वनासकंठा, मोरबी, कैरा, राजपीपला, ऊना, चित्रा, ओधार, बडेसरा, डम्बेरगांव, बालावुदया, नगर, बिल्लीमोरा, वाड़ावल, जूनागढ़, उमरेठ और मैहसाना ।
हरियाणा	17	फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, अम्बाला, करनाल, पंचकुली,

1	2	3
		कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, जीन्द, भिवानी, रोहतक, हिसार, सिरसा, दनौर, यमुनानगर, खिरजाबाद और कैथल
हिमाचल प्रदेश	9	उन्ना, पन्ताशाहिब, शिमला, धरमशाला, सोलन, पालमपुर, परवानू, नाहन और अमीरपुर ।
जम्मू व कम्मीर	5	श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, बारामूला और सोपरे ।
कर्टानक	27	बंगलौर, हुबली-धारवाड़, हसन, मंगलौर, मैसूर, डंडेली, गुलवर्गा, भाद्रवती, राईचूर, बामलाकोट, बीजापुर, चिक-मंलूर, टुमपूर, कोलार, दिदार, देवनगिरी, अम्मनदनद्रा, वेलगांव, मैंडिया, कारवाड़, बेलारी, सुमोगा, अरिस्केरे, कुशालनगर, भटकल और कोडूगंडानाहली ।
केरल	8	कालीकट, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, आयरिन-जाकूढ़ा, कनौर, मुरुथापूजा, नीदमनगद, कोटाकयम ।
मध्य प्रदेश	22	सिहारे, छिदवाड़ा, ग्वालियर, इन्दौर, भोलाप, जबलपुर, होसंगाबाद, दुर्ग-भिलाई, रायपुर. सतना, रतलाम, उज्जैन, इटारसी, नीमच, देवास, धार, राजनन्दगांव, बालाघाट, नरसिमपुर, विलासपुर, नन्दसार और बरहनपुर ।
महाराष्ट्र	17	बम्बई, तारापुर, औरंगाबाद, नागपुर, अकोला, पूना, नासिक, पिम्परी, नन्देर, थाना, शौलापुर, अहमदनगर, चन्द्रपुर, डोमनिवली, लटूर, मिराज और कोलाहपुर ।
मणिपुर	1	इम्फाल
उड़ीसा	9	कटक, राउरकेला. भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर, बारयिल, हीराकुंड, रायगढ़ और धेनकिनाल ।
पंजाब	8	जलन्धर, अमृतसर, मोहली, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, संगरुर और फिरोजपुर ।
राजस्थान	16	जयपुर, कोटा, अजमेर, बाँसवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, पाली, झुनझुनू, सागवाड़ा, भीलवाड़ा, भरतपुर. अलवर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और बूंदी ।
तामिलनाडू	47	मद्रास, मदुरई, विलयपुरम, थंजावर, गुडालूर, डिंडीगुल, कांचीपुरम, धरमपुरी, कोमारपलयम, नावाकल, सलेम, तिरुपुर, थिरुवनम्यूर, त्रिचि, कोयम्बटुंर. अरियालूर,

1	2	3
		सिंगलालूर, जमीनपलावरम, थिरुविलोर, थिरुमल्लई, थीरुलहनी, कोलांची, मेतूर, थिरुपतूर, चितम्बरम, विलोर, पादुकोटाई, होसूर, अरोड़ तिरुचिंनगोले, राजपल्लयम, कमथापुरम, मोराई-मलाईनगर, नागापटनम, डडूमालापेट, मनाली अरबन मोदी, कृष्णागिरी, मेंतूपलयम, पलयमपोटई, सरलयूर, माइरूथूर, अराकोटई, वटेसिरी, ओडनचित्रन, अटयमपथ, गुरुस्वामीपलयम और राशिपुरम।
उत्तर प्रदेश	30	गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, उन्नाव, बरेली, मुरादाबाद, देहरादून, रायबरेली, रुद्रपुर, शाहजहांपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, गोरखपुर, झांसी, मोदीनगर, फैजाबाद, मोदीपुरम, हरिद्वार, सिकन्दराबाद, मेरठ, मथुरा, बस्ती, सीतापुर, प्रतापगढ़, सहारनपुर और फिरोजाबाद।
पश्चिमी बंगाल	7	कलकत्ता, आसनसोल, मथाईन, चंदपुर, दुर्गापुर, कोलाघाट, विष्णुपुर।
चंडीगढ़	1	चंडीगढ़
दिल्ली	1	दिल्ली
गोवा दमण और द्वीव	1	गोवा दमण और द्वीव
पांडिचेरी	1	पांडिचेरी

श्री एस०बी० सिदनाल : इस योजना के अधीन क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में मकान दिलाने की कोई नई स्कीम है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : छठी योजना में 1980-85 के दौरान निम्नलिखित अनुपात से 600 करोड़ रुपये के कुल निवेश की व्यवस्था की गई है :—

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग	—30 प्रतिशत
निम्न आय वर्ग	—25 प्रतिशत
मध्यम आय वर्ग	—25 प्रतिशत
उच्च आय वर्ग	—20 प्रतिशत

यह भी निर्धारित किया गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए रखे गये धन

को कुल राशि का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल निवेश का 15 प्रतिशत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही खर्च किया जाना चाहिये।

सदस्य महोदय की जानकारी के लिए मैं यह भी बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हुडको के अधीन दिये जा सकने वाले ऋण की रकम भूमि की लागत को छोड़कर प्रति मकान कुल राशि का 50 प्रतिशत होगी जोकि अधिकतम 4 हजार रुपये हो सकती हैं। इस अधिकतम राशि अर्थात् 4 हजार रुपये को बढ़ाकर पहाड़ी क्षेत्रों तथा बर्फीले क्षेत्रों में 6 हजार रुपये कर दिया गया है।

छठी योजना के नियतन में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये काफी अधिक धन रखा गया है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 3,72,851 रिहायशी मकान मंजूर किये जा चुके हैं।

श्री एस०बी० सिदनाल : क्या सरकार के पास शहरों में गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिये भी मकान बनाने की कोई योजना है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : जहां तक शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों में रहने वालों का संबंध हैं, उन्हें पुनर्वास के लिये वैकल्पिक लाभ दिये जाने के बाद हुडको आवश्यक सुविधाएं जैसे पानी और बिजली की व्यवस्था करता है। गन्दी बस्तियों में रहने वालों को हुडको द्वारा ऋण की सहायता भी दी जाती है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : हुडको द्वारा 3000 रुपये दिये जाते है। केरल जैसी जगहों में जहां अन्य राज्यों से बेहतर मजदूरी दी जाती है, वहां लोगों द्वारा 3000 रुपये में मकान बनाना कठिन हैं। इसे देखते हुए क्या सरकार यह सीमा बढ़ाकर 5000 रुपये करने पर विचार करेगी।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के लोगों को ऋण दिये जा रहे हैं। हमने प्रत्येक वर्ग के लिये निश्चित राशि का प्रावधान किया हुआ है।

विभिन्न जगहों पर आवास योजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता के बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्कीम के अन्तर्गत कुल मिलाकर अधिकतम लागत सीमा पांच हजार और आठ हजार के बीच, निम्न आय वर्ग के लिये 18 हजार, मध्यम आय वर्ग (एक) के लिये 25 हजार, मध्यम आय वर्ग (दो) के लिये 42 हजार और उच्च आय वर्ग के लिये 1 लाख रुपये है। इसके लिये ब्याज की क्रमिक दरें लागू हैं। इसके अलावा राज्य सरकार उनके द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के अधीन भवन निर्माण के लिये राज्य सहायता भी दी जा सकती है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मुझे हुडको से एक पत्र मिला है जिसके अनुसार "भारत में हर चार परिवारों में से 3 परिवार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं जिनकी पारिवारिक मासिक आय 350 रुपये से अधिक नहीं हैं। 15 प्रतिशत और लोग 351 से 600 रुपयें मासिक

आय वाले हैं। इन आय वर्गों के लिये ऐसी आर्थिक नीति तैयार की गई है। इन लोगों की भुगतान की क्षमता सीमित होती है। हमारे अनुमानों से सिद्ध हुआ है कि साधारण रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का परिवार 3 हजार रुपये से अधिक कीमत का मकान नहीं ले सकता। यदि उसे उस मकान की लागत का मूल्य 20 वर्षों में 5 प्रतिशत ब्याज पर लौटाना हो।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये ऋण देने की कसौटी ऐसा परिवार है जिसकी आय 350 रुपये मासिक से अधिक नहीं होती। ऐसे वर्गों के लिये ऋण की राशि 5 हजार से आठ हजार तक की होगी और उस पर 5 प्रतिशत ब्याज की दर होगी। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि यह राशि केवल 3 हजार रुपये ही है। यह राशि 4 हजार रुपये है और इस पर 5 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है।

श्री संतोष मोहन देव : हुडको का मेरा अनुभव बहुत खराब है। विभिन्न शर्तों के कारण एक लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों के लिये ऐसे ऋण ले पाना संभव नहीं है। इसे देखते हुए कि क्या सरकार हुडकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरें कम करने पर विचार करेगी। जैसी कि पूरे देश में मांग की जा रही है?

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : हुडको और सरकार ने भवन निर्माण के लिये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनायी है। जो शर्तें लगायी गई हैं उनसे लोगों को मकान बनाने और खरीदने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। यह ठीक है कि हमें कुछ शर्तों का पालन करना होता है। अनेक राज्य सरकारों ने हुडको द्वारा दी गई सहायता से लाभ उठाया है। सभा पटल पर रखे गये विवरण में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लिये गये ऋणों के आंकड़े दिये गये हैं। जहां तक असम का संबंध है, उसमें 19 शहर आते हैं। अन्य राज्यों के संबंधित आंकड़े इस प्रकार है; आंध्र प्रदेश 70, कर्नाटक 27, गुजरात 38, हरियाणा 17, हिमाचल प्रदेश 9, आदि आदि। शर्तों और नियमों के बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अन्य राज्य सरकारों ने इन पर कोई आपत्ति नहीं उठायी है। यदि माननीय सदस्य को कोई और सुझाव देने हों और उन्हें वह मंत्रालय को भेजें तो उन पर अवश्य विचार किया जायेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारे देश में कई ऐसे गांव है जिन्हें शहरी गांव कहा जाता है और जो दिल्ली जैसे महानगरों के आस पास बसे हुए हैं। किन्तु वहां नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही छः ऐसे गांव है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे गांवों के विकास के लिये कोई योजनायें विचाराधीन हैं?

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : यह प्रश्न तो हुडको द्वारा ऋण सहायता से संबंधित है जबकि मंत्री महोदय कथित शहरी गांव को दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं का उल्लेख कर रहे है। अतः मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हूं। यह सुझाव संबंधित मंत्रालय को भेज दिया जायेगा।

श्रीमती कृष्णा साही : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एकोनामिकली वीकर

सैक्शस के लिए यह योजना है, मैं जानना चाहती हूं कि जो जो एकोनामिकली बैंकवर्ड स्टेट्स हैं जहां नेचुरलकैलेमिटीज से बहुत ज्यादा तबाही होती है और सरकार सब्सिडी नहीं दे सकती है न राज्य सरकार रिसोर्सेज जुटा सकती है, उसके लिए क्या मंत्री महोदय की कोई योजना है कि प्राथमिकता के आधार पर उन राज्यों में यह योजना लागू की जाय ?

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : यह प्रश्न हुडको द्वारा राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं को विभिन्न सहायता देने से संबंधित है। माननीय सदस्य इन योजनाओं को क्रियान्वित करने में कुछ राज्य सरकारों की अक्षमता का उल्लेख कर रहे हैं। मैं सदस्य महोदय को यह सुझाव दूंगा कि वह राज्य सरकारों को इन आवास योजनाओं को पूरा करने के लिये अधिक संसाधन जुटाने के लिये लिखें। तथापि जब भी राज्य सरकारों से ऐसे सुझाव प्राप्त होंगे। तो हुडको यथा संभव प्रयत्न करेगा कि उन्हें पूरी-पूरी सहायता दी जाये।

श्री जनवारी लाल बेरवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान के टोंक और सवाईमाधोपुर जिला में जो बाढ़ से घोर तबाही हुई है वहां तबाही शुदा मकानात को क्या हुडको की स्कीम की तहत दिया जा रहा है। यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ब्याज की दर रखी गई है वह सामान्य दर रख गई है जबकि वहां पर लोग नेचुरल कैलेमेटीज से प्रभावित हुए हैं और असल कर्ज को चुकाना ही उनके लिए मुश्किल होगा ऐसी दशा में क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उनसे ब्याज न लिया जाए ?

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : मैं राजस्थान के इन माननीय सदस्य की भावनाओं की सहारना करता हूं। इस वर्ष राजस्थान को सूखे के साथ-साथ बाढ़ का भी सामना करना पड़ा है। और राजस्थान से इनका एक प्रतिनिधि मंत्रालय में भी है। अतः मेरा विश्वास है कि वह राजस्थान के हितों का भली भांति ख्याल रख सकता है।

हुडको योजना राजस्थान को उसकी आवश्यकताओं का विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए भेजी गई थी और उसका प्रतिवेदन हुडको के विचाराधीन है।

ब्याज माफ करने के बारे में, हुडको द्वारा बहुत ही कम ब्याज लिया जा रहा है। जैसा कि मैं बता चुका हूं; यह केवल पांच प्रतिशत है और 20 किश्तों में लौटाना होगा। यह दर कमजोर वर्गों और कम आय वर्ग के लिए ही है। मध्यम आय वर्ग के लिए ऋण 15 वर्ष में लौटाया जायेगा और ब्याज भी काफी कम देना होगा। मैं समझता हूं कि हुडको द्वारा दी जाने वाली इस सहायता से राजस्थान की वे आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी जिनका सदस्य महोदय ने उल्लेख किया है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस आवास योजना के लिए किसी स्थान के चयन का आधार क्या है, पिछड़ापन अथवा जनसंख्या अथवा जिला ? विवरण को देखने से पता चलता है कि पूरे बिहार में केवल 11 स्थान चुने गये हैं। आप जानते हैं कि बिहार हमारे देश के सबसे अधिक पिछड़े राज्यों में से है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या बिहार के और जिले इसमें लिये जायेंगे या नहीं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : महोदय, मानदंड राज्य सरकारों द्वारा निश्चित किये जाते है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बिहार राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में काम सराहनीय नहीं है यद्यपि संबंधित मंत्रालय के प्रभारी मंत्री स्वयं बिहार से है। बिहार से केवल 12 प्रस्ताव आये हैं। अतः राज्य सरकार से कुछ और प्रस्ताव भेजने के लिए कहा जाना चाहिए। मानदंड पहले से निर्धारित हैं। आवास बोर्डों, अन्य संस्थाओं तथा अति विशिष्ठ व्यक्तियों आदि को ऐसे प्रस्ताव भेजने चाहिये (व्यवधान)। मैं तो केवल बिहार सरकार से यह निवेदन कर रहा था कि वह इन व्यक्तियों से लाभ उठाकर अधिकतम सहायता प्राप्त करे (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस ओर जा रहा हूं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आवास बहुत महत्वपूर्ण होता है जैसा कि हम कहते ही हैं रोटी, कपड़ा और मकान।

श्री बीजू पटनायक : उपाध्यक्ष महोदय, जहां मुझे पिछड़े राज्यों के लिए मंत्री महोदय द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से प्रसन्नता हुई है वहां मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उसे केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जगतसिंहपुर, पतकुरा आदि स्थानों पर निम्न आय वर्ग के 40,000 मकान बनाने के वचन याद हैं जब गत वर्ष उड़ीसा में बाढ़ आयी थी ? क्या भारत सरकार को पता है कि वे वचन सरकार द्वारा दिये गये अन्य अनेक वचनों की तरह पूरे नहीं किये गये और पूरा एक वर्ष बीत जाने पर भी एक भी मकान पुनः नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : मैंने यहां पहले ही बता दिया है कि ऐसी योजनायें उड़ीसा सरकार को भेजनी हैं। यदि ऐसा कोई वचन दिया गया है तो मैं इसे अवश्य राज्य सरकार को भेज दूंगा। मेरा विश्वास है कि उड़ीसा सरकार इन योजनाओं पर कार्य करेगी और उन सभी व्यक्तियों को पुनर्वास सुविधायें प्रदान करेगी जो बाढ़ों से प्रभावित हुए थे और मेरा विश्वास है कि उड़ीसा सरकार यह कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

श्री बीजू पटनायक : उड़ीसा सरकार को 40 करोड़ रुपये का वचन दिया गया था। वस्तुतः उसे कितना दिया गया और कितने मकान बनाए गए हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : मैं बता चुका हूं कि राज्य सरकार को अपनी योजना भेजकर हुडको से ऋण सहायता के लिए मंजूरी लेनी होती है। इस बात का कोई प्रश्न नहीं है...

श्री बीजू पटनायक : मैं मकानों के पुनर्निर्माण के लिए ऋण की बात कर रहा था। मंत्री महोदय ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। कृपया उन्हें इस पर प्रकाश डालने के लिए कहें।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : मैं आपको बताता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई थी। (व्यवधान)

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : कृपया सब्र से काम लें। मैं उनकी बात नहीं सुन सका और उपाध्यक्ष महोदय भी कुछ कहने जा रहे थे...(व्यवधान)

उड़ीसा : योजनाओं की संख्या	...	40
पूरी की गयी योजनायें	...	9
इसके अन्तर्गत लाये गए नगर	...	9
परियोजना लागत	...	रु० 24·14 करोड़
स्वीकृत ऋण	...	18
की गई राशि	...	रु० 7·74 करोड़
लौटायी गई राशि	...	रु० 2·11 करोड़
स्वीकृत भवन		
रिहायशी एवं गैर-रिहायशी	...	1950
दिये गए प्लाट	...	792

उड़ीसा सरकार ने ये योजनायें भेजी हैं। हुडको द्वारा की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा दिया जा चुका है। (व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : मैंने विशेष रूप से यह पूछा था...(व्यवधान)

बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। प्रश्न संख्या 415

कर्नाटक को गेहूं का कोटा

*415. **श्री के० लकप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में खाद्य स्थिति चिन्ताजनक है;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आटा मिलों के लिए गेहूं के वर्तमान मासिक कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में उनके मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) : सरकारी एजेन्सियों के पास गेहूं की समूची उपलब्धता और राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कर्नाटक को उचित मात्रा में गेहू का आवंटन किया जा रहा है। आगामी त्यौहार के मौसम के दौरान गेहूं के पदार्थों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सितम्बर, 1981 में रोलर फ्लोर मिलों के लिए 3,000 मीटरी टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

श्री के० लकप्पा : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है और कहा गया है

कि कर्नाटक में भयावह खाद्य स्थिति नहीं है। यह बात तथ्यों पर आधारित नहीं है। कर्नाटक सरकार ने कई बार कहा है कि कर्नाटक में खाद्य स्थिति अच्छी नहीं है। हमें सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें चावल मिल रहा है। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि कर्नाटक सरकार से खाद्य स्थिति के बारे में भी कोई अभ्यावेदन और प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है? इस वर्ष के लिए राज्य सरकार ने गेहूं और अन्य उत्पादों सहित कितना खाद्यान्न मांगा है?

राव बीरेन्द्र सिंह : कर्नाटक में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है। हम कर्नाटक सरकार की गेहूं की पूरी मांग हर महीने पूरी कर रहे हैं। परन्तु हाल के महीनों में कर्नाटक सरकार की गेहूं की मांग बढ़ गई है। हम पिछले महिनों की अपेक्षा कर्नाटक को अधिक गेहूं आवंटित कर रहे हैं। परन्तु मूल्य के अन्तर के कारण मांग बढ़ रही है। हमने त्यौहारों के लिए 3000 टन अधिक आवंटित किया है। प्रति मास 22,000 टन का आवंटन किया जाता है। पहले कर्नाटक सरकार उसे आवंटित की गई मात्रा भी नहीं उठाती रही है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि केन्द्र द्वारा पर्याप्त खाद्यान्न आवंटित न करने के कारण कर्नाटक में कोई गम्भीर स्थिति है।

श्री के० लकप्पा : मैं माननीय मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। गेहूं की कमी के कारण बहुत से रोलर आटा मिल नहीं चल रहे है। इसलिए कर्नाटक के खाद्य मंत्री गेहूं की पूरी आवश्यकता पूरी करने के लिए बंगलौर से दिल्ली और दिल्ली से बंगलौर आ जा रहे हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि कर्नाटक को दिया गया कोटा भी उन्होंने नहीं उठाया है। रेलवे वैगनों की व्यवस्था करना भी केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे रेल मंत्री भी यहां बैठे हैं। कर्नाटक द्वारा मांगी गई गेहूं की मात्रा भी केन्द्र अभी तक नहीं दी है। और कर्नाटक सरकार केन्द्र से बार बार अधिक गेहूं की मांग कर रही है क्योंकि त्यौहारों का मौसम आ रहा है इसलिए कर्नाटक की गेहूं की पूरी मांग को पूरा करने के लिए उसके साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। इसलिए क्या माननीय सदस्य कर्नाटक में भयावह खाद्य स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक को और अधिक गेहूं देने की व्यवस्था करेंगे?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह सच नहीं है कि गेहूं के आवंटन के मामले में कर्नाटक के साथ कोई भेदभाव बरता जा रहा है। जहां तक रोलर आटा मिलों का सम्बन्ध है, कर्नाटक में मिलों की कुल क्षमता 25 000 टन प्रति मास है जबकि हम उन्हें 22,000 टन प्रति मास आवंटित कर रहे है। पहले वे उन्हें आवंटित किए गए 22,000 टन को भी इस्तेमाल नहीं कर सके थे। गेहूं देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। फिर भी मार्च में उनकी खपत 22,000 टन थी, अप्रैल, में 14300 टन और मई में 20,700 टन और जुलाई में 21,900 टन थी जबकि हम कर्नाटक को रोलर आटा मिलों के लिए 22000 टन प्रति मास आवंटित कर रहे हैं। इस महीने में हमें त्यौहारों के मौसम के लिए इस मात्रा को बढ़ा कर 3000 टन कर दिया है और इस प्रकार सितम्बर में उन्हें 25,000 टन मिलेगा। कर्नाटक में सभी मिलों की कुल मिलाकर इतनी ही क्षमता है।

श्री के० लकप्पा : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री ने कहा है कि आवंटित कोटे को भी नहीं उठाया गया है। क्या यह रेलों द्वारा वैगन की सप्लाई की कमी के कारण है

अथवा किसी और कारण से कर्नाटक सरकार गेहूं के पूरे आवंटित कोटे को उठाने का प्रयास कर रही है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं आंकड़े दे चुका हूं। कर्नाटक में पर्याप्त खाद्य भण्डार है। केन्द्रीय और राज्य के भण्डारों में 81,800 टन चावल हैं और कर्नाटक में इस समय 32000 टन गेहू है। हमने सितम्बर के महीने में कर्नाटक को 25,000 टन गेहू भेजने की व्यवस्था की है। इस लिए कर्नाटक में खाद्यान्न की कमी को कोई प्रश्न नहीं है। आवांटन के बारे में मैं आंकड़े दे चुका हूं। माननीय सदस्य का मुख्य प्रश्न आटा मिलों के आवंटन के सबंध में है। और मैं बता चुका हूं कि वहां पर मिलों की जितनी क्षमता है उतना आवंटन हम कर चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमालुद्दीन अहमद केवल कर्नाटक के बारे में ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री कमालमुद्दीन अहमद : श्रीमन् सभा की प्रथा यह है कि यद्यपि प्रश्न केवल एक राज्य के लिए होता है परन्तु अन्य राज्यों के बारे में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह प्रश्न तो केवल कर्नाटक के बारे में है। (**व्यवधान**)

श्री कमालुद्दीन अहमद : मेरा प्रश्न आन्ध्र प्रदेश में आटा मिलों के आवंटन के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। मैं तो केवल कर्नाटक के बारे में ही प्रश्नों की इजाजत दूंगा।

श्री तारिका अनवर : कश्मीर से कन्या कुमारी तक हिन्दुस्तान एक है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, कर्नाटक से सम्बन्धित प्रश्न ही पूछे जाए।

श्री बी० बी० देसाई : मैं केवल कर्नाटक के बारे में ही प्रश्न पूछेगा। अभी मेरे मित्र, श्री लकप्पा ने माननीय मंत्री से पूछा कि क्या वेगन न मिलने के कारण कर्नाटक सरकार अपना स्टाक नहीं उठा सकी है। क्योंकि माननीय मंत्री प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसमें यह पता चलता है कि यह बात ठीक है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर्नाटक के पास इतना स्टाक नहीं है जितना कि माननीय मंत्री कह रहे हैं। हो सकता है एक महीने पहले उनके पास उतना स्टाक हो—और यह ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार और अधिक गेहूं का आयात कर रही है, क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि क्या वे कर्नाटक को गेहूं का और अधिक स्टाक देने के लिए राजी हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं पहले ही बता चुका हूं कि मिलों की पूरी जरूरत उनकी क्षमता के अनुसार आवंटित कर दी गई है। पहले रेलों में दुर्घटनाओं के कारण, हो सकता है, स्टाक के लाने ले जाते की गति कुछ धीमी रही हो। उसी कारण मासिक आवंटन राज्य में न पहुँचे हों। परन्तु जैसा मैंने कहा है, कर्नाटक में ही पर्याप्त खाद्य भण्डार है। इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

मूंगफली के तेल के थोक और खुदरा मूल्य

*416. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली के तेल के थोक और खुदरा मूल्यों में हाल ही में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या भारत से मूंगफली की भारी मात्रा का निर्यात करने के कारण मूंगफली के तेल के मूल्यों में यह वृद्धि हुई है ।

(ग) यदि हां, तो तेल का उत्पादन करने हेतु देश के बाजार के लिए इसका भण्डार रखने की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए इसका निर्यात किए जाने के क्या कारण है ; और

(घ) यदि नहीं, तो मूल्यों में यह भारी वृद्धि किन कारणों से हुई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) : हाल के महीनों में मूंगफली के तेल के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई थी । तथापि, पिछले कुछ सप्ताहों में देश की कुछ प्रमुख मण्डियों में मूंगफली के तेल के मूल्यों में गिरावट आई है ।

(ख) : जी नहीं । निर्यात की जा रही मूंगफली की मात्रा मूंगफली के कुल उत्पादन के 2 प्रतिशत से भी अधिक नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) : मूल्यों में हुई यह वृद्धि, मुख्यत: गत खरीफ की फसल के दौरान मूंगफली के उत्पादन में आयी गिरावट, तिलहनों की पैदावार आमतौर पर मांग में हुई वृद्धि के अनुरूपन होने और व्यापारियों की सट्टेबाजी की प्रवृत्ति के कारण कही जा सकती है, जिसके फलस्वरूप देश में मूंगफली के तेल सहित खाद्य तेलों के मूल्य में मौसम के विपरीत वृद्धि का रुख आया है ।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में तेल के उत्पादन में गिरावट आई थी, इसका निर्यात पूरी तरह बन्द क्यों नहीं कर दिया गया । दूसरे यद्यपि यह राज्य का मामला है क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए कोई निदेश दिया है । ताकि अगले मौसम में कोई कमी न हो ?

राव बीरेन्द्र सिंह : हमने दो विशेष परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी है एक तो गुजरात मूंगफली के लिए और दूसरी मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिए । मूंगफली की खेती और अधिक क्षेत्र में करने के लिए और सिंचाई सुविधाओं के लिए हमने 35 करोड़ रुपये किसानों को त्रिशव सहायता और प्रोत्साहन के रूप में मजूर किए गए हैं । इसी प्रकार हमने सोयाबीन के मामले में भी मंजूरी दी है । देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र की बहुत सी योजनाएं हैं । इस प्रयोजन के लिए कई राज्यों का चयन किया गया है ।

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या सरकार के पास हमारे पड़ोसी देशों के साथ तेल के

अवैध व्यापार के बारे में कोई जानकारी है। और यदि हां तो यह अवैध व्यापार कितना प्रतिशत है।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस संबंध में सरकार के पास कोई खास जानकारी नहीं हैं। परन्तु यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेषकर जानकारी है तो हम उसकी जांच करेंगे।

श्री गुलाब नबी आजाद : क्या मूल्य में वृद्धि अकुशल लोक वितरण प्रणाली से भी संबंधित है क्योंकि हमारी लोक वितरण प्रणाली हमारे देश के कमजोर वर्ग की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है। और यदि हां; तो सरकार इस बात में क्या सोच रही है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : पिछले एक वर्ष में देश में उचित मूल्य की दूकानों की संख्या लगभग 3 लाख हो गई है। (व्यवधान) वितरण इन्हीं दूकानों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। हम लोक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों की आयतित तेल की पूरी मांग को पूरा कर रहे हैं और इसमें कोई कमी नहीं हैं।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने बताया कि आयलसीड्स की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार बहुत से कदम उठा रही है। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में राइस ब्रान 25 से 30 परसेंट तक आइल निकल सकता है जिसको कि गधे और घोड़े खा जाते हैं, उसमें से तेल निकालने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं।

दूसरे 1969-70 में कक राइस ब्रान आयल कमेटी बनायी गयी थी और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि इससे तेल एक्सट्रेक्शन करने के प्लांट मुल्क में ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, उस कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ? हम अपने मुल्क में सैकड़ों करोड़ रुपये का आयल इम्पोर्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं जब तक हम इस 1969-70 की रिपोर्ट पर कार्यवाही कर सके हैं और करोड़ों रुपये इम्पोर्ट से बचा सके हैं ?

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मेम्बर के साथ इत्तिफाक करता हूं कि राइस ब्रान से और ज्यादा तेल निकाला जा सकता है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके लिए हम मंजूरी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं लेकिन राइस ब्रान से एडीबल आयल निकाला जाए, उसके लिए स्पेशल टैक्नोलोजी चाहिए।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : क्या आपने इस कमेटी की रिपोर्ट को एग्जामिन किया है ? (व्यवधान) मैं उस कमेटी का चेअरमेन था।

श्री नीरेन घोष : जब कमी थी तो सरकार मूंगफली का निर्यात करने के लिए भले ही यह 2 प्रतिशत हो, क्यों राजी हो गई ? क्या यह अवैध रूप से धन कमाने के लिए कुछ लोगों की सहायता करना नहीं हैं ? क्या यह सच है कि गुजरात सरकार और मूंगफली के तेल का व्यापार करने वाले कुछ लोगों ने एक अलिखित समझौता कर लिया था और उन व्यापारियों ने इसका स्टाक जमा कर लिया और इस प्रकार मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। आपने नहीं बताया कि इस अमय मूल्य क्या है ?

इस परियोजना की मुख्य उपलब्धियां विभिन्न कृषि मौसमों के हालातों के लिए उपयुक्त फसलों और किस्मों तथा उपयुक्त कृषि पद्धियों के चयन के रूप में हैं।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार ने छठी योजना में 175 करोड़ का प्रावधान किया है जबकि पांचवी योजना में 336 करोड़ का प्रावधान किया गया था। मंत्रीजी को आप देखें। पांचवीं योजना से भी कम यह एमाऊन्ट है इसी तरह से डैजर्ट डिवेलेपमेंट प्रोग्राम के वास्ते छठी योजना में 50 करोड़ की राशि रखी गई है। क्या इतनी छोटी राशि से हम इस इश्यू की समस्या को हल कर सकेंगी ? क्या इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो राशि रखी गई है उसको बढ़ाया जाएगा ? पहले डैजर्ट डिवेलेपमेंट प्रोग्राम का संचालन केन्द्रीय सरकार करती थी, सभी एसिस्ट इसके लिए देती थी। अब यह तीन चार साल से स्टेट्स के पास है। क्या इसकी केन्द्रीय सरकार स्वयं चलाएगी और राशि भी अधिक बढ़ाएगी ?

श्री बालेश्वर राम : प्लानिंग कमीशन डी. पी. ए. पी. या डैजर्ट डिवेलेपमेंट के वास्ते जो भी राशि तय करती है उस पर नैशनल डिवेलेपमेंट काउंसिल की मुहर लगती है और उसी के आधार पर केन्द्रीय सरकार काम करती है। मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिए बताऊंगा कि 1979-80 में डी. पी. ए. पी. के लिए 70.75 करोड़ खर्च किए थे।

श्री बालेश्वर राम—जारी)—डी० पी० ए० पी० में। 1980-81 में भी केन्द्रीय योजना में 35 करोड़ का प्रावधान किया गया था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को जितना पैसा खर्च करना चाहिए, उन्होंने उतना नहीं किया। पैसे की उनके पास शायद कमी होती है। पिछले साल उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 67 करोड़ रुपए ही खर्च किये। यह बात सही है कि अब 75 करोड़ रुपए हम सेन्टर से खर्च करेंगे और बाकी स्टेट को हम कहेंगे कि 175 करोड़ रुपया वह भी अपने फंड से लगाए। अगर वह राशि खर्च करेंगे और प्रोग्राम तेजी से चलेंगे तो हम और भी विचार कर सकते में, लेकिन अभी हम इस रकम को तो खर्च होने दीजिए। इस काम तेजी लानी चाहिए जिससे यह काम पूरा हो सके। केन्द्रीय योजना में 50 करोड़ रुपया डैजर्ट डेवलपमेंट के लिये भी है, इसको भी पूरा खर्च होना चाहिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अब तक कम खर्च किया है। इसलिए इस पैसे को खर्च करने दें, फिर विचारेंगे और क्या कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गेहूं के आयात के बारे में गुप्त सरकारी दस्तावेजों का प्रकटन

*418. **श्री योगेन्द्र झा**
श्री मोहम्मद असरार अहमद } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका से गेहूं के प्रस्तावित आयात की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या अमरीका से गेहूं के प्रस्तावित आयात तथा खरीद के बारे में कुछ गुप्त दस्ता-

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, मूंगफली के तेल का प्रयोग वनस्पति घी अर्थात डालडा के निर्माण के लिए किया जाता है। आप जानते हैं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह देश के अन्य भागों से अलग हैं। वहां लोग कलकत्ता और मद्रास से आने वाला डालडा इस्तेमाल करते हैं। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने एक प्रतिबन्ध लगा दिया है ताकि डालडा कलकत्ता से अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में न भेजा जा सके। इस कारण डालड़ा का मूल्य वहां पर बहुत बढ़ गया है।

मैंने माननीय मंत्री को एक पत्र भी लिखा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात पर विचार करेंगे और आने वाले त्यौहारों जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली आदि को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष अनुदेश देंगे ताकि अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूहों में पर्याप्त स्टाक उपलब्ध हो। क्या वे इसके लिए राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग को आवश्यक अनुदेश देंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : श्रीमन्, आयनित खाद्य तेज़ अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह सहित सभी राज्यों को आवंटित किया जा रहा है। वास्तव में सभी राज्यों ने उन्हें आवंटित मात्रा से कम मात्रा उठाई है। इसलिये अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह सहित किसी भी राज्य में कमी का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मनोरंजन भक्त : श्रीमन्, मैंने एक पत्र भी लिखा है...

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

राष्ट्रीय सूखा नीति बनाना

*417. श्री वृद्धि चन्द्र जैन
श्री बाला साहिब विखे पाटिल } : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रति वर्ष विभिन्न राज्यों में सूखा पड़ना रोकने के लिए राष्ट्रीय सूखा नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) सरकार ऐसे क्षेत्र में, जहां सूखा बार-बार पड़ता है, सूखे पर नियंत्रण पाने और उसकी प्रचण्डता को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न योग्यतायें कार्यान्वित करती रही है जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण योजनायें ये हैं—सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा शुष्क भूमि पर कृषि हेतु अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना।

(ख) व (ग) इन योजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

चूंकि देश के कुछेक भागों में लगातार सूखा पड़ता रहता है, इसलिए 1970-71 से ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका प्रमुख उद्देश्य अभाव की प्रचण्डता को धीरे-धीरे का करना है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों का चयन भूखे की बार-बार घटना, सिंचाई एवं वर्षा के अन्तर्गत क्षेत्र की सीमा उपलब्ध रोजगार के अवसरों आदि के आधार पर किया गया है। प्रारम्भ में, कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि संरक्षण, वनरोपण, सड़कों तथा सिंचाई कार्यों जैसे श्रम-प्रधान कार्यों को शुरू करके अभाव से तत्काल राहत दिलाना था। चौथी योजना के दौरान कार्यक्रम के मध्यावधि मूल्यांकन के पश्चात्, कार्यक्रम में संशोधन कर दिया गया था और इसका नाम सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम रख दिया गया। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की पहुँच तथा नीति अक्तूबर 1971 में योजना आयोग द्वारा गठित एक कार्यदल द्वारा तैयार की गई थी। कार्यदल ने सुझाव दिया था कि प्रयासों में मुख्य बल उपयुक्त परिस्थितिक संतुलन को पुनः पुनःस्थापित करने की दिशा में दिया जाना चाहिए।

इस कार्यक्रम के कुछेक घटकों का निम्न प्रकार चयन किया गया था :—

(1) पारिस्थितिक संतुलन का पुनः स्थापन;

(2) सिंचाई संसाधनों का विकास तथा प्रबन्ध;

(3) फसल प्रतिमान की पुनः संरचना तथा चरागाह विकास;

(4) कृषि पद्धतियों में परिवर्तन;

(5) पशुधन विकास;

(6) पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था;

(7) भूमि और नमी संरक्षण तथा वनरोपण; और

(8) छोटे तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों का विकास।

सरकार ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के कार्यक्षेत्र, विषयवस्तु तथा प्रगति की पुनरीक्षा करने हेतु एक अन्य दल का गठन किया है।

निधियों के आबंटन का मान दण्ड 15 लाख रुपऐ प्रतिवर्ष प्रति खण्ड है। वास्तविक आबंटन को केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के बीच बराबर बराबर आधार पर बाँटा जाता है। कार्यक्रम को 13 राज्यों के 74 जिलों (पूर्ण अथवा आंशिक) में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

मरुभूमि विकास कार्यक्रम को वर्ष 1977-88 में केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसके अन्तर्गत देश के गर्म तथा शीत दोनों शुष्क क्षेत्र आते हैं जिनमें राजस्थान के 11 जिले, हरियाणा के 4 जिले, गुजरात के 3 जिले, जम्मू तथा काश्मीर के 2 जिले और हिमाचल प्रदेश का 1 जिला आता है। कार्यक्रम का क्षेत्र मुख्य रूप से वही है जिसका चयन राष्ट्रीय

अनुलग्नक—1

लोक सभा के दिनांक 14.9.1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 420 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

राजस्थान में समस्याग्रस्त ग्रामों की जिलावार ब्यौरे

क्रम सं०	जिले का नाम	समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या जिनको 1.4.1981 की जल पूर्ति मुहैया की जाती है।
1	2	3
1.	अजमेर	582
2.	अलवर	1142
3.	बांसवाड़ा	936
4.	बाड़मेर	564
5.	भरतपुर	974
6.	बीकानेर	242
7.	भीलवाड़ा	940
8.	बूंदी	295
9.	चित्तौड़गढ़	490
10.	चुरू	451
11.	डूंगरपुर	277
12.	गंगानगर	1571
13.	जयपुर	1668
14.	जालौर	194
15.	जैसलमेर	291
16.	झालावाड़	466
17.	झुनझुनूं	405
18.	जोधपुर	369
19.	कोटा	560
20.	नागौर	749
21.	पाली	333

राव बीरेन्द्र सिंह : जैसा मैंने कहा चूंकि मूंगफली के निर्यात से बाजार पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि 57 लाख टन के कुल उत्पादन में से निर्यात लगभग 50,000 टन ही हुआ है। यह केवल एक प्रतिशत बैठता है। इतनी कम मात्रा का मूल्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है ?

परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें विदेशी मुद्रा कमाने के लिए, जिसकी देश में बहुत आवश्यकता है, कृषि क्षेत्र में भी आयात करने के लिए सोचना होगा। साथ ही निर्यात करने से कृषि उपज के मूल्य में स्थिर हो जाते हैं जिसका किसानों को लाभ पहुंचता है। अन्यथा मूल्य में मन्दी आ जायगी और उत्पादन में नुकसान होगा। इन सभी बातों पर सन्तुलित ढंग से विचार करना होगा।

माननीय सदस्य मूल्यों के बारे में जानना चाहते हैं। मैं अपने मुख्य उत्तर में बता चुका हूं कि पिछले दो तीन सप्ताहों में मूल्य कम हो गये हैं। मूंगफली के मुख्य बाजारों में अर्थात् हैदराबाद, राजकोट, बम्बई और मद्रास और कलकत्ता में 4 सितम्बर को हैदराबाद में मूंगफली के तेल का प्रति क्विंटल थोक मूल्य 1407 रुपये था जबकि अगस्त में हैदराबाद में 1475 रुपये था, जो इस प्रकार देश के सभी बाजारों में मूल्यों में गिरावट आई है।

श्री नीरेन घोष : आपने यह नहीं बताया कि क्या व्यापारियों ने तेल के स्टाक को रोक लिया था।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जितनी तेल की मांग है, उसके मुकाबले उत्पादन बहुत कम है मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि खाद्य तेल का जो विकल्प है "पाम आइल" उसके लिए "पाम प्लाटेशन" के लिए क्या करने जा रहे हैं। हमारे देश का क्लाइमेट लगभग मलेशिया और इंडोनेशिया जैसा है। इसलिए इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है, ताकि खाद्य तेल के बारे में देश आत्मनिर्भर हो सके।

राव बीरेन्द्र सिंह : "पाम आइल प्लांटेशन के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और कई जगह इसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि किसान जब भी मूंगफली लेकर बाजार में जाता है तो मूंगफली का भाव कम हो जाता है। हम पिछले तीन-चार साल से देखते हैं, तेल का भाव इस साल भी 16 रुपये प्रति किलो है। इस बारे में नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्री कुरियन ने एक योजना आपके पास दी है, जिससे तिलहन की फसल का अधिक उत्पादन किया जा सकता है ? 700 करोड़ का जो तेल बाहर के देशों से मंगाया जाता है उसको रोका जा सके, क्या ऐसी कोई योजना आपके पास है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : नेशनल डेरी डिवेलेपमेंट कारपोरेशन को एजेंशंज भी आई है। इसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अपने आप भी बहुत सी स्कीमें बना रही है और उनके ऊपर अमल किया जा रहा है।

चुरा लिए गए हैं और गोपनीय बातों का प्रकटन कुछ बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अधिकारियों तथा कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह : (क) 15 अगस्त 1981 से 31 जनवरी, 1982 की अवधि के दौरान सुपुर्दगी के लिए जहाज तक निष्प्रभार के आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका से 15.15 लाख मीटरी न गेहूं खरीदने के लिए ठेका किया गया था जिसमें 10.15 लाख मीटरी टन गेहूं और वेस्टर्न व्हाइट गेहूं और 5.00 लाख मीटरी टन हार्ड रेड विन्टर गेहूं शामिल है। गेहूं का मूल्य 160.73 यू० एस० डालर प्रति मीटरी टन भिन्न-भिन्न होता है और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र के जरिए यू० एस० डालरों में भुगतान किया जाएगा।

(ख) से (घ) : केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 7 अगस्त, 1981 को सायं 7·00 बजे खाद्य विभाग के एक उच्च श्रेणी लिपिक को इस शक पर गिरफ्तार किया था कि उसने विदेशी हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों अनाधिकृत रूप से सरकारी दस्तावेज दिए थे। अब तक उपलब्ध सूचनानुसार यह नहीं कह जा सकता है कि गेहूं का आयात करने सबन्धित गुप्त दस्तावेजों की चोरी की गई है। इस कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया है और जांच प्रगति पर है।

सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के सरकारी आवास का आवंटन

*419. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री चिन्ता मणि जेना } : **क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे व्यक्ति के साथ, जो भारत सरकार की सेवा में हैं और सामान्य पूल के आवास के आवन्टन का हकदार हैं, तदर्थ आधार पर सरकारी आवास के आवंटन के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति के मुकाबले, जो भारत सरकार की सेवा में है परन्तु विशिष्ट पूल के आवास के आवंटन का हकदार है, भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किस सम्बन्ध में ; और

(ग) यदि नहीं, तो विभिन्न पूलों के सम्बन्धित उन सरकारी कर्मचारियों को जो अन्य सभी शर्तें पूरी करते हैं, हाल में भारत सरकार द्वारा सेवा निवृत्त होने वाले, अथवा सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के दिए गए तदर्थ सरकारी आवास के लाभ से वंचित करने के क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री श्री भीष्म नारायण सिंह : (क) तथा (ख) : निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा प्रबन्धित "सामान्य पूल" में वास के दखलकार सेवा निवृत्त होने वाले/सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को सरकारी रिहायती

वास का तदर्थ आबटन तभी अनुमेय है जबकि सरकारी कर्मचारी का आश्रित "सामान्य पूल" रिहायशी वास का पात्र हो।

(ग) अलग-अलग पूलों के लिए सरकारी वास में आवंटन के लिए अलग-अलग नियम हैं।

राजस्थान में पेय जल समस्या

420. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में, विशेष रूप से पाली जिले में, ऐसे समस्या मूलक गांवों की जिलावार संख्या कितनी है, जिनमें पेयजल उपलब्ध नहीं है और जिनमें पेयजल पिछले दुर्भिक्ष वर्ष में भी वाहनों द्वारा ले जाया गया था ; और

(ख) जिला-वार कितने गांवों में 1980-81 तथा 1981-1982 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता से पेयजल समस्या को हमेशा के लिए सुलझा लिया गया और उन पर कुल कितना व्यय हुआ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा है।

विवरण

(क) राजस्थान में समस्याग्रस्त ग्रामों (अर्थात वे ग्राम जहां उपयुक्त दूरी 1.6 किलोमीटर के भीतर अथवा 15 मीटर की गहराई पर पेयजल का विश्वस्त संवाधत नहीं है, अथवा वे जहां हैजा, नेत्रुआ, क्रीमी आदि जैसे स्थानिक मारी के रोगों से ग्रस्त हैं अथवा वे जहां उपलब्ध जल में लवण, लौह, फ्लोराईड़ या अन्य जहरीले पदार्थों का बाहुल्य है) की जिले वार संख्या अनुलग्नक-1 में दिखाई गई है।

(ख) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है तथा इस प्रयोजन के लिए विधियां राज्य योजना में मुहैया की जाती है। तथापि, केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पेयजल की शीघ्र ही व्यवस्था करने के लिए उनके संसाधनों के बढ़ाने हेतु दी जाती है। राजस्थान में वर्ष 1980-81 के दौरान राज्य एवं केन्द्रीय विधियों से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था जिन समस्याग्रस्त ग्रामों को की गई है उसकी संख्या अनुलग्नक II में दिखाई गई है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के दौरान राजस्थान को निर्माण कार्यों के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता 559.10 लाख रुपये थी।

वर्ष 1981-82 के दौरान पेयजल मुहैया किए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या के बारे में सूचना वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद उपलब्ध होगी।

क्षेत्र आयोग द्वारा गया था।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भौतिक मानवीय, पशुधन तथा जैविक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके वहां के निवासियों के उत्पादन, आय स्तर तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि करके मरु क्षेत्रों का समन्वित विकास करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत परिकल्पित मुख्य गतिविधियां निम्न-लिखित हैं:—

(1) वनरोपण (सुरक्षा पट्टियों का मुख्य बल देते हुए) चरागाह विकास, रेत के टीलों का स्थिरीकरण;

(2) भूजल विकास और उपयोग;

(3) खानदीन, बन्ध आदि जैसे जल संचयन ढाँचों का निर्माण आदि;

(4) पम्प सैटों को शक्तिचालित करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण;

(5) कृषि/बागवानी/पशुपालन का विकास।

1977-78 तथा 1978-79 के दौरान योजना की सम्पूर्ण लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की गई थी, उसके पश्चात् लागत को केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जा रहा है। आवंटन का मानदण्ड प्रति वर्ष 15 लाख रुपये प्रतिखण्ड है जिसे केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार के बीच बराबर बांटा जाना है।

शुष्क भूमि पर कृषि हेतु अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना :

सूखे के समय शुष्क भूमि पर खेती करना अत्यन्त कठिन कार्य है। जोखिम कम करने हेतु प्रौद्योगिकी का विकास करने के उद्देश्य से शुष्क भूमि पर कृषि हेतु अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना चौथी योजना के दौरान शुरू की गई थी। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य से हैं :—

(क) फसल वाली भूमि में नमी के दबाव तथा सूखे की स्थिति की चुनौतियों का सामना करने हेतु आनुषांगिक योजना के लिए फसल के उपयुक्त तरीके, कृषि पद्धतियां तथा नीतियां तैयार करना।

(ख) फसलों की सुरक्षा के लिए सिंचाई सुलभ करने हेतु जल संचयन तथा बहने वाले जल को पुनः उपयोग में लाने की प्रौद्योगिकी में सुधार करना।

(ग) कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त चरागाही खेती तथा वन-चरागाह की पद्धति तैयार करना, और।

(घ) शुष्क भूमि पर कृषि के लिए उपयुक्त कृषि औजारों का विकास करना। इस परियोजना के अन्तर्गत अनुसंधान कार्यक्रम 23 अनुसंधान केन्द्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है और इसका समन्वयकारी सैल तथा परियोजना निदेशालय हैदराबाद में स्थित है। छठी योजना के दौरान, परियोजना को जारी रखा जा रहा है और कार्यक्रम अनुसंधान अध्ययनों में गहनता लाने तथा शुष्क भूमि पर कृषि की प्रौद्योगिकी को परिष्कृत करने हेतु सुदृढ़ किए जाने का प्रस्ताव है।

1	2	3
22.	सवाई माधोपुर	837
23.	सिकार	358
24.	सिरोही	149
25.	टोंक	442
26.	उदयपुर	3131
	जोड़	17401

अनुलग्नक II

1980-81 के दौरान लाभ पहुंचाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों के जिलावार ब्यौरे

क्रम सं०	जिले का नाम	लाभ पहुंचाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या (राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग के दिनांक 15 अप्रैल, 1981 के पत्र सं० एचजी/एक्स ई सन/एम ओ एन-1/28/81-82/3772 पर आधारित)
1	2	3
1.	अजमेर	155
2.	अलवर	136
3.	बाँसवाड़ा	151
4.	बाड़मेर	28
5.	भरतपुर	145
6.	बीकानेर	58
7.	भीलवाड़ा	48
8.	बून्दी	66
9.	चित्तौड़गढ़	81

1	2	3
10.	चुरू	66
11.	डूंगरपुर	69
12.	गंगानगर	54
13.	जयपुर	249
14.	जलौर	68
15.	जैसलमेर	18
16.	झालावार	62
17.	झुनझुनू	117
18.	जोधपुर	56
19.	कोटा	89
20.	नागौर	76
21.	पाली	83
22.	सवाई माधोपुर	90
23.	शिकार	91
24.	सिरोही	79
25.	टोंक	53
26.	उदयपुर	214
	जोड़	2402

अनाज उतारने का काम

421. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी इस बात की जानकारी है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को पता लगा था कि अनाज उतारने के काम में गम्भीर कदाचार और छल साधन किये जा रहे थे तथा उनकी जांच की जा रही थी ;

(ख) क्या उनको यह भी पता है कि एम०एम०पी० लाइन्स लि० के साथ-साथ केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को इस तथ्य के बावजूद अनाज उतारने का काम दिया गया था

कि खाद्य निगम के पास यह काम स्वयं करने के लिए पर्याप्त मात्रिक साधन हैं; और

(ग) गेहूं के वर्तमान आयात के लिए उपरोक्त काम कैसे किया जायेगा और क्या वह यह सुनिश्चित करेंगे कि पहले जो कुछ हो गया उसकी पुनरावृत्ति न हो ?

(क) कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकारी प्रतिष्ठान (1977-78) समिति ने अपनी 54वीं रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि 1976 और 1977 के दौरान केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम; कलकत्ता द्वारा शुरू किए गए अनाज उतारने की योजना विषयक कार्यों में सुस्पष्ट अनियमिताएं की गई थीं। इस समिति की रिपोर्ट में रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में वेवदूघटरज खरीदने, लाइट्रिंग और स्टीवडोरिंग कार्यों के बारे में जांच की गई थी। जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय, जो कि इस निगम का प्रशासनिक मंत्रालय है, ने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो सहित संबंधित प्राधिकारियों से समिति द्वारा उल्लिखित अनियमितताओं की जांच करने के लिए कहा है।

(ख) चार्टर पार्टी के उपबन्धों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो जलपोतों से माल उतारने का कार्य माल वाहकों द्वारा अपने जोखिम और खर्चे पर किया जाता था। अत भारतीय खाद्य निगम का किसी प्रकार से अनाज उतारने विषयक कार्यों में कोई हाथ नहीं था और न ही उन्होंने ऐसा कोई कार्य किसी अन्य संगठन को सौंपा था।

(ग) सामान्य चार्टर पार्टी के उपबन्धों के अनुसार यह जलपोतों के मालिकों पर निर्भर करता है कि यदि आवश्यक हो तो वे अपने जोखिम और खर्चे पर माल उतारने का कार्य करें।

उत्तर प्रदेश को खाद्यान्नों की सप्लाई

422. श्री निहाल सिंह : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1981 तक उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की मासिक मांग क्या थी; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को प्रतिमाह कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1981 तक केन्द्रीय पूल से उत्तर प्रदेश को चावल और गेहूं की मांसवार मांग, उनके आवंटन और निकासी को बताने वाला विवरण।

मास	मांग	आवंटन	हजार मी० टन निर्यात	
	चावल गेहूं	चावल गेहूं	चावल	गेहूं
	सा० वि० प्रा० मिलें	सा० वि० प्रा० मिलें	सा० वि० प्रा०	मिलें
जनवरी	75.0 100.0 65.0	100.0 35.0	27.65 19.6 28.5	28.4
फरवरी	100.0 100.0 65.0	100.0 35.0	27.65 23.3 32.9	28.0
मार्च	75.0 100.0 65.0	75.0 45.0	30.0 31.7 34.4	30.5
अप्रैल	100.0 100.0 65.0	75.0 40.0	30.0 22.1 21.9	26.1
मई	100.0 60.0 50.0	75.0 40.0	30.0 23.5 10.4	26.8
जून	100.0 50.0 65.0	75.0 40.0	30.0 21.0 10.6	25.0
जुलाई	100.0 80.0 65.0	75.0 40.0	30.0 32.0 23.7	30.1

सहकारी समितियों के बारे में एकसा कानून

423. श्री नरसिंह मकवाना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को कोई निदेश दिये हैं कि सभी राज्यों में सहकारी समितियों के लिए एकसा कानून बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यह निदेश किस तारीख को जारी किया गया था, और

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में सहकारी समितियों के विरुद्ध भारी संख्या में शिकायतों को देखते हुए, उनको दूर करने और ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार किया गया है ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय संविधान की अनुसूचि 7 की राज्य सूची की प्रविष्टि

32 के अनुसार सहकारिता राज्य सरकारों का विषय है। अतः केन्द्रीय सरकार निदेश जारी नहीं कर सकती। तथापि, सरकार देश भर में सहकारी समितियों के नियमों में एक रूपता लाने के लिए राज्य सरकारों को समय समय पर मुख्य सिद्धान्तों के बारे में सुझाव देती है। इनका संबंध कमजोर वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण, पदाधिकारियों के कार्यकाल, एक ही समय अनेक पदों पर काम करने पर प्रतिबन्ध लगाने तथा अन्य ऐसे मामलों से है जिनका सहकारी समितियों के स्वस्थ विकास पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये कानूनों के तहत सहकारी समितियों की कार्य-प्रणाली के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी मौजूद हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर सुझाये गये उपचारात्मक उपाय इस प्रकार है, खातों का समय पर व नियमित अंकेक्षण, जांच व निरीक्षण सम्बन्धी प्रणाली को सरल बनाना, आम निरीक्षण व पर्यवेक्षण, प्रबन्ध रिपोर्टिंग प्रणाली का लागू करना, व्यवसायिक रूप से सक्षम प्रबन्ध स्टाफ के संवर्ग का सृजन करना, चुने हुए व वेतन भोगी प्रबन्ध कर्मचारियों के कार्य का स्पष्टीकरण, सहकारिता, शिक्षा व प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था।

रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली में उद्यानों की देख-भाल

424. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
डा० ए० यू० आजमी : } क्या निर्माण और आवास मंत्री 21 मई, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में व्हेयर कीयर फेलस दि मार्क शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस वजह से रामा कृष्ण पुरम, नई दिल्ली, जैसी सरकारी आवासीय कालोनियों में उद्यानों तथा इनकी बाड़ों का उचित ढंग से रख रखाव नहीं किया जाता, उद्यान असमतल है, उनमें पानी नहीं दिया जाता तथा उनकी देखभाल नहीं की जाती, और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान विभाग के स्टाफ द्वारा रुचि न लिए जाने के कारण इनमें लगाए गए पौधे सूख जाते हैं।

(ख) क्या सरकार पर्यावरण की स्थिति सुधारने के लिए इस महत्वपूर्ण पहलू पर और अधिक ध्यान देगी; और

(ग) यदि हां, तो उद्यानों की हालत सुधारने, इन्हें समतल और हरा भरा बनाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है :

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नरायण सिंह) : (क) राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली जैसी सरकारी कालोनियों में लान इत्यादि के अनुरक्षण में मुख्य कठिनाइयां इस प्रकार है :—

(1) निधियों की कमी के कारण लान इत्यादि के अनुरक्षण के लिए समिति कर्मचारी रखे गए हैं।

(2) दक्षिण दिल्ली में कालोनियों के विस्तार के कारण इन लानों के लिए कच्चा पानी

अपर्याप्त हो गया है।

(3) दिन के समय अधिकांश लानों में बच्चे आमतौर पर क्रिकेट जैसा खेल खेलते हैं और शाम को निवासी बहुधा इन लानों को शादी तथा अन्य सामाजिक समारोह के लिए प्रयोग में लाते हैं और उनमें गड्ढे आदि करके उबड़ खाबड़ छोड़ देते हैं।

(ख) तथा (ग)—दक्षिण दिल्ली में कच्चे पानी की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव तैयार किए हैं।

दिल्ली में जमीन की कीमतों में वृद्धि

425. **श्री एन० ई० होरो** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करें कि।

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जमीन की कीमतों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और इसका मुख्य कारण यह है कि स्वयं दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों की नीलामी बहुत अधिक कीमतों पर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 31 जुलाई, 1981 को समाप्त हुए पिछले 6 महीनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुल कितने प्लाटों की नीलामी की गई; और

(ग) उनके माप तथा नीलामी में प्राप्त कीमतों का ब्यौरा क्या है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक मामले में निर्धारित आरक्षित मूल्य क्या था;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली में भूमि के मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण स्वयं है जो कि प्लाटों को बहुत ही ऊंचे मूल्यों पर नीलाम कर रहा है। तथापि, दिल्ली में सामान्य स्फीति प्रवृत्ति, दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा खुली खरीद हेतु भूमि की उपलब्धता एवं मांग में अन्तराल आदि जैसे विभिन्न घटकों के कारण भूमि के मूल्यों में स्पष्ट वृद्धि हुई है।

(ख) तथा (ग) : उपर्युक्त (क) को देखते हुए (ख) तथा (ग) का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में आवास समस्या को हल करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना

426. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 2000 ई० तक दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली महानगर की जबर्दस्त आवास समस्या को हल करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां तो छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों सहित इस मास्टर प्लान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने के अलावा उन नई कालोनियों के

नाम क्या हैं जो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जएंगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली के लिए 1981-2001 के लिए दूसरी विकास योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही है। जनता की आवास सहित विभिन्न आवश्यकताओं को प्रक्षेपी करने से दिल्ली का नियोजित विकास करना इसका लक्ष्य होगा। छठी योजना अवधि 1980-85 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण का 20,000 मकान प्रतिवर्ष की दर से निर्माण करने का प्रस्ताव है। वित्तीय तथा निर्माण सामग्री उपलब्ध होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम में गति लाने का प्रयास करेगा और अधिक रिहायशी एकाकों का निर्माण करेगा। समय-समय पर बनाई गई योजना/स्कीम के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न भागों में जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध होगी; वहां आवास कार्यक्रम को चलाने का प्रस्ताव है। रोहिणी योजना जोकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चलाई गई योजनाओं में से सबसे बड़ी है और जिसमें करीब 8,50,000 लोगों आवास/प्लाट देने का प्रावधान किया गया है, वह उत्तर-पश्चिम दिल्ली में स्थित है।

योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा किराया और भूमि की कीमत को पाँच वर्षों तक बढ़ाने से रोकने का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाना

427. श्री तारिक अनवर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु, योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल ने पांच वर्षों के लिए किराए और भूमि की कीमत में वृद्धि को रोकने सम्बन्धी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) क्या किराए और भूमि की कीमत को बढ़ने से रोकने का सुझाव शहरी क्षेत्रों में इस कदर तेजी से बढ़ते हुए किराए को ध्यान में रखते हुए दिया गया था, क्योंकि इससे वेतन भोगी वर्ग के लिए उपयुक्त आवास प्राप्त करना कठिन हो गया है ;

(ग) क्या भूमि की कीमत और किराए को बढ़ाने से रोकने के मामले पर कानूनी और अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर विस्तृत रूप में विचार करने की आवश्यकता है और

(घ) क्या आवास की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार शहरी जनता के लिए आवास-निर्माण की गति को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय करेगी :

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) कार्यकारी दल द्वारा यह अनुभव किया गया था कि 31.12.76 को प्राप्त स्तर पर भूमि की लागत और किराए को स्थित करने का विचार व्यवहार्य नहीं हो सकता है क्योंकि इनसे कानूनी जटिलताओं सहित विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

(ख) तथा (ग) : आवास तथा नगर विकास से सम्बन्धित समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिये और इसके साथ-साथ छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति को तेज करने के लिए, उठाए जाने वाले उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग ने कार्यकारी दल का गठन किया था। इस कार्यकारी दल ने नोट किया कि पिछली समिति ने मानक किराए के नियंत्रण एवं निर्धारण के प्रश्न पर गहराई से अध्ययन किया था और कुछ सिफारिशें की थीं जो सरकार के विचाराधीन थे। कार्य दल ने यह महसूस किया था कि इन परिस्थितियों में यह उचित नहीं होगा कि भूमि की कीमतों आदि जिसके सभी पहलुओं में विस्तृत विचार करने की आवश्यकता थी, को स्थिर रखने के सुझाव पर विचार किया जाये।

(घ) नगरीय क्षेत्रों में छठी योजना में 16.2 लाख एककों का निर्माण करने के लक्ष्य के साथ साथ 'स्थल एवं सेवाएं' की योजनाओं के लिए 485 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हुडको द्वारा पूंजी निवेश के लिए योजना में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भूमि का वितरण

*428. श्री पी. के. कोडियन
श्री सूरजभान

क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के हाल के अध्ययन से यह पता चला है कि फालतू पाई गई भूमि में से आधी भूमि भी अभी तक भूमिहीन कृषि श्रमिकों को नहीं दी गई है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में फालतू पाई गई और वितरित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन में इसके मन्द कार्यान्वयन के कारणों पर प्रकाश डाला गया है और भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों के द्रुत कार्यान्वयन के लिये कुछ उपाय सुझाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) योजना आयोग द्वारा प्रकाशित छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में यह उल्लेख किया गया है कि लगभग 15.74 लाख हैक्टेयर (39.33 लाख एकड़) घोषित फालतू भूमि में से केवल 6.79 लाख हैक्टेयर (16.98 लाख एकड़) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का वितरण हुआ है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) व (घ) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में भूमि-सीमायें द्वारा राजस्व प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध दायर किए गए पुनरावेदनों तथा संशोधनों के धीमे निपटान का उल्लेख किया गया है और सुझाव दिया गया है कि अधिकतम सीमा से फालतू भूमि का कब्जा दिलाने तथा उसके वितरण का कार्य 2 वर्षों की अवधि में पूरा होना चाहिए।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अंतर्गत फालतू घोषित क्षेत्र	संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अंतर्गत वितरित क्षेत्र
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	10,00,728	2 91,863
असम	5,73,493	3,12,664
बिहार	2,31,618	1,37,003
गुजरात	1,11,402	4,105
हरियाणा	26.283	16,580
हिमाचल प्रदेश	1,35,915	4,417
जम्मू तथा कश्मीर	—	—
कर्नाटक	1,48,707	52,628
केरल	1,17,522	51,842
मध्य प्रदेश	2,54,806	78,028
महाराष्ट्र	3,70,193	2,81,586
मणिपुर	1,029	—
उड़ीसा	1,39,498	1,00,565
पंजाब	49,167	12,497
राजस्थान	2,46,225	1,21,809
तमिलनाडु	77,538	55,996
त्रिपुरा	1,929	946
उत्तर प्रदेश	2,80,112	2,28,693
पश्चिमी बंगाल	1,49,575	55,041
दादरा तथा नगर हवेली	8,958	3,406
दिल्ली	780	—
पांडिचेरी	2,527	837
योग	39,28,005	18,10,506

शिक्षित, ग्रामीण युवकों के लिए योजनायें

*429. श्री चिंगवाग कोनयक : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण श्रमिकों की संख्या में होने वाली वृद्धि के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण शिक्षित युवकों के लिए तथा गाँवों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, हां। छठी योजना प्रलेख के अनुसार, 1980 में ग्रामीण श्रमिकों की संख्या 215.93 मिलियन थी जिसकी 1985 में बढ़कर 240.57 मिलियन होने की आशा की गई है।

(ख) व (ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में शिक्षित ग्रामीण युवकों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात ग्रामीण विकास, कृषि पशुपालन, मत्स्यपालन और कृषि एवं वन पर आधारित ग्रामीण उद्योगों, सेवाओं, व्यापार उद्यमों, ट्राइसेम (ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण) आदि के माध्यम से रोजगार के विभिन्न अवसरों की व्यवस्था की गई है।

कावेरी जल विवाद

*430 श्री एस० एम० कृष्णा
श्री ईरा अमाबारासु } : क्या सिंचाई मंत्री कावेरी जल विवाद के बारे में 17अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बद्ध मुख्य मंत्रियों के बीच प्रस्तावित बैठक हुई थी, यदि हाँ, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) इस लम्बे समय से चले आ रहे विवाद के निपटान के बारे में यदि कोई निर्णय हुआ, तो क्या उसके बारे में सरकार कोई ज्ञापन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष/सुझाव दिए गए हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के मुख्य मंत्रियों की 27-12-1980 को आयोजित पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सभी राज्यों ने अपनी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेज दिए हैं। लेकिन, चूंकि इस विषय पर अभी भी विचार-विमर्श

चल रहे है, इसलिए किसी संतोषजनक समझौते पर पहुंचने के हित में विभिन्न राज्यों के दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श करना वांछनीय नहीं होगा।

खरीफ की फसल के समर्थन मूल्य

*431 **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खरीफ की फसल के समर्थन मूल्य निश्चित करने के लिए मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन नहीं हुआ और इसके स्थान पर कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों को परिचालित किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथाग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) : 1981-82 मौसम के लिए खरीफ धान्यों की मूल्य नीति कृषि पर मूल्य आयोग की मुख्य तथा पूरक रिपोर्टें मुख्य मन्त्रियों को (उनके विचार जानने के लिए) परिचालित की गई थीं। यह महसूस किया गया कि मुख्य मन्त्रियों के व्यस्त कार्यक्रम में बाधा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण विचार पत्र-व्यवहार के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि दिया जाना

432. **श्री जैबुल बशर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने उसका वर्षवार उपयोग कितना किया है और कितने गांवों में यह कार्यक्रम लागू किया गया है

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) पेय जल सप्लाई राज्य का विषय है और इस प्रयोजन के लिए निधियां राज्य योजनाओं में दी जाती हैं। उन समस्याग्रस्त ग्रामों को जहां स्थिति गम्भीर है पेय जल सप्लाई के लिए निधियां न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम०एन०पी०) के अन्तर्गत राज्य योजनाओं में दी जाती हैं। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता, राज्य सरकारों को उनके संसाधनों को बढ़ाने के लिए दी जाती है जिससे कि समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल की शीघ्र व्यवस्था की जा सके।

2. निम्नलिखित विवरण संलग्न है :—

(क) वर्ष 1978 79, 1979 80 और 1980 81 के दौरान राज्य क्षेत्र (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) के अधीन वास्तविक व्यय/परिव्यय का विवरण (अनुलग्नक—I)

(ख) वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यों के लिए राज्य सरकारों को दी गई निधियां और 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान उनके द्वारा उपयोग की गई निधियां (अनुलग्नक II) 1980-81 के उपयोगिता रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं है।

(ग) वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980 81 के दौरान राज्य क्षेत्र (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) और केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन समस्याग्रस्त ग्रामों को पानी मुहैया कराया गया उनकी संख्या (अनुलग्नक III) में दी गई है।

विवरण

राज्य क्षेत्र (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) के अन्तर्गत वास्तविक व्यय/परिव्यय

(लाख रुपयों में)

	1978-79	1979-80	1980!81
1 2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	670 00	1016.94	1228.00
2. असम	274.63	244.00	500.00
3. बिहार	750.00	600.00	1350.00
4. गुजरात	746.00	90 9.38	900.00
5. हरियाणा	433.00	652. 80	650.00
6. हिमाचल प्रदेश	445.00	665.09	650.00
7 जम्मू तथा कश्मीर	654.65	1081. 8	1730.00
8. कर्नाटक	790.00	751.98	900.00
9. केरल	343.00	386.96	824.00
10. मध्य प्रदेश	793.00	716.03	900.00
11. महाराष्ट्र	1352.10	733.00	210.00
12. मणिपुर	133.00	284.70	300.00
13. मेघालय	60.06	385.93	275.00
14. नागालैण्ड	83.49	105.32	198.00

1 2	3	4	5	6
15. उड़ीसा	363.00	137.46	550.00	
16. पंजाब	403.00	481.16	500.00	
17. राजस्थान	937.00	3438.50	1415.00	
18. सिक्किम	48.34	77.70	70.00	
19. तमिलनाडु	913.00	600.01	1100,00	
20. त्रिपुरा	37.00	98.34	200.00	
21. उत्तर प्रदेश	2576.00	4011.00	3425.00	
22. पश्चिम बंगाल	352.00	430.00	600.00	
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	17.22	26.66	55.00	54.50
24. अरुणाचल प्रदेश	34.00	74.00	94.72	175.00
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—
26. दिल्ली	19.27	8.88	121.10	200.00
27. दादर तथा नागर हवेली	2.41	—	5.90	9.00
28. गोवा दमन तथा दीव	25.50	27.96	33.81	20.00
29. लक्ष्य द्वीप	—	—	0.83	2.50
30. मिजोरम	33.00	48.02	18.97	185.50
31. पांडिचेरी	7.00	6.00	10.00	19.50
	8850.57	18807.79	18740.31	20643.00

विवरण 2

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई और उपयोग की गई निधियाँ

(लाख रुपयों में)

	1978-79		1979-80		1980-81
	दी गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	दी गई निधियां	उपयोग की गई निधियां	दी गई निधियां
1 2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	347.00	247.15	215.60	252.68	432.23
2. असम	140.13	156.00	373.15	290.26	427.11
3. बिहार	500.00	500.00	680.45	218.31	503.36
4. गुजरात	254.85	243.75	126.30	204.71	354.00
5. हरियाणा	197.00	203.60	259.00	259.70	375.00
6. हिमाचल प्रदेश	422.00	466.11	389.86	431.80	561.77
7. जम्मू और कश्मीर	200.00	194.14	181.55	192.37	313.00
8. कर्नाटक	105.00	104.33	65.00	144.41	248.81
9. केरल	275.00	226.88	282.35	265.87	328.40
10. मध्य प्रदेश	290.00	431.68	353.15	374.45	690.00
11. महाराष्ट्र	397.97	419.99	372.30	768.90	659.00
12. मणिपुर	50.00	53.98	48.55	73.05	105.00
13. मेघालय	100.00	104.33	106.50	107.88	149.00
14. नागालैंड	91.00	130.92	133.57	164.93	150.00
15. उड़ीसा	212.00	211.89	203.00	203.20	307.00
16. पंजाब	170.00	145.00	68.40	75.00	128.95
17. राजस्थान	348.90	317.98	205.00	180.10	363.10
18. सिक्किम	39.09	48.64	20.00	6.01	19.50
19. तामिलनाडु	402.00	396.65	213.52	463.69	500.00
20. त्रिपुरा	110.00	111.45	91.45	87.59	112.44
21. उत्तर प्रदेश	614.00	657.05	703.55	647.50	944.95

1	2	3	4	5	6	7
22.	पश्चिम बंगाल	530.00	374.52	670.05	307.58	443.50
23.	अण्डमान और निकोबार	18.50	उपलब्ध नहीं है	15.00	उपलब्ध नहीं है	6.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	30.00	30 03	44.03	7.78	35.00
25.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—
26.	दिल्ली	12.00	8.32	11.10	40.91	13.50
27.	दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	—
28.	गोवा दमण और द्वीव	7.50	19.01	9.95	9.91	11.46
29.	लक्ष्य द्वीव	—	—	—	—	—
30.	मिजोरम	18.50	11.47	17.05	24.40	26.25
31	पांडिचेरी	15.00	16.67	12.00	8.00	7.00
	योग	5901 44	5827.14	5820.30	5810.96	8391.33

टिप्पणीं : ×अनन्तिम । लद्दाख और कारगिल क्षेत्र के लिए 30.23 लाख रुपयों की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाना है ।

विवरण—3

		1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	360	990	487
2.	असम	467	921	963
3.	बिहार	3140	3319	2660
4.	गुजरात	782	816	525
5.	हरियाणा	123	182	240
6.	हिमाचल प्रदेश	1289	1140	1166

1 2	3	4	5
7. जम्मू और कश्मीर	216	198	321
8. कर्नाटक	3924	958	2063
9. केरल	15	19	78*
10. मध्य प्रदेश	1654	5289	7195
11. महाराष्ट्र	2010	2618	रिपोर्ट पूरी नहीं है
12. मणिपुर	29	26	34
13. मेघालय	28	104	52
14 नागालैंड	70	74	72
15. उड़ीसा	2993†	2555	1630
16. पंजाब	136	135	80
17. राजस्थान	353	1146	2402
18, सिक्किम	119	4	रिपोर्ट पूरी नहीं है
19 तामिलनाडु	1485×	230	710
20. त्रिपुरा	300	513	579
21. उत्तर प्रदेश	891	1260	912
22. पश्चिम बंगाल	432	216	874
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	4	18	18
24. अरुणाचल प्रदेश	69	63	172
22. चंडीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	11	18	35
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28. गोवा दमण तथा द्वीव	2	11	रिपोर्ट पूरी नहीं है
29. लक्ष द्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	2	शून्य	शून्य
31. पांडिचेरी	12	9	8
	20.920	22822	23,276

* आंशिक कवरेज सहित

× हमलेट भी शामिल हैं

† नये स्रोतों की रिपोर्ट शामिल नहीं है

केरल की काक्कडाबू परियोजना के लिये केन्द्रीय दल

433. **श्री सवरिया थोमस :** क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या केरल की काक्कडाबू परियोजना की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय दल का भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो दल के क्या निष्कर्ष है और उन पर सरकार का निर्णय क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) : ऐसा कोई केन्द्रीय दल नहीं भेजा गया है। तथापि, केरल सरकार द्वारा हाथ में ली गई काक्कडाबु परियोजना के अध्ययन के साथ दो केन्द्रीय विशेषज्ञ सम्बद्ध हैं। अध्ययन का कार्य अभी भी प्रगति पर है और इस समय सरकार के किसी निर्णय का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वर्ष 2001 ई० दिल्ली की बिजली और पानी की आवश्यकता

434. **श्री राम बिलास पासवान :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 ई० तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाने की आशा है;

(ख) दिल्ली में इस समय बिजली और पानी की कितनी कमी है और वर्ष 2001 तक इनकी मांग कितनी और बढ़ जाने का अनुमान है ;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2001 तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिजली और पानी की वर्तमान सप्लाई को बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की गणना के अनुसार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2001 ई० तक लगभग 128 लाख हो जाने की संभावना है।

(ख) दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्यवसन संस्थान ने बताया हैं कि पानी की मौजूदा कमी 1150 लाख गैलन प्रतिदिन है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने दिल्ली में बिजली की मौजूदा कमी 100-150 मेगावाट की सीमा तक बताई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुमान लगाया है कि 2001 ई० के लिए दिल्ली की पानी की कुल आवश्यकता लगभग 8700 लाख गैलन प्रतिदिन हो जायेगी। प्राधिकरण ने यह भी अनुमान लगाया है कि 2001 ई० के लिए बिजली की कुल आवश्यकता 2500 मैगावाट प्रतिदिन होगी।

(ग) तथा (घ) :—दिल्ली जलपूर्ति एवम् मल व्ययसन संस्थान ने बताया है कि शाहदरा

में 1000 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता का एक नया जल शोधन संयंत्र स्थापित करने के अलावा छः रैनी कुओं को खोदा जा रहा है जिससे 150 लाख गैलन पानी प्रतिदिन प्राप्त होगा। संस्थान ने यह भी सूचित किया है कि 200 लाख गैलन प्रतिदिन पानी उत्पन्न करने के लिए 8 अतिरिक्त रैनी कुएं खोदने के लिए जांच कार्य प्रगति पर है। 340 लाख गैलन प्रतिदिन तक पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों से कच्चे पानी के लिए मल जल निःस्राव का विनिमय करने का भी प्रस्ताव है। 2001 ई० के लिए जनसंख्या अनुमानों पर आधारित, केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय बिजली आयोग वर्ष 2001 ई० के लिए पानी और बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए ब्यौरे तैयार कर रहे हैं।

बिजली विभाग ने सूचित किया है कि सरकार बदरपुर में प्रत्येक 210 मैगावाट के दो और एकक तथा राजघाट में 67 मैगावाट का एक एकक स्थापित करने पर विचार कर रही है। इनसे सातवीं योजना अवधि में लाभ होने की आशा है।

खाद्यान्नों की खुले वैगनों में परिवहन

435. श्री ए०के० राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे को धनबाद यार्ड में गेहूं से भरे बिना छत के वैगनों के दो रेक 8 अगस्त, 1981 से 15 अगस्त, 1981 तक वर्षा में खड़े रहे क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के पास वैगनों से गेहूं उतरवाने की कोई व्यवस्था नहीं थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) :

(क) और (ख) : एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) : भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचनानुसार गेहूं का एक रैक, जिसमें 32 खुले वैगन थे, धनबाद रेलवे यार्ड पर 8.8.81 पर पहुंचा था। इन वैगनों पर अस्त-व्यस्त हालत में तिरपाल लगे हुए थे। रेलवे ने इस रैक से गेहूं उतारने के लिए साइडिंग पर वैगनों को 12.8.81 तक पृथक पृथक लगाया था। भारतीय खाद्य निगम ने सभी 32 बाक्स वैगनों से 16.8.81 तक माल उतार लिया था। क्योंकि जो बाक्स वैगन प्राप्त हुए थे उन पर अस्त व्यस्त हालत में तिरपाल लगे हुए थे जिसके फलस्वरूप गेहूं वर्षा से भीग गया था, इसीलिए क्षति का संयुक्त रूप से जायजा लेने बाद भारतीय खाद्य निगम को रेलवे से माल की सुपुर्दगी लेनी पड़ी थी। इस प्रक्रिया में स्वाभाविक: भारतीय खाद्य निगम को वैगनों से माल उतारने के कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय लगा। इन परिस्थितियों में, यह कहना सही नहीं होगा कि भारतीय खाद्य निगम के पास वैगनों से माल उतारने के कोई प्रबन्ध नहीं थे।

(ख) : सुपुर्द किए गए माल की जांच करने पर 1400 क्विंटल गेहूं को पानी से भीगा हुआ पाया गया था। गेहूं को सुखाने के बाद, उक्त गेहूं रोलर फ्लोर मिलों को दे दिया गया है

और भारतीय खाद्य निगम को इस मामले में कोई हानि नहीं हुई है। इस संबंध में पहले से ही अनुदेश है कि खाद्यान्नों से लदे खुले वैगनों को अच्छी प्रकार से तिरपालों से ढका और सुरक्षित रखा जाना चाहिये और सारी यात्रा के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के कार्मिकों को वैगनों के साथ रहना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम ने रेलवे के साथ इस मामले को फिर से उठाया है कि रेलवे द्वारा खुले वैगनों में लादे गए खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए विहित सावधानियों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगाल, केरल तथा तमिलनाडु को खाद्यान्नों का आवंटन

4001. **श्री के० राममूर्ति** : : क्या ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, केरल तथा तमिलनाडु को काम के बदले अनाज और सूखा तथा बाढ राहत कार्यक्रमों के अधीन सप्लाई किये गये खाद्यान्नों के दुरुपयोग की कोई घटनायें सरकार की जानकारी में आई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त खाद्यानों के उचित वितरण का सुनिश्चय करने के लिये कोई कदम उठाये जा रहे हैं

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए खाद्यान्नों के दुरुपयोग के बारे में पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों का ध्यान इन शिकायतों की ओर दिलाया गया है। अन्य राज्य सरकारों केन्द्र शासित क्षेत्रों को यह सुनश्चित करने के लिए कहा गया है कि कार्यक्रम की आयोजना तथा कार्यान्वयन का कड़ाई से प्रबोधन तथा पर्यवेक्षण किया जाए।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सफाई कर्मचारी

4002. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चतुर्थ श्रेणी के सफाई कर्मचारियों को बीस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद चयन ग्रेड दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो नार्थ एवेन्यू के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय में काम करने वाले कुछ ऐसे सफाई कर्मचारियों को चयन ग्रेड न दिये जाने के क्या कारण हैं जिनकी नियुक्तियां 1947 से पूर्व की गई थी

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं, कोई भी कर्मचारी जो साधारण ग्रेड में वेतनमान का 3/4 वां भाग पार कर लेता है वह प्रवरण ग्रेड का पात्र बन जाता है। तथापि यह प्रवरण ग्रेड रिक्तियों के उपलब्ध होने पर दिया जाता है।

(घ) नार्थ ऐवन्यू पूछताछ कार्यालय में 1947 से पहले भर्ती किए गए सभी स्वीपरों को प्रवरण ग्रेड दिये गये हैं।

उड़ीसा में छठी योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कें

4003. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में छठी योजना अवधि के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सड़कें बनाई जाए गी ;

(ख) इन सड़कों द्वारा किन किन जिलों को लाभ मिलेगा ;

(ग) इन सड़कों के लिए छठी योजना के अन्तर्गत कितना वित्तीय नियतन किया जायेगा; और

(घ) इनमें से प्रत्येक सड़क का काम आरम्भ करने और उसे पूरा करने का कार्यक्रम क्या है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के लिए 30 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान है। इसका उपयोग ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए किया जाना है। राष्ट्रीय उद्देश्य यह है कि छठी योजना के अन्त तक 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले 50% गांवों तथा 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। प्रस्ताव में सम्पूर्ण राज्य को लिया गया है। नई सड़कों का निर्माण तथा मौजूदा सड़कों में सुधार करने की औसत लागत लगभग 2 लाख रुपये है और इस आधार पर छठी योजना अवधि के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 150 किलोमीटर लम्बी सड़कें निर्मित किए जाने की सम्भावना है।

विभिन्न राज्यों में चल रहे खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के एककों की संख्या

4004. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कितने एकक चल रहे हैं ;

(ख) इन एककों द्वारा किन-किन मुख्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है ;

(ग) उनमें कितने व्यक्ति नियुक्त हैं ;

(घ) क्या इन एककों का वित्तपोषण करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उपमंत्री (कु० कमला कुमारी) : (क) से (ङ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग 25 राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत लगभग 800 संस्थाओं, लगभग 28,000 सहकारी सोसायटियों तथा कुछेक विभागीय केन्द्रों के माध्यम से अपने कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। सूती, रेशमी तथा उनी कपड़े, सिलेसिलाए वस्त्र, जूते, शहद, गुड़ तथा खाण्डसारी, माचिस, मिटटी की वस्तुएं, साबुन, डिब्बा-बन्द फल, अचार, चूना, रेशेवाला वस्तुएं, हाथ से बना कागज, फर्नीचर आदि कुछेक ऐसी वस्तुओं है जिन्हें खादी तथा ग्रामोद्योग यूनिटों द्वारा उत्पादित किया जाता है। वर्ष 1979-80 के दौरान नियोजित व्यक्तियों की संख्या 27.33 लाख थी। छठी योजना के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग के लिए सरकारी आबंटन 480 करोड़ रुपये है इसके अलावा, इन गतिविधियों के लिये लगभग 700 करोड़ रुपये अन्य एजेंसियों कार्यक्रमों जैसे वित्तीय संस्थाओं, समन्वित ग्रामीण विकास, ट्राइसेम आदि से उपलब्ध होने की सम्भावना है।

नेताजी नगर मार्किट, नई दिल्ली में दुकानों के सामने बनी जगह का दुरुपयोग

4005. **डा० बसंत कुमार पंडित :**
श्री० के० प्रधानी :
श्री०के० लक्कप्पा :
श्री धर्मदास शास्त्री } : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी नगर मार्किट, नई दिल्ली में दुकान नं० 43-ए, 47ए और 55-ए, के आबंटियों ने नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकारियों से इस बात की शिकायत की है कि उनकी दुकानों के सामने बनी जगह का अनधिकृत और समाज-विरोधी लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह जगह इन दुकानदारों को औपचारिक तौर पर आबंटित नहीं की गई हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त तीन दुकानदारों ने नई दिल्ली नगर पालिका से इन जगहों में, अपने भंडारन प्रयोजनों से इनका प्रयोग करने के लिए, शटर दरवाजे लगाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है ;

(ग) क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने इन दुकानदारों को अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ;

(घ) क्या नई दिल्ली नागर पालिका का विचार दुकानों के सामने बनी इन जगहों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपरोक्त दुकानों के सामने की दीवारें गिराने और वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वह खुले बरांडों की व्यवस्था करने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उपरोक्त दुकानदारों की उपरोक्त समस्याओं को हल करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जाने हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) और (ख) :—जी, हाँ।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनके मुख्य वास्तुक ने स्थल का

निरीक्षण किया है परन्तु प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि ये बाड़े गलियारों तथा सार्वजनिक रास्तों के भाग है।

(घ) तथा (ङ) :—नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया हैं कि इस मामले की जाँच की जायेगी और सरंचनात्मक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जायेगा।

मछियारों को नौवहन विकास निधि से अल्पावधि ऋण :

4006. **श्री हरिहर सोरन** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि नौवहन विकास निधि समिति द्वारा समुद्री मात्स्यिकी व्यापार में संलग्न मछियारों को अल्पावधि ऋण दिए जा रहे हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा के कुछ मछिमारों को 1980 81 के दौरान ऐसे अल्पावधि ऋण दिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के कितने मछियारों को उस अवधि में लाभ हुआ ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मत्रालय में राज्य मत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नही। समिति केवल कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् पंजीकृत मछली पकड़ने वाली कम्पनियां जिनका मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र में मछली पकड़ना होता है, को उनके द्वारा गहरे समुद्री जलयानों के अधिग्रहण के लिए दीर्घ कालीन ऋण देती है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा के लिये आवश्यक वस्तुयें

4007. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान उड़ीसा का मिट्टी का तेल, कोयला, सोफ्ट कोक, सीमेंट और खाद्य तेलों जैसे आवश्यक वस्तुओं की माँग क्या है और उसे वास्तव में क्या आवटन किया गया है ;

(ख) क्या सरकार को कुछ क्षेत्रों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध न होने के बारे में जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में असंतोषजनक वितरण नीति के संबंध में कोई शिकायत भी प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हे आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) (क) : सूचना एकत्र की जा रही है और लोकसभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (घ) : इन वस्तुओं के अपर्याप्त वितरण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रबन्ध तथा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जो आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सुप्रवाही बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं। इस प्रणाली का विकास तथा विस्तार इस दृष्टि से करने के लिए कि समूचे राज्य के उपभोक्ताओं को इसके अंतर्गत लाया जा सके, उड़ीसा में जनवरी 1980 से लेकर उचित दर की दुकानों की संख्या में 9717 की वृद्धि की गयी है।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा दुकानों का आबंटन रद्द किया जाना

4008. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने इस आधार पर कुछ दुकानों का आबंटन रद्द कर दिया था कि लायसेंसों की तारीखें बीत चुकी हैं हालांकि दुकानदारों को लायसेंसों के बिल वर्तमान दरों पर जुलाई, 1981 तक भेजे गये ;

(ख) क्या यह सच है कि नगर पालिका ने दुकानदारों से कहा है कि यदि वे अपने लायसेंसों का नवीकरण चाहते हैं तो वर्तमान लायसेंस शुल्क से 30 प्रतिशत अधिक राशि जमा करा दें ;

(ग) कुछ दुकानदारों के आबंटन रद्द कर देने तथा अन्य के रद्द न करने के मापदण्ड क्या है ; और

(घ) उक्त आबंटन कब रद्द किये और आबंटियों को लायसेंसों के बिल वर्तमान दरों पर जुलाई, 1981 तक किन कारणों से भेजे गये ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ .

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि पालिका ने अपने दिनांक 25.3.81 के प्रस्ताव संख्या 88 में यह निर्णय लिया है कि मोहन सिंह प्लेस तथा यशवन्त प्लेस की दुकानों के आवंटियों से म्यूनिसिपल मार्केट के अन्य आवंटियों से जिन्होंने दुकाने टेंडर के आधार पर ली अथवा जहां दुकान उप-किरायेदारी पर थी और जो 1968 के बाद नियमित की गई थी प्रत्येक के नवीकरण के समय वर्तमान लाइसेंस फीस के 30 प्रतिशत की दर से बढ़ाने का निर्णय किया है। तथापि यशवन्त प्लेस के मूल आवंटियों को इस बारे में पांच वर्ष और छूट दी गयी है।

कनाट प्लेस के भूमिगत शॉपिंग काम्पलैक्स और लोक नायक भवन के भूतल की दुकानों के लिए नवीकरण वर्तमान लाइसेंस की दर पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जैसा कि उनके द्वारा निष्पादित लाइसेन्स विलेख में पहले ही अनुबन्धित है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उन्होंने उन दुकानदारों के लाइसेन्स रद्द करने के नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने लाइसेन्स विलेख के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन

किया है। उन मामलों में, जहां लाइसेन्स की अवधि समाप्त हो गई हो वहाँ आवंटन स्वतः लाइसेंस ही की तिथि की समाप्ति से रद्द हो जाता है। उन मामलों में, जहां लाइसेंस विलेख की शर्तों में कोई उल्लंघन नहीं है और जहां लाइसेन्स की अवधि समाप्त नहीं हुई है, वहां आवंटन यथावत रहता है।

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि कुछ मामलों में समाप्ति अवधि के बाद की अवधि के बिल अनजाने में जारी किए गए थे।

पौधे/पेड़ लगाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

4009. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक पौधे/पेड़ उगाने के लिए राज्य सरकारों को अभी हाल ही में कुछ अनुदेश जारी किए है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या केन्द्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हाँ।

(ख) 1981-82 के लिए विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के वृक्षारोपण कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा 135.38 करोड़ पौध का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यों व संघ शसित क्षेत्रों को विशिष्टि रूप से यह सुनिश्चत करने के लिए कहा गया है कि पौधों को रोपने के बाद कम से कम दो वर्ष तक उनकी अच्छी तरह देखभाल होनी चाहिए। उन्हें पौधों की नश्वरता को कम करने हेतु उपाय करने के लिए भी सुझाव दिया गया है।

उनसे यह भी कहा गया है कि 1982-83 के लिए वृक्षारोपण का लक्ष्य 1981-82 के लक्ष्य से कम से कम डेढ़ गुना होना चाहिए तथा उन्हें अभी से कार्य शुरू कर देना चाहिए।

(ग) जी, हां। सामाजिक वानिकी संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत बनरोपण के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान कर दी गई है। "हिमालय में मृदा, जल एवं वृक्ष संरक्षण" नामक एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत भी (जिसमें बनरोपण भी शामिल है) केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनरोपण से संबंधित योजनाएं राज्यों द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से लागू की जा रही है।

(घ) वर्ष 1980-81 के दौरान सामजिक वानिकी से सम्बन्धित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय अनुदान के रूप में 447.60 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी। वर्ष 1981-82 के लिए केन्द्रीय अनुदान की राशि 700 लाख रुपये है।

1980-81 के दौरान "हिमालय में मृदा-जल एवं वृक्ष संरक्षण" नामक एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत् विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित क्षेत्रों की केन्द्रीय सहायता के रूप में 180.10 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी। वर्ष 1981-82 के लिए आवंटित केन्द्रीय सहायता की राशि 265 लाख रुपये है।

गत दशक में चीनी का उत्पादन और खपत

4010. ए० नीला मोहिया दसन नाडार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 की तुलना में 1980 में गन्ने का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) 1970 की तुलना में 1980 में परिष्कृत चीनी की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी ; और

(ग) 1970 तथा 1980 में गन्ने के सरकार द्वारा घोषित मूल्य क्या थे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1979-80 में 1280 लाख मीटरी टन गन्ने की पैदावार होने का अनुमान है जबकि 1969-70 में 1350 लाख मीटरी टन गन्ने की पैदावार हुई थी।

(ख) 1979-80 में परिष्कृत चीनी की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 7.8 किलोग्राम थी जब कि 1969-70 में खपत 6.1 किलोग्राम थी।

(ग) 1969-70 के दौरान 9.4 प्रतिशत की रिकवरी पर सांविधिक न्यूनतम मूल्य 7.37 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था जिसमें मूल रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर 5.36 पैसे का प्रीमियम देने की व्यवस्था थी। 1979-80 के दौरान 8.5 प्रतिशत और उससे कम रिकवरी पर 12.50 रुपये प्रति क्विंटल का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया था जिसमें 8.5 प्रतिशत से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर 14.71 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रीमियम देने की व्यवस्था थी।

कछार तथा मिजोरम के खाद्यान्नों का आवंटन

4011. श्री संतोष मोहन देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के सिलचर स्थित गोदामों से कछार को खाद्यान्न, गेहूं, चावल आदि के आवंटन का क्या आधार है ;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मिजोरम और कछार को गत तीन वर्षों के दौरान, पृथक् पृथक् कितना आवंटन किया गया ;

(ग) क्या क्षेत्र की जनसंख्या पर भी विचार किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामी नाथन)। (क) समूचे राज्य के लिए आवंटन किए जाते हैं न कि किन्हीं व्यक्तिगत जिलों के लिए। राज्य

सरकारें स्थिति के अनुसार अपनी-अपनी सीमा के अन्दर उप-आवंटन करती हैं लेकिन ये उप-आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए समूचे आवंटन की मात्रा के अन्दर किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा कछार के लिए कोई अलग से आवंटन नहीं किया जाता है।

(ख) मिजोरम	1978	1979	1980	1980 (सितम्बर तक)
			(हजार मीटरी टन में)	
	50.30	63.22	71.8	64.44

कछार : मार्च, 1980 से पूर्व सिल्चर में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपों में रखे खाद्यान्नों के स्टाक से असम के कछार जिले और मिजोरम के लिए कोई अलग अलग स्टाक नहीं दिया जाता था और जब कभी निर्मुक्ति आदेश प्राप्त होते थे उन्हीं के अनुसार स्टाक सुपुर्द कर दिया जाता था। तथापि, मार्च, 1980 और उसके बाद से, मिजोरम के विभिन्न भागों में शोचनीय हालत तक कम स्टाक होने के कारण, भारतीय खाद्य निगम ने सिल्चर रेल है; पर उपलब्ध स्टाक को असम के कछार जिले और मिजोरम के लिए 50 : 50 के आधार पर निर्धारित करने का निर्णय किया था। 1981 के प्रारम्भ में स्थिति की आगे समीक्षा की गई थी जबकि मिजोरम के लिए निर्धारित किए गए भाग को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया था और शेष 25 प्रतिशत का स्टाक कछार के लिए निर्धारित किया गया था।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष जरूरतों, बाजार; में उपलब्धता और अन्य बातों को ध्यान में रखकर विभिन्न राज्यों को प्रत्येक मास के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है।

सरकार/हुडको को उडीसा में विभिन्न परियोजनाओं तथा योजनाओं के लिए प्राप्त मांगें

4012. **श्री के० प्रधानी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) केन्द्र अथवा हुडको को उड़ीसा सरकार से "हुडको आवास योजना" के अधीन पिछले तीन वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के लिए कितनी मांगें प्राप्त हुई और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1981 तथा 1982 के दौरान योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए मंजूरी की जा चुकी राशियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) धनराशियों के उपयोग की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) हुडको द्वारा पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा के लिए स्वीकृत योजनाओं की संख्या तथा उनका विवरण इस प्रकार है :—

1	2	3	4
	1978-79	1979-80	1980-81
योजनाओं की संख्या	13	5	3

1	2	3	4
हुडको द्वारा ऋण स्वीकृति	8.05	2.01	0.83
(करोड़ रुपयों में)			
स्वीकृत निहायशी मकान	5224	1221	581

(ख) वर्ष 1981-82 के लिये हुडको ने कम से कम 6.55 करोड़ रुपयों की (अर्थात 5.20 करोड़ रुपये शहरी तथा 1.35 करोड़ रुपये ग्रामीण) ऋण स्वीकृति देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार को यह स्वीकृति 1981 82 के आरम्भ में भेजी गई थी।

(ग) उड़ीसा में आवास अभिकरणों ने विगत तीन वर्षों में हुडको से निधियां इस प्रकार ली है :—

वर्ष	कुल ऋण स्वीकृत	ऋण लेने वाले अभिकरणों द्वारा ली गई राशि
	(करोड़ रुपयों में)	(करोड़ रुपयों में)
1978-79	8.05	0.60
1979-80	2.01	2.90
1980 81	0.83	2.10

मैसर्स विष्णु शुगर मिल लिमिटेड, गोपालगंज (बिहार)

4013. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है मैसर्स विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड, हरखुआ; गोपालगंज (बिहार) की लाइसेंस शुदा और अधिष्ठापित क्षमता के बारे में 1977-78 से लेकर अब तक के तुलन-पत्रों में परस्पर-विरोधी आँकड़े दिखाए गए हैं ;

(ख) क्या ये आँकड़े सरकार को प्रस्तुत की गई विवरणियों में और स्टेट बैंक आफ इंडिया, गोपालगंज (बिहार) में दायर किए गए ऋण आवेदन-पत्रों में भी दर्शाये गए थे ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम "लेवी" चीनी पर अधिक दर लेने की दृष्टि से इन आँकड़ों में फेर-बदल किया गया था ; और

(घ) मुकदमा चलाने और लाइसेंस रद्द करने के तरीके द्वारा प्रबन्धकों के खिलाफ सरकार का विचार क्या दांडिक कार्यवाही करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामी नाथन) : (क) 1977-78 तथा उसके बाद के तुलन पत्रों में उल्लिखित लाइसेंस शुदा और स्थापित क्षमता विषयक आंकड़ों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	यूनिट	लाइसेंस शुदा क्षमता	स्थापित क्षमता
1977-78	टन	1500	1500
1978-79	टन	1500	1500
1979-80	टन	1219	1219

उपर्युक्त आंकड़ों से मालूम होता है कि फैक्ट्री द्वारा दी गई सूचनानुसार लाइसेंस शुदा और स्थापित क्षमता में अन्तर्विरोध है।

(क) से (घ) : यह मानते हुए कि कमतोर फैक्ट्रियों की लाइसेंस शुदा क्षमता 1219 टी०सी०डी० थी; उनके लिए 26/—रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लेवी मूल्य के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की अनुसूची-6 के अधीन इस फैक्ट्री को कुछ समय के लिए रखा गया था बाद में जांच करने पर यह पाया गया कि फैक्ट्री ने उदार लाइसेंसिंग नीति के अधीन अपनी पिराई क्षमता को 1500 टी०सी० डी० तक बढ़ा लिया था। अत; इस फैक्ट्री के नाम को संगत लेवी मूल्य आदेश की अनुसूची-6 से निकाल दिया गया था और इसे चीनी 1980-81 उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1980 की अनुसूची-5 में डाल दिया गया था जिससे इस फैक्ट्री की चीनी मौसम 1980-81 के लिए 26/—रुपए प्रति क्विंटल की अधिक लेवी मूल्य की हकदारी को समाप्त कर दिया गया था। इस चीनी फैक्ट्री ने सरकार द्वारा उस अनुसूची-5 में रखने विषयक जारी किए गए आदेश के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी थी। उच्च न्यालालय ने फैक्ट्री की याचिका पर अन्तिम निर्णय होने तक फैक्ट्री को 26/–रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लेवी मूल्य प्राप्त करने की इजाजत देते हुए अन्तरिम रोक आदेश पारित कर दिया था। मुख्य याचिका निर्णय के लिए अभी लम्बित पड़ी हुई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में भारतीय खाद्य निगम से इस अधिक मूल्य को अदा करने की अपेक्षा की जाती है। क्योंकि इस फैक्ट्री की क्षमता सहित तह समूचा मामला न्यायाधीन है; जब तक न्यायालय का निर्णय उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक इस फैक्ट्री के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करने के बारे में विचार नहीं किया जा सकता है।

जहां तक ऋण और अग्रिमों के लिए आवेदन पत्र देने और बाद में उसे मन्जूर करने अथवा न करने विषयक मामले का सम्बन्ध है, यह फैक्ट्री और भारत के स्टेट बैंक, गोपालगंज जिसके साथ भारत सरकार का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, के बीच का आपसी मामला है। तथापि, इस सम्बन्ध में भारत के स्टेट बैंक से सूचना एकत्रित की जा रही है और सूचना उपलब्ध होने के तुरन्त बाद इसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

विदेशों के सहयोग से राख और चूना मिलाकर कम लागत वाली भवन निर्माण वाली सामग्री का बनाया जाना

4014. श्री के० मालन्ना : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राख और चूना मिलाकर कम लागत वाली भवन निर्माण सामग्री बनाने के लिए कुछ विदेशों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रोटोकोल संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बनाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का कितना उत्पादन होगा',

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : भवन निर्माण सामग्री उद्योग के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत-सोवियत प्रोटोकोल में औद्योगिक एवं कृषि अपशिष्ट जिसमें उड़न राख भी शामिल है के उपयोग को भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन के लिए शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में अभी तक सूचना का आदान-प्रदान ही हुआ है। भवन निर्माण सामग्री उद्योग के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के संयुक्त भारत-सोवियत कार्यकारी दल की तृतीय बैठक के प्रोटोकोल में ईंटों के उत्पादन के लिए उड़न राख के उपयोग हेतु एक सोवियत विशेषज्ञ का 10 दिन का दौरा शामिल किया गया है।

(ग) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कल्याणवास कालोनी में दिल्ली प्रशासन के क्वार्टर

4015. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की कल्याणवास कालोनी में दिल्ली प्रशासन के टाइप-II क्वार्टरों को टाइप-I में बदल दिया गया है, यदि हां, तो किस के आदेशों के अन्तर्गत ऐसा किया गया है और इन आदेशों के जारी करने की तारीख क्या है ;

(ख) क्या इन आदेशों के अन्तर्गत प्रभावित कर्मचारी, जिन्हें कल्याणवास में टाइप-II क्वार्टर दिए गए हैं, अभी भी टाइप-I क्वार्टर दिए गए हैं, अभी भी टाइप-क्वार्टर के हकदार हैं और यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को कल्याणवास में क्वार्टर दिए जाएगें या उन कालोनियों में दिए जाएगें जिनमें उन्होंने परिवर्तन के लिए आवेदन दिए हैं ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन को कल्याण-वास में रहने वाले कर्मचारियों से अन्य कालोनियों में क्वार्टर बदलने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उन्हें बदलकर क्वार्टर कब तक दे दिए जाएगें।

(घ) दिल्ली में दिल्ली प्रशासन के टाईप-II के कितने क्वार्टर कहां कहां बनाए जा रहे रहे हैं, और

(ड़) क्या ये क्वार्टर कर्मचारियों को उनकी वरीयता के आधार पर आवंटित किए जाएगे,

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रशासन आवास आवंटन (सामान्य पूल) नियमावली 1977 के अन्तर्गत दिनांक 3 जून, 1981 के सक्षम अधिकारी के आदेश द्वारा दिल्ली प्रशासन के कल्याणवास में टाईप-II क्वार्टरों के टाईप-I के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया है।

(ख) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जो कर्मचारी इस पुनर्वर्गीकरण से प्रभावित होंगे, वे वर्तमान आवास में तब तक रह सकते हैं जब तक कि इस प्रशासन की कल्याण वास या अन्य स्टाफ कालोनियों में उनके लिए पात्र आवास उपलब्ध होंगे।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि कल्याणवास में रहने वाले कर्मचारियों ने अन्य कालोनियों में बदली के लिए उन्हें आवेदन पत्र दिए हैं। जब कभी स्टाफ कालोनियों में, जहां बदली चाहिए, आवास उपलब्ध होगा। उन्हें बदली के लिए अनुमति दे दी जायेगी।

(घ) जैसा कि दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जहां टाईप-II के आवास निर्माणाधीन है, उन स्थानों तथा क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है :-

60.	(चरण-i)	कड़कड़डूमा
48.	(चरण-ii)	-वही-
24.	(चरण-iii)	-वही-
96.	(चरण-i)	-सघोरा खुर्द-
36.	(चरण-ii)	-वही-
64.	(चरण-i)	सघोरा कलां
56.	(चरण-ii)	-वही-

(ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली प्रशासन आवास आवंटन (सामान्य पूल) नियमावली 1977 के अनुसार आवंटन किया जायेगा।

पश्चिमी बंगाल में खाद्यानों का उतारा जाना

4016. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में राशन व्यवस्था अस्त व्यस्त होने जा रही है क्योंकि राज्य में भारतीय खाद्य निगम अपने गनों से समय पर माल नहीं उतार रहा है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि पूर्व रेलवे तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धकों ने राज्य सरकार को सूचना दी है कि कुछ रेलवे यार्डों में खाद्यानों के स्टाक इकट्ठे हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से बचने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी स्वामीनाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास पश्चिमी बंगाल में 1.8.81 तक 6.15 लाख मी० टन खाद्यानों का स्टाक उपलब्ध होने के अलावा, अगस्त, 1981 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने पश्चिमी बंगाल में 7095 वैगनों से/अनुमानतः 1.63 लाख मी०टन खाद्यान उतारे थे। अतः पश्चिमी बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के पास 2.65 लाख मी०टन के मासिक आवंटन के प्रति कुल 7.5 लाख मी०टन से भी अधिक खाद्य न उपलब्ध थे, और इसलिए उक्त राज्य में राशन व्यवस्था में विघ्न पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। कभी-कभी सामूहिक रूप से वैगनों की आमद, स्थानीय हैण्डलिंग और रोड परिवहन से संबंधित समस्याएँ पैदा होने, प्रतिकूल मौसम स्थिति होने आदि जैसे विभिन्न कारणों के लिए अनुमेय अवाध समय से अधिक समय तक टर्मिनलों में कुछेक वैगन रुक जाते हैं, लेकिन इस बात की सावधानी बरती जाती है कि भारतीय खाद्य निगम के पास पश्चिमी बंगाल में खाद्यानों की समूची उपलब्धता मासिक आवंटनों से कम न होने पाए।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय सरकार (खाद्य विभाग) के पास ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पश्चिमी बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के पास रखे खाद्यानों की स्टाक स्थिति सुगम होने और पश्चिमी बंगाल के टर्मिनलों में भारतीय खाद्य निगम की हैण्डलिंग क्षमता के अनुरूप स्टाक होने के कारण पश्चिमी बंगाल को औसतन खाद्यानों का लदान प्रतिदिन लगभग 3 रैकों (210 —225 वैगनों) के हिसाब से किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम और रेलवे के बीच निकट समन्वय होने के अलावा, सरकार (खाद्य विभाग) रेलवे के भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पश्चिमी बंगाल सहित विभिन्न राज्यों को खाद्यानों का संचलन/सप्लाई करने से संबंधित स्थिति की समय समय पर समीक्षा भी करती है और यथा/अपेक्षित आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। हाल ही में 1.8.81 और 5.9.81 को हुई बैठकों में इस संबंध में समीक्षा की गई थी। इन बैठकों में पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

सागर पुर (पश्चिमी) कालोनी, दिल्ली में नालियों की व्यवस्था

4017. **श्री छांगुर राम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागरपुर (पश्चिम) कालोनी में नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण लोगों के घरों के आस-पास, विशेषकर मानसून के दौरान, पानी इक्ट्ठा हो जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की शिकायतों का पता लगाने के लिए बरसात के दिनों में कभी कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ग) लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या ठोस उपाय करने का है, और

(घ) यदि हां, तो कब ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सागरपुर (पश्चिम) एक अनधिकृत कालोनी है और उस क्षेत्र में कोई उचित नाली प्रणाली नहीं है।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि इन्होंने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है किन्तु मानसून के दौरान, यदि कहीं पानी इकट्ठा हो, तो बरसाती पानी के पम्प लगा करके निकाला जाता है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि अनधिकृत कालोनियों में ईंटों के खड़ंजे लगाना सम्पर्क मार्ग, जमीन की भराई, सस्ते किस्म की खुली नालियां आदि जैसी कुछ नागरिक सुविधाएं मुहैया की जाती हैं जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

भेड़ प्रजनन के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

4018. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में भेड़ प्रजनन और ऊन बुनाई परियोजनाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता देने हेतु प्रस्ताव के बारे में सरकार के निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कर्नाटक राज्य को इस बारे में सुझाये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में भेड़-प्रजनन और ऊन बुनाई के कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक की सहायता के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भेजा था। मंत्रालय ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि वह ब्यौरेवार परियोजना तैयार करे और आस्ट्रेलिया से आयात करने की बजाय हिसार स्थित केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म से बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध होने वाली कोरीडेल भेड़ों को प्रयोग में लाए।

'फुट-एण्ड माउथ" बैक्सीन का मूल्य

4019. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'फुट एण्ड माउथ" बैक्सीन के निर्माताओं में मूल्य सम्बन्धी लगी होड़ से देश में दुग्ध उत्पादन के ठप्प होने की आशंका है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए, जबकि बाजार में बैक्सीन की भारमार है, सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) सीमान्त तथा छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों के विदेशी तथा संकर नस्ल के

मूल्यवान दुधारू पशुओं के संरक्षण को दृष्टि में रखते हुए खुर पका, मुंह पका रोग के नियन्त्रण सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना सम्पूर्ण देश में क्रियान्वित हो रही है, ताकि इस रोग के कारण दूध के उत्पादन में हानि न होने पाए। देश के कुछ क्षेत्रों में खुर पका-मुंह पका रोग की रोक थाम करने के लिए टीके लगाने की तेजी से व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर भी सरकार विचार कर रही है। भविष्य में इस टीके की मांग बढ़ने की संभावना है।

राज्यों द्वारा जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, 1974 का अपनाया जाना

4020. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, 1974 अपना लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने इसे अभी तक नहीं अपनाया है तथा इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्कम और तमिलनाडु राज्यों ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1974 नहीं अपनाया है। यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा है क्योंकि इस अधिनियम को अपनाना उनके विधान मण्डल के अधिकार क्षेत्र में है।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली और कलकत्ता के प्रबंधकों का वेतनमान

4021. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली और कलकत्ता के प्रबन्धकों को 1200-1600 रुपये का एक ही वेतनमान दिया जाता है ,

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं जब कि दोनों श्रेणी "क" के शहरों में हैं ; और

(ग) दिल्ली और कलकत्ता दोनों के प्रबन्धकों को कब तक एक ही ग्रेड और समान सुविधाएं दी जायेंगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कु० कमला कुमारी) : (क) से (ग) इस समय नई दिल्ली तथा तथा कलकत्ता दोंद के खादी ग्रामोद्योग भवनों के प्रबन्धकों के पद 1200-1609 रुपए के वेतनमान में हैं ; यद्यपि खादी ग्रामोद्योग भवन, कलकत्ता के वर्तमान प्रबंधक, उच्च वेतनमान में सृजित किए गए नये पद पर भर्ती होने तक, वास्तव में 650 1200/रुपए के पुराने वेतनमान में ही कार्य कर रहे हैं।

आपरेशन फलड I और II का कार्यान्वयन

4022. **श्री के ए. राजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपरेशन फलड II योजना का प्रथम चरण यद्यपि जून, 1981 में समाप्त हो गया तथापि अनेक राज्य इसमें सम्मिलित नहीं हैं और जो राज्य सम्मिलित हुए हैं वे कोई प्रगति नहीं कर सके हैं,

(ख) क्या सरकार विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित करेगी और अथवा राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेन्सियों में राज्यों को प्रतिनिधित्व देगी, और

(ग) 600 करोड़ रुपये की इन दो परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेन्सियां समन्वय समितियाँ कौन-कौन सी हैं, उनके सदस्यों का ब्यौरा देते हुए यह बतायें कि राष्ट्रीय डेरी विकास परिषद और विशेषकर इस प्रयोजन के लिये गठित उच्च कोटि की स्टेरिंग कमेटी की कितनी बैठकें आयोजित की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी नहीं।

(ख) राज्य क्षेत्रीय सलाहकार परिषदों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा भारतीय डेरी निगम के साथ संबद्ध हैं।

(ग) भारतीय डेरी निगम परियोजना प्राधिकरण है। प्रत्येक राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी राज्य सरकार द्वारा नामित संगठन हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा एक कर्णधार समिति स्थापित की गई है, इसमें कृषि तथा सहकारिता विभाग के सचिव, अध्यक्ष, सचिव (व्यय विभाग) सचिव (योजना आयोग) सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) सचिव (ग्रामीण पुनर्निर्माण) और भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष शामिल हैं। इसकी बैठक तीन बार आयोजित की की गई। केन्द्रीय डेरी विकास परिषद 24 जुलाई, 1978 को स्थापित की गइ थी। इसकी सदस्यता निम्न प्रकार थी—

1. अध्यक्ष —सचिव (कृषि)

2. सदस्य —भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष, पशुपालन आयुक्त, संयुक्त सचिव (एल. आर), पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के पशुपालन/डेरी उद्योगों के सचिव। भारतीय डेरी निगम के प्रबंध निदेशक सचिव, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, (1) योजना आयोग (2) आर्थिक कार्य विभाग (3) भारी उद्योग विभाग के प्रतिनिधि, निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान करनाल।

3. सदस्य सचिव —निदेशक (ए.एच.एण्ड एस.एल.)

4. सचिव —संयुक्त आयुक्त डेरी विकास

उपर्युक्त सदस्यों की 2 वर्ष की अवधि में दो बार बैठक हुई।

"खाद्य सुरक्षा" पर सार्वजनिक चर्चा

4023. **श्री बी०वी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रोटीन खाद्य तथा पोषण विकास संघ ने अगस्त, 1981 में बम्बई में "खाद्य सुरक्षा तथ्य और कमियों" फूड सैफ्टी, फैक्टस एण्ड प्लेसीज के बारे में एक सार्वजनिक चर्चा आयोजित की थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ था ;

(ग) इस सम्मेलन में किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया था , और

(घ) क्या इस बारे में सरकार को कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है और इसमें की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वी. स्वामीनाथन) : (क) से (घ) भारतीय प्रोटीन खाद्य और पोषाहार विकास एसोसिएशन एक सोसायटी है जिसका ऐसा कोई भी व्यक्ति, फर्म संस्थान, कम्पनी अथवा एसोसिएशन सदस्य बन सकता है जो कि निर्माण करने, अनुसंधान करने के कार्य में लगा हुआ हो अथवा जो भारत में राष्ट्रीय आहार में सुधार करने के लिए प्रोटीन खाद्य पदार्थ समेत सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों के विकास, निर्माण, पैकेजिंग, वितरण, बिक्री अथवा विज्ञापन के कार्य में रुचि रखता हो। यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है।

एसोसिएशन ने सूचित किया है कि उनसे जन हित में खाद्य सुरक्षा के मसले को स्पष्ट करने के लिए दो घंटे की चर्चा का आयोजन किया था। यह एक प्रश्नोत्तर सत्र था जिसमें सूक्ष्म जीव सम्बन्धी समस्याएं, संदूषण, खाद्य संयोज्यों, खाद्य अपमिश्रण खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता पर विधायन और भंडारण का प्रभाव और स्वास्थ्य के लिए आहार सम्बन्धी तत्व जैसे विषय रखे गये थे। उन्होंने जनता को प्रेस के माध्यम से और सर्विस संगठनों को निमंत्रण पत्र भेजकर आमंत्रित किया था। विशेषज्ञों के एक पैनल ने प्रश्नों के उत्तर दिए थे और इसमें व्यक्ति गत विशेषज्ञ और विशेष संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। एसोसिएशन ने न तो कोई सिफारिश की थी, न ही सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

खाद्यान्नों, चीनी तथा खाद्य तेलों के मूल्य

4024. **श्री ए०टी० पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1981 के पहले पखवाड़े में उपभोक्ताओं के लिए खुले बाजार में तथा उचित दर दुकानों में गेहूं, चावल, खाद्यान्नों और चीनी तथा खाद्य तेलों के मूल्य दिल्ली, कलकत्ता,

बम्बई और मद्रास में तथा एक औसत गांव में क्या थी,

(ख) अगस्त, 1981 के पहले पखवाड़े में विभिन्न राज्यों में किसानों (उत्पादकों) को गेहूं, धान और अन्य खाद्यान्नों, गन्ने तथा तिलहनों के क्या मूल्य मिले,

(ग) (1) धान से चावल (2) गन्ने से चीनी और तिलहनों से तेल निकालने में अगस्त, 1981 के प्रथम पखवाड़े में प्रति यूनिट कितनी लागत आई और तैयार उत्पाद पर प्रति यूनिट कितना मुनाफा हुआ, और

(घ) धान, गन्ने और तिलहनों के प्रत्येक यूनिट से तैयार किए उप-उत्पादों के मूल्य क्या हैं ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अगस्त, 1981 के पूर्वार्द्ध में दिल्ली, कलकत्ता, लम्बई तथा मद्रास में खुले बाजार में उपभोक्ता के लिए खाद्यान्नों, शर्करा, तथा खाद्य तेलों के प्रचलित खुदरा मूल्य अनुबंध —1 में दिये गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी 2818.81] ग्राम-स्तर के मूल्य अलग से नहीं रखे जाते हैं। अगस्त, 1981 के पूर्वार्द्ध में उचित दर की दुकानों में खाद्यान्नों, शर्कर तथा खाद्य तेलों के मूल्य अनुबन्ध 2 [ग्रंथावली में रखा गया—देखिए संख्या एल.टी. 2818/81] में दिए गए हैं।

(ख) अगस्त, 1981 के पूर्वार्द्ध में विभिन्न राज्यों के चुनींदा केन्द्रों पर खाद्यान्नों, शर्करा तथा तिलहनों के थोक मूल्य अनुबंध-3 में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल.दी० 2881/81] सरकार द्वारा विर्धारित किए गए खाद्यानों के अधिप्राप्ति मूल्य अनुबंध —4 में दिए गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल०टी० 2818/81] 1981-81 के दौरान विभिन्न राज्यों में शर्करा फैक्टरियों द्वारा दिये गये गन्ने के मूल्य अनुबंध-5 में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल०टी० 2818/81]

(ग) धान से चावल और तिलहनों से तेल निकालने की लागत उससे संबंधित प्रक्रिया के खर्चों, सांविधक खर्चे जैसे राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए खरीद कर, बाजार कर आदि और विभिन्न राज्यों में विभिन्न किस्मों के प्रासंगिक खर्चे तथा परिवर्तन संबंधी अनुपात स्तर पर निर्भर करती है। जहां तक गन्ने से चीनी निकालने का प्रश्न है' इसकी लागत महीने-बार अलग से नहीं निकाली जाती है। 1980-81 मौसम के लिए वसूली मूल्यों को अधिसूचित करने के प्रयोजन हेतु चीनी बनाने की लागत बिना लाभ के अखिल भारतीय औसत के आधार पर 84.70 रुपए प्रति क्विंटल निकाली गई थी।

धान, गन्ना तथा तिलहनों के अंतिम उत्पादों का वसूली अनुपात बताने वाला ब्यौरा अनुबंध-6 में दिया गया है। [ग्रंथालय से रखा गया—देखिए एल.टी. 2818/81]

(घ) धान से चावल की भूसी, चीनी से सीरा तथा तिलहनों से खली जैसे प्रमुख उत्पादों के थोक मूल्य अनुबंध 7 (क से ग तक) में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल.टी. 2818/81]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित की जाने वाली पुनर्वास कालोनियां

4025. **श्री भीकू राम जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी में झुग्गी में रहने वालों के लिए और अधिक पुनर्वास कालोनियां स्थापित करने के लिए एक योजना केन्द्र को प्रस्तुत की है ;

(ख) इस समय राजधानी में कितनी झुग्गियां हैं ; और

(ग) उक्त पुनर्वास योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी; हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है इस समय दिल्ली में 70,000 झुग्गियां हैं ।

(ग) क्योंकि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली विकास प्रधिकरण से कतिपय स्पष्टीकरण मांगे हैं इसलिए इसका हिसाब नहीं लगाया गया है ।

बिहार में सिंचाई सुविधाएं

4026. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में तुलनात्मक रूप से सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, केन्द्र सरकार वहां सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए क्या कार्यवाही कर रही है और इन योजनाओं पर कितनां अनुमानित खर्च आयेगा ;

(ख) राज्य में इम समय कुल कितना क्षेत्र सिंचित है और अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं के बाद कितना सिंचित क्षेत्र बढ़ जायेगा, और

(ग) क्या केन्द्र, राज्य को सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन देने पर विचार कर रहा है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं । उपलब्ध उद्यतन सिंचाई-आंकड़ों (1977-78) के अनुसार बिहार में सकल बुआई क्षेत्र के 32.7 प्रतिशत भाग की सिंचाई होती है, जबकि अखिल भारत की यह प्रतिशतता 26.6 है ।

(ख) बिहार में सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया कुल क्षेत्र 1989-80 के अन्त में 4787 हजार हैक्टेयर था और अन्तत :सृजनीय सिंचाई क्षमता 12400 हजार हैक्टीयर है ।

(ग) सिंचाई परियोजनाओं के लिए परिव्ययों की व्यवस्था सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अपनी धनराशि से की जाती है । योजना आयोग ने छठी योजना (1980-85) के दौरान बिहार में सिंचाई स्कीमों और अयाकट क्षेत्र विकास वर्क्स के लिए 1050.70 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग का संवर्द्धन

4027. **श्री मनमोहन तुडु** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योगों के संवर्द्धन के लिए कोइ कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 में उड़ीसा में अब तक कुल कितने खादी तथा ग्रामोद्योग स्थापित किये जा चुके हैं ; और

(ग) उड़ीसा के प्रत्येक जिले में स्थापित किए गये ऐसे उद्योगों का ब्योरा क्या है ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कु० कमला कुमारी) (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग उड़ीसा में राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड तथा 7 प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से अपने खादी तथा ग्रामोद्योगों के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है । 1979-80 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों का उत्पादन 614.63 लाख रुपये का था । 1980-81 के आँकड़े संकलित किए जा रहे है । तथापि, उड़ीसा के प्रत्येक जिले में चलाए जा रहे खादी तथा ग्रामोद्योगों के उपलब्ध ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

	जिले का नाम	उद्योगों के नाम
1	2	3
1.	बालासोर	खादी, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, ग्रामीण चमड़ा, रेशा, अनाजों, दाल, मसालों, गरम मसालों आदि का परिष्करण डिब्बाबंदी तथा विपणन, गुड़, तथा खाण्डसारी, घानी तेल, कुम्हारी ।
2.	बोलंगीर	बेंत तथा बांस, अनाजो, दाल मसालों, गरम मसालों आदि का परिष्करण, डिब्बाबंदी तथा विपणन, गुड़ तथा खाण्डसारी और कुम्हारी ।
3.	कटक	खादी, बढ़ईगिरी, तथा लोहारगिरी, चूना उत्पादन, मीण चमड़ा, बेंत तथा बांस, अनाजों, दाल मसालों, गरम मसालों आदि का परिष्करण, डिब्बाबंदी तथा विपणन, गुड़, तथा खाण्डसारी, ताड़गुड़, ग्रामीणतेल, कुम्हारी, रेशा ।
4.	धेनकानाल	खादी, बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी, ग्रामीण चमड़ा, रेशा, अनाजों, दाल मसालों, गरम मसालों, आदि का परिष्करण डिब्बाबन्दी तथा विपणन, ताड़गुड़, ग्रामीण तेल, ग्रामीण कुम्हारी, नियोसाबुन ।

1	2	3
5.	गंजम	खादी, बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी, चूना, ग्रामीण चमड़ा, रेशा, बेंत तथा बांस, अनाजों, दालों, गरम मसालों आदि का परिष्करण, डिब्बाबन्दी विपणन, हाथ से बना कागज, कुटीर माचिस, ग्रामीण तेल, कुम्हारी, औषधीय पौधे ।
6.	कालाहाण्डी	बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी, ग्रामीण चमड़ा, रेशा, बेंत तथा बाँस, गुड़ तथा खाण्डसारी, ग्रामीण तेल, कुम्हारी, नियोसाबुन, लाख तथा अनाजों, दाल मसालों, गरम मसालों, मसालों आदि का परिष्करण, डिब्बाबन्दी तथा विपणन ।
7.	बयोंझर	बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी, चूना, ग्रामीण चमड़ा, बेंत तथा बांस, रेशा, अनाजों, दाल, मसालों, गरम मसालों, मसालों आदि का परिष्करण, डिब्बाबन्दी तथा विपणन, खादी गुड़ तथा खाण्डसारी, ग्रामीण तेल, कुम्हारी, नियोसाबुन ।
8.	कोरापुट	खादी, बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी, ग्रामीण चमड़ा, बेंत, तथा बांस, अनाजों, दाल मसालों, गरम मसालों; मसालों आदि का परिष्करण, डिब्बाबन्दी तथा विपणन, हाथ का बना कागज; गुड़ तथा खाण्डसारी, ताड़गुड़, ग्रामीण कुम्हारी तथा नियोसाबुन ।
9	मयूरभंज	चमड़ा, रेशा, बेंत तथा बांस, अनाजों, दाल मसालों, गरम मसालों, मसालों आदि का परिष्करण, डिब्बाबन्दी तथा विपणन, ग्रामीण, तेल, ग्रामीण कुम्हारी, तथा नियोसाबुन ।
10.	पुरी	खादी, बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी, चूना, ग्रामीण चमड़ा, रेशा, बेंत तथा बांस, अनाजों, दाल मसालों, गरम मसालों, मसालों आदि का परिष्करण, डिब्बाबन्दी तथा विपणन, कुटीर माचिस, गुड़ तथा खाण्डसारी, ताड़गुड़, ग्रामीण तेल, ग्रामीण कुम्हारी, नियो साबुन, लाख, गोन्द तथा राल ।

1	2	3
11.	फुलबेनी	ग्रामीण चमड़ा, रेशा, बेंत तथा बांस, अनाजों, दाल मसालों, गरम मसालों मसालों आदि का परिष्करण डिब्बाबंदी तथा विपणन, गुड़ खाण्डसारी, ग्रामीण कुम्हारी तथा नियो साबुन
12.	सम्बलपुर	बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी, ग्रामीण चमड़ा, रेशा, बेंत तथा बाँस, अनाजों, दाल, मसालों, गरम मसालों मसालों आदि का परिष्करण, डिब्बाबन्दी तथा विपणन, कुटीर, माचिस, ग्रामीण तेल, ग्रामीण कुम्हारी, नियो साबुन, औषधीय पौधे, फल परिष्करण तथा कत्था ।
13.	सुन्दर गढ़	बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी, ग्रामीण चमड़ा, रेशा, अनाजों दाल मसालों, गरम मसालों, मसालों आदि का परिष्करण, डिब्बाबन्दी तथा विपणन, तथा ग्रामीण तेल ।

जूनियर इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल) की पदोन्नति

4028. **श्री आचार्य भगवान देव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इलैक्ट्रिल विंग में अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के नियर इंजीनियरों के लिए, जूनियर इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल) हेतु असिस्टेंट इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल) संवर्ग में पदोन्नति के लिए कोई पदोन्नति सूची जारी नहीं की गई है ;

(ख) क्या 1 मई, 1981 तक डी० जी (वर्क्स) ने दो पदोन्नति सूचियां जारी की हैं परन्तु आरक्षित वर्ग का कोई भी जूनियर इंजीनियर उसमें शामिल नहीं किया गया था ;

(ग) इसके क्या कारण हैं विशेषत: अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के इंजीनियरों (इलैक्ट्रिकल) के लिए छः पद आरक्षित थे ; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों (अनसूचित जनजातियों) के लिए इस वर्ष जूनियर इंजीनियरों (इलैक्ट्रिकल) को सहायक इंजीनियर (इलैक्ट्रिकल) संवर्ग में पदोन्नति के लिए पदोन्नति सूची कब तक जारी कर दी जायेगी ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कनिष्ठ इंजीनियरों (विद्युत) की सहायक इंजीनियर (विद्युत) के ग्रेड में उनकी पदोन्नति की कोई पृथक सूची जारी नहीं की जाती । इसके अतिरिक्त,

पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के लिए आरक्षण करने के आदेश 20.7.7.74 को जारी किए गए थे। तब से, सहायक इंजीनियर (विद्युत) के रूप में अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियो के जिन अधिकारियों की पदोन्नति की जानी है उनके बारे में विचार किया जा रहा है और उपयुक्त पायें जाने पर उनके नाम की सूची बनाई जा रही है।

(ख) तथा (ग) मई, 1981 तक, सहायक इंजीनियर (विद्युत के ग्रेड में पनोन्नति के लिए कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) की दो सूचियां जारी की जा चुकी हैं। सहायक इंजीनियर (विद्युत) के रूप में तदर्थ पदोन्नति के फरवरी, 1981 में बनाए गए पैनल में अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियो के उम्मीदवारो के लिए आरक्षित 7 रिक्तियों के लिए केवल एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार उपलब्ध था और वह भी अनुपयुक्त पाया गया। तथापि, तदर्थ पदोन्नति के लिए, कोई विशिष्ठ आरक्षण नहीं है।

(घ) कनिष्ठ इंजीनियरों(विद्युत) को सहायक इंजीनियर (विद्युत) के ग्रेड में पनोन्नति के लिए केवल अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के के लिए कोई पृथक सूची तैयार नहीं की जाती।

विषय :—'कटिंग प्राइसिस टू स्पाइट फूट एण्ड माउथ' नामक लेख

4029. **प्रो० अजित कुमार मेहता** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अगस्त, 1981 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित 'कटिंग' प्राइसिस टू स्पाइट फूट एण्ड माउथ' नामक लेख की ओर गया है जिसमें भारतीय कृषि अनुसधान परिषद् के अधिकारियो पर गम्भीर आरोप लगाए हैं;

(ख) आई० वी० आर० आई० I बंगलौर ने परियोजना की स्थापना से अब तक फूट और माउथ वैक्सीन पर कितना खर्च किया है और अब तक कुल कितना उत्पादन हुआ है और भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रीज फाँउडेशन की तुलना में इसकी प्रत्येक खुराक की कीमत क्या है; और

(ग) क्या सरकार को यह जानकरी है कि एन डी डी बी द्वारा 18 करोड़ रुपए की लागत से 6 'फुट एण्ड माउथ यूनिट' की स्थापना करने का अर्थ इस टीके के उत्पादन में विलम्ब करना है और यह एन०सी०ए० की सिफारिशों के विरुद्ध है और यह कि आपरेशन फूल्ड के आरम्भ होने के 11 वर्ष बाद भी कोई टीका तैयार नहीं किया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री

(श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ, श्रीमन्।

(ख) 10 4 6 मिलियन डॅनिश कोनर्स सहायता के अतिरिक्त, पैर तथा मुख वैक्सीन उत्पादन एकक, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान, बंगलौर पर जब से यह प्रारम्भ हुआ है, 2.80 लाख रुपया का खर्चा किया गया है। मार्च, 1981 तक पोलिवेन्ट तथा मोनोवेलेन्ट वैक्सीन दोनों की अलग-अलग 12 लाख खुराकों का उत्पादन किया गया है भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान द्वारा उत्पादित तथा इज्जतनगर, बगलौर में सप्लाई की जाने वाली वैक्सीन की प्रत्येक खुराक का मूल्य रु० 5.50 है जबकि बताया जाता है कि भारतीय कृषि उद्योग फाउंडेशन 6 रु०

प्रति खुराक की दर से गन्तव्य स्थान तक इस वैक्सीन की सप्लाई करती है।

(ग) भारत सरकार ने अगस्त 1979 में भारतीय डेरी निगम को पैर तथा मुख के रोगों पर वैक्सीन तैयार करने हेतु 1810·61 लाख रुपए के अनुमानित मूल्य की स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह "आपरेशनल फ्लड" की द्वितीय प्रायोजना का एक अंग बनता है। सिविल निर्माण का कार्य चालू है और संयत्र और मशीनरी प्राप्त किए जा रहे हैं और इन्हें खड़ा करने का कम शुरू किया जा चुका है। वैक्सीन उत्पादन के लिए तीन चरणों में कार्य पूरा होने की सम्भावित तिथि दिसम्बर, 1982 है राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की है कि इस वैक्सीन का उत्पादन का कर्य आगे बढ़ाया जाना चाहिए और इस प्रकार से यह राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के विपरीत नहीं है। पैर तथा मुख के रोगों की वैक्सीन देश में भारतीय पशुचिकित्सा अनुसन्धान संस्थान द्वारा बनाई जा रही है और बेची जा रही है।

मिजोरम में मजदरी की अदायगी न किया जाना

4030. **डा० आर० रोथूआमा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री मिजोरम में मजदूरी की अदायगी न किए जाने के बारे में 15 सितम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3749 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले में आवश्यक सूचनायें एकत्रित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं तो इस अनुसूचित विलम्ब के क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) यह मामला मिजोरम प्रशासन से सम्बन्धित है : जिसने सूचित किया है कि प्राक्कलनों, मजूरी, नापतोल, उच्च स्तरीय जांच और वाहिनी कार्यों के पंजीकृत न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। फिर भी मेरे मंत्रालय ने मिजोरम प्रशासन से कतिपय मदों पर मामले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है।

उर्वरकों का आयात

4031. **श्री कुमबुम एन० नटराजन** , क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में आयात किए गए उर्वरकों की लागत और मात्रा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उर्वरकों के आयात का समिति करने का है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष में उर्वरकों के मूल्य में भारी वृद्धि होने से छोटी कृषि भूमि वालों में इसका अधिक उपयोग करने के प्रति उत्साह कम हो गया है; और

(घ) उर्वरकों की वास्तविक खपत कौन-कौन से राज्यों में होती है और इसके उपयोग में भारी

क्षेत्रीय असन्तुलन को रोकने के लिए सरकार का प्रस्ताव क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) तथा (ख) : जनवरी, 1981 से जुलाई, 1981 के दौरान आयातित उर्वरकों का 590.10 करोड रुपए मूल्य का 16.18 लाख मीटरी टन पोषक तत्व प्राप्त हुआ। उर्वरकों की सरकीय आवश्यकताओं तथा उनके घरेलू उत्पादन की बीच की कमी का पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात किया जाता है। उर्वरकों के आयात के सम्बन्ध में सरकार की योजना का विवरण देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(ग) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि पिछले एक वर्ष में उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि ने छोटे खेती वाले किसानों द्वारा इसके बढ़े हुए उपयोग को हतोत्साहित किया है। 8 जून, 1981 से उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद, 1980-81 के दौरान देश में उर्वरकों की खपत 1979-80 की अपेक्षा 4.9 प्रतिशत अधिक रही।

(घ) 1980-81 के दौरान राज्यवार उर्वरक की खपत का दिखाने वाला विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि उर्वरक की अधिकतम खपत में उत्तर प्रदेश में हुई। उर्वरकों की खपत में क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए उर्वरकों के मूल्य (अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट तथा सिंगल सुपर फास्फेट के अलावा) सरकार द्वारा सांविधिक तौर पर नियंत्रित किए जाते हैं। यह प्राप्ति के स्थान की दूरी पर ध्यान दिए बिना उसी ग्रेड के उर्वरकों के लिए समूचे देश में एक समान मूल्य सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में सरकार ने भी देश के सभी ब्लाक मुख्यालयों को सरकारी लागत पर उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक मौसम में राज्यों की उर्वरकों की आवश्यकता को अन्तिम रूप देते समय क्षेत्रीय असमानता से सम्बन्धित पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

विवरण

1980-81 के दौरान उर्वरकों की खपत का राज्यवार ब्यौरा

(पोषक तत्वों की मात्रा लाख मीटरी टन में)

राज्य का नाम	एन + पी + के
1	2
आन्ध्र प्रदेश	5.76
केरल	0.98
कर्नाटक	3.44
तमिल नाडु	4.91

1	2
गुजरात	3.57
मध्य प्रदेश	1.97
महाराष्ट्र	4.21
राजस्थान	1.35
हरियाणा	2.31
पंजाब	7.54
उत्तर प्रदेश	11.51
हिमाचल प्रदेश	0 16
जम्मू व कश्मीर	0.21
असम	0.09
बिहार	2 05
उड़ीसा	0.76
पश्चिम बंगाल	2.83
अन्य : (पांडिचेरी, गोआ दमन व दीव, दादर तथा नगर हवेली, दिल्ली, चण्डीगढ़, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्कम, अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह तथा जिन्स बार्ड)	1.51
कुल	55.16

"माडर्न ब्रेड" की कमी

4032. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में "माडर्न ब्रेड" की कमी को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है :

(ख) क्या 'माडर्न ब्रेड', के व्यापारी और सप्लायर्स इसे अधिक मूल्य पर बेचने के लिए इसे अन्य राज्यों को भेज रहे है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार को ऐसे मामलों का भी पता चला है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : माइर्न ब्रेड का निर्यात करने के बारे में कोई विशेष मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुनर्वास मार्केटों में दुकान का किराया

4033. श्री वीरभद्र सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास मार्केटों ने दुकानों के ऐसे आबंटनकारी धारकों को 1 अप्रैल, 1958 को यह इससे पहले से दुकानों को अपने कब्जे में रखे हुए हैं किराए का भुगतान कर रहे हैं और उनके लाइसेंस-शुल्क में संशोधन नहीं किया जा सका।

(ख) यदि हां, तो यदि कोई साझीदारी शिकमी पटेदार यह सिद्ध कर दे कि उसका दुकान पर 1 अप्रैल 1958 से पहले से कब्जा है तो क्या वह रियायती किराए पर आबंटन प्राप्त कर सकता है ; और

(ग) यदि इस बात का अब पता चलता है कि आबंटनकारी 1 अप्रैल 1958 से पहले से साझीदारी के साथ इस दुकान पर काम कर रहा है तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है :

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हां।

(ग) ऐसे मामलों में, यदि आबंटी और साझीदार मान जाते हैं; तो दोनों के संयुक्त नाम पर रियायती किराये पर आबंटन की जा सकती है या यदि दोनों में से कोई इस कारेबार से निवृत्त हो जाते है तो दोनों में से कोई भी रियायती किराए पर आबंटन का पात्र है।

दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करने की कृषि सहकारी आवास समितियां

4034 श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में ऐसी सरकारी आवास समितियों के नाम और पते क्या हैं जिन्होंने दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 1972 का उल्घंन करते हुए 1972 से अपने पदाधिकारियों के चुनाव नहीं कराये हैं ;

(ख) क्या 1972 से विभिन्न कचाचारों में लगे रहने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कभी इन दोषी समितियों का अतिलंघन किया गया था ; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस सहकारी समितियों से यह सुनिश्चित कराने का सांविधिक शक्ति प्राप्त है जिससे वास्तविक सदस्यों को पट्टे पर भूमि का आवंटन करें क्योंकि पट्टे अथवा उप-पट्टे पर बेनामी सौदों की अनुमति नहीं होती है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) दिल्ली सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया है कि उनके कार्यालय में समितियों के चुनाव के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता क्योंकि समितियों की प्रबन्धक समितियां स्वयं ही चुनाव करती हैं यदि चुनाव में देरी हुई तो सदस्यों को चुनाव कराने के लिए मांग करने का अधिकार है।

ऐसी मांगों तथा शिकायतों के प्राप्त होने पर सहकारी समितियों का पंजीकार प्रबन्धकों को चुनाव कराने के निर्देश देते हैं। यदि वे निर्देशों पर ध्यान नहीं देते हैं तो तब सहकारी समितियों का पंजीकार चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करता है।

(ख) सहकारी समितियों का पंजीकार उल्लंघन करने वाली समितियों के प्रबन्धक समिति को हटा सकता है। जिन कारणों से यह कार्रवाई की जाती है उनमें से एक कारण चुनाव न कराना है। उचित मामलों में विभिन्न कदाचारों के लिए पंजीकार ने हटाने के आदेश दिए हैं।

(ग) सम्भवतया इस भाग का संदर्भ बेनामी अन्तरण से है। गैर सरकारी सदस्यों को अन्तरण के मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण को उप-पट्टा विलेख की शर्तों के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अधिकार है।

हातीमुन्दा सिंचाई परियोजना

4035. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हातीमुन्दा मध्यम सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट उनके मंत्रालय ने जांच ली है।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग के पास उड़ीसा की अन्य कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजनायें जांच के लिए हैं।

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा कब तक ये परियोजनायें मंजूर कर दी जायेंगी और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए उस राज्य और उनके मंत्रालय ने क्या उपाय किए हैं क्योंकि ये मध्यम सिंचाई परियोजनायें उस राज्य के जन-जातीय उप-योजना क्षेत्रों के अन्तर्गत आती है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) उड़ीसा सरकार से केन्द्रीय जल आयोग को हातीमुन्दा सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग को राज्य सरकार से चार मध्यम सिंचाई परियोजनाओं अर्थात्

कसबहल, अपर जोंक, बरसुआन और व घनाटो की रिपोर्टें जाँच के लिए प्राप्त हुई हैं। इनमें से कसबहल और अपर जोंक परियोजनाओं को योजना आयोग की सलाहकार समिति ने 24 जुलाई, 1981 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृति दे दी थी और योजना आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) परियोजनाओं को, उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने, लागत/लाभ सुनिश्चित होने और जहां आवश्यक हो, वहां अन्तर्राज्यिक पहलुओं का समाधान हो जाने के बाद ही मंजूरी दी जा सकती है।

(घ) कसबहल और बरसुआन परियोजनाएं जनजातीय उप-योजना में शामिल हैं। राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को छठी योजना की अवधि के अन्त तक पूरा करने का प्रस्ताव किया है।

नेहरू नगर मार्केट में दूकान

4036. **श्री मनोहरलाल सैनी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्लम कालोनी नेहरू नगर की मार्किट में दिल्ली विकास प्राधिकरण स्लम ने लगभग गत दस वर्षों से दुकान संख्या 34 और 35 पर ताले डाल रखे हैं और उन दुकानों के किराए का नुकसान होने के अतिरिक्त कालोनी में बसने वाले गरीब वर्ग को भी इन दुकानों के उपयोग से वंचित रखा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दुकानों को अभी तक क्यों नहीं आवंटित किया गया है तथा कालोनी के बाशिन्दों के कल्याण और सुविधा के लिए तथा उन दुकानों से मासिक किराये के रूप में राजस्व की वसूली करने के लिए सरकार इन दुकानों को आवंटित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रविनगर, दिल्ली को नियमित करना

4037. **श्री जी० एल० डोगरा**
श्री मंगल नाथ प्रेमी
श्री आर० एन० राकेश } : क्या निर्माण और आवास मन्त्री रविनगर दिल्ली को नियमित करने के बारे में 27 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8838 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रविनगर दिल्ली को नियमित करने सम्बन्धी संशोधित नक्शा जनता के क्रियार्थ उपलब्ध है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह नक्शा जनता में विक्रय के लिए कब तक उपलब्ध होगा ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि उनके नगर आयोजन विभाग में कार्यालय समय के दौरान जनता के निरीक्षणार्थ नक्शे उपलब्ध हैं।

19.9 में अनुमोदित 14 कालोनियों के समूह (रवि नगर सहित) के प्राधिकारियों और मकानमालिकों के कतिपय सुझावों आपत्तियों को स्थायी समिति के समक्ष रखने का और उनपर स्थायी समिति के निर्णयों को नक्शे में शामिल करने का दिल्ली नगर निगम का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि विकास प्रभार अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं और कालोनी में भवन निर्माण गतिविधि को भी अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

निर्माण और आवास मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रम में अधिकारी द्वारा टेलीफोन नियमों का उल्लंघन

4038. श्री एस०आर०ए०एस० कृष्णला नायडू : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मन्त्रालय के अधीन एक सरकारी उपक्रम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निवास पर दो टेलीफोन लगे हैं जो कि वित्त मन्त्रालय, व्यय विभाग, पत्र संख्या 14 [11] ई० को [आई०]/77 दिनांक 19 अगस्त, 1977 का उल्लंघन है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी आदेशों की उपेक्षा करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डी०डी०ए० द्वारा गौतम नगर का विकास

4039. श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौतम नगर दक्षिण दिल्ली के विकास पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक कितनी राशि खर्च की है ;

(ख) क्या यह सच है कि डी. डी. ए. को खराब कार्य, घटिया सामग्री के उपयोग तथा कार्य की योजना एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार न करने एवं दोहरा कार्य किये जाने के बारे में उक्त बस्ती के निवासियों से कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन शिकायतों पर जाँच कराई है ; यदि हाँ, तो इसके क्या परिण म निकले ; और

(घ) क्या विकास कार्य की दोषपूर्ण क्रियान्वित के लिए दायित्व निश्चित किये गए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री मोहननरायाण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने गौतम नगर में विभिन्न विकास कार्यों पर 2i.98 लाख रुपए खर्च किए है । इस राशि के अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जल पूर्ति की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली नगर निगम के पास 11.5 लाख रुपए की राशि जमा करा दी है ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इन शिकायतों की छानबीन की गई है : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि त्रुटियाँ सामान्य प्रकृति की थी और ज्योंही ये त्रुटियां ध्यान में आई, इनका सुधार किया गया । इसी बीच, जहाँ सुधार कार्य करना आवश्यक समझा जाता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ठेकेदार को आंशिक दर अदायगी की अनुमति दी जा रही है ।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि क्योंकि त्रुटियाँ सामान्य प्रकृति की थीं, जो असावधानी में हो गई थी, इसलिए जिम्मेदारी नियम करना उचित नहीं समझा गया था ।

मिन्टो रोड नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का अनधिकृत कब्जा

4040. **श्रीटी. एस. नेगी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिंटो रोड क्षेत्र में कितने पुराने टाइप के क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में हैं और कितने क्वार्टर न रहने योग्य है और क्या अधिकांश क्वार्टरों में उचित जल सुविधाएं और जल निकास व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या न रहने योग्य औय अनधिकृत कब्जा किए गए इन क्वार्टरों को अभी तक सम्पदा निदेशालय द्वारा आवंटित किया जा रहा है क्योंकि शायद उन्हें क्षेत्र जांच कार्यालय द्वारा ऐसे क्वार्टरों की अद्यतन सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है ;

(ग) क्या आवास सम्बन्धी भारी समस्या को देखते हुए इन अनुपयुक्त क्वार्टरों को व्यापक मरम्मत कार्य करके रहने योग्य बनाया जा सकता है, यदि हां, तो ऐसा करने में सरकार को कठिनाइयां क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन अनधिकृत कब्जा किए गए क्वार्टरों में भी कुछ अवांछनीय तत्व हैं जिससे सरकारी सम्पत्तियों को भारी घाटे के अतिरिक्त इस क्षेत्र में सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई है ; यदि हाँ, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति लिमिटेड वसंत विहार नई दिल्ली

4041. **श्री एफ एच. मोहसिन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति लिमिटेड, वसन्त विहार, नई दिल्ली के बारे में 9 जून 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वसन्त विहार में 82 अतिरिक्त प्लाट काटने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमति लेते समय सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति, लिमिटेड वसन्त विहार, नई दिल्ली ने यह आश्वासन दिया था। हलफनामा दाखिल किया था कि इन प्लाटों की बिक्री से होने वाली आय के कुछ भाग को शान्ति निकेतन कालोनी के आवंटितियों से मुआवजे के रूप में पहले वसूल किए गए 10 लाख रु० की जगह लगा दिया जाएगा और उन्हें लौटा दिया जाएगा।

(ख) यदि हां, तो क्या वह उपर्युक्त प्रलेख की प्रति सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे, यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ;

(ग) क्या उपर्युक्त समिति बाद में अपने इस वचन से मुकर गई और उसने इस धन को शान्ति निकेतन के आवंटितियों को मुआवजा देने के लिए खर्च करने की बजाय अन्य कार्यों में लगा दिया, और

(घ) शान्ति निकेतन के प्लाट-धारियों को राहत दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, बसन्त विहार, नई दिल्ली द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखे दिनांक 1 मई 1970 के पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है विवरण (क)।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वे इस बारे में कुछ नहीं जानते।

(घ) चूंकि यह समिति के सदस्यों के बीच का झगड़ा है इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनको अपना भीतरी झगड़ा निपटाने के लिए इस मामले को सहकारी समिति दिल्ली के पंजीकार को भेजने की सलाह दी है।

विवरण

सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड वसन्त विहार दूरभाष सं. 33375

नई दिल्ली-1 1 मई, 1970

विषय:—स्थल "क" (शान्तिनिकेतन) से अतिरिक्त प्लाटों का प्रावधान।

प्रिय झा जी

क्या मैं आपका ध्यान उस वार्तालाप की ओर दिला सकता हूं जो कि 22.9.67 की मैंने और इस सोसाइटी की प्रबन्ध समिति के चार सदस्यों ने आपके साथ इस सोसाइटी को शान्ति-निकेतन में भूमि आवन्टन के लिए दिए गए-बढ़े हुए मुआवजे को कम करने हेतु अनुमोदिय प्लाट में खाली क्षेत्रों में व्यवहार्य और अनुमेय सीमा तक अतिरिक्त प्लाटों की व्यवस्था की जा सकती है। तदनुसार पार्कों और खुले स्थानों के लिए 10-15 एकड़ भूमि को छोड़कर कतिपय प्लाटों को मिलाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने अक्तूबर, 1967 में एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। इस प्रशासन ने "हरित" क्षेत्र में कमी करने के लिए कोई आपत्ति नहीं दिखाई और सिद्धान्त रूप से इस प्रस्ताव पर सहमति थी परन्तु विगत दो वर्षों से अन्य प्राधिकरणों के विचाराधीन पड़ा हुआ था और हमें केवल मार्च में सूचित किया गया कि शान्ति निकेतन के बाण्डो के अन्तर्गत क्षेत्रीय योजना में दिये गये 'हरित" (15-5 एकड़) की मात्रा को कम नहीं किया जा सकता है। मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिनांक 19.11.69 के समिति के पत्र और प्राधिकरण के दिनांक 5.3.70 के अन्तिम उत्तर की एक प्रति संलग्न करता हूं। जो कि इस मामले के आगे के के विवरण देंगे।

2. संशोधित विन्यास नक्शे में हमारे द्वारा दी गई हरित क्षेत्र की यह मात्रा वृहत योजना में शान्ति निकेतन के आकार की किसी कालोनी के लिए निर्धारित मानक के समअनुरूप हैं। यह प्रतीत होता है कि समग्र क्षेत्र जिसमें शान्तिनिकेतन आता है, हरित क्षेत्र का समान रूप से वितरण नहीं किया गया है। यह व्यक्तिगत एककों द्वारा घेरे गये अर्थात आनन्द निकेतन और वैस्ट एण्ड कालोनी क्षेत्र के अनुपात में नहीं है। हम महसूस करते हैं कि यह अच्छा और न्याय-संगत नहीं है कि हमारी समिति को इस क्षेत्र में अन्य कालोनियों को बसाने के लिए वृहत योजना द्वारा अपेक्षित हरित क्षेत्र की तुलना में और अधिक अनुपात में व्यवस्था करने को मजबूर किया जाना चाहिए।

3. यह भी अनुरोध किया जाता है अनुमेय मानकों के अन्तर्गत खुले क्षेत्रों को घटाने से अतिरिक्त सिंहायशी प्लाटों की व्यवस्था से आवास की उच्च मांग की पूर्ति के लिए उपलब्ध क्षेत्रों का उचित उपयोग करके सरकार के वर्तमान अभिप्रस्ताव बना रहेगा और आडम्बर प्रिए खुले क्षेत्रों से भी बचा जा सकेगा।

4. यह समझा जाता है कि समिति के कुछ सदस्य जिनके प्लाट उन क्षेत्रों के सामने पड़ने वाले हैं जहाँ अतिरिक्त प्लाटों के काटे जाने का प्रस्ताव है, ने हमारे प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है। यह तथ्य कि समिति ने पहले आवश्यकता से अधिक हरित क्षेत्र छोड़ा था का प्रभाव क्षेत्र की कटौती को स्वीकृत करने के उचित प्राधिकारियों की समक्षता पर नहीं पड़ना चाहिए बशर्ते कि वृहत योजना इस प्रयोजन के लिए निर्धारित सामान्य मानकों को बनाये रखा जाए। प्रसंगवश बेहतर स्थान के लिए कोई अवकल मूल्य वसूल करे बगैर व्यक्तिगत सदस्यों को प्लाटों का आवंटन लाटरी निकाल कर किया गया था। जहां तक स्वयं अपने प्लाट का अतिक्रमण

न किया गया हो, किसी प्लाटधारी को खुले क्षेत्रों के उपयोग का कोई परिवर्तन करने के लिए कोई बैध आपत्ति नहीं हो सकेगी ।

5. यह उल्लेखनीय है कि शान्तिनिकेतन में समाविष्ट समस्त भूमि जिसमें उस भूमि को "हरित" के रूप में छोड़ा जाना अपेक्षित था, की सारी कीमत अदा कर दी है । समिति ने उक्त भूमिका मुआवजा बढ़ाने के कारण दिल्ली प्रशासन द्वारा मांगी गई 10 लाख रुपये की राशि भी अदा कर दी है । इससे अन्य क्षेत्र (बसन्त विहार) में भूमि की अत्यधिक कीमत इस क्षेत्र के व्यक्तिगत सदस्यों को भूमि की कीमत बढ़ाने का प्रभाव पड़ा है । यह अच्छा नहीं होगा कि सामान्य मानक के अनुसार इस प्रकार उस भूमि को छोड़े जाने की आवश्यकता थी, के अधिक्य में हरित के रूप में छोड़े जाने के लिए अपेक्षित भूमिकी कीमत के प्रति इस प्रकार उच्च अंशदान करने के लिए इन सदस्यों से मिला जाए ।

6. यदि आप उपर्युक्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में इस मामले पर पुनर्विचार करने की कृपा करें और समिति को वृहत योजना मानकों की अनकूल सीमा तक अतिरिक्त प्लाट बनाने की अनुमति देने का कष्ट करें तो हम आपके आभारी होंगे । तथापि यदि किसी कारण वश क्षेत्रीय योजना में शान्तिनिकेतन में आबंटित बहुत ही अपूर्ण हरित-क्षेत्र की मात्रा को कम नहीं किया जा सकता है, तो हम सुझाव देते हैं कि हरित के रूप में छोड़े गए अपेक्षित अतिरिक्त क्षेत्र की कीमत को सरकार द्वारा वहन करना चाहिए और इसकी प्रतिपूर्ति समिति को करनी चाहिए ।

आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने एवं मामले पर आगे और स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रसन्नता होगी ।

आदर सहित, आपका,

ह०...

(के०वी०के०सुन्दरम)

डॉ० एन०एन०झा,
दिल्ली के उपराज्यपाल,
दिल्ली ।

सदर बाजार, दिल्ली छावनी में मिट्टी के तेल के लिए लाइसेंस

4042. **श्री चतुरभुज** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री मिट्टी के तेल के अभाव के बारे में 17.8.81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संदर्भाधीन प्रश्न के भाग (ग) और (घ) में उत्तर दिए जाने के लिए पूछे गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा : और

(ख) सदर बाजार, दिल्ली छावनी मिट्टी में तेल के डिपों के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और उन्हें लाइसेंस न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सदर बाजार, दिल्ली छावनी क्षेत्र से विगत कुछ समय में मिट्टी के तेल के डिपो की कोई रिक्त घोषित नहीं की गयी थी। अतः प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1980 (1.1.1980 से 31.12.1980) के दौरान खाद्य तथा पूर्ति विभाग द्वारा मिट्टी के तेल के जितने लाइसेंसों की जाँच की गयी, उनकी मासवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

मास	कितनी की जांच की गई	कितने मामलों में अनियमितताएं पाई गई	दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपर्टों की सं०	कितने मामलों में लाइसेंस निलंबित किए गए	कितने मामलों में लाइसेंस रद्द किए गए
जनवरी	80 57	28	—	2	4
फरवरी	80 18	10	—	1	1
मार्च	80 25	12	1	8	2
अप्रैल	80 40	18	3	3	—
मई	80 35	12	—	2	3
जून	80 40	21	—	1	1
जुलाई	80 20	8	—	4	3
अगस्त	80 25	13	—	1	2
सितम्बर	80 26	14	—	2	2
अक्तूबर	80 30	9	1	—	3
नवम्बर	80 25	11	—	3	—
दिसम्बर	80 40	16	—	3	1
योग :	381	172	5	30	22

मायापुरी' नई दिल्ली के एम० आई० जी०फ्लैटों क ब्यौरा

4043. श्री नन्द किशोर शर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने 27 फरवरी, 1978 को अतारांकित प्रश्न

संख्या 771 के उत्तर में मायापुरी, राजौरी गार्डन, जी—8 क्षेत्र के एम० आई० जी० फ्लैटों की लागत का ब्यौरा दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मायापुरी एम० आई० जी० फ्लैटों की रेजिडेन्टस वेलफेयर एजेंसी संख्या 73 दिल्ली विकास प्राधिकरण से बार-बार अनुरोध कर रही है कि वह उनको गृह-कर निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ब्यौरा उपलब्ध कराये,

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण एजेंसी द्वारा भेजे गये पत्रों के उत्तर न देकर अप्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त ब्यौरा देने से इन्कार कर रहा ; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुदेश दिया जाएगा कि वह उक्त एजेंसी को उपरोक्त जानकारी दे ताकि गृह-कर की समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) से (घ) :—सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गृह-कर के चककर्ताओं को पानी के कनेक्शन

4044. **श्री केशवराव पारधी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम उन व्यक्तियों को पानी के कनेक्शन नहीं देता, जिन पर गृह कर की राशि बकाया हों ;

(ख) क्या ऐसे मकान मालिकों को भी जिनके अभ्यावेदन नगर निगम में विचाराधीन हों और निगम द्वारा इस तर्क पर पानी का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है कि उन्होंने सम्पत्ति(गृह) कर की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन व्यक्तियों को, जिनके सम्पत्ति-कर संबंधी मामले नगर-निगम में विचाराधीन हैं, पानी के कनेक्शन जैसी मूल सुविधा को विशेष मामले के रूप में प्रदान करने की अनुमति देगी'.

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) : दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि दि० मु० का० अधिनियम, 1957 के अनुसार, सम्पत्ति कर में निम्न कर शामिल हैं :—

1. पानी कर
2. सफाई कर
3. अग्नि कर और
4. सामान्य कर

इस संस्थान ने यह समझा कि यह प्रश्न सामान्य कर से संबंधित है । यदि हां, तो सेवा

संस्थान द्वारा, पानी के कनेक्शन देने से पहले, दिल्ली नगर निगम के गृह कर विभाग से परामर्श नहीं किया गया । तथापि, दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने कहा कि यदि सामान्य कर के न दिये जाने पर पानी के कनेक्शन के लिये मना किये जाने की कोई विशिष्ट घटना ध्यान में लाई गई, तो उस पर उसयुक्त कार्यवाही की जाएगी ।

फरक्का बैराज परियोजना के कर्मचारियों और श्रमिकों की मांगें

4045. **श्री जायनल तबेदिन** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बैराज परियोजना के कर्मचारियों और श्रमिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में 26-6-81 को फरक्का में प्रशासनिक भवन के सामने 24 घंटे का प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं,

(ग) क्या उनकी मांगें पूरी करने के लिए परियोजना प्राधिकरण और केन्द्र सरकार ने कोई कदम उठाया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : फरक्का बराज परियोजना के कुछ कर्मचारियों ने निम्नलिखित मांगों के समर्थन में 26 जून, 1981 को फरक्का बराज परियोजना के प्रशासनिक भवन के सामने 24 घंटे का धरना दिया था ।

(1) 15 प्रतिशत परियोजना भत्ता दिया जाना ।

(2) मास्टर रोल कर्मचारियों की उनके लिए उपयुक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करना और शेष कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरी देना ।

(3) फरक्का बराज परियोजना के मजदूरों और कर्मचारियों को स्थायी घोषित करना ।

(4) कर्मचारियों के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था करना ।

(5) फरक्का बराज परियोजना सुरक्षा संगठन के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रतिमान अपनाना ।

(ग) और (घ) इन मांगों पर विचार किया गया है और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों पर लागू होने वाले नियमों के अधीन अनुमेय सीमा तक उन्हें पूरा कर दिया गया है ।

विषय :—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिज

नई दिल्ली में वृक्षों की कटाई

4046. **श्री ईरा मोहन** : क्या कृषि मंत्री पेड़ कटाने की अनुमति के बारे में 6 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10061 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और नेशनल ब्यूरो आफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिज, नई दिल्ली में वृक्षों की कटाई के लिए दिल्ली प्रशासन की अनुमति ले ली गई थी ; और

(ख) वे वृक्ष किस नसल के थे, उनकी आयु क्या थी, उनमें काटने में कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की लकड़ी प्राप्त हुई और वर्ष 1981 में इन वृक्षों की कटाई के लिए आदेश वस्तुत: किस प्राधिकारी ने दिये थे ?

वाले हों।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1981 के दौरान राष्ट्रीय पौध आनुवंशिक संसाधान ब्यूरो में कोई पेड़ नहीं काटे गये। भारतीय कृषि अनुसधान संस्थान ने परीक्षणात्मक वृक्ष काटने के लिए दिल्ली प्रशासन की अथवाभारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस संस्थान के परिसार में स्वर्ण जयन्ती भवन के स्थल पर स्वयं द्वारउगाये गये वृक्षों अथवा छोटे ठूंठ को काटने के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनुमति नहीं ली गई थी। दिल्ली प्रशासन द्वारा पेड़ों को काटने हेतु जारी किये गए आदेश का सम्बन्ध उन वृक्षों से है जो प्राकृतिक दृश्यों के प्रयोजन से, पारिस्थितिकीय कारणों से और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों से लगाये गये हैं। इस आदेश में ऐसे वृक्षों का कोई हवाला नहीं है जो विज्ञानियों की परीक्षण सामग्री का भाग बनते हों। संकरण की प्रक्रिया और वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से फलदार वृक्षों के सुधार की प्रक्रिया में विज्ञानियों को कमजोर पौधों को रद्द करना पड़ता है और उनको चुनना पड़ता है जो स्वीकार योग्य गुणवत्ता सहित अधिक उपज देने

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में वर्ष 1981 के दौरान जो पेड़ काटे गए थे उनमें अधिकतर साम, अमरूद, अंजी, शहतूत, और शरीफा तथा परीक्षात्मक योजनाओं से सम्बन्धित कुछ जंगली वृक्ष शामिल थे।

उनकी आयु 5 से 10 वर्ष के बीच अलग-अलग थी। ये वृक्ष एक विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश पर काटे गए थे जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बागबानी प्रभाग के तीन विज्ञानी थे। कटे हुए पेड़ों का नीलाम बागबानी और फल प्रौद्योगिकी प्रभाग के अध्यक्ष के प्राधिकार से कुल 4300 रु० में किया गया था।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयन्ती स्थल पर केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा काटे गए वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार है :—

प्रजाती	संख्या	कुल वजन
शीशम के ठूंठ	5	13 क्विंटल
पीपल	2	7½ क्विंटल
ढाक	1	7 क्विंटल
कीकड़	2	3½ क्विंटल

ठूंठों की नीलामी से 155 रु० प्राप्त किये गए। इन वृक्षों की आयु का अनुमान नहीं लगाया जा सका क्योंकि ये अपने आप उत्पन्न हुए थे और गली सड़ी हालत में थे। इन पेड़ों को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर हटाया गया। इस समिति में बागबानी के उपनिदेशक और निर्माण के प्रभारी अभियन्ता सम्मलित थे।

सावन पार्क कालोनी को नियमित करना

4047. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक विहार के निकट सावन पार्क, दिल्ली—32 दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में से एक हैं जो 1952 में स्थापित की गई थी ;

(ख) क्या सावन पार्क का ले-आउट" प्लान दिल्ली विकास (प्रावधान) प्राधिकरण के दिनांक 16·4.1956 के संकल्प संख्या 90 और स्थायी समिति) दिल्ली नगर निगम) के दिनांक 8 जनवरी, 1960 के संकल्प संख्या 15 द्वारा अनुमोदित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा दिल्ली नगर निगम द्वारा अब तक इस कालोनी को नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस कालोनी को अब तक मूल सुविधाएं अर्थात, पानी जल निकासी मदर डेरी बूथ, डाकघर, सड़के, पार्क आदि की सुविधाएं नहीं दी गई हैं ;

(ङ.) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस कालोनी को विकसित करने के लिए निर्णय किया है और इस कालोनी के दोनों ओर, अनधिकृत कालोनी सावन पार्क का विकास" अकित करते हुए कुछ बोर्ड लगाये हैं ; और

(च) यदि हां, तो ऐसे कारण क्या कारण है जिससे वहां अब तक कार्य शुरू नहीं किया जा सका ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखदी जायेगी।

सरोजनी नगर, नई दिल्ली में गलियों का आम रास्ते के रूप में प्रयोग

4048. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजनी नगर, नई दिल्ली में वाई और जैड ब्लाक "डी" टाइप क्वार्टरों, विशेष रूप से क्वार्टर संख्या वाई जैड 27 और 29 तथा जैड 11,13 और 15 के बीच की गलियों का जो बस्ती के पैदल चलने वालों के लिए बनी हुई हैं, पूरे दिन स्कूटरों और मोटर साइकिलों के लिए आम रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जिससे वहां के निवासियों को और विशेष रूप से भूमितल पर रहने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूटरों, मोटर-साइकलों को रोकने के लिए अभी तक किन्ही पक्के अवरोधों की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ऐसे पक्के अवरोधक पास की कालोनी लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली की गलियों में लगा दिए गए हैं ; और

(ग) गलियों के बीच में विशेषरूप से उपरोक्त (क) में उल्लिखित क्वार्टरों की गलियों में ऐसे पक्के अवरोधकों की व्यवस्था कब तक किए जाने का विचार है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नरायण सिंह) (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जाएगी ।

गुजरात में कृषि उत्पाद विपणन समिति की मांगें

4049. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या ग्रामीण पुनर्निमाण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कितनी कृषि उत्पाद विपणन समितियों में केन्द्र सरकार योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता की मांग की है ; और ऐसी कितनी समितियां हैं जिनकी मांग स्वीकार कर ली गई है और कितनी समितियों की मांग स्वीकार नही की गई है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) योजना के अधीन सेन्ट्रल एसिस्टेन्ट फार सलैक्टिंग मार्किटिंग कमेटी तथा सेन्ट्रल एसोसियेशन फार रुरल मार्किटिंग कमेटी की स्थिति क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

(ख) केन्द्रीय सहायता के लिए बाजारों का चयन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है जिसकी एक प्रति संलग्न है (विवरण 2)

विवरण 1

बाजारों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु गुजरात से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	इसके कारण
1. चुने नियमित बाज़ार	21	2	19	प्रस्ताव मार्गदर्शन सिद्धान्तों के अनुसार नहीं थे ।
2. पिछड़े क्षेत्रों में थोक बाजार	4	2	2	
3. प्राथमिक ग्रामीण बाजार	12	1	11	

विवरण 2

विपणन आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की योजनाएं—मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. चुने नियमित बाजारों के विकास के लिए योजना।

भारत सरकार बाजार समितियों को बाजार के विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता अनुदानों के रूप में देती है। इसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(क) टर्मिनल बाजार।

बाजार यार्ड तथा सम्बद्ध सुविधाओं के विकास के लिये महानगरों में फलों तथा सब्जियों के चुने टर्मिनल बाजारों के लिए प्रति बाजार 15.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

(ख) वाणिज्यिक फसलों का व्यापार करने वाले बाजार।

1. ऐसे प्रत्येक बाजार के लिये केन्द्रीय सहायता की धनराशि 4 लाख रुपये है।

1. पहले इस योजना में केवल पटसन कपास तथा तम्बाकू को वाणिज्यिक फसलें माना जाता था। बाद में, इसमें मूंगफली, काजू, नारियल, आलू तथा प्याज को भी शामिल कर लिया गया था। अब यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में इस योजना में वाणिज्यिक फसलों के रूप में सभी तिलहनों को भी शामिल किया जायेगा।

1.2 योजना के अन्तर्गत विभिन्न किस्म के बाजारों के लिये निर्धारित किये गये भूमि मानदण्डों को बाद में उदार बना दिया गया है तथा सब संशोधित मानदण्ड निम्न प्रकार है :

(1) 125 मीटरी टन तक प्रतिदिन की अधिकतम आवक के लिए 6 हेक्टेयर

(2) प्रत्येक अतिरिक्त 20 मीटरी टन के लिये 1 अतिरिक्त हेक्टेयर

(प्रतिदिन की अधिकतम आवक की संगणना 10 वर्ष में की जाती है)

(ग) कमाण्ड क्षेत्रों में स्थित बाजार

ऐसे प्रत्येक बाजार के लिए केन्द्रीय सहायता की धनराशि 5 लाख रुपये है।

2. ग्रामीण बाजारों के विकस की योजना

क. प्राथमिक बाजार

(क) ऐसे प्रत्येक बाजार के लिए केन्द्रीय सहायता की धनराशि 1.5 लाख रुपये होनी चाहिए अथवा कार्यालय एवं गोदाम, नीलामी स्थल तथा जल और सफाई की व्यवस्थाओं के मूल आधारभूत ढांचे की लागत, जो भी कम हों, होनी चाहिये।

(ख) केन्द्रीय सहायता दो किस्तों में बंटित की जायेगी।

इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक ग्रामीण बाजारों के लिए केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

(क) बाजार ऐसे होंगे जहां किसानों द्वारा कम से कम एक महत्वपूर्ण वस्तु काफी मात्रा में लाई जाए।

(ख) इसका उपक्षेत्र के नियमित बाजार के साथ संस्थागत रूप से सम्बन्ध होना चाहिए।

(ग) भूमि की लागत राज्य सरकार अथवा बाजार समिति द्वारा वहन की जानी चाहिए।

(घ) इस प्रकार के क्षेत्र होने चाहिए जहां बाजार संगठन के लिये पर्याप्त आय के सृजन की सम्भावना हो तथा जिसका मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि संगठन अपनी सहायता स्वयं कर सकता हो।

(ङ) केन्द्रीय सहायता की राशि का उपयोग केवल मूल आधारभूत सुविधाएं सुलभ करने हेतु किया जाए। [जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है]।

(च) चयन के समय पर केवल ऐसे बाज़ारों को शुरू किया जाये जिन्हें नियमित बाजारों से जोड़ने के लिए सड़कें उपलब्ध हों।

(छ) यह धनराशि दो किस्तों में बंटित की जायेगी, पहली किस्त 1 लाख रुपये तथा दूसरी किस्त 50,000 रुपये की होगी। दूसरी किस्त तभी बंटित की जायेगी जबकि प्रथम किस्त के उपयोग का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाएगा।

(ज) सम्बन्धित राज्य सरकार को प्रत्येक परियोजना के बारे में समापन प्रमाण-पत्र मन्त्रालय को प्रस्तुत करना होगा।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में नियमित थोक बाजार

(क) पिछड़े क्षेत्र का अर्थ है, वह क्षेत्र जो समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अथवा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आता हो।

(ख) ऐसे प्रत्येक बाजार के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत होगी और अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए होगी।

(ग) केन्द्रीय सहायता का बंटन दो किस्तों में किया जाएगा।

(घ) अब से आगे पुरानी योजना के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के बाजारों को कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

3. सभी थोक बाजारों के लिए निधियों का बंटन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगा :—

(1) किसी भी थोक बाजार को तब तक कोई सहायता स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि अनिवार्य शक्तियों सहित वह बाजार किसी नियमित बाजार समिति द्वारा विधिवत रूप से न चलाया जाता हो और जबकि बाजार समिति के अधिकार में पूर्वोक्त योजना के अधीन अपेक्षित अनिवार्य सुविधाएं सुलभ करने के लिए पर्याप्त भूमि न हो।

(2) योजना के अन्तर्गत शुरू किये जाने वाले प्रत्येक प्रस्तावित बाजार के लिए बाजार

में लेन-देनों के विद्यमान स्तर का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिए तथा बाजार की भीतरी भूमि में कार्यान्वयनाधीन कृषि उपज के विकास की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी विकास की सम्भाव्यता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे पहले कि मामले स्वीकृति समिति को विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएं प्रस्तावित निवेश के बाद बाजार की वित्तीय सक्षमता के तथ्यों तथा आंकड़ों के आधार पर और युक्तियुक्त रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए।

(3) नियमित थोक बाजारों के विकास की योजना के अन्तर्गत विकसित किए जाने वाले बाजार स्थलों को कमाण्ड क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे इसी प्रकार के स्थलों से सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

(4) नियमित थोक बाजारों के मामले में एक राज्य कृषि विपणन बोर्ड (सांविधिक अथवा गैर सांविधिक) का गठन किया गया है।

(5) उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुदान की प्राप्ति के छः माह के भीतर भारत सरकार को प्रस्तुत करना होगा।

नई दिल्ली नगर पालिका सुविधा बाजार सरोजनी नगर, नई दिल्ली

4050. **श्री राम किंकर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) नई दिल्ली नगर पालिका सुविधा बाजार सरोजनी नगर, नई दिल्ली में कुल कितनी दुकानें हैं :

(ख) इनमें से कितनी दुकानें वास्तव में उचित दर शासन की सब्जी तथा मिटटी के तेल, हलवाई, दर्जी, नाई आदि जैसी सुविधा दुकानें हैं तथा कितनी गैर सुविधा दुकानें हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सुविधा बाजार में कोई उचित दर दुकान नहीं है जबकि इसके आसपास भी ऐसी कोई दुकान नहीं है ; और

(घ) यदि हां तो सुविधा बाजार अथवा "एक्स. वाई." वाइ.जैड. "जैड" और निकट वर्ती ब्लाकों में कब उचित दर दुकान खोली जाएगी ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) पच्चीस

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा सूचित किए गए ब्यौरे इस प्रकार हैं—

9 दुकानें—जनरल प्रोविजन तथा डिपार्टमेंटल स्टोर

1 दुकान—दर्जी के लिए

1 दुकान—सूखी चाय के विक्रय के लिए

1 दुकान– अण्डे, डबलरोटी तथा मक्खन के लिए

1 दुकान—घड़ी साजी के लिए

6 दुकान—इलैक्ट्रानिक मदों तथा ऐनकों के विक्रय एवं संवितरण के लिए

4 दुकानें –किताबों तथा लेखन सामग्री के लिए

2 दुकानें—मांस के विक्रय के लिए दी गई।

(ग) दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा संभरण आयुक्त ने सूचित किया है कि यद्यपि सुविधा बाजार में कोई उचित दर की दुकान नहीं हैं। फिर भी 5357 तथा 2519 नं० की दो दुकानें उस क्षेत्र में पहले से ही थी और उस क्षेत्र में 5864 तथा 5803 नं० की दो नई दुकानें खोली गई हैं।

(घ) जैसा कि दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा संभरण आयुक्त ने सूचित किया है कि सुविधा बाजार में एक रिक्त सहित उचित दर की दुकान खोलने के लिए 3 रिक्तियां जनवरी, 1981 में अधिसूचित की गई थी। विज्ञापन के उत्तर में सुविधा बाजार के एक दुकानदार से केवल एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसे स्वीकार कर लिया गया था आवेदक को प्राधिकरण की मंजूरी की पेशकश की गई थी। आवेदन धरोहर की आवश्यक राशि जमा कराने तथा औपचारिक प्राधिकार लेने के लिए नहीं लौटा।

सुविधा बाजार "एक्स वाई" "वाई जैड" तथा "जैड" ब्लाकों के कार्डधारी विशिष्ट खाद्य सामग्रियों की सप्लाई के लिए इन ब्लाकों के नजदीक स्थित तीन उचित दर की दुकानों से सम्बद्ध हैं।

दूरदर्शन, नई दिल्ली के कैमरामैनों को सरकारी आवास

4051. **श्री क्रिस्टोफर एक्का** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सम्पदा निदेशालय के उन सरकारी कर्मचारियों (दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों) से आवासों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जिनका न्यूनतम वेतन एक जुलाई, 1978 को 700 रुपये था ;

(ख) उन्हें अब तक किस हद तक आवास आवंटित किए जा चुके हैं ;

(ग) आवासों के आवंटन के मामले में दिल्ली दूरदर्शन के कैमरामैनों की क्या स्थिति है, जो रात को देर तक काम करते हैं, और कृपया विस्तार से बताइये

(घ) यह भी बतायें कि इन कैमरामैनों को इन के कार्यालय के समीप आवास कब आवंटित किये जायेंगे;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जिन अधिकारियों की अग्रता तिथि 21.4.48 है उन्हें 31.8.81 तक सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) —ऐसे वे कैमरामैन जो सामान्य पूल वास के आवंटन के लिये पात्र हैं, यदि उ की अग्रता तिथि की बारी आ जाती है तो आवंटन नियमों के अनुसार इलाके के प्रतिबन्ध के बिन उन्हें आवास आवंटित किया जाता है।

सदर बाजार, दिल्ली छावनी क्षेत्र में वनस्पति घी की बिक्री

4052. **श्री शिबु सोरन :** क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सदर बाजार दिल्ली छावनी क्षेत्र में वनस्पति घी की कालाबाजारी और जमाखोरी का बड़ा घोटाला चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त क्षेत्र के थोक विक्रेता घी की जमाखोरी करके और इसे कालाबाजारी में बेच कर भारी मुनाफा कमा रहें हैं;

(ग) क्या उपरोक्त विक्रेता जाली रसीदें जारी करते हैं; जिसमें क्षेत्रों के उचित दर की दुकानों के मालिकों में से प्रत्येक को प्रति सप्ताह 5 6 टिन घी की बिक्री दिखाई जाती है जबकि इन उचित दर की दुकानों के मालिकों ने 1 अप्रैल, 81 से 31 अगस्त, 81 की अवधि के दौरान किसी उपभोक्ता को बिल्कुल घी नहीं बेचा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त विक्रेताओं की एजेंसी रद्द करने का तथा उनके खिलाफ कार्यवाही करने का है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : ऐसा कोई दृष्टांत सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

तमिलनाडु को खाद्यान्नों की सप्लाई

4053. **श्री सी०टी० दण्डपाणि :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के मंत्री द्वारा दिये गये इस कथित भाषण की जानकारी है कि केन्द्र सरकार वर्ष 1981 में तमिलनाडु को चावल तथा गेहु के आवंटन के मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु की गेहु तथा चावल की मांग की तुलना में कम सप्लाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) कुल उपलब्धता, राज्यों की सापेक्ष जरूरतों और संचलन संबन्धी बाधाओं को ध्यान में रखकर ही राज्य सरकार को उचित मात्रा में खाद्यन्नों का आवंटन किया जा रहा है।

(ग) एक विवरण संलग्न है; जिसमें तमिल नाडु की चावल और गेहूं की मांग और आवंटन का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

1981 के दौरान केन्द्रीय पूल से तमिलनाडू द्वारा चावल और गेहूं की की गई मांग और उनको किए गए आवंटन का मासवार ब्यौरा बताने वाला विवरण

(मात्रा हजार मी० टन में)

मास	मांग			आवंटन		
	चावल	गेहूं		चावल	गेहूं	
		सा०वि०प्र०	मिलें		सा०वि०प्र०	मिलें
जनवरी, 81	—	7.0	37-0	50.0	3.0	30.0
फरवरी, 81	50.0	7.0	37.0	—	3.0	30.0
मार्च 81	50.0	7.0	37.0	30.0	3.0	30.0
अप्रैल, 81	100.0	13.0	30.0	60.0	4.0	30.0
मई, 81	100,0	10.0	37.0	60.0	4.0	30.0
जून, 81	100.0	10.0	37.0	60.0	4.0	30.0
जुलाई, 81	100.0	10.0	37.0	60.0	4.0	30.0
अगस्त, 81	100.0	10.0	50.0	60.0	4.0	30.0
सितम्बर, 81	100.0	10.0	50.0	60.0	4.0	30.0
						+ 1.0*

सा०वि०प्र०—सार्वजनिक वितरण त्यौहार के मौसम के लिए अतिरिक्त आवंटन प्रणाली

मिलें...रोलर फ्लौर मिलें

"काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र को अनुदान

4054. श्री मती प्रोमिलादण्डवते : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को इसकी "काम के बदले अनाज" योजना के

लिए कोई अग्रिम धनराशि दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस धनराशि के दुरुपयोग की शिकायतों की ओर ध्यान दिया है ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को अब तक 2,96,940 मीटरी टन खाद्यान्नों के अतिरिक्त 1725.40 लाख रुपये का नकद अनुदान दिया है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	नकद अनुदान (लाख रुपये में)	खाद्यान्न (मीटरी टन)
1977-78	—	11,940
1978-79	—	65,000
1979-80	—	1,36,000
1980-81	1015.40	72,000
1981-82	710.00	12,000
योग	1725.40	2,96,940

(ग) इन निधियों के दुरुपयोग के बारे में इस मंत्रालय के ध्यान में कोई शिकायतें नहीं आई हैं ।

पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों में डेरी खोलना

4055. **श्री रेणु पद दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में डेरियां खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किन स्थानों में ये डेरियां खुलेंगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : क जी हां । आपरेशन फ्लड 2 परियोजना के तहत वर्तमान डेरियों का विस्तार व नई डेरियों की स्थापना करके परिसंस्करण की अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन करने का प्रस्ताव है ।

(ख) ब्यौरा संग्लन विवरण में दिया गया है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल व उत्तरी पूर्वी राज्य त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड तथा संघ शासित क्षेत्र मिजोरम को आपरेशन फ्लड 2 कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा व संघ शासित क्षेत्र मिजोरम की राज्य सरकारों ने भारतीय डेरी निगम के साथ करार पर हस्ताक्षर किये हैं। भारतीय डेरी निगम करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए मणिपुर, मेघालय व नागालैंड सरकारों से पत्राचार/विचार विमर्श कर रहा है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से पश्चिम बंगाल, असम तथा त्रिपुरा राज्यों व संघ शासित क्षेत्र मिजोरम के लिए संदर्श योजनायें तैयार की गयी हैं। डेरी संयंत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(हजार लिटर प्रति दिन)

दुग्ध क्षेत्र का नाम	वर्तमान, परिसंस्करण क्षमता		आपरेशनफ्लड-2 के अन्त में प्रस्तावित परिसंस्करण क्षमता		आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत बढ़ती हुई क्षमता	
	डेरी	प्रशीतन संयंत्र	डेरी	प्रशीतन संयंत्र	डेरी	प्रशीतन संयंत्र
दार्जिलिंग	100	18	100	78	—	68
पश्चिम दीनाजपुर	—	—	100	30	100	30
मालदा	—	—	100	10	100	10
मुर्शिदाबाद *	100	16	100	20	—	4
नादिया एवं 24 परगना	20	50	20	90	—	40
मिदनापुर *	60	—	100	—	—	—
बांकुर	—	—	50	40	50	32
बर्दवान	—	—	—	20	—	8
				250		192

* आपरेशन फ्लड-1 के अन्तर्गत डेरी संयंत्र अभी पूरे किये जाने है।

इस परियोजना में कलकत्ता स्थित मदर डेरी में प्रति दिन 2,00,000 लिटर दूध बढ़ाने का प्रस्ताव है।

2. **असम** गोहाटी में प्रति दिन 60,000 लिटर दूध की संभाल करने वाले एक नये संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिसे 1,00,000 लिटर तक बढ़ाया जा सकता है।

3. **त्रिपुरा** अगरतल्ला स्थित वर्तमान डेरी संयंत्र की प्रति दिन 10,000 लिटर की क्षमता को बढ़ाकर 15,000 लिटर करने का प्रस्ताव है।

4. **मिजोरम** प्रति दिन 5,000 लिटर की परिसंस्करण क्षमता को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

चम्बल परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से कृषि योग्य भूमि का विकास

4056. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान की चम्बल परियोजनाओं के अन्तर्गत विश्व बैंक के सहयोग से कृषि में सुधार और भूमि विकास के लिए 93 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है ; यदि हां, तो 1975 से अब तक कितने हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन के विकास का लक्ष्य था और अब तक कितनी जमीन का विकास किया गया ;

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत जमीन को समतल बनाने वाली मशीनों के आयात पर कितना खर्च अनुमानित था और उन पर वास्तव में कितना खर्च हुआ ;

(ग) क्या राजस्थान की चम्बल परियोजना में विश्व बैंक से मिले अनुदान के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें आई ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन आरोपों की जांच की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) राजस्थान में चम्बल कमान क्षेत्र विकास परियोजना अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से वर्ष 1974 में कार्यान्वयन के लिए हाथ में ली गई थी। परियोजना की अनुमानित लागत 73.2 करोड़ रुपये थी और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने 52 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देना स्वीकार किया था जिससे परियोजना के समस्त विदेशी विनिमय भाग और 30 प्रतिशत स्थानीय लागत के वित्त पोषित होने की प्रत्याशा थी। परियोजना की औसत 57 प्रतिशत लागत अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता से पूरी हो जायेगी। परियोजना को जून, 1981 तक पूरी कर लिया जाना था, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहमति से अब इसे जून, 1982 तक बढ़ा दिया गया है।

चम्बल परियोजना के अन्तर्गत 2.29 लाख हेक्टेयर का कृषि-योग्य क्षेत्र आता है। कृषि भूमि के विकास के लिए लक्ष्य, जल निकास अन्तर्गत 1.67 लाख हैक्टेयर, पूर्ण आंत फार्म

विकास के अन्तर्गत 30,000 हैक्टेयर (संशोधित) और 2,500 हैक्टेयर वनरोपण के अन्तर्गत रखा गया था। मार्च, 1981 तक उपलब्धियां, जल निकास के अन्तर्गत 1.85 लाख हैक्टेयर, पूर्ण ओ.एफ.डी. वर्क्स के अन्तर्गत 29,426 हैक्टेयर, और वनरोपण के अन्तर्गत 2,720 हैक्टेयर हुई है परियोजना में सृजित सिचाई क्षमता 2.18 लाख हैक्टेयर है और मार्च, 1981 तक 1.98 लाख हैक्टेयर क्षमता का उपयोग किया गया है। इस परियोजना की अन्तिम सिचाई क्षमता 2.6 लाख हैक्टेयर है।

(ख) इस परियोजना के सम्बन्ध में भूमि को समतल बनाने और अन्य कार्यों के लिए परिकल्पित मशीनों का कुल परिव्यय 427.15 लाख रुपये था। अब तक प्राप्त की गई मशीनों की कीमत लगभग 414.25 लाख रुपये है।

(ग) सिचाई मन्त्रालय को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय एजेन्टों द्वारा अपने ग्राहकों को धोखा दिया जाना

4057. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 मई, 1981 के करेन्ट वीकली में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक अमरीकी प्रिंटिंग मशीनरी का एक भारतीय एजेन्ट अपने ग्राहकों को प्रणालीबद्ध तरीके से धोखा देता आ रहा था और इस तरह उसने 5 लाख डालर से अधिक की राशि कमा ली ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) मेरे मंत्रालय के नियंत्रणाधीन मुद्रण निदेशालय ने ऐसी किसी मशीन की खरीद नही की है और इसलिए मेरे मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता तथापि वाणिज्य मंत्रालय के नियन्त्रणाधी मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में कुछ शिकायतें प्राप्त प्रतीत हुई हैं और वे उन शिकायतों की जांच कर रहे हैं।

ग्रामीण विकास के लिए अन्तर-क्षेत्रीय से मिनार।

4058. **श्रीमती संयोगिता राणे** :

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सारकार के सहयोग से नई दिल्ली में ग्रामीण विकास

के लिए अन्तर-क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण जनता के वित्तीय साधनो को बढ़ाने और उनमें व्याप्त गरीबी को कम करने के सम्बन्ध में सेमिनार ने क्या मुख्य सिफारिशें की ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा प्रयोजित वित्तीय पद्धतियां के प्रयोग सम्बन्धी अन्तः क्षेत्रीय गोष्ठी भारत सरकार के सहयोग से भारत में आयोजित की गई थी। यह गोष्ठी 27 जुलाई, 1981 और 11 अगस्त, 1981 के बीच पुण तथा दिल्ली में दो चरणों में आयोजित की गई थी। गोष्ठी के उद्देश्य निम्न थे :—

(1) उत्पादन बढ़ाने, असमानताये दूर करने और ग्रामीण इलाकी में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से नीतियो और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की तकनीकी के सम्बन्ध में अनुभावों का आदान-प्रदान करने के लिए मंच मुहैया करना ; तथा

(2) नीति संसाधनों के आबंटन तथा उन्हें जुटाने, ऋण देने की पद्धति तथा इसकी परिचालन सम्बन्धी कार्यविधियों के रूपांकन सहायक सेवाओं संबंधी मूल-सुविधाओं की स्थापना करने, ग्रामीण (विशेषकर कृषि) बैंकों के व्यावसायीकरण के क्षेत्रों में आवश्यक उपायों पर विचार करना ताकि निर्धन ग्रामीणों की ओर अधिक ध्यान केन्द्रीत करके ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आधार बनाया जा सके।

ये सिफारिशें, प्रत्येक देश में प्रचलित परिस्थितियों के सन्दर्भ में अलग-अलग देशों की सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई तथा उनके सरस्पर तालमेल से वित्तीय पद्धति के सम्बन्ध में थीं। इनमें ये शामिल थीं-संसाधनों में वृद्धि करने सम्बन्धी उपाय, उपयुक्त अवस्थापना का सृजन, सार्वजनिक संगठनों के माध्यम से विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों में निर्धन ग्रामीणों का योगदान, एक समन्वित तरीके से किसानों की पैकेज संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण देने की पद्धति का विकास, वित्तीय अनुशासन, उपयुक्त जनशक्ति को योजना तथा प्रक्षिण आदि का सुनिश्चित बनाने में राज्य तथा केन्द्रीय बैंकों की भूमिका।

कन्याकुमारी में समुद्री कटाव

4059. **श्री एन० डेनिस** : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में तेजी से हो रहे समुद्री कटव के बारे में पता है, और

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए तामिल नाडु सरकार और केन्द्र सरकार ने क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये है ?

सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी (क) और (ख) : जी हां ! तमिलनाडू सरकार ने समुद्र कटाव रोधी वर्क्स के लिए 590 लाख रुपये की लागत वाला एक प्रस्ताव 1979 में भेजा था। इन प्रस्तावों की केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे और

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गई है और राज्य सरकार को टिप्पणियाँ भेजी गई हैं ; तट कटाव बोर्ड ने भी सितम्बर, 1980 में कुछ प्रभावित स्थलों का निरीक्षण किया था और अपने सुझाव दिए थे ; राज्य सरकार ने इन टिप्पणियों और सुझावों के प्रकाश में अपने संशोधित प्रस्ताव नहीं भेजे हैं ;

आर०के० पुरम, नई दिल्ली की सरकारी आवासीय कालोनियों में खाना पकाने की गैस के लिए स्लैबों का प्रावधान

4060. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आर०के० पुरम; नई दिल्ली की आवासीय कालोनियों में चिमनी के स्थान पर जलाने की गैस के लिए स्लैब डाल दिए जायें तो रसोई घरों में अतिरिक्त जगह हो जाने से वहाँ के निवासियों को अपेक्षित राहत मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस के लिए स्लैब डाले जायेंगे, जैसा कि निवासियों द्वारा मांग की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ;

संसदीयकार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री(श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) :— इन क्वार्टरों में खाना पकाने की गैस की पट्टियाँ मुहैया करने का एक प्रस्ताव बनाया गया था परन्तु विधियों की कमी के कारण इसे निष्पादित करना संभव नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का बिहार में बाढ़ नियंत्रण के बारे में प्रतिवेदन

4061. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के प्रतिवेदन में बिहार राज्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए किन योजनाओं का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) सरकार उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) बिहार में बाढ़ नियंत्रण की स्थूल नीति के बारे में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के सुझाव संलग्न विवरण में दिए गए हैं। आयोग ने किसी विशिष्ट स्कीम का उल्लेख नहीं किया।

(ख) आयोग की सिफारिशें उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के ध्यान में ला दी गई हैं।

विवरण

बिहार राज्य में बाढ़ नियंत्रण के स्थूल नीति के बारे में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा दिए गए सुझाव

1. राज्य सरकार द्वारा 5 से 7 वर्षों की अवधि में 28.33 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए 870 करोड़ रुपये से अधिक की लागत पर तैयार किए गए कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए बहुत लम्बा समय लगने की संभावना है। यह सुझाव दिया जाता है कि विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद प्राथमिकताओं का निर्धारिण किया जाए और बेसिन-वार योजनाओं के ब्यौरे तैयार किए जाएं।

2. जहां कहीं राज्य के अन्दर ही संचयन स्थलों का प्रस्ताव किया गया है, वहां बाढ़ जल के संचय (फ्लड कुशन) की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. चूंकि उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों पर उपयुक्त संचयन स्थल नेपाल में स्थित हैं, इसलिए इन बेसिनों में जल संसाधनों के विकास और जल धारा क्षेत्र (वाटर-शेड) प्रबन्ध के लिए संयुक्त तथा समन्वित परियोजनाओं के प्रयत्न किए जाने चाहिएं।

   इन जलाशयों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, तटबंधों आदि जैसे अन्य उपायों पर विचार किया जाना चाहिए और बेसिन-वार मास्टर योजनाएं तैयार करके कार्यान्वित की जानी चाहिए।

4. राज्य के अन्दर जल-धारा क्षेत्र प्रबन्ध और भू-संरक्षण उपायों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5. कटाव रोधी वर्क्स का पूंजीगत व्यय और रखरखाव का खर्च बहुत अधिक होता है और ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा अधिक आबादी वाले क्षेत्रों की सुरक्षा की जानी हो, इनका निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। गांवों के स्थानान्तरण आदि जैसे वैकल्पिक उपायों पर, जहां संभव हो, विचार किया जाना चाहिए।

6. राज्य के कुछ बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को न केवल वित्तीय बल्कि तकनीकि के कारणों से भी सुरक्षा की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ों को सहन करने की नीति ही उपयुक्त होगी।

7. स्कीमों को उचित रूप से तैयार करने के लिए सर्वेक्षणों और अन्वेषण के काम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

8. असुरक्षित बाढ़ क्षेत्रों में बाढ़ मुक्त महीनों में तेजी से फसलें उगाने के लिए फसलें

उग ने को उपयुक्त नीति अपनाई जानी चाहिए। दिआरा भूमियों में खरीफ के मौसम में अगता मक्का उगाई जानी चाहिए जिसे मानसून की बाढ़ों से पहले काटा जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश में वनरोपण के लिए प्रावधान

4062 : **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में वन रोपण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1981-82 के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं ; और

(ख) वन रोपण के लिए कितने एकड़ भूमि का क्षेत्र निश्चित किया है और उस सम्बंध में पूरा ब्योरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वन रोपण के लिए 1981-82 के लिए केन्द्रीय सहायता की निम्नलिखित व्यवस्था की है '—

	लाख रुपए
(1) सामाजिक वानिकी व जलाने की लकड़ी के वनों से सम्बंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजना	20.70
(2) हिमालय में मृदा, जल तथा वन संरक्षण नाम की योजना के तहत वन रोपण (केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	35.00

(ख) राज्य से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बागान मजदूरों के लिए मकानों की कमी

4063. **श्री पी०के० कोडियन** :

श्री के०ए० राजन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागान मजदूरों के लिए लगान 234,000 मकानों की कमी का अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन्हें शीघ्र आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) ; राज्यों सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आसाम, कर्नाटक केरल, तामिलनाडु त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के इन 6 राज्यों में बागान श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत 2,33,709 मजदूरों को अभी आवास दिए जाते हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) 1956 में आरम्भ की गई बागान मजदूरों की सहायता प्राप्त आवास योजना 1 अप्रैल, 1970 से केन्द्रीय क्षेत्र में लाई गई है जिससे कि उसके अन्तर्गत बागान मजदूरों के लिए लिए आवास कार्यक्रमों को त्वरित कार्यान्वयन हो सके। यह योजना, असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल इन 6 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में अनुमोदित निर्माण कार्य की लागत के 87.5 प्रतिशत तक केंन्द्रीय वित्तीय सहायता (50 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 37.5 सहायता के रूप में) की व्यवस्था है। इसके आरम्भ से 31.3.1981 तक सम्बन्धित राज्य सरकारों को कुल वित्तीय सहायता 1131.68 लाख रुपये (688.41 लाख रुपये ऋण तथा 443.27 लाख रुपए सहायता के रूप में) की सहायता दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत 30.6.1981 तक स्वीकृत तथा बनाये गए मकानों की संख्या क्रमशः 39,625 और 22,517 है।

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1980-85) के लिए 10 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1980-81 के दौरान 1 80 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को दे दिए गए हैं तथा चालू वित्त वर्ष (1981-82) के बजट में 2.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 23,000 मकानों के निर्माण का लक्ष्य है।

विवरण

राज्य	बागानों में कार्यरत मजदूरों की संख्या	किराया मुक्त बास के पात्र मजदूरों की संख्या	जिन मजदूरों को पहले ही आवास दे दिये गये हैं उनकी संख्या			आवास की कुल कमी (31.3.81. तक)
			पक्का	कच्चा	योग	
1. असम	5, 48, 144	2,62,506	1,17,044	—	1,17,044	1,45,462
2. त्रिपुरा	8,243	8,243	729	7,514	8,243	7,514
3. पश्चिम बंगाल	2, 54, 429	1,29,198	82,396	46,802	1,29,198	46,802
4. कर्नाटक	47, 921	39,816	25,503	6,927	32,430	14,313
5. केरल	1,07, 283	56,525	40,905	5,856	46,761	15,620
6. तमिलनाडु	1,01, 642	39,633	35,635	3,216	38,851	3,998
कुल योग	10 67,662	5,35,521	3,02,212	70,315	3,72,527	2,33,709

टिप्पणी : 70315 मजदूरों को कच्चे मकान दिए गए हैं। यदि यह समझा जाय कि इन्हें आवास दे दिए गये हैं तो आवास की कुल कमी 1,63,394 अर्थात 1,64,000 हैं।

मिदनापुर में कंटाई सब डिवीजन में बाढ़

4064. **श्री नारायण चौबे** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर कन्टाई सब डिवीजन से बाढ़ की गम्भीर स्थिति की जानकारी है,

(ख) उक्त बाढ़ से कौन-कौन से थाने प्रभावित हुए हैं,

(ग) इस मानसून में सम्बन्धित क्षेत्र पर बाढ़ का कितनी बार प्रभाव पड़ा,

(घ) फसलों तथा रिहायशी मकानों की क्षति के रूप में सम्पत्ति की अनुमानतः कितनी हानि हुई,

(ङ) क्या सम्बन्धित क्षेत्र विशेषकर इगरा थाने के अन्तर्गत पतरपुर दुबदा में बड़ाचौक क्षेत्र में प्रायः बाढ़ आती है अथवा नहीं, और

(च) उक्त क्षेत्र के लोगों को प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से बचने के लिए राज्य सरकार के साथ-साथ सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) से (च) : पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि 19 जून से 17 अगस्त, 1981 तक की अवधि में मिदनापुर जिले का कँटाई सब डिवीजन चक्रवातीय तूफानों और भारी वर्षा से तीन बार प्रभावित हुआ था। प्रभावित थानों के नामों की जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 2500 घर आंशिक रूप से और 1000 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 28328 हैक्टेयर कृषि भूमि भी प्रभावित हुई।

(ङ) जी, हां—जल निकास अवरुद्ध होने से।

(च) दुबदा बेसिन जल-निकास स्कीम और बल्लाकी थाले के पुर्नरुपेण का कार्य चल रहा है। छठी योजना में राज्य सरकार के कलाबेरिया खाल की फिर से खुदाई करने, एताबेरिया और बामुनिया दंदपुर बेसिन जल-निकास की फिर से खुदाई करने और स्वर्णरेखा पर एक तटबंध बनाए जाने की एक स्कीम को हाथ में लेने के प्रस्ताव है।

फार्म मशीनरी के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना

4065. **श्री बी०एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म मशीनरी के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना के लिए केरल के पालघाट जिले में एक केन्द्रीय दल ने दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अंतिम निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) : जी हां।

(ग) : जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

"संसाधनों" के अभाव में मछली निर्यात प्रभावित शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

4066. श्री रामावतार शास्त्री : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जून, 1981 के 'पेट्रियाट' में "संसाधनों के अभाव में मछली निर्यात प्रभावित" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय मात्स्य की उद्योग संघ के अध्यक्ष ने संघ की वार्षिक साधारण सभा में संघ के सम्बंध में विचार व्यक्त किये थे जिसमें उन्होंने उद्योग के सम्मुख आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला था। जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का उन्होंने उल्लेख किया था उनमें ईंधन की अधिक लागत सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य को तेज करने की आवश्यकता, अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं को सुदृढ़ करना आदि शामिल था।

(ग) उपर्युक्त संघ का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है तथा उस में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों की जांच की जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबंटित दुकानें/स्टाल

4067. श्री भीखा भाई : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1981 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुल कितनी दुकानें/स्टाल बनाए गए और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को (दिल्ली क्षेत्र की दुकानों और स्टाल का) आबंटित करने का प्रतिशत कितना है ; और

(ख) यदि उन्हें पर्याप्त प्रतिशत में आबंटन नहीं किया गया तो इस सम्बन्ध में सरकार की मौजूदा नीति क्या है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अग्नि द्वारा खाद्यान्नों का नुकसान

4068. **श्री रामस्वरूप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय खाद्य निगम का हजारों क्विंटल गेहूं में गया के पचनपुर सिविर स्थान पर आग लगा दी गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) : भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार में गया के पंचनपुर कैप (कवर) एन्ड लिंथ स्टोरेज में 23.4.1980 को आग लगने की एक घटना हुई थी। 10.79 मीटरी टन गेहूं की हानि हुई थी जबकि 1,635 मीटरी टन की अन्य मात्रा छतिग्रस्त हुई थी।

(ख) आग लगने के कारणों की जॉच करने का कार्य बिहार सरकार के सी० आई० डी० को सोंपा गया है। उनके रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। तथापि, निगम द्वारा की गई विभागीय जांच से यह निष्कर्ष निकला हैं कि अकस्मात आग लग गयी थी और किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ अरबर अफेयर्स

4069. **श्री गुफरान आजम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने 'नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ अरबन अफेयर्स' नाम से कोई संस्थान स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो संस्थान की स्थापना कब हुई थी ;

(ग) क्या इस स्थान को शहरीकरण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति बनाने या उसके विस्तार का कार्य सोंपा गया है और क्या यह नगरीय अनुसंधान के क्षेत्र में केन्द्रीय संस्थान के रूप में कार्य करेगी ;

(घ) संस्थान को कितनी धनराशि दी गई है और क्या इसे भवन और स्टाफ की आवश्यक सहायता प्रदान की गई है ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इस संस्थान को सुदृढ़ बनाने तथा इसे भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान आदि जैसे अन्य संस्थानों के स्तर पर लाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) उक्त संस्थान भारत सरकार की पहल पर गठित किया गया है।

(ख) 1976 में।

(ग) यह संस्थान नगरीय कार्यकलापों के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन करने, उन्नयन के लिए, एवं समन्वित करने तथा नगरीय विकास की समस्याओं से सम्बन्धित उचित नीतियों तथा कार्यक्रमों क विकास में भी उत्तरदायित्व निभाने तथा सहायता करने के लिए गठित किया गया है। निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा गठित एक कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि इस संस्थान को नगरीय अनुसंधान के लिए एक समन्वीय (नोडल) अभिकरण के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

(घ) निर्माण और आवास मन्त्रालय इस संस्थान के परिचालन व्यय जिसमें आवश्यक स्टाफ तथा कार्यालय किराये शामिल हैं, को पूरा करने के लिए वार्षिक अनुदान सहायता देता है।

(ङ.) सरकार के इस संस्थान को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। निर्माण और आवास मन्त्री ने मुख्यमन्त्रियों तथा संघ राज्यों के प्रशासकों को इस सुझाव के पत्र लिखे हैं कि संस्थान को एक लाख रुपये का एक मूल अनुदान दिया जाए और वे विकास प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों आदि को संस्थान के सदस्य के रूप में अपना नामांकन करवाने के लिए आश्वस्त करें। कतिपय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इस अनुरोध का प्रत्युत्तर दिया है। मन्त्रालय द्वारा संस्थान को दिए गए अनुदानों का स्तर 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान बढ़ा दिया गया है। इस मन्त्रालय द्वारा लिए गए उत्तरदायित्व के कारण संस्थान को यूनीसैफ की सहायता से छोटे एवं मध्यम नगरों के विकास के लिए एक अनुसंधान परियोजना सौंपी गई है।

गांधी स्मारक निधि तथा गांधी स्मारक संग्रहालय के लिए भूमि

4070. श्री भीकूराम जैन :

श्री वी० एन० गाडगिल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी स्मारक निधि तथा गांधी स्मारक संग्रहालय को भूमि के आवंटन के लिए कोई करार दिया गया था, यदि हां, तो कितनी भूमि आवंटित की गई और उसकी क्या शर्तें थी ;

(ख) उन प्रांगणों में कौन-कौन से संगठन और संस्थाएं चल रही हैं ;

(ग) क्या इसमें अतिथि गृह, अल्पाहार गृह आवासीय फ्लैट तथा गांधी साहित्य से तरह राजनैतिक साहित्य बेचने वाले गांधी बुक हाउस जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी हैं ; और

(घ) क्या पट्टे के उपबन्धों का कोई उल्लंघन सरकार के ध्यान में आया है, यदि हां, तो

इस बारे में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) गांधी स्मारक निधि न्यास को 1/- रुपये प्रतिवर्ष के नाममात्र भूमि किराए पर स्थायी पट्टा धारिता आधार पर 6.199 एकड़ माप का एक भू-खण्ड पट्टे पर गांधी संग्रहालय, एक विद्युत सब-स्टेशन, एक ब्लाक, एक गैराज ब्लाक, एक कार्यालय भवन तथा केवल वास्तविक स्टाफ के उपयोग के लिए छह रिहायशी ब्लाकों के निर्माणार्थ दिया गया था। पट्टे की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्रयोजनों के अलावा पट्टाधारी को उक्त परिसर में कोई व्यापार अथवा व्यवसाय जो कुछ भी हो, को चलाने अथवा चलाए जाने की अनुमति देना अथवा उसे उपयोग में लाने अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने की स्वीकृति देना अनुमेय नहीं है।

(ख) तथा (ग) इस स्थल पर निम्नलिखित संगठन तथा संस्थाएं स्थित है :]

1. गांधी स्मारक निधि (पट्टधारी)
2. गांधी संग्रहालय
3. गांधी पुस्तक गृह
4. हिमालय सेवा संघ
5. गांधी शान्ति प्रतिष्ठान
6. प्रकृति चिकित्सा समिति प्रकृति उपचार
7. नागरी लिपि परिषद
8. सर्व सेवा संघ फोरम
9. डाक घर
10. कैन्टीन स्टाल

(घ) पट्टे विलेख के प्रावधान के कतिपय उल्लंघन सरकार के ध्यान में आए हैं और सरकार उचित कार्रवाई कर रही है।

मार्कफेड तथा हाफेड मार्कवाला घटिया उर्वरक

4071. **श्री रशीद मसूद :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पंजाब तथा हरियाणा के वितरण के लिए मार्कफेड तथा हाफेड मार्क वाले उर्वरक का भारी स्टाक घटिया हो गया है तथा बिक्री योग्य नहीं रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और मार्कफेड तथा हाफेड मार्कवाला कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का उर्वरक का स्टाफ बिक्री योग्य नहीं रहा है ; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) मार्कफेड पजाब तथा हाफेड हरियाणा के पास उपलब्ध नान-स्टैण्डर्ड उर्वरकों की मात्रा बहुत कम अर्थात् इन सगठनों की वार्षिक बिक्री का क्रमश: 0.48 प्रतिशत था 1 प्रतिशत है। ये उर्वरक बिक्री योग्य हैं। इन संगठनों ने सूचित किया है कि इन स्टाकों का दानेदार उर्वरक बनाने वाले उनके संयंत्रों में उपयोग किया जा रहा है। उर्वरक की बची हुई मात्रा का निपटान उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के अनुसार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करके किया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) :

इन दोनों संगठनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके पास उपलब्ध नान-स्टैण्ड उर्वरको का स्टाक तथा उनका मूल्य नीचे दिया गया है –

संगठन का नाम	नान-स्टैण्डर्ड उर्वरक का स्टाक	लाख रुपये मूल्य
मार्कफेड, पजाब	2747 मीटरी टन	45.62
हाफेड, हरियाणा	2735 मीटरी टन	43.51

मार्कफेड तथा हाफेड जैसे सगठनों द्वारा किये जाने वाले उर्वरकों की भारी कारोबार में उर्वरकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणत्व तथा अन्य कारणों से उर्वरकों की कुछ मामूली मात्र में पोषक अंश की कमी आ सकती है। तथापि उर्वरक मिश्रण तैयार करने के लिए इन उर्वरकों का पुन: परिसंस्करण या उपयोग किया जा सकता है। उर्वरक नियंत्रण आदेश की प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों की स्वीकृति से घटे हुए पोषक अंश के आधार पर इन्हें घटी दर पर बेचा भी जा सकता है।

जनकपुरी नई दिल्ली में अवैध निर्माण का गिराया जाना

4072. श्री हीरालाल आर० परमार : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में लाई गई है कि जनकपुरी में एजेन्सी संख्या 21 ने अपनी कालोनी में अवैध निर्माण को गिराया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) एजेन्सी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क), से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मिट्टी के तेल के लिए लाइसेन्स जारी करना

4073. श्री नवलकिशोर शर्मा : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन को गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली, नई दिल्ली में मिट्टी के तेल की बिक्री हेतु लाइसेंस के लिए क्षेत्रवार तथा सर्कल वार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) सर्कल कार्यालय संख्या 23 द्वारा कुछ आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जाने के क्या कारण हैं और प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ आवेदकों ने नागरिक पूर्ति आयुक्त, दिल्ली प्रशासन को सूचित किया है कि उचित प्राधिकारी द्वारा नये सिरे से पूछताछ की गई और यह भी अनुरोध किया है कि इससे पहले आवेदनों को अन्तिम रूप से निर्णित न किया जाए ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त जांच कब की जाएगी ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) दिल्ली/ नई दिल्ली में मिट्टी के तेल के लाइसेन्स जारी करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के बारे में जानकारी विवरण 1 में दी गई है।

मण्डल कार्यालय को किसी आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि, किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय मण्डल का कार्यालय की सिफारिश पर विचार करने के बाद किया जाता है। मण्डल संख्या 23 द्वारा जिन आवेदन-पत्रों की सिफारिश नहीं की गई थी उनकी सूची, सिफारिश न करने कारणों सहित विवरण-2 में दी गई है।

ग और घ : जी हां, ऐसी शिकायतें जब भी प्राप्त होती है, दिल्ली प्रशासन उनकी जाँच-पड़ताल करता है। यदि कोई शिकायत किसी मामले विशेष में अन्तिम निर्णय करने से पहले प्राप्त होती है तो उस शिकायत की जांच-पड़ताल अन्तिम निर्णय लेने से पहले कर ली जाती है। तथापि, यदि कोई शिकायत किसी मामले में निर्णय ले लिये जाने के बाद प्राप्त होती है, तो जांच-पड़ताल करने पर ज्ञात होने वाले तथ्यों के आधार पर यदि उचित समझा जाता है तो नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार आदेशों की पुनरीक्षा की जाती है/ उन्हें संशोधित किया जाता है।

विवरण-1

क्र. स.	मंडल संख्या तथा स्थान	अगस्त, 80 से जुलाई, 81 तक अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
1.	1- शाहदरा	16	67

1	2	3	4
2.	2- जी.टी. नगर	15	135
3.	3- गांधी नगर	12	12
4.	4- शाहदरा	7	36
5.	5- शकरपुर	20	128
6.	6- बैटरी लेन	7	9
7.	7- गुलाबी बाग	2	10
8.	8- नई दिल्ली	12	31
9.	9- गुलाबी बाग	12	66
10.	10- दिल्ली	19	35
11.	11- तिमारपुर, दिल्ली	14	41
12.	12- माडल टाउन, दिल्ली	21	117
13.	13- लक्ष्मी भवन, त्री नगर, दिल्ली	17	152
14.	14- ग्राम व पो. ओ. अलीपुर, दिल्ली	4	17
15.	15- ग्राम व पो.ओ. बवाना, दिल्ली	8	13
16.	16- शकरपुर, दिल्ली	8	48
17.	17- नागलोई, दिल्ली	14	73
18.	18- ग्राम व पो.ओ. नजफगढ़, दिल्ली	3	8
19.	19- ग्राम व पो.ओ. भिजवासन, दिल्ली	23	9
20.	20- मुकर्जी पार्क	15	118
21.	21- डी-84, अजय एन्कलेव, नई दिल्ली	22	94
22.	22- ए-45, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र	16	95
23.	23- ए-45, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र	9	42
24.	24- 2, पूसा रोड, नई दिल्ली	11	32
25.	25- 2, पूसा रोड, नई दिल्ली	6	7
26.	26- 29/31; डी डी. उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली	9	28
27.	27- 25/27, डी.डी. उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली	11	7

1	2	3	4
28.	28- 29 : 31, डी.डी. उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली	5	7
29.	29- 25-27, डी.डी. उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली	6	3
30.	30- कर्नल रोड, नई दिल्ली	12	15
31.	31- कर्नल रोड, नई दिल्ली	8	19
32.	32- के-1, लाजपत नगर-111, नई दिल्ली	18	48
33.	33- सी-ब्लाक, डी.डी.ए. जनता फ्लेट, कालका जी, नई दिल्ली	38	325
34.	34- के-1, लाजपत नगर-111 नई दिल्ली	12	38
35.	35- सी-17९, सर्वोदया इन्कलेव, नई दिल्ली	14	72
36.	36- क्वाटर नं. 938, सेक्टर-8, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	12	20
37.	37- कर्जन रोड, नई दिल्ली	12	4
38.	38- 633, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली	16	32
39.	39- डब्लू.जेड-311, सेन्ट्रल जेल रोड, नई दिल्ली	12	73
40.	40- ए-45 नारायणा औद्योगिक क्षेत्र. नई दिल्ली	9	16
41.	41- मंगोलपुरी, दिल्ली	3	15
42.	42- नरेला, दिल्ली	3	33
43.	43- गौंडा, दिल्ली	7	
44.	44- जनकपुरी, दिल्ली	3	35

विवरण 2

क्षेत्र	आवेदक का नाम	सिफारिश न करने का कारण
1 2	3	4
1. बलजीत नगर	मेसर्स आतम कोर अजीत सिंह	कम क्षेत्र

1	2	3	4
		बलवन्त सिंह	इच्छुक नहीं
	2. वेस्ट पटेल नगर	सरन कान्ता	कई बार जाने के बावजूद आवेदनकर्ता नहीं मिली और उन्हे उनके लड़के के माध्यम से सन्देश देने के बावजूद भी वे उपस्थित नहीं हुई
	3. अपर आनन्द पर्वत	बनवारी लाल	इच्छुक नहीं
	4. नई बस्ती आनन्द पर्वत	मंगतू राम	इच्छुक नहीं
		नारायण शर्मा	कम क्षेत्र दो दरवाजे हैं। आवेदक बहुत वृद्ध व्यक्ति हैं।
		भरत राम पवन कुमार	भारी वाहन नहीं जा सकते हैं परिशर रिहायशी क्षेत्र में हैं—कम क्षेत्र है।
		अग्रवाल आयल स्टोर	आवेदक एक उचित दर की दुकान का धारक है—कम क्षेत्र रिहायशी इलाके में है।
		मोहन लाल शर्मा	कम क्षेत्र—भारी वाहन नही जा सकते हैं।
	5. प्रेम नगर	लालचन्द्र पवार	रिहायश का भाग—दो दरवाजे हैं—कम क्षेत्र है
		प्रेमदास के० आयल डिपो	आवेदक के पास कोई व्यपारिक परिसर नहीं है।
		चोपड़ा आयल	कोई कानूनी। वास्तविक कब्जा नहीं ह। भू-स्वामी के बयान के अनुसार व्यापार के लिए कोई दुकान नहीं है।
		राम गोपाल	कोई कानूनी। वास्तविक कब्जा नहीं है।
		श्रीमती छनवाली देवी	अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

1	2	3	4
		नारायण दत्त	—वही—
6.	थानसिंह नगर (दो रिक्तियां)	महेश कुमार	कम क्षेत्र —रिहायशी परिसर
		नारायण दास	कम क्षेत्र —गोश्त की दुकान के साथ है।
		जय सिंह	कोई कानूनी। वास्तविक कब्जा नहीं है।
		प्यारे लाल	—वही—
		दाल चन्द	कम क्षेत्र
		ओम प्रकाश	कोई कानूनी। वास्तविक कब्जा नहीं है।
		ओमप्रकाश पुत्र	
		मनसा राम	इच्छुक नहीं है।
		जगदीशचन्द	—वही —
		रामचन्द	—वही—
		रामेश्वर दयाल	कम क्षेत्र
7.	हरिजन बस्ती	बी.डी. आयल डिपो	कम क्षेत्र—बस्ती के किनारे स्थित हैं।
		सेनी के० आयल डिपो	कम क्षेत्र भारी वाहन नहीं जा सकते हैं—औद्योगिक क्षेत्र में है।
		जैन के० आयल डिपो	औद्योगिक क्षेत्र में है—रासायनिक गोदाम के साथ है।
8.	ईस्ट पटेल नगर	गुप्ता स्टोर	पहले से ही एक उचित दर की दुकान है—रिहायश का भाग है।

फसल की पद्धति के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

4074. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य में वार्षिक फसल पद्धति के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनाज, दालों और तिलहनों के लिए वर्ष 1981 82 के लिए निर्धारित किया गया राष्ट्रीय उत्पादन लक्ष्य कितना है और इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी०स्वामीनथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) 1981-82 में खाद्यान्नों, दालों तथा तिलहनों के उत्पादन के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य नीचे दिया गया है :—

(लाख मीटरी टन)

खाद्यान	दालें	तिलहन
1260	125	112

संलग्न विवरण में "परिचालन" लक्ष्यों का राज्य-वार ब्योरा दिया गया है ।

विवरण

(लाख मीटरी टन)

राज्य	1681-82 के उत्पादन के परिचालन लक्ष्य		
	खाद्यान्न (दालों को छोड़कर)	दाले	तिलहन
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	102.35	4.30	13·20
2. असम	28.29	0.66	1.32
3. बिहार	105.65	7.55	1.65
4. गुजरात	46.00	3.00	25.28
5. हरियाणा	58.75	11.25	1.74

1	2	3	4
6. हिमाचल प्रदेश	10.66	0.50	—
7. जम्मू तथा कश्मीर	13.10	0.50	0.45
8. कर्नाटक	78.35	7.00	10.00
9. केरल	13.91	—	0 22
10. मध्य प्रदेश	105.00	23.00	12.00
11. महाराष्ट्	97.99	11.00	9.03
12. मणिपुर	3.75	—	—
13. मेघालय	1.60	—	—
14. नागालैण्ड	1.10	—	—
15, उड़ीसा	54.84	10.75	6.50
16. पंजाब	122.00	3.00	2.36
17. राजस्थान	66.20	20.00	6.90
18. तामिलनाडु	87.80	4.34	16.85
19. त्रिपुरा	3.85	0.15	—
20. उत्तर प्रदेश	227.00	25.00	1.30
21. पश्चिम बंगाल	95.94	3.50	25.00
22. अन्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.58
योग : (सभी राज्य)	1324.13	135.50	134.40
राष्ट्रीय लक्ष्य	1260.00	125.00	112.00

टिप्पणी : राज्यवार लक्ष्य "परिचालन" लक्ष्य है जैसाकि 22तथा23 मई; 1981 को नई दिल्ली में हुए राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों के सम्मेलन में राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया है।

स्वीकृति के लिए पड़ा धरहो नदी बांध

4075 **श्री रणजीत सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में धरहो नदी बाँध के बारे में एक पुरानी सिंचाई योजना विचाराधीन पड़ी है, और यदि हाँ, तो कब है; और

(ख) बाँध बनने में कितना समय लगेगा और निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीजियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने लिए, बिहार सरकार से ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

बिहार में "वाटर-ह्यसन्थ"

4076 : **डूमर लाल बैठा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "वाटर-ह्यसिन्थ" एक खतरा बन गया है और इसने बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और अन्य राज्यों में काफी विशाल क्षेत्र की फसलों को चोपट कर दिया है तथा यह प्रतिवर्ष खड़ी फसल के 10 से 15 प्रतिशत भाग तक नष्ट कर देता है;

(ख) क्या फसल के इस विध्वंसक को नियंत्रण में रखना किसानों को दुष्कर और खर्चीला पड़ता है। और

(ग) क्या फसल के इस विध्वंसक को नियंत्रण में रखने, समाप्त करने और इसका बेहतर वैकल्पिक उपयोग करने के संबंध में कोई अनुसंधान किए गए हैं, और यदि हां, तो इन प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि ग्रामीणपुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जल ह्यसिंथ से खड़ी फसलों को हानि पहुंचने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। यह पानी में निरन्तर रूप से उत्पन्न होने वाली एक काई है जिससे गहरे जल में धान, पटसनव जलीय शाहवलूत (तराया बिसोतोसा) आदि को संक्रामण की व्यापकता के अनुसार क्षति पहुंचती है।

(ख) जल ह्यसिन्थ में तेजी से वृद्धि होती है और तकनीकों के बार-बार प्रयोग से भी इस पर नियंत्रण पाना कठिन होता है। तथापि 2, 4-डी आदि साल्टों का 1.5 से 2.5 प्रति हैक्टार के आधार पर प्रयोग करने से जल ह्यसिन्थ पर कारगर ढंग से नियंत्रण पाया जा सकता है इस 50 से 100 रूपये प्रति हैक्टार खर्च आता है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कल्याणी, पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के कृषि विभागों व केन्द्रीय वनस्पति रक्षण संगरोध तथा संचयन निदेशालय के अधीन विभिन्न सस्थाओं ने जल ह्यसिन्थ पर नियंत्रण पाने के लिये 1950 से परीक्षण किये हैं। इन प्रयोगों के पश्चात विभिन्न परिस्थितियों में 2, 4-डी के प्रयोग के बारे में सिफारिशें की गई हैं।

अनुसंधान से पता चला है कि जल ह्यसिन्थ को खाद के रूप में भी काम में लाया जा सकता है। जल ह्यसिन्थ कूड़े खाद की तुलना में दो गुणा व गोबर की खाद की तुलना में पोटाश तत्वों के मामले में 4 गुणा लाभप्रद है। गोबर गैस अनुसंधान केन्द्र, अजीतमल व केन्द्रीय मकेनिकल इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर में किये गये अनुसंधान से पता चला है कि ईंधन के लिये बायो-गैस बनाने के लिये भी जल ह्यसिन्थ का उपयोग हो सकता है।

दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और अमृतसर में देशी घी के भाव

4077. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और अमृतसर में 1 जुलाई, 1979, 1जुलाई 1980 और 1 जुलाई 1981 को देशी घी के भाव क्या थे, और

(ख) 1981 के 7 महीनों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना के देसी घी के उत्पादन और वितरण के आंकड़े क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता तथा अमृतसर में जुलाई, 1979, 1980 तथा 1981 के प्रथम सप्ताह में देसी घी के थोक मुल्यों के सम्बन्ध में एक विवरण (विवरण 1) में दिया गया है।

[ख) 1981 में 7 महीनों में प्रत्येक के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना विनिर्मित तथा बेचे गए देशी घी की मात्रा संबंधी जानकारी विवरण-2 में दी गयी है।

विवरण-1

देशी घी के थोक मूल्य

[रु0 प्रति किलोग्राम]

केन्द्र	नीचे दी गई तारीखों को मुल्य		
	6.7.1979	4,7.1980	3.7.1981
दिल्ली	25.30	25.00	33.50
बम्बई			
पोरबन्दर	28.80	31.50	38.00
वेलगाँव	25.00	26.00	34.00
मद्रास	25.00	25.00	26.00
कलकत्ता	उपलब्ध नहीं	27.75	35.25
अमृतसर	25.50	26.00	30.00

विवरण 2

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बिक्री के लिए विनिर्मित तथा बेचा गया घी

माह (1981)	विनिर्मित घी की मात्रा (किलो ग्राम में)	बिक्री के लिए दी गई मात्रा (कि. ग्रा. में
जनवरी	91,228	26,302
फरवरी	63,234	23,425
मार्च	17,574	31,675
अप्रैल	—	29,002
मई	—	24,610
जून	—	23,135
जुलाई	—	6,802

वनस्पति निर्माता एककों की उत्पादन क्षमता

4078. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति निर्माता एककों की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है और उनके द्वारा वास्तव में कितना उत्पादन किया जा रहा है ;

(ख) उनकी मांग की तुलना में सरकार द्वारा उन्हें कितने प्रतिशत आयातित तेल दिया जा रहा है और उन्हें यह तेल किस दर पर दिया जा रहा है ; और

(ग) प्रशुल्क आयोग के सूत्र के अनुसार वनस्पति की उत्पादन लागत कितनी है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) (क) : वनस्पति एककों की कुल उत्पादन क्षमता 13.30 लाख मी० टन प्रति वर्ष है । इसकी तुलना में, 1980-81 के दौरान लगभग 7.52 लाख मी० टन उत्पादन हुआ ।

(ख :) इस महीने से, सरकार वनस्पति एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके कच्चे तेलों के निवेश के 90 प्रतिशत के लिए आयातित तेल दे रही है । आयातित तेलों की 70 प्रतिशत मात्रा की दर 7210/- रु० प्रति मी० टन है और शेष 20 प्रतिशत के लिए यह दर 12,000 रु० प्रति मी० टन है और इन दोनों में कर शामिल नहीं हैं ;

(ग) : वनस्पति के 16.5 कि०ग्रा० के टीन की कुल कारखाना लागत प्रशुल्क आयोग के सूत्र के अनुसार लगभग 191/– रु० परिकलित की गई है ।

नवभारत कोआपरेटिव ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी
लि० दिल्ली में चुनाव

4979. श्रीसूरज भान : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि नवभारत कोआपरेटिव ग्रूप हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्तमान प्रबन्धकों की कार्यावधि 6 जनवरी, 1981 को समाप्त हो गई है और बार बार मांग किए जाने के बावजूद वर्तमान प्रबन्ध मण्डल नए चुनाव नहीं करवाना चाहता है ; और

(ख) यदि हां, तो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली द्वारा एक चुनाव अधिकारी नियुक्त कर उसकी देख रेख में चुनाव करवाने के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) दिल्ली सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत इस सहकारी समिति को एक मांग पत्र जारी किया । यदि दी गई अवधि तक समिति द्वारा चुनाव नहीं किया जाता तो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार प्रबन्ध समिति का चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करेंगे ।

मैसर्स मित्सुविशी टिलर एण्ड ट्रैक्टर्स लिमिटेड
द्वारा निर्मित पावर टिलर ।

4080. श्री रघुनाथ सिंह वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सदस्यों से इस आशय की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है कि जापानी सहयोग के साथ मैसर्स मित्सुविशी टिलर एण्ड ट्रैक्टर्स लिमिटेड, बंगलोर द्वारा निर्मित किए गए पावर टिलर बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जलवायु स्थितियों के अनुकूल नही है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या वर्ष 1977 में लोक सभा में भी यह मामला उठाया गया था और जांच के बाद यह कम्पनी दोषी पाई गई थी ;

(ग) क्या पावर टिलर गर्म जलवायु स्थितियों में शैशरों, वाटर पंपों और बुलटों के संचालन में असफल रहा है और वर्ष 1964 से इसके कार्यकरण का परीक्षण नहीं किया गया है और यह जापान का प्राचीनतम माडल है और यह जापान में बिक्री योग्य नहीं है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अत्यन्त उच्च स्तर पर इस मामले की जांच कराने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) : देश में पावर टिलरों का विनिर्माण करने वाली मैसर्स मित्सुविशी टिलर एण्ड ट्रैक्टर्स

लिमिटेड नाम की कोई फर्म नहीं है।

(ख) से (घ) तक : भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता ;

केरल को आबंटित "पामोलीन" तेल

श्री ए० ए० रहीम : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) इस वर्ष के दौरान, महीनेवार "पामोलीन" तेल की आवंटित की गई मात्रा क्या है ;

(ख) क्या इस आबंटन में वृद्धि के लिए सरकार को राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सार्वजनिक वितरण पद्धति को सुदृढ़ बनाने और केन्द्रीय सरकार के एककों/संगठनों को देने के लिए अधिक "पामोलीन" तेल आबंटित करेगी ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) चालू तेल वर्ष 1980 81 (नवम्बर, 1980-अक्तूबर, 1981) के दौरान केरल को पामोलीन की माहवार निम्नांकित मात्रा आवंटित की गयी है :–

माह	मात्रा मीटरी टन में
नवम्बर, 1980	2000
दिसम्बर, 1980	1500
जनवरी, 1981	800
फरवरी, 1981	1400
मार्च, 1981	1400
अप्रैल, 1981	2000
मई, 1981	2000
जून, 1981	2200
जुलाई, 1981	2500
अगस्त, 1981	3000
सितम्बर और अक्तूबर, 1981	8000*
	26800

* इसमें ओणम त्यौहार के लिए 1000 मीटरी टन का विशेष आवंटन भी शामिल है ;

(ख) और (ग) जी हां। जैसा कि उपर्युक्त विवरण में स्पष्ट है, नई; 1981 से केरल को पामोलीन की उत्तरोत्तर अधिक मात्रा आवंटित की गयी है। ये आयातित खाद्य तेल राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु सप्लाई किए जाते हैं, केन्द्रीय सरकार के एककों/संगठनों को देने के लिए नहीं। तथापि, इन एककों/संगठनों के कर्मचारी अन्य उपभोक्ताओं की तरह खाद्य तेलों का अपना कोटा अपने-अपने खाद्य कार्डों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों से प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में फार्म मार्केटिंग कारपोरेशन की स्थापना

4082. **श्री चितामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में फार्म मार्केटिंग कारपोरेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : सरकार ने बागवानी के पदार्थों की वसूली, उनका विधायन और विपणन करने में सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम, जिसका मुख्यालय गोहाटी में होगा, को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रारम्भ में निगम अनन्नास, सेब, संतरा अदरक और आलू को हैंडल करेगा। प्रारम्भ में कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये होगी। यह सारी की सारी राशि केन्द्रय सरकार द्वारा दी जाएगी।

समेकित ग्रामीण विकास एजेन्सी, सूरत को 1979-80 और 1980-81 के दौरान दिये गए अनुदान

4083. **श्री छीतु भाई गामित** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास एजेंसी, सूरत (गुजरात) को 1979-80 और 1980-81 के दौरान दिए गए अनुदानों की राशि क्या है ;

(ख) जिन कार्यों पर इन अनुदानों की राशि व्यय की गई उनका मद-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मद पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(ग) उस राशि में से कृषि श्रमिकों तथा निर्धनता के स्तर से नीचे रहने वाले परिवारों पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) उन पर कम राशियां व्यय करने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम : (क)

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, सूरत को लघु कृषक विकास एजेंसी/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्र द्वारा बटित अनुदान निम्न प्रकार है :–

1979-80	—	30 लाख रुपये
1980-81	—	45 लाख रुपये

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित वर्ग जिसमें लघु कृषकों सीमान्त कृषक-कृषि श्रमिक-ग्रामीण कारीगर शामिल हैं, को किसी भी क्षेत्र में जिसके लिए स्थानीय संसाधन उपलब्ध हैं, सक्षम चाथिक गतिविधियाँ शुरू करके उनकी आय में सुधार करने हुतु सहायता पहुंचाई जाती है । इसलिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्रीय व्यय का प्रवोधन नहीं किया जाता है । एजेंसी ने 1979-80 तथा 1980-81 में क्रमश: 80.06 लाख रुपये तथा 102.49 लाख रुपये (राज्य अंश तथा गत वर्ष के व्यय न किए गए अधिशेष सहित) की निधियों का उपयोग किया हैं । 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान क्रमश: 70801 तथा 9,417 परिवारों को सहायता पहुंचायी गई है । लाभभोगियों का गतिविधिवार व्यौरा निम्न प्रकार है :

गतिविधि	लाभभोगियों की संख्या	
	1979-80	1980-81
1. कृषि	1,412	1,198
2, सिंचाई	46	86
3. पशुपालन	5,986	5,986
4. मछली पालन	—	654
5. अन्य	357	1,611
योग	7,801	9 417

(ग) और (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायियत सभी परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं ' कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायियत कृषि श्रमिकों के कोई अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

मध्यप्रदेश में उचित दर की दुकानों के माध्यम से वस्तुओं का वितरण

3084. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश में उचित दर की दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुओं के नाम

क्या हैं तथा उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा दी जाती है ;

(ग) क्या मध्यप्रदेश के बाहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति दी जाने वाली चीनी की मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली मात्रा से भिन्न हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने मध्यप्रदेश को जनवरी, 1981 से अगस्त, 1981 तक चीनी का कितना मासिक कोटा दिया है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रमोहन महन्ती) : (क) से (ग) : मध्य प्रदेश में उचित दर की दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल लेवी चनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल का वितरण किया जा रहा है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए स्वीकृत प्रति व्यक्ति मात्रा नीचे दी गई है :

गेहूं	—	3 किलोग्राम से 7 किलोग्राम	प्रतियूनिट प्रति मास
चावल	—	5 किलोग्राम से 9 किलोग्राम	प्रति यूनिट प्रति मास
लेवी चीनी	—	425 ग्राम से 450 ग्राम	प्रति सदस्य प्रति मास
खाद्य तेल	—	1 किलोग्राम प्रतियूनिट प्रति मास	
मिट्टी का तेल	—	उपलभ्यता और आवश्यकता के अनुसार ।	

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही लेवी चीनी की प्रति व्यक्ति मात्रा के बीच कोई अन्तर नहीं है । मध्य प्रदेश को जनवरी, 1981 से अगस्त, 1981 तक आवंटित लेवी चीनी का मासिक कोटा 20825 मीटरी टन प्रति मास था ।

गाँवों के लिए मोटर चलने लायक सड़के

4084. **श्री गुलाम मोहम्मद खांन** : क्या ग्रामीण पुनिर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रोड्स कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में जिला स्तर पर अध्ययन शुरू किया है । और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानमण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) जी, हां ।

(ख) इण्डियन रोड्स कांग्रेस के अनुरोध कांग्रेस के अनुरोध पर, कारबायलोंग, खेड़ा, भिवानी, करनाल (आंशिकरूप) सेना गिरी, पटियाला, सालेम, बस्ती, कोलार तथा बांसवाड़ा जिलों के लिए नमूने के तौर पर ग्रामीण सड़को के सामाजार्थिक पहलुओं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के जाल की आयोजना भी शामिल है, के अध्ययन किए जा रहे है । अध्ययन के उद्देश्य ये हैं : ग्रामीण सड़क विकास के समाजार्थिक प्रभाव का यथासम्भव परिमाणात्मक संदर्भ में मूल्यांक करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की आयोजना के लिए मानदंड विकसित करना तथा अधिकतम

उद्देश्यमूलक साधन विकसित करना तथा प्राथमिकताएं तैयार करना ।

केरल के लिए चीनी का कोटा फिर से निर्धारित किया जाना

4036. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि राज्य के लिए चीनी के कोटे को 10,495 टन प्रतिमास से बढ़ाकर 14,190 टन प्रति मास किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (आर० वी० स्वीनाथन) : (क) जी हां । केरल सरकार ने अपने लेवी चीनी के मासिक कोटे को 10,495 मीटरी टन से बढ़ाकर 14,190 मीटरी टन कर देने के लिए अनुरोध किया था ।

(ख) 17.12.1979 से चीनी पर आंशिक नियन्त्रण की नीति को पुन: लागू करने से, 16.8.1978 तक चीनी पर लगी विनियन्त्रण की नीति से पूर्व अतीत की आंशिक नियन्त्रण की अवधि के दौरान लेवी चीनी के जो राज्यवार मासिक कोटे दिए जा रहे थे, उन्हें बहाल कर दिया गया है और तदनुसार केरल सरकार को उचित दर की दुकानों से वित्तीय करने के लिए 10,495 मीटरी टन का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा है । लेवी चीनी की उपलब्धता स्थिति कठिन होने के कारण केरल सरकार के लेवी चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है ।

राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना

4087. **श्री जय नारायण रौत** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में 1980-81 वर्ष के दौरान पूरी की गई माध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) राजस्थान में उन मध्यम और बड़ी परियोजनाओं के नाम क्या है जिन्हें छठी योजना की अवधि में पूरा करने की सम्भावना है ;

(ग) क्या यह सच है कि 1981-82 में उनमें से कुछ परियोजनाओं के पूरा होने की सम्भावना है ;

(घ) यदि हां, तो उन माध्यम और बड़ी परियोजना के नाम क्या हैं ; और

(ङ.) उन परियोजनाओं को पूरा करने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी : (क) से (ङ.) राजस्थान की वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम, जिनके छठी योजना में पूरा हो जाने की सम्भावना है, उन पर किया गया व्यय तथा प्रस्तावित परिव्यय आदि दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, किसी परियोजना के 1980-81 में पूरा होने की सम्भावना नहीं है एक वृहद परियोजना, नामश: राजस्थान नहर चरण-एक और एक माध्यम परियोजना, नामश: हरिशचन्द्र सागर के 1981-82 में पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

विवरण

(लाख रुपये)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	1979-80 के अन्त तक हुआ व्यय	1.4.80 को* आगे लाया गया व्यय	परिव्यय 1980-85	1980-81 में प्रत्याशित व्यय	परिव्यय 1981-82
1	2	3	4	5	6	7	8
क	छठी योजना के पहले की स्कीमें						
I	बृहद परियोजनायें						
1.	माही बजाजसागर						
	(क) यूनिट I	3178	2654	524	524	200	100
	(ख) II	3060	882	2178	2178	400	500
2.	राजस्थान नहर (चरण-एक)	20090	19139.99	950.01	950	600	250
3.	जाखम	3184	1188	1996	1996	350	447
4.	गुड़गांव नहर	948.42	470.47	477.95	478	110	110
II	मध्यम परियोजनायें						
1.	मेजा फीडर	1360	772.53	587.47	587.47	200	250
2.	भीम सागर	747	203.86	473.14	173	175	200
3.	हरिश्चन्द्र सागर	291	119.44	171.56	171.56	100	71.56
4.	सोम-कमला-अम्बा	1800	405.60	1394.40	1394.40	290	250
5.	सोम-कागदर	1015	394.00	621.00	621.00	175	175

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	पनचना	600	100.13	493.87	493.87	125	150
7.	बेगम बयपवर्तन	550	219.50	330.30	330.30	150	140
8.	बभी	400	3.00	397.00	397.00	10	87
9. *	गोमुन्दा	1200	3.00	1167.00	1140.00	30	110
10.	कोटारी	330.5	22.89	307.61	307.61	70	90

* लागत पूरी होने वाली है *

ख- छठी योजना की नयी स्कीमें

I बृहत परियोनायें — शून्य —

II माध्यम स्कीमें

1.	विलास	275	—	—	275	5	30
2.	घाप्पी	650	—	—	630	5	50
3. *	सावन भादो	420.00	—	—	405.00	—	25.00

* कालम 6 में दिए गए परिव्यय योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश किए गए परिव्यय हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए स्वीकृति अन्तिम परिव्यय की सूचना उपलब्ध नहीं।

काजू की काश्त

4088. श्री अनादिचरण दास : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में काजू की काश्त के विकास के लिए कदम उठाये हैं,

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के उन जिलों के नाम क्या हैं जहाँ काजू की काश्त शुरू कर दी गई है और कुल कितनी भूमि में,

(ग) क्या यह सच है कि कुछ जिलों में आर्थिक पुनर्वास योजना के अधीन ग्रामीण निर्धनों को काजू-वाटिकाएं वितरित की गई हैं,

(घ) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और प्रत्येक जिले में कुल कितनी ऐसी वाटिकाएं वितरित की गई है और

(ङ.) उड़ीसा में उक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) उड़ीसा में कुल 43707 हैक्टार क्षेत्र में काजू की खेती किए जाने की सूचना दी गई है। इसकी खेतीस भी तेरह जिलों, अर्थात बालसोर, कटक, ढेंकानल, गंजम, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभंज, पुरी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, बोलनगीर और बौध-खान्डमल (फूलबनी) में की जाती है।

(ग) से (ङ.) जी हाँ। 1233 हैक्टेयर क्षेत्र की कुल 40 वाटिकायें ग्रामीण निर्धनों को बांटी गई हैं। जिले वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिला	वाटिका संख्या
1. कटक	1
2. बालासोर	2
3. क्योंझर	4
4. पुरी	4
5. कालाहांडी	1
6. सुन्दरगढ़	1
7. कोरापुर	8
8. गंजम	19
कुल	40

बाढ़ नियंत्रण विषय को संघीय सूची में अन्तरित करना

4089. **श्री गदाधर साहा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा पर मौसमी तथा क्षेत्रीय प्रभाव पड़ने के कारण भारत में पानी का वितरण बहुत असामान्य होता है और भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों के मतानुसार मानसून के मौसम में हिमालय की नदियों में बाढ़ बर्फ के पिघलने, ग्लेशियरों से निकले पानी और वर्षा के कारण आती है ;

(ख) क्या राज्यों के लिए नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों का सावधानीपूर्ण, व्यापक तथा गहराई से अध्ययन किये बिना एक प्राकृतिक जल निकास प्रणाली कार्यक्रम तैयार करने सहित एक दीर्घकालीन बाढ़ नियंत्रण नीति तैयार करना तथा उसे क्रियान्वित करना संभव नहीं है जो कि अधिक धन तथा शक्ति के बल पर केन्द्र सरकार द्वारा ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है ;

(ग) क्या आस्ट्रेलिया, अमरीका तथा कनाड़ा जैसे संघीय राष्ट्रों में बाढ़-नियंत्रण का विषय केन्द्रीय सरकार की सूची में है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त परिस्थितियों में केन्द्र सरकार संविधान में उचित संशोधन करने को तैयार है ताकि बाढ़ नियंत्रण विषय को राज्य सरकारों की सहमति से राज्य सूची से संघीय सूची में अन्तरित किया जा सके ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रंसारी) : (क) : जी, हां ।

(ख) : बाढ़-नियंत्रण, जल-निकास और नदी कटाव-रोधी स्कीमों के आयोजन, अन्वेषण, कार्यान्वियन, प्रचालन, रख-रखाव और आपात स्थिति के दौरान बाढ़ का मुकाबला करने के लिए नदी की विशिष्टताओं और स्थानीय स्थितियों की पूरी जानकारी, विशाल जनशक्ति और अनेक स्थानीय एजेन्सियों के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है । ये काम और अलग-अलग राज्यों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करने का काम राज्य सरकारों द्वारा ही सर्वोत्तम ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है । केन्द्रीय सरकार नीति सम्बन्धी मार्ग-दर्शक सिद्धान्त निर्धारित करके जटिल तकनीकी मामलों के बारे में विशिष्ट विशेषज्ञता की व्यवस्था करके और इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए अलग-अलग राज्यों की योजनाओं को समन्वित तथा एकीकृत करके सहायता दे सकती है ।

(ग) इन देशों में संघीय सरकार और प्रान्तीय अथवा राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में सरकार के पास प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सरकार का बाढ़ नियंत्रण को संघ सूची में अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सुपर बाजार के कार्यकरण में अनियमितताएं

4090. श्री राजेश कुमार सिंह :

प्रो० अजित कुमार मेहता :

श्री जगपाल सिंह :

श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या नागरिक पूर्ती मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के कार्य करण में बहुत अनियमितताएं हैं और उनके परिणाम-स्वरूप उनकी बिक्री कम हो गयी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सुपर बाजार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के अपने उद्देश्य में असफल रहा है ;

(ग) यदि हां, तो अनियमितताओं के बारे में यदि कोई जांच की गई तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई ; और

(घ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने की दिशा में इसकी असफलता के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मामले में किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी नहीं। सुपर बाजार की कुल बिक्री वर्ष 1979-80 के 12.93 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1980-81 में 20.43 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है।

(ख) सुपर बाजार का उद्देश्य उसकी उप विधियों के अनुसार इस प्रकार है : —

(क) उपभोज्य वस्पुओं का थोक और खुदरा वितरण करना और बहु-विभागी भंडार खोलना ;

(ख) उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच एक प्रभावी संपर्क विकसित करना ;

(ग) उत्पादकों की गुणवत्ता को उन्नत करना ;

(घ) नये उत्पादकों के विकास को प्रोत्साहित करना ;

(ङ) वितरण लागतों में कमी लाना ; और

(च) सूचना सेवा उपलब्ध करना।

सुपर बाजार इन कार्यों को यथा संभव सीमा तक निभा रहा है ।

(ग) और (घ) :

प्रश्न ही नहीं उठता।

गौ-हत्या पर प्रतिबंध के लिए कानून

4091 : श्री कंवर भूषण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के बारे में 26 अप्रैल, 1979 को संसद में दिया गया आश्वासन अब तक पूरा नहीं किया गया है ;

(ख) कोई भी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पशु विकास समिति द्वारा इस सम्बंध में दिए गये ठोस सुझावों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है ?

कृषि तथा पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) तथा (ख) :26 अप्रैल, 1979 को संसद में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसरण में संविधान में उचित संशोधन करने के लिए 18.5 1979 को लोक सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तथापि, लोक सभा के समाप्त होने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया।

(ग) कृषि मंत्रालय ने इस प्रकार की किसी सरकारी समिति का गठन नहीं किया है।

सीमेंट से भरा ट्रक पकड़ा जाना

4092. **श्रीमती राम बागड़ी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस की जमाखोरी निरोधक अपराध शाखा के दस्ते ने आई टी ओ के पुल पार शकरपुर क्षेत्र में एक ट्रक पर लदा 300 बोरी सीमेंट पकड़ा था और ट्रक में बैठे तीन आदमियों को गिरफ्तार किया था, जैसा कि 5 अगस्त, 1981 के नवभारत टाइम्स समाचार में कृपा है ;

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है , और

(ग) यह सीमेंट कहां-कहां से लाया जा रहा था ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी हां।

(ख) व (ग) इस कार्य में शामिल पाये गये सभी व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दो अलग-अलग मामले, एक भारतीय दंड संहिता तथा दूसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम के दर्ज किये गये हैं। दोनों मामलों में छानबीन की जा रही है। पूछताछ करने पर ट्रक चालक ने बताया कि उक्त सीमेंट अजमेरी गेट से लादा गया था। पकड़े गये सीमेंट को सरकार ने जब्त कर लिया है।

केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में आवश्यक पदार्थों के खुदरा मूल्य

4093. **श्री वी० के० नायर** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत 12 महीनों के दौरान केरल के जिला मुख्यालयों में तथा तमिलनाडु और कर्नाटक के पड़ोसी जिलों में आवश्यक पदार्थों के खुदरा मूल्यों के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्योरा क्या है ;

(ख) केरल में अधिक मूल्य होने और हाल में उनमें अत्याधिक वृद्धि होने के क्या कारण है ; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) ; (क) : उपलब्ध जानकारी के आधार पर, केरल, तामिलनाडु और कर्नाटक के राज्यों में अगस्त, 1931 को समाप्त होने वाले गत 12 महीनों के दौरान कुछ केंद्रों के लिए चुनी वस्तुओं के मूल्य अनुबंध में दिये गये हैं (ग्रंथालय में रखा गया-देखिए संख्या एल० टी० 2819/81) अनुबंध में दिए गये मूल्य खुले बाजार के मूल्यों से संबंधित हैं।

(ख) अनुबंध में दिये गये केरल, तामिलनाडु, और कर्नाटक के तीन राज्यों के 7 केन्द्रों के मूल्य आमतौर पर काफी हद तक समान है, यद्यपि कुछ केन्द्रों के मामले में एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र के बीच भिन्नता पाई जाती हैं। कुछ वस्तुओं के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि, सामान्य स्फीतिकारी स्थिति, कमी के मौसम कुछ वस्तुओं के उत्पादन में आई कमी और पेट्रोलियम-उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण कही जा सकती है।

(ग) राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी जाती रही है कि वे विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन बढ़ायें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करे तथा उसमें सुधार बढ़ायें और यह देखें कि जो वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाती हैं उनका उचित रूप से वितरण हो। राज्य सरकारों से समय-समय पर यह भी अनुरोध किया जा रहा है कि वे जमाखोरों चोर बाजारियों और अन्य समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा ऐसे ही अन्य कानूनों के उपबंधों को कड़ाई से लाग् करे।

भारत के राष्ट्रीय बीज निगम में आरक्षित पदों को भरना

4094. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी तथा वरिष्ठ श्रेणी अधिकारियों की संख्या नगण्य है और इस निगम के प्रबन्धक इन श्रेणियों में आरक्षित पदों को भरने में विलम्ब क्यों कर रहे हैं ? और

(ख) क्या 40 पॉईंट रास्टर, सम्पर्क अधिकारी अप्रेन्टिस पदों तथा आइसोलेटिड पदों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियमों का उचित ढंग से पालन नहीं हो रहा है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) तथा (ख) : अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम सरकार द्वारा निर्धारित 40-प्वाइंट रोस्टर का पालन कर रहा है। ऐसे आरक्षण से संबंधित मामलों से निपटने के लिए उसने एक सम्पर्क अधिकारी भी नियुक्त कर रखा है। तथापि, निगम में वर्ग के पदों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की संख्या निगमों में निर्धारित प्रतिशतता से कम है।

प्रक्रिया सम्बन्धी कारणों से, सामान्यतया सभी रिक्त पदों को भरने में विलम्ब हुआ है। ये विलम्ब केवल अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के मामले में ही नहीं हुए हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा मशीन से ठण्डा पानी करने के संयन्त्र

4005 **श्री चन्द्रपाल शैलानी :**

श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वर्ष 1981-82 के लिए नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा मशीन से पानी ठण्डा करने के संयन्त्र चलाने के कितने लायसेन्स मंजूर किए गए हैं ;

(ख) उनमें से कितनी लाइसेन्स अनुसूचित जातियों के लोगों को दिए गए हैं ;

(ग) प्रत्येक प्रशीतन संयन्त्र के लिए कितनी जल गलियों तथा पार्किंग स्थलों की मंजूरी दी गई है तथा कितनों का आवंटन पर दिया गया है ;

(घ) क्या पानी ठण्डा करने के संयन्त्र चलाने के लिए किसी प्रशिक्षण की जरूरत होती है यदि हां; तो उक्त प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के नाम क्या हैं, और

(ङ) नई दिल्ली नगरपालिका ने 1 जनवरी, 1981 से 31 जुलाई, 1984 के दौरान कितनी अनधिकृत जल गलियां पकड़ी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने बताया है कि वे अपने क्षेत्र में मशीन से ठण्डा पानी के संयन्त्र चलाने के करने के लाइसेन्स जारी नहीं करते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका ने कहा है कि प्रत्येक मामले में कम से कम 4 और अधिक से अधिक 9 ट्रालियां मंजूर की जाती जो संयुक्त, दुकान की भण्डारण। वातानुकूल। पार्किंग क्षमता पर और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर करता है।

(घ) जैसा कि नई दिल्ली नगरपालिका ने बताया है, संयन्त्र की स्थापना अनुभवी रेफ्री-

जरेशन इंजीनियर या कम्पनी द्वारा होनी चाहिये ; इस प्रकार के प्रशिक्षण देने संस्थाओं के ब्यौरे नई दिल्ली नगरपालिका के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) 112

खाद्य तैयार करने वाले उद्योगों को सहायता

4096. श्री मंगल राय प्रेमी :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

श्री शिव शरण वर्मा :

श्री जगपाल सिंह :

श्री त्रिलोक चन्द : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैयार खाद्य पदार्थ की बिक्री से सम्बन्धित उद्यमियों की सहायता के लिए खाद्य विभाग में कोई सलाहकार अनुभाग/कक्ष है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कक्ष/अनुभाग केवल कागजों पर ही सुझाव देता है अथवा यह उद्योगों की स्थापना के लिए वास्तविक योगदान देता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार खाद्य तैयार करने वाले उद्योगों की स्थापना किए जाने के लिए युक्त वास्तविक सहायता प्रदान करने हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : जी हाँ। परामर्शदात्री सैल उद्यमियों को बहुत ही उचित लागत पर फल और सब्जी विधायन उद्योग को स्थापित करने और उसका पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण करने के लिए परियोजना-रिपोर्टस तैयार करने/व्यवहार्यता अध्ययन करने के बारे में सहायता सुलभ करते है।

(ग) जिन परियोजनाओं की कुल पूंजी लागत 1.50 लाख रुपये से अधिक न हो उनको परामर्शदात्री सेवाएं मुफ्त सुलभ की जाती हैं। अन्य मामलों में, नाम-मात्र प्रभार लिए जाते हैं जो कि न्यूनतम 6,000 रु० होते हैं।

दिल्ली की रिहायशी कॉलोनियों में सुअर पालन

4097. श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की रिहायशी कालोनियों में गाय इत्यादि के पालन पर प्रतिबंध है किन्तु अनेकों कालोनियों में सुअर पालन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप वहां वे बहुतायत में पाये जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन कालोनियों में सुअर पालन पर प्रतिबन्ध

लगाने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नरायण सिंह) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

घटिया वस्तुओं की सप्लाई

4098 . **श्री वित्त महाटा :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग ने भारतीय खाद्य निगम से यह शिकायत की है कि उपभोक्तों को घटिया गेंहूं, चावल, चीनी तथा अन्य खाद्यान्न दिए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है .

(ग) यदि नहीं, तो फिर उपभोक्ताओं को किस प्रकार के खाद्यान सप्लाई किए जा रहे हैं।

(घ) क्या उचित दर दुकानों की जाँच के लिए कोई आकस्मिक जांच की जा रही है और

(ङ) कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और 1979, 1980 तथा 1981 (जून तक) के दौरान राज्यवार क्या कदम उठाए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : जी हां । मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकारों के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभागों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा घटिया किस्म का गेंहूं और चावल सप्लाई करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । जांच करने पर संबंधित स्टाक को विहित सीमा के अन्दर पाया गया था और वह समान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप था ।

(ग) उचित औसत किस्म के खाद्यानों का स्टाक ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जारी किया जाता है ।

(घ) : उचित दर की दुकानों की जांच करने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र मे आता है । उनसे कहा गया है कि वे सतर्कता तथा जांच विषयक कार्यों में तेजी लाएं ।

(ङ) : राज्यवार सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्रित किया जा रहा है ।

एशियाड 1982 के लिए स्विमिंग पूलों के निर्माण के लिए ठेका दिया जाना

4099 **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका के अन्तर्गत तालकटोरा गार्डन में स्विमिंग पूल के निर्माण के लिए दिए गए ठेके का क्या मूल्य है,

(ख) क्या अब वहां स्विमिंग पूल पर छत नहीं डाली जाएगी और वातानुकूलित व्यवस्था नहीं की जाएगी जैसी स्वीकृति योजना में व्यवस्था थी,

(ग) सरकार द्वारा उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है जिनके निरीक्षण में ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया था, और

(घ) नई दिल्ली नगरपालिका को पहले छत और वातानुकूल व्यवस्था के प्रावधान के साथ और फिर बिना इनकी व्यवस्था वाले दस्तावेजों को अन्तिम रूप देने में कितनी राशि खर्च करनी पड़ी ?

खेलकूद कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) अनुमानत 6.97 करोड़ रुपये।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि तालकटोरा गार्डन का स्विमिंग पूल एशिय ई खेलों के लिए छत रहित होगा। स्थल में वातानुकूलन नहीं होगा।

(ग) समय-समय पर अनुमोदित नक्शों के अनुसार कार्य किया जा रहा है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अभी तक कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है।

मत्स्य नौकाओं में वृद्धि करने की योजना

4100 : **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछली पकड़ने और अन्य समुद्री संसाधनों को पकड़ने की देश की क्षमता में वृद्धि करने के लिए मत्स्य नौकाओं के सशस्त्र बेड़े में वृद्धि के लिए हाल ही में एक योजना स्वीकार की है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और कितनी तथा किस प्रकार की नौकाएं खरीदी जाएंगी तथा उनकी अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) इस योजना के संदर्भ में अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी, हां।

(ख) गहन समुद्री मत्स्य उद्योग के सम्बंध में सरकार की नीति यह है कि भारतीय उद्यमियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की संख्या में जहां तक संभव हो अधिक से अधिक वृद्धि करें ताकि एक ओर आर्थिक क्षेत्र के मात्स्यिकी संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके। छठी पंचवर्षीय योजना में गहरे

समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों की संख्या बढ़ाकर 350 करने का प्रस्ताव है। मछली पकड़ने वाले विभिन्न प्रकार के जलयानों को प्राप्त करने के लिए जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से उदार शर्तों पर ऋण देने के लिए योजना में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद के लिए जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से उदार शर्तों पर ऋण सुलभ कराना ;

(2) देश में जहाज-निर्माण के लिए राज-सहायता उपलब्ध कराना।

(3) मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयानों को चार्टर करने तथा संयुक्त उपक्रमों की अनुमति देना।

(4) जलयानों के आयात के लिए प्राधिकृत करना ; और

(5) सर्वेक्षण और प्रशिक्षण के लिए बड़े जलयानों को प्राप्त करना।

प्रदूषण के लिए गुजरात में धरीगंडहरे तालुक के किसानों को मुआवजा

4101. श्री दिग्विजय सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में धरीगंडहरे तालुक के किसानों को प्रदूषण के लिए धरीगंडहरे केमिकल्स वर्क्स से 42 लाख रुपये का मुआवजा दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी और किसानों में वितरित की जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) कृषि योग्य भूमि को हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित की गई समिति ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में 40.48 लाख रुपये की क्षति का अनुमान लगाया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि कम्पनी को कृषकों को मुआवजा देना चाहिए।

(ख) कम्पनी ने मुआवजा देने का वचन कर लिया है और गुजरात सरकार इस मामले पर कार्यवाही कर रही है।

दिल्ली में औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन

4102. श्री राम प्यारे पनिका : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह जांच अब पूरी हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन में कोई हेराफेरी नहीं हुई हैं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि

4103, श्री चित्त बसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के मूल्य में हाल की वृद्धि से उपभोग की दर में, जो पहले ही कम है, कम हो जायेगी तथा उससे उत्पादन में कमी होगी जिससे अधिक आयात करना आवश्यक हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर.वी. स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकारों के वर्तमान अनुमानों के अनुसार खरीफ 1980 की तुलना में खरीफ 1981 के दौरान देश में उर्वरकों की खपत अधिक होने की सम्भावना है । तथापि, अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि उर्वरकों के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि से कितना प्रभाव पड़ेगा । देशी उर्वरकों के उत्पादन में कमी तथा उनके आयात में वृद्धि का प्रश्न ही नहीं होता ।

(ख) सरकार ने उर्वरकों के मूल्यों में हाल ही में हुई वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) कृषि मूल्य आयोग को, डीजल तथा उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कृषि जिन्सों के समर्थन अधिप्राप्ति मूल्यों के सम्बन्ध में विचार करने को कहा गया है ।

(2) समेकित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत लघु तथा सीमान्त कृषकों को उर्वरकों पर मिलने वाली राज्य-सहायता जारी रहेगी ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वह कृषकों के लिए ऋणों की

उपलब्धि में वृद्धि करे।

(4) सरकार ने उर्वरकों का उचित प्रयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि फसलों के उत्पादन में प्रबन्ध सम्बन्धी उपयुक्त पद्धतियों को अपनाकर उर्वरकों की उसी मात्रा से अधिक उठाया जा सके।

(5) वितरण की बढ़ती हुई लागत के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सस्थागत संस्थाओं, अर्थात् सहकारी समितियों, कृषि-उद्योग निगमों, तथा अन्य वितरण एजेन्सियों आदि के वितरण मार्जिन को बढ़ा दिया गया है। इससे वितरण एजेन्सियों को पिछड़े वाले क्षेत्रों तक उर्वरक पहुंचाने तथा किसानों को समय पर सप्लाई करने हेतु उर्वरकों का स्टाक करने में सहायता मिलेगी। आशा है समय पर सप्लाई होने से उर्वरकों की खपत में वृद्धि होगी।

दक्षिण गोआ के संसद सदस्यों के सम्मेलन की सिफारिश

4104. **श्री एडुआर्डो फैलेरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण गोआ के संसद सदस्यों की पहल पर कुछ समय पूर्व "दक्षिण गोआ विकास के नाम से कोई सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में उस ससदीय निर्वाचन-क्षेत्र के विकास के भिन्न भिन्न पहलूओं पर सिफारिश की गई थी ;

(ख) क्या कृषि से सम्बन्धित उस सम्मेलन की सिफारिश को उनके मंत्रालय को भेजा गया था ;

(ग) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या थीं ; और

(घ) उनमें से प्रत्येक पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) जी हां। कृषि और सहकारिता विभाग को दक्षिणी गोआ विकास सम्मेलन में की गई सिफारिशों की एक प्रति प्राप्त हुई है। ये सिफारिशें अनुबन्ध 1 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए सख्या एल.टी. 2820/81]

सम्मेलन में की गई सभी सिफारिशें गोआ, दमन व दीव संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित थी। तदनुसार ये आवश्यक कार्यवाही करने तथा की गई कार्यवाही से भारत सरकार को सूचित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेज दी गई थी। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए यथा संभव उपयुक्त कार्यवाही शुरू की गई है। उन्होंने अभी तक कुछ सिफारिशों पर ही कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सूचित किया है जिसका उल्लेख अनुबन्ध-2 में किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये सख्या एल.टी. 2820/81]

भीकाएजी कामा बाजार, नई दिल्ली में अग्निशमन केन्द्र का स्थान

4105. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में स्थित अग्निशमन केन्द्रों की संख्या कितनी है और

वे किन स्थानों पर है, उनकी क्षमता क्या है और उनके लिए निर्धारित क्षेत्र कौन सा हैं ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भीकाएजी कामा बाजार में, वहां अग्निशमन केन्द्र के स्थल के लिए भूमि निश्चित करने का प्रस्ताव किया था, यदि हां तो क्या कोई भूमि निश्चित कर दी गई है और दिल्ली अग्निशमन सेवा मुख्यालय को आवंटित कर दी गई है ; और

(ग) दिल्ली के विस्तार के तथ्य को ध्यान में रखते हुए पश्चिम और दक्षिण दिल्ली में अपेक्षाकृत अधिक अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली अग्निशमन सेवा ने सूचित किया है कि दक्षिणी दिल्ली में तीन और पश्चिमी दिल्ली में चार अग्निशमन केन्द्र हैं। पश्चिमी दिल्ली में मोती नगर में एक प्रशिक्षण केन्द्र भी है। उनके प्रबन्ध के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों तथा उनकी अवस्थिति के विषय में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां। इस प्रयोजन के लिए स्थल भी काजी कामा बाजार का अनुमोदित पणन केन्द्र योजना का एक भाग है।

(ग) दिल्ली मास्टर प्लान में दिए गए उपबन्धों तथा दिल्ली अग्निशमन सेवा के परामर्श से इन स्थलों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निश्चित किया जाता है।

विवरण

दक्षिण और पश्चिम दिल्ली में अग्निशमन केन्द्रों की स्थिति तथा क्षमता और उनके द्वारा प्रबंधित क्षेत्र।

दक्षिण दिल्ली

1. मथुरारोड अग्निशमन केन्द्र

यह आश्रम के पास मथुरा रोड, रिंग रोड के चौराहे के साथ साथ यमुना के किनारे हरियाणा सीमा तक, फ्रेन्डस कालोनी से ओबराय होटल, के चौराहे, डिफैन्स कालोनी, मदनगीर और खानपुर देवली से हरियाणा सीमा तक इस अग्निशमन केन्द्र द्वारा प्रबन्धित क्षेत्र हैं।

2. सफदरजंग अग्निशमन केन्द्र

यह सफदरजंग हवाई अड्डे के पास जोर बाग, नई दिल्ली में स्थित है और इसमें चार अग्निशमन एकक है। खान मार्किट, लोधी कालोनी, सेवा नगर, साऊथ एवसटेन्शन भाग-I और और 11, सेक्टर 1 से 12 तक राम कृष्णमपुरम, तुला मार्ग रिंग रोड के चौराहे तक, वसन्त विहार, मुनीरका, सरोजनी नगर, नेताजी नगर, ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क एवसटेन्शन, आई० आई०

टी० होज खास, नेहरू विश्वविद्यालय, पर्यावरण मार्ग, मालवीय नगर, महरौली और छतरपुर तक महरौली गांव इस केन्द्र के अन्तर्गत आता है।

3. चाणक्यपुरी अग्निशमन केन्द्र

यह कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है और इसमें तीन अग्निशमन एकक हैं। तीन मूर्ति, अशोक होटल, यशवन्त प्लेस, मोती बाग I और II, सेक्टर-13 रामकृष्ण पुरम, मौर्य होटल, कैन्ट क्षेत्र में रक्षा अधिकारियों का क्लब, पालम हवाई अड्डा, वसन्त गांव, चाणक्यपुरी और वायु सेना मुख्यालय इस केन्द्र के अन्तर्गत आता है।

पश्चिमी दिल्ली

नरैणा अग्निशमन केन्द्र

यह नई दिल्ली में पायल सिनेमा के पीछे स्थित है और इसमें एक अग्निशमन एकक है। नरैणा औद्योगिक क्षेत्र चरण- I और II इन्द्रपुरी, नरैणा विहार, नरैणा गांव और पांडवनगर इस केन्द्र के अन्तर्गत आता है।

2. मोतीनगर अग्निशमन केन्द्र तथा प्रतिक्षण केन्द्र

यह नई दिल्ली में नजफगढ़ रोड पर मोतीनगर में स्थित है और इसमें 6 अग्निशमन एकक है। जखीरा चौक नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र, राम रोड डी० एल० एफ० औद्योगिक क्षेत्र कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, कीर्ती नगर वेयर हाऊसिंग स्कीम, माया पुरी औद्योगिक क्षेत्र चरण-I तथा II, पंखा रोड जनकपुरी, तिलक नगर, हरि नगर, राजोरी गार्डन, पंजाबी बाग, आयल इन्स्टेलेशन शकर बस्ती, उत्तम नगर, पश्चिम पुरी, मंगोलपुरी नजफगढ़ नांगलोई हरियाणा सीमा तक शामिल हैं।

3. लारेन्स रोड अग्निशमन केन्द्र

यह माईन बेकरी नई दिल्ली के निकट स्थित है और यहां दो अग्निशमक एकक हैं। इस क्षेत्र में लारेन्स रोड औद्योगिक क्षेत्र, श्रीनगर, रामनगर (रेलवे लाईन तक), प्रीतमपुरा तथा शालीमार पार्क शामिल हैं।

4. रूपनगर अग्निशमन केन्द्र

यह रूप नगर पुलिस स्टेशन के निकट स्थित है और इसमें चार अग्निशमन एकक हैं। इस के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी, तिमारपुर, खैबरपास, मुकर्जी नगर, किंग्जवे कैम्प, आजादपुर, मांडल टाऊन, जी. टी. रोड के दोनों तरफ से लेकर हरियाणा राज्य सीमा तक, नई सब्जी मण्डी, शक्ति नगर, रोशनारा रोड तथा गुलाब बाग शामिल हैं।

बाढ़ से प्रभावित किसानों को लेवी से छूट

4106. श्री अमर राय प्रधान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में अभी हाल की बाढ़ों से प्रभावित किसानों को लेवी में छूट देने के बारे में राज्य-सरकारों को अनुदेश देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) बाढ़ों से प्रभावित किसी राज्य किसानों को लेवी से छूट देने के सम्बन्ध में कोई अनुरोध या प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जब भी इस प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

"काम के बदले अनाज कार्यक्रम" के अन्तर्गत खाद्यान्नों की सप्लाई बन्द किया जाना।

4107. श्री नीरेन घोष : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए खाद्यान्नों की सप्लाई बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम पुनः आरंभ करने के लिए कोई वैकल्पिक कार्यवाही की गई है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नाम अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रख दिया गया है। ईस कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्नों की सप्लाई बन्द नहीं की गई है बल्कि इसमें कमी की गई है। मुख्यतः चालू वर्ग के दौरान कार्यक्रम के लिए नकद धनराशि के आवंटन किए गए हैं।

"इन्द्रा" जलाशय योजना

4108. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में कालाहांडी जिले के खटियाड़ की 'इन्द्रा' जलाशय योजना प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, अब तक की प्रगति क्या है ; और

(ग) इसका निर्माण कितनी जल्दी शुरू होगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किय है कि इन्द्रा सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण और अन्वेषण किया जा रहा है और परियोजना रिपोर्ट के सितम्बर, 1982 तक तैयार

हो जाने की संभावना है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि इस परियोजना को उनकी छठी योजना में शामिल किया गया है और परियोजना पर अवसंरनात्क कार्य आरम्भ हो चुका है।

गांवों और जंगलों में पशुओं की संख्या

4109. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों और जंगलों में पशुओं की संख्या की प्रतिशतता क्या क्या है ;

(ख) नगरीय सीमाओं से बाहर कितने-कितने पशुओं के अस्पताल, कालेज और डाक्टर काम कर रहे हैं ; और

(ग) पशुओं के अस्पतालों के अलावा अन्य किन-किन गांवों में पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए सांड रखे गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) :

(क) से (ग) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे उद्योग

4110. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने उद्योग चलाये जा रहे हैं अथवा चलाए जाने हैं ; और

(ख) तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कु० कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) : खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार में पच्चीन उद्योगों में से 19 उद्योग अर्थात खादी, अनाजों तथा दालों का परिष्करण, घानी तेल, ग्रामीण चमड़ा, कुटीर माचिस, गुड़ तथा खाण्डसारी, ताड़गुड़, साबुन, हाथ से बने कागज, मधुमक्खी पालन, कुम्हारी, रेशा, बढ़ईगिरी तथा लोहारगिरी, चूना, गोबर गैस, औषधीय पौधे; फल परिष्करण, बांस तथा बेंत व पोलीवस्त्र, मध्य प्रदेश में पहले से ही चलाए जा रहे हैं। शेष उद्योगों को शुरू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

मछली पकड़ने वाले पोतों की संख्या

4111. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य सरकार समुद्री संसाधनों से आय बढ़ाने की दृष्टि से मछली पकड़ने वाले पोतों

की संख्या बढ़ाने की सोच रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय उद्यमियों द्वारा मछली पकड़ने के पोत खरीदने हेतु ऋण देने के लिए नौवहन विकास निधि समिति योजना को फिर से चालू किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) नई चार्टर नीति का ब्यौरा क्या है जिसके द्वारा भारतीय उद्यमियों को पहले विदेशों से चार्टर पर पोत लेने के सक्षम बनाया जाएगा।

कृषि तथा ग्रमीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ;

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय कम्पनियाँ गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाले जलयानों की खरीद करने हेतु, जहाजरारी विकास निधि समिति से प्रति वर्ष 41/2 प्रतिशत ब्याज की दर से उदार शर्तों पर ऋण ले सकती है। यह ऋण देशी जलयानों की लागत का 95 प्रतिशत तथा आयातित जलयानों की लागत का 90 प्रतिशत तक मिल सकता है। यह ऋण 16 वर्षों के भीतर अदा करना होता है जिसमें एक वर्ष की मोहलत भी शामिल होती है।

(घ) विदेशी मत्स्य जलयानों को चार्ट करने के लिए जनवरी, 1981 में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों व शर्तों की एक प्रति विवरण में दी गई है।

विवरण

विदेशी मत्स्यन जलपोतों को चार्टर करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा शर्तें

1. मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. भारतीय कम्पनियों और संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा विदेशी मत्स्यन जलपोतों को चार्टर के आधार पर एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति देने के सबम्बन्ध में निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान में रख जाता है —

(क) जाँच न हुए तथा पूर्णत: उपयोग न किये गये क्षेत्रों में वाणिज्यिक तौर से महत्वपूर्ण मत्स्य संसाधनों की बहुलता और वितरण का पता लगाना ;

(ख) आर्थिक प्रचालन के लिए उपयुक्त नौकाओं तथा गेयरों का मूल्यांकन करना ;

(ग) जलयानों, परिसंस्करण, विपणन तथा प्रबन्ध की व्यवस्था के लिए अपेक्षित मानव शक्ति का प्रशिक्षण देकर प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना, और

(घ) स्वामित्व के आधार पर गहरे समुद्र में मत्स्यन बेड़े को बढ़ाना।

2. चार्टर सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों पर निम्नलिखित प्राथमिकताओं के आधार पर विचार किया जाएगा —

(1) सार्वजनिक प्रतिष्ठान।

(2) मछुआ सहकारी संस्थाएं।

(3) लघु और मध्यम स्तर के उद्यमी ।

(4) बड़े घराने ।

जहां तक 'बेट चार्टर और ड्राई चार्टर' का प्रश्न है, ड्राई चार्टर सम्बन्धी प्रार्थना पत्र को वरीयता दी जाएगी ।

3. उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने, वाणिज्यिक कार्यों में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने तथा सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को दृष्टिगत रखते हुये विदेशी मत्स्यन जलपोतों को चार्टर करने की शर्तों का एक सैट निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत दिया गया है—

2. निबन्धन और शर्तें

1. विदेशी मत्स्यन जलपोतों को चार्टर करने वाली भारतीय कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी चार्टर अवधि के दौरान 5 लाख रुपये से कम नहीं होगी ।

2. चार्टर करने वाली भारतीय कम्पनी के पास प्रबन्ध सम्बन्धी कार्मिक होंगे जिन्होंने समुद्री मत्स्यन उद्योग के सम्बन्ध में वास्तविक अनुभव प्राप्त किया हो ।

3. चार्टर की अवधि तीन वर्ष की होगी । सन्तोषजनक कार्य निष्पादन करने पर एक वर्ष के लिए नवीकरण और अधिक से अधिक दो वर्ष के लिए नवीकरण हो सकेगा । (यह अवधि किसी भी हालत में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी) चार्टर पर जलपोत लेने वाले भारतीय का यह एक विशेष कर्तव्य होगा कि निर्धारित समय की समाप्ति से पहले निर्धारित संख्या में जलपोत खरीदे । यह संख्या चार्टर पर लिए जाने वाले जलपोतों की कुल संख्या से अधिक न होगी । कोई भी प्रार्थी एक ही किस्म की मछली पकड़ने के लिए अधिक से अधिक 5 पोत चार्टर कर सकेगा ।

4. चार्टर पर जलपोत लेने वाले को चार्टर को कार्यरूप देने से पहले चार्टर किये जाने वाले प्रति जलपोत के लिए दो लाख रुपए के मूल्य की बैंक गारंटी देनी होगी । यदि चार्टर करने वाला निर्धारित तिथि के अन्त में जलपोत न खरीदे तो इस मद को लागू किया जायेगा ।

5. चार्टर कर्ता इस बात का सुनिश्चित करेगा कि नाविक दल में हमेशा कम से कम 20 प्रतिशत भारतीय रहेंगे और उन्हें विदेशी स्किपरों, इंजीनियरों और अन्य प्रचालनात्मक नाविक दल के साथ प्रशिक्षणाधीन कार्मिकों के रूप में तैनात किया जाएगा । ऐसे प्रशिक्षणाधीन कार्मिक को नौवहन निरीक्षण के समय चार्टर पर लिए गए विदेशी मत्स्यन जलपोतों पर काम करने के लिए तैयार रखा जाएगा तथा वे उनके प्रतिस्थानी सम्पूर्ण चार्टर की अवधि के दौरान जलपोत पर ही रहेंगे ।

6. चार्टर पर किए गए मत्स्यन जलपोतों, कार्यक्षेत्र प्रादेशिक जल क्षेत्र अर्थात् तट से 12 नौपरिवहन मील से बाहर रहेगा जब तक कि किसी विशिष्ट प्रकार के मत्स्यन के लिए तथा

किसी अन्य क्षेत्रीय नियंत्रण की शर्तों के साथ विशेष तौर पर अनुमति न दी गयी हो। इसके अतिरिक्त जलपोत यंत्रीकृत व गैर-यंत्रीकृत पोतों के प्रचालन क्षेत्र से बाहर चलेंगे और सरकार द्वारा समय समय पर जारी होने वाले निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।

7. चार्टर के किराये के अतिरिक्त कोई तकनीकी शुल्क या रायल्टी का भुगतान नहीं किया जायेगा। निपणन संबंधी कमीशन का भुगतान सरकार की पूर्व अनुमति से होगा।

8. भारतीय कम्पनी निश्चित अवधि की समाप्ति से पहले आयात करके अथवा भारतीय शिपयार्ड से जलपोतों की निश्चित संख्या खरीदने के लिए पक्की व्यवस्था करेगी।

9. ठेका माडल चार्टर पार्टी के आधार पर होगा। तथापि, चार्टर पार्टी को अपनी अवश्यकतानुसार संशोधन करने की स्वतंत्रता होगी परन्तु मछली पकड़ने का कार्य आरम्भ होने से पहले सभी मामलों में अंतिम चार्टर पार्टी के संबंध में सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। चार्टर में भारत में मध्यस्थता होने की व्यवस्था होगी।

10. चार्टर जलयान सभी दस्तावेजों अर्थात् महा निदेशक द्वारा जारी किए गए जहाजरानी लाइसेंस अनुमति पत्र की सत्यापित प्रति, कर्मी दल का अनुमति पत्र इत्यादि को जलयानों के नौसेना द्वारा निरीक्षण करने के अवसर पर अपने पास रखेगा। ये दस्तावेज सीमा शुल्क निकासी के अवसर पर लिए जाएँगे जब वह भारतीय जल क्षेत्र में पुनः प्रवेश करेगा।

11. चार्टर के अधीन विदेशी मत्स्यन जलपोत एक भारतीय वैज्ञानिक आंकड़े और सामग्री को एकत्र करने और इनकी जांच करने हेतु बोर्ड पर निशुल्क रहेगा। भारतीय वैज्ञानिक के चार्टर के जलपोत पर रहने के दौरान भारतीय कम्पनी उसका भोजन संबंधी व्यय वहन करेगी।

12. भारतीय कम्पनी भारत सरकार को प्रति जलपोत पर 10,000 रुपये लाइसेंस शुल्क के रूप में देगी।

13. चार्टर करने वाले व्यक्ति भारत सरकार, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली तथा जहाजरानी के महानिदेशक, बम्बई, को मत्स्यन जलपोतों के लिए सरकार को स्वीकार्य मान्यता प्राप्त एजेंसी मूल्यांकन तथा समुद्र में परिचालन की उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र देंगे।

14. मत्स्य जलपोतों का संचालन मरचेंट शिपिंग ऐक्ट के प्रावधानों की शर्त के अनुसार किया जायेगा और भारतीय जल क्षेत्र में मत्स्य जलपोतों को चलाने के लिए जहाजरानी के महानिदेशक से अनुमति प्राप्त की जाएगी। चार्टर जलपोत और कर्मी दल की सुरक्षा के मामले में भारतीय या अन्तर्राष्ट्रीय अवश्यकताओं (आई. एम. सी. ओ.) को पूरा करेगा।

15. विदेशी जलपोतों पर लगे हुए सभी उपकरण और मशीनरी भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण हेतु खुली रहेगी। विदेशी सहयोगी पहले ही उपकरणों अर्थात् रेडियो

राडार, अन्य संवेदिकों, जीव विज्ञान और समुद्र विज्ञान सम्बन्धी पर्यवेक्षण के वैज्ञानिक आविष्करणों तथा इसके कलपुर्जे और मशीनरी, अन्तर्राष्ट्रीय काल साइन, रेडियो की फ्रीक्वेंसी•चैनलों के आयाम और प्रत्येक जलपोत के संचार उपकरणों की परिधि इत्यादि के सम्पूर्ण ब्यौरों की सात प्रतियां देगी। दिये गये ब्यौरों में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित किया जायेगा और इनके इस्तेमाल के लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी। अब सूचना एकत्र करने वाला कोई भी इलेक्ट्रोनिकी उपकरण जहाज पर नहीं लगाया जायेगा। तथापि, मत्स्यन के लिए परम आवश्यक उपकरणों की अनुमति दी जाएगी। इस सम्बन्ध में सरकार से सभी प्रकार की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही जलपोत कार्य आरम्भ करेगा।

16. सरकार का प्रतिनिधि बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय चार्टर्ड मत्स्यन जलपोतों का निरीक्षण कर सकता है। इस प्रकार के निरीक्षण के दौरान उक्त मत्स्यन जलपोतों के कप्तानों और अन्य कार्मिकों की प्रतिनिधि द्वारा मांगी गई एतत्संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना देनी होगी।

17. कम्पनी दो प्रतियों में इस आशय का वचन देगी कि :—

(क) कोई भी समुद्री अनुसंधान, सर्वेक्षण या समन्वेषण इत्यादि हमारे प्रादेशिक जल क्षेत्रों के भीतर नहीं किया जाएगा।

(ख) भारत सरकार की पूर्व स्पष्ट अनुमति के बिना कोई भी समुद्री अनुसंधान, सर्वेक्षण और अन्य जांच पड़ताल हमारे एकमात्र आर्थिक क्षेत्र (हमारे समुद्र तट से 200 मील की दूरी तक फैला हुआ जल क्षेत्र) के भीतर नहीं की जाएगी।

(ग) भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी समुद्री अनुसंधान, सर्वेक्षण और अन्य जांच-पड़ताल हमारे समुद्र तट से 200 मील से आगे तक नहीं की जाएगी जहां संचालनों का एक भाग समुद्र तट से 200 मील तक फैले हुए जल क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।

18. रेडियो सिगनल वॅल्यूम 1 की एडमिरल्टी लिस्ट के अनुसार चार्टर्ड जलपोत प्रति दिन प्रातः 8 बजे तक रक्षक स्टेशन और पी० सी० एस० सिगनल (पोजीशन, कोर्स, स्पीड सिगनल) से अपने गन्तव्य स्थान और पकड़ी गई मछली की मात्रा की रिपोर्ट नौसेना, बेतार स्टेशन को करेंगे।

19. भारतीय बन्दरगाहों में चार्टर्ड जलपोतों के पहुंचने/प्रस्थान करने का ब्यौरा साथ-साथ नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली, तट रक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली और कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

20. नौपरिवहन सम्बन्धी प्रारम्भिक स्वीकृति मिलने के पश्चात तथा जिस पत्तन पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाना है उससे प्रत्येक बार पुनः प्रवेश करने के पश्चात चार्टर्ड जल यान तीस दिन के अन्दर कम से कम एक बार अपने कार्यवाले पत्तन पर वापस जायेंगे। भारतीय

कम्पनी यह सुनिश्चित करेगी कि पकड़ी गई मछलियों का मूल्यांकन ठीक प्रकार से हुआ है। यह सभी नौका यात्राओं की मछली पकड़ने वाली नौकाओं की मत्स्यन सम्बन्धी लाभ—सीट की प्रतियां भी रखेगी। निर्यात सम्बन्धी सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् तथा सीमा शुल्क सम्बन्धी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात चार्टर्ड जलयान से भारतीय आर्थिक क्षेत्र से खाना ले जायेंगे तथा वापसी यात्रा के दौरान वह भारतीय आर्थिक क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से मछली पकड़ने का कार्य नहीं करेंगे।

21. मत्स्यन जलयानों पर विदेशी नाविकों को सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लगाया जाएगा। चार्टर्ड जलयान के नाविकों को लेमिनेटेड पहचान पुस्तिका कार्ड दिया जाएगा जिसमें उसकी फोटो लगी होगी तथा उसका व्यक्तिगत जीवन वृत्त लिखा होगा, ताकि उसकी पहचान करने में सुविधा हो सके। ऐसी पुस्तिकाएं/कार्ड भारतीय कम्पनी द्वारा विदेशी नाविकों को नौपरिवहन सम्बन्धी निरीक्षण के समय दिए जाएंगे और सीमा शुल्क की शर्तें पूरी करने पर वापस कर दिये जाएंगे। इन्हें नाविकों को जलपोत के उसके भारतीय जल सीमा में पुनः प्रवेश करने पर अन्य दस्तादेजों के साथ दिया जाएगा। नए नाविकों को नई पुस्तिका/कार्ड जारी किया जाएगा। ऐसे दस्तावेज कप्तान के पास रखे जायेंगे जिनका हिसाब—किताब रखा जाएगा।

22. चार्टर पर जलपोत लेने वाला भारत सरकार को प्रति फेरी पकड़ी गई मछलियों तथा जलपोतों से निर्यात की गई मछलियों की मात्रा का विवरण सभी अपेक्षित ब्यौरे के साथ निर्धारित प्रपत्र में देगा।

23. भारतीय कम्पनी अपने सभी कर्मचारियों, विदेशी तथा भारतीय दोनों के ब्यौरे की 10 प्रतिलिपियां तथा चार्टर किए गए जलपोतों पर लगाये गए सभी विदेशी कार्मिकों के ब्यौरे की 10 प्रतियां भी देगी। चार्टर्ड किए गए जलपोतों अथवा तट पर स्थापित संगठनों में लगाए गए कार्मिकों तथा उपकरणों/मशीनों में किसी प्रकार के परिवर्तन की रिपोर्ट कृषि और सहकारिता विभाग को दी जाएगी।

24. मत्स्यन जलपोतों तथा उसके साज-समानों, पकड़ी गई मछलियों की मात्रा, निर्यात, ईंधन, ओंगन फालतू कल-पुर्जों, पैक करने की सामग्री, मत्स्यन सम्बन्धी सामग्री आदि पर भारतीय कानून के तहत देय सभी प्रकार के कर एवं शुल्क लगेंगे। यदि ईंधन सम्बन्धी खर्च विदेशी सहयोगी द्वारा विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाएगा।

25. मत्स्यन कार्य शुरू करने से पहले विदेशी सहयोगी भारतीय कम्पनी को अनवृत्त एवं पुष्ट साख पत्र प्रस्तुत करेगा अथवा प्रत्येक फेरी ले लिए आनुपातिक चार्टर शुल्क निकालने के बाद पकड़ी गई मछलियों के मूल्य के बराबर भारतीय पार्टी को अग्रिम भुगतान करेगा।

26. आवेदकों को सुरक्षा संबन्धी पहलुओं तथा प्रशिक्षण जैसे संचालन पूर्व औपचारिकताओं को संतोषजनक रूप से पूरा करने के लिए एक आशय पत्र दिया जायेगा। जब सरकार

इन औपचारिकताओं को पूरा किया जाने के बारे में संतुष्ट हो जाएगी तभी प्रचालन लिए अनुमति पत्र जारी किया जाएगा ।

27. मत्स्यन कार्य आरम्भ करने से पूर्व अथवा मत्स्यन संबंधी कार्यों के दौरान उपरोक्त निर्धारित किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर अथवा उसे पूरा न करने पर दी गई अनुमति रद्द कर दी जाएगी ।

28. चार्टर करने वाली कम्पनी को जलपोतों के प्रचालन के लिए भारत सरकार के सभी चालू अधिनियमों/ आदेशों का करना पड़ेगा जिसके अन्तर्गत जलपोतों के आपरेटरों को निजी या सामूहिक रूप से विभिन्न उपकरणों/सुविधाओं/रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए लाइसेंस की अनुमति लेनी होती है ।

29. सरकार को ऐसी किसी भी अतिरिक्त शर्त को तय करने अथवा उपरोक्त निर्धारित शर्तें में संशोधन करने का अधिकार होगा जिसे वह आवश्यक समझती हो ।

दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी कालोनियाँ

4112. **श्री कुवंर राम** : क्या निर्माण आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978 से जून, 1981 के दौरान दिल्ली के विभिन्न भागों में बनीं झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनकी जनसंख्या कितनी है और उन कालोनियों में क्या सुविधाएं की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनरायण सिंह) : (क) तथा (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था

4113. **श्री आर.के.महालगी** ; क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था समूचे देश में पूर्णतया असफल रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि उचित दर और राशन की दुकानों पर चीनी, गेहूं और चावल नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो नगरों और शहरों से दूर के गांवों में आवश्यक वस्तुओं को नियमित और पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्विघ्न सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मासिक आधार पर इन जिन्सों नियमित आवंटन किए जा रहे हैं।

गेहूं चीनी और दालों का आयात

4114. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने गेहूं, चीनी तथा दालों का आयात किया, यद्यपि देश में इनकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध थी और इनका उत्पादन भी बिल्कुल संतोषजनक था;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त वस्तुओं का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) आयात करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इन वस्तुओं के आयात से किस सीमा तक इन वस्तुओं के मूल्य घटाने में सहायता मिली ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) से (घ)दालों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस पर होता है गेहूं और चीनी का आयात सरकारी खाते में किया जा रहा है ताकि देश में इन जिन्सों की कुल उपलब्धता में वृद्धि की जा सके और व्यापारी, जोकि मूल्यों में उतार-चढ़ाव का रूख लाते रहते हैं उसके प्रति पर्याप्त सावधानी बरती जा सके। इन आयातों के फलस्वरूप मूल्यों पर दबाव में राहत के संकेत खासकर चीनी के मामले में दिखाई देने लगे हैं।

(ख) चालू वर्ष (1981 82) के दौरान आयात की जाने वाली गेहूं और चीनी की कुल सम्भावित मात्रा इस प्रकार है :—

गेहूं ———15.15 लाख मीटरी टन

चीनी ———लगभग 2.15 लाख मीटरी टन

दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा भूखण्डों के आवंटन में विलम्ब

4115. **श्री तारिक अनवर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण जनता को भूखण्ड आवंटित करने के अपने वचन को निभाने की स्थिति में नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने क्षेत्रों तक में प्राथमिक विकास का कार्य भी शुरू नहीं किया है जिनका विकास करने में कई वर्ष लगेंगे ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास इस प्रस्तावित विकास कार्य के लिए कोई धन नहीं है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(क) तथा (ग) यह प्रतीत होता है कि यह रोहिणी परियोजना के सन्दर्भ में है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विकास कार्य पहले ही शुरु किया जा चुका है और इस प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध है।

नई दिल्ली में स्वर्गीय कामराज की मूर्ति लगाया जाना

4116. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामराज स्मारक समिति, नई दिल्ली में कामराज की मूर्ति शीघ्र लगाए जाने के लिए सरकार से बारम्बार आग्रह कर रहा हैं ;

(ख) क्या यह मूर्ति लगाने के लिए एक स्थल का अनुमोदन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह स्थल कहां है और वहां यह मूर्ति लगाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) स्वर्गीय श्री के० कामराज की प्रतिमा को नई दिल्ली में डूप्ले रोड के चौराहे पर स्थापित करने के लिए नाडर महाजन संगम, मदुरै को कुछ शर्तों सहित अनुमति दी गई थी और कामराज स्मारक समिति ने इस अनुमति को उनके हक में अन्तरित करने के लिए प्रार्थना की थी जो कि अब कर कर दी गई है।

घटिया चावल की सप्लाई

3117. **श्री अशोक महलोत** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1981 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "6.28 करोड़ रुपए के घटिया चावल की सप्लाई "शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार के अभियान में देश में कितने स्थानों से इस प्रकार के मामले पकड़े गये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्न उत्पादकों को उनके उत्पादकों के लिए उचित मूल्य का भुगतान करने के लिए कोई प्रभावी योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) यह शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, में नोटिस में आया था। राज्य सरकार ने भी इस सम्बन्ध में राज्य सतर्कता स्थापन द्वारा जांच किए जाने के बारे में आदेश दे दिया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार रबी और खरीफ विपणन मौसम शुरू होने के पहले रबी और खरीफ अनाजों की मूल्य और वसूली नति की प्रतिवर्ष घोषणा करती हैं। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और इससे संबन्धित अन्य सभी तथ्यों को ध्यान में रख समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। समर्थन मूल्य के कार्य के अधीन भारत सरकार समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए लाए गये उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों की खरीदारी की जिम्मेदारी लेती है।

प्रमुख सिंचाई योजनाओं में विलम्ब

4118. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भार में पिछले 15 से 20 वर्षों से लम्बित चली आ रही प्रमुख सिंचाई योजनाओं की, राज्यवार नामों सहित, संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि अन्य सरकारों को अपनी असावधानी के कारण प्रतिवर्ष भारी हानि का सामना करना पड़ रहा है ; यदि हां तो कितनी हानि का ;

(ग) राष्ट्रीय औसत की तुलना में (राज्यवार) प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई क्षमता की प्रतिशतता क्या है ; और

(घ) क्या सरकार राज्य सरकारों को निर्देश जारी करेगी कि नई योजनाएं आरम्भ करने के स्थान पर पुरानी परियोजनाओं को पूरा किया जाये ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) देश में विभिन्न राज्यों में 25 बृहद सिंचाई स्कीमें है जिन पर 15 से 20 वर्ष पहले कार्य आरम्भ हुआ था, लेकिन अभी तक ये पूरी नहीं हुई है। इन स्कीमों के नामों की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है (विवरण-एक)।

(ख) परियोजनाओं के वित्त-पोषण और लाभभोगियों से राजस्व एकत्र करने के दोनों कार्य राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। जहां कि, परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण उनसे लाभों को प्राप्ति होने में भी देरी हो जाती है, परन्तु इससे होने वाली क्षति का मात्रा का अनुमान राज्य सरकार द्वारा लगाया नहीं गया है।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है (विवरण दो)।

(घ) राज्यों को पहले ही जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में से एक यह है कि छठे योजना के दौरान यथासंभव अधिकाधिक निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया जाए।

विवरण I

15 वर्षों से अधिक समय से निर्माणधीन बृहद परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम
	आंध्र प्रदेश
1.	नागार्जुन सागर दक्षिण तट और वाम तट नहरें ;
2.	पोचमपाद (श्री रामसागर) चरण- एक ।
	बिहार
3.	मंडक
4.	कोसी बराज और पूर्वी नहर
5.	राजपुर नहर
6.	पश्चिमी कोसी नहर
	हरियाणा
7.	ब्यास यूनिट एक और उसका विस्तार
8.	ब्यास यूनिट–दो और उसका विस्तार
	कर्नाटक
9.	भद्रा
10.	मालाप्रभा
11.	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर-चरण दो
	केरल
12.	पेरियार घाटी
	मध्य प्रदेश
13.	तवा

विवरण-2

क्रम सं०	राज्य	अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता की तुलना में 1979-80 तक बृहद मध्यम और सिंचाई स्कीमों से सृजित क्षमता की प्रतिशतता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	58.74

1	2	3
2.	असम	9.18
3.	बिहार	37.72
4.	गुजरात	34.33
5.	हरियाणा	58.97
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	जम्मू और कश्मीर	42.40
8.	कर्नाटक	42.80
9.	केरल	45.80
10.	मध्य प्रदेश	24.03
11.	महाराष्ट्र	30.12
12.	मणिपुर	4.44
13.	मेघालय	—
13.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	39.61
16.	पंजाब	76.97
17.	राजस्थान	55.82
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	78.60
20.	त्रिपुरा	—
21.	उत्तर प्रदेश	48.23
22.	पश्चिम बंगाल	66.06
	उप-जोड़ राज्य	45.62
	संघ राज्य क्षेत्र	6.25
	राष्ट्रीय औसत	45,51

के

क्रम सं०	परियोजना का नाम
1	2
	महाराष्ट्र
1.	भीमा

1	2
2.	जयकवाडी चरण-एक
3.	खडगवासला
4.	मूला
5.	वर्ना
	उड़ीसा
6.	महान्दी डेल्टा
	पंजाब
7.	चम्बल चरण-एक
8.	गुड़गाँव नहर
	उत्तर प्रदेश
9.	पूर्वी बेगुल जल शय
10.	गंडव
	पश्चिम बंगाल
11.	दामोदर घाटी निगम सिंचाई
12.	कंगसाबर्ती

बंगाल की खाड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

4119. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी, हां, । बंगाल की खाड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य किया जा रहा है ।

(ख) भारत में 57 बड़े वाणिज्यिक मत्स्यन जलयानों का एक बड़ा कार्य कर रहा है। जो अधिकांशत: विभाग में खड़े रहते हैं तथा बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ते हैं ।

दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों का गिराया जाना

4120. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों को गिराने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनमें रहने वालों को वैकल्पिक आवास दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो झुग्गी झोंपड़ियों को गिराये जाने के कारण दिल्ली में हेटमेंटों के कितने निवासियों ने इन्हें खाली कर दिया है और उनमें से कितने लोगों को अब तक वैकल्पिक आवास प्रदान किए जा चुके हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा स्थानीय निकायों द्वारा झुग्गी-झोंपड़ियों सहित अनधिकृत निर्माणों तथा अतिक्रमणों के विरुद्ध कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है।

(ख) सिद्धान्त रूप में यह सहमति दे दी गई है कि मार्च, 1977 में विद्यमान दिल्ली के अपशिष्ट पाकेटों में रह गए अनधिकारियों को पुनर्वास सुविधाएं मुहैया की जाए और उनके पुनर्वास के लिए एक पृथक योजना तैयार करने का प्रस्ताव है। यह सम्भव नहीं है कि भूमि तथा वित्त व्यवस्था के अभाव के कारण इस प्रकार की योजनाओं को अनिश्चित समय तक जारी रखा जाए।

(ग) पहले दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को लगभ 2 लाख प्लाटों एवं टेनामेंटों का आबंटन किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पिछले तीन महीनों के दौरान, 3,179 अतिक्रमणों। अनधिवासियों को हटाया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मई, जून और जुलाई, 1981 के दौरान पुनर्वास कालोनियों के 2466 पात्र व्यक्तियों को वैकल्पिक प्लाटों का आबंटन किया था।

दिल्ली में एक ही दुकान के लिए विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न नामों के लाइसेंस जारी किया जाना

1421. **श्री रामफल राही :**

श्री चतुर्भुं : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि एक ही दुकान के लिए राशन, घी और मिट्टी के तेल हेतु विभिन्न नामों के लाइसेंस जारी किए जाते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण हैं और विस्तृत ब्यौरा सहित ऐसी दुकानों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में, विशेषकर सर्किल संख्या 39 में आटे के मिल, गेहूं, राशन, मिट्टी के तेल और आटे के लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को दिए गए हैं जिनके पास किराएदार/मकान मालिक के रूप में दुकान नहीं है बल्कि उन्होंने जाली रसीदों पर दुकानें दिखाई हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ.) क्या खाद्य तथा आपूर्ति विभाग ने चीनी के उन व्यापारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए है जो किन्ही कारणों से कुछ समय तक अपना व्यापार नही चला सके और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, संबंधित कानूनी नियन्त्रण आदेशों के तहत एक ही दुकान को आम तौर पर राशन, घी तथा मिट्टी के तेल के लिए एक से अधिक लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं। तथापि, निम्नलिखित मामले में ऐसे लाइसेंस मण्डल संख्या 39 में मंजूर किये गये थे ;

श्री लखी राम को मैसर्स लखी राम सागर चन्द के नाम से सितम्बर 1965 में परिस संख्या 1/166, सदर बाजार, दिल्ली छावनी में अधिकृत राशन डिपू सख्या 2985 मंजूर किया गया था।

(ग) तथा (घ) यह प्रश्न कि क्या एक लाइसेंसधारी का दुकान पर कब्जा किरायेदार/मालिक के रूप में है या उसने जाली रसीद पर अपने को उस रूप में होने का दावा किया है, भूस्वामी तथा किरायेदार के बीच का मामला है। लाइसेंस वास्तविक कब्जे के आधार पर दिये जाते हैं। चूंकि संबन्धित कानूनी नियन्त्रण आदेशों के किसी उपबन्ध के उल्लंघन या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के कोई दृष्टांत दिल्ली प्रशासन की जानकारी में नहीं आये हैं, अतः उचित दर की दुकान के प्राधिकरण अथवा मिट्टी के तेल के लाइसेंस को रद्द करने की कोई कार्यवाही वैध नहीं होगी।

(ङ.) जी हां। दिल्ली प्रशासन द्वारा कई लाइसेंसों को रद्द करने के लिए कार्यवाही करना निम्नलिखित प्रमुख कारणों से वांछनीय समझा गया था—

(1) यह पाया गया था कि ये लाइसेंस केवल तभी सक्रीय होंगे जब चीनी की कमी होगी तथा उससे अनुचित लाभ होगा ; और

(2) ऐसे लाइसेंसों से सक्रिय लाइसेंसों पर उचित नियन्त्रण तथा निगरानी रखने के के कार्य में बाधा पड़ रही थी।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को सप्लाई किया गया खाद्यान्न

4122. श्री पी० नामग्याल : क्या ग्रामीण पुनिर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980–81 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर राज्य के विशेष सन्दर्भ सहित प्रत्येक राज्य को राज्य वार और वर्षवार कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किया गया ; और

(ख) काम के बदले अनाज कार्यक्रम के निदेशक, जिन्होंने जून, 1980 में जम्मू तथा

काश्मीर की यात्रा की थी, द्वारा निरीक्षण की गई सड़कों में से कितनी सड़कें पूरी हो गई हैं और कितने मामलों में भूमि वापस छीन ली गई है और इन सड़कों पर पुनः फसलें उगाई गई हैं।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के वर्षों के दौरान जम्मू तथा काश्मीर सहित राज्यों को सप्लाई किए गए खाद्यान्नों की राज्यवार तथा वर्षवार मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

1979-79 से 1980-81 के वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत सप्लाई किए गए खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण

(संशोधित)

हजार मीटरी टन में)

राज्य	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	103.4	242.8	139.1
असम	9.4	7.7	3.8
बिहार	160.3	311.1	158.9
गुजरात	15.0	6.2	—
हरियाणा	19.1	30.9	24.0
हिमाचल प्रदेश	1.6	29.0	21.0
जम्मू तथा काश्मीर	5.0	35.2	18.4
कर्नाटक	7.0	7.5	12.1
केरल	12.0	37.7	32.3
मध्य प्रदेश	123.9	184.8	177.3
महाराष्ट्र	58.6	91.7	38.6
मेघालय	—	—	0.5

1	2	3	4
नागालैंड	—	0.4	5.4
पंजाब	35.8	45.3	6.3
उड़ीसा	188.4	196.8	144.4
राजस्थान	247.4	273.3	169.7
त्रिपुरा	8.0	11.6	16.1
उत्तर प्रदेश	136.0	401.2	211.0
पश्चिम बंगाल	142.3	159.9	66.5
चंडीगढ़	—	—	—
तमिल नाडु	—	—	84.2
पांण्डिचेरी	—	—	0.2
मिजोरम	2	0.5	—
योग	1279.4	2073.6	1329.8

रेलवे प्राधिकारियों द्वारा पान के पत्तों की बुकिंग न किया जाना

4123. **श्री हन्नान मोल्लाह** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस का पता है कि पश्चिम बंगाल में लगभग दस लाख परिवारों की एक मात्र आजीविका पान के पत्ते उगाना है ;

(ख) क्या यह सच है कि बंगाल के पान पत्तों का 80 प्रतिशत अंश पश्चिम बंगाल के बाहर अन्य राज्यों को भेजा जाता है ;

(ग) क्या उन्हें पता है कि गत एक वर्ष के दौरान रेलवे प्राधिकारी विभिन्न रेलवे स्टेशनों में पान के पत्तों की बुकिंग नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार वे इसकी समस्त खेती नष्ट कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या वह रेलवे मन्त्रालय के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श करेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि 1976 में दिये गये सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल में डेढ़ लाख परिवार पान केपत्तों की खेती में लगे हुए थे।

(ख) पश्चिम बंगाल में पैदा किये जाने वाले पान के पत्तों का लगभग 70-75 प्रतिशत भाग अन्य राज्यों को भेजा जाता है।

(ग) रेलवे बोर्ड ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल से पान के पत्ते भेजे जाने के लिए बुकिंग की जाती है। मूचेड़ा, पशुरा, खड़गपुर तथा बेगनान से तीन पार्सल डिब्बे लगाये जाते है। हावड़ा तथा सीरमपुर स्टेशनों से चार मेल एक्सप्रेस गाड़ियों से पान के पत्तों की नियमित आधार पर ढुलाई की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

ख दी ग्रामोद्योग भवनन, नई दिल्ली रोजगार केन्द्रों के माध्यम से की गई नियुक्तियां

4124. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः वर्षों के दौरान एक सरकारी संगठन खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में कितने व्यक्तियों को किन-किन पदों पर और किन-किन ग्रेडों में रोजगार केन्द्र के माध्यम से नियुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अपने इस संगठन को रोजगार केन्द्र के माध्यम से स्थाई या अस्थाई पदों पर भर्ती करने के अनुदेश देने का है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कु० कमला कुमारी) (क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के विभागीय व्यापार केन्द्रों में से एक है जो एक स्वायत्तशासी संगठन है। गत छः वर्षों के दौरान के भवन द्वारा रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या उनके पदों तथा ग्रेडों सहित नीचे दर्शायी गई है।

पद का नाम	ग्रेड	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
अवर श्रेणी लिपिक	260-400 रुपये	1
चौकीदार	196-232 रुपये	1

उपर्युक्त के अलावा, दो अभ्यर्थियों जिनके नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे, को भी निम्नलिखित पदों तथा ग्रेडों में नियुक्त किया गया है :—

पद का नाम	ग्रेड	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
अवर श्रेणी लिपिक	260-400 रुपये	1
चपरासी	196-232 रुपये	1

(ख) इस मामले में आयोग के साथ-पत्राचार चल रहा है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित व्यक्तियों में से विभिन्न पदों पर भर्ती करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की अनुपालना करनी चाहिये।

राज्यों में फसल बीमा योजना

4125. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों की फसल बीमा योजना लागू करने को कहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) जिन राज्यों में अभी फसल बीमा योजना लागू कर दी है, उनके नाम क्या है ;

(घ) क्या इस योजना से किसानों को हुए लाभ और प्राप्त परिणामों के बारे में जिन राज्यों में यह योजना लागू है उनकी सरकारों द्वारा किए गए मूल्यांकन की कोई रिपोर्ट मिली है ;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(च) इस योजना के अन्तर्गत मुख्य फसलें कौन सी हैं ;

(छ) प्रत्येक राज्य को आबंटित केन्द्रीय सहायता की राशि कितनी है, लाभ और हानि सहित कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ज) प्रत्येक राज्य में इस योजना से कितने किसानों को लाभ हुआ ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) भारतीय सामान्य बीमा निगम ने भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के परामर्श से क्षेत्रीय दृष्टि पर आधारित एक मार्गदर्शी फसल बीमा योजना बनाई है। योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण 1 में दी गई हैं। भारत सरकार ने 1979 में सभी राज्य सरकारों से इसकी सिफारिश की थी कि वे इस योजना को क्रियान्वित करें।

(ग) अभी तक चार राज्य सरकारी अर्थात्, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल ने यह योजना कार्यान्वित की है। नौ और राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ने 1981-82 के दौरान इस योजना को चलाने क निर्णय किया है।

(घ) तथा (ङ) योजना के परिणामों का मूल्यांकन करना अभी संभव नहीं है।

(च) इस योजना के अन्तर्गत आने वाली प्रमुख फसलें कपास, मूंगफली तथा धान हैं।

(छ) तथा (ज) इस योजना के अन्तर्गत राज्यों को कोई विशिष्ठ केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है। 1979-80 तथा 1980-81 दौरान फसल बीमा के अन्तर्गत आने वाले किसानों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण—1

विद्यमान फसल बीमा योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित है :=

(1) **जोखिम से बचाव की व्यवस्था** :—योजना में बहु-जोखिम से बचाव की व्यवस्था है, अर्थात (क) सूखा, बाढ़, तुसार तथा चक्रवात जैसे मौसमीय जोखिमों, (ख) कीटों के संक्रमण, (ग) पौध रोगों तथा (घ) बलवे व हड़तालों के कारण उत्पादन में अपरिहार्य नुकसान के जोखिम से बचाव।

(2) **योजना की प्रक्रिया** : मार्गदर्शी योजना के तहत्, फसल बीमा योजना को ऋण संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले अल्प-कालीन कृषि ऋणों से जोड़ा जाता है, ताकि प्रीमियम तथा क्षतिपूर्ति को एकत्र करने में सहायता मिल सके। फसल बीमा पालिसी सामान्य बीमा निगम द्वारा फसल ऋण देने वाली संस्थाओं को जारी की जाती है। सामान्य बीमा निगम प्रत्यक्ष रूप से कृषकों से कोई संबंध नहीं रखता है। वित्तीय संस्थाएं सामान्य बीमा निगम को प्रीमियम देने तथा सामान्य बीमा निगम द्वारा किए जाने वाले दावों की पूर्ति के लिए भी उत्तरदाई है। हानि का एक भाग, अर्थात् गैर-क्षतिपूर्ति सीमा को कृषक द्वारा स्वयं वहन करना पड़ेगा। मार्गदर्शी योजना के तहत सामान्य बीमा निगम ने प्रति कृषक बीमा के लिए 2,000 रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की है।

(3) **क्षेत्रों का चयन** : योजना के प्रचालन के लिए क्षेत्रों का चयन सामान्य बीमा निगम द्वारा राज्य सरकारों के विचार-विमर्श से किया जाता है। मार्गदशी योजना केवल उन्हीं क्षेत्रों में चलाई जाती है जहां गैर-क्षतिपूर्ति सीमा 30 प्रतिशत से कम है तथा प्रीमियम दर 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। चुनींदा फसलों के लिये क्षतिपूर्ति सहित प्रीमियम दर चुनींदा क्षेत्रों के लिए प्रत्येक आधाभूत एकक के भीतर प्रत्येक कर्जदार की वास्तविक उपज पर ध्यान दिए बिना बीमा किए गए सभी कृषकों के लिए एक समान है।

(4) **प्रीमियम तथा क्षतिपूर्ति का आधार** :

(क) प्रत्येक चुनींदा क्षेत्रों में प्रत्येक चुनींदा फसल तथा मौसम के लिए प्रीमियम तथा क्षतिपूर्ति की दरे पिछले दस वर्षों की फसल कटाई के प्रयोगों के आधार पर निर्धारित की जाती है। बीमा योजना में फसल की हानि होने पर शत-प्रतिशत क्षति-पूर्ति करने की व्यवस्था नहीं है तथा किसानों को भी इस हानि का एक भाग वहन करना पड़ता हैं। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल के संबंध में फसल कटाई के आँकड़ों के आधार पर की गई गणना से पता चला है कि फसलों की हानि के संबंध में पूर्ण क्षतिपूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कहीं भी 30 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा जिस दर पर कृषक प्रीमियम नहीं दे सकते हैं अत: प्रीमियम तथा क्षतिपूर्ति तालिका कृषकों द्वारा हानि वहन किए जाने वाले भाग के आधार पर तैयार की गई हैं जिसे गैर-क्षतिपूर्ति स्तर कहा जाता है, जो 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है। इस आधार पर कई ऐसे क्षेत्र होगे, जहां प्रीमियम दर 5 प्रतिशत तक होगी तथा कई अन्य

ऐसे क्षेत्र होगें, जहाँ प्रीमियम दर बीमा की जाने वाली राशि का 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक होगी। फसल बीमा के प्रचालन के पूर्व प्राप्त अनुभव तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण पर आधारित 10 वर्ष की फसल उपज आंकड़ों से पता चला हैं कि 5-10 प्रतिशत प्रीमियम, देय क्षतिपूर्ति की प्रभाव सीमा के लिए पर्याप्त होगा। प्रथम चरण में मार्गदर्शी योजना के लिए केवल ऐसे क्षेत्र चुनने का प्रस्ताव है, जहां गैर-क्षतिपूर्ति सीमा 30 प्रतिशत से अधिक न हो।

(स) **क्षतिपूर्ति के आधार** : देय क्षतिपूर्ति बीमा की गई राशि अनुपात में वहन की जायेगी, जिससे उपज में हुई कमी के लिए की जाने वाली क्षतिपूर्ति (फसल कटाई के अनुसार वास्तविक उपज को घटाकर क्षतिपूर्ति की जाने वाली अधिकमम सीमा) क्षतिपूर्ति की जाने वाली अधिकतम सीमा तक वहन की जाती है। किसी किसान को क्षतिपूर्ति की अदायगी तभी करनी होती है जब बीमा किए गए क्षेत्र में पैदावार में आने वाली गिरावट क्षतिपूर्ति न की जाने वाली सम्बंद्ध सीमा से अधिक होती है।

(5) **राज्य तथा केन्द्र सरकार की भूमिका** : राज्य सरकार सामान्य बीमा निगम के साथ सह-बीमाकर्ता है तथा 25 प्रतिशत तक प्रीमियम और क्षतिपूर्ति का शेयर करती है। वे फसल कटाई के प्रयोगों के माध्यम से फसल उपज के आंकलन के लिए प्रबन्ध करने के लिए भी उत्तरदायी है। भारत सरकार गहन ग्राम विकास, लघु कृषक आदि विशेष कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में तथा सीमान्त किसानों द्वारा देय प्रीमियम पर 25 प्रतिशत तक राज्य सहायता देने को सहमत हो गई है और राज्य सरकारें 25 प्रतिशत का अन्य भाग वहन कर रही है।

विवरण 2

1979-80 तथा 1980-81 के दौरान फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाए गए किसानों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	बीमा के अंतर्गत लिए गए किसानों की संख्या	
		1979-80	1980-81
1.	गुजरात	1,057	1,487
2.	तमिलनाडु	6,965	4,040
3.	पश्चिम बंगाल	8,246	17,915

छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन और मांग

4126. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेडिशियन और छटे रेशे वाली कपास का कुल उत्पादन और वार्षिक मांग क्या है ; और

(ख) देश में इस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1978-79 के लिए उपलब्ध पूर्ण आंकड़ों से पता चलता है कि उस वर्ष 15.7 लाख गांठ छोटे तथा मध्यम रेशे वाली कपास का संयुक्त उत्पादन हुआ था तथा इन किस्मों की 15.4 लाख गांठों की खपत हुई थी, जिसमें कारखानों में हुई खपत भी शामिल हैं।

(ख) कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सघन कपास विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत अपनाई जा रही प्रमुख नीति में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) वर्षा सिंचित और सुव्यवस्थित सिंचित, दोनों क्षेत्रों में उन्नत टैक्नालोजी का तेजी से प्रसार करना,

(2) विशेष रूप से सिंचाई परियोजनाओं के कमान में सिंचित कपास के तहत अतिरिक्त क्षेत्र लाना,

(3) अधिक उपज देने वाली संकर कपास के अन्तर्गत अधिकतम क्षमता तक क्षेत्र का विस्तार करना।

देश में ब्लाक स्तर से सम्पूर्ण रोजगार योजना

4127. **श्री एन० ई० होरो :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ब्लाक स्तर से सम्पूर्ण रोजगार की एक नई योजना चलाने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए चुने गये ब्लाकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस कार्यक्रम और इस बारे में अब तक की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) "ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार की नीति" से संबंधित हाल ही में हुए सम्मेलन की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। रोजगार सृजन की योजनाएं देश के सभी खण्डों में पहले ही कार्यान्वित की जा रही हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य लघु, सीमान्त किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों आदि के लक्षित वर्गों के आय स्तरों में वृद्धि करना है। अब इस

कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी 5011 विकास खण्डों में कर दिया गया है। प्रतिवर्ष प्रतिखण्ड में 600 परिवारों को लिए जाने का लक्ष्य है। इनमें से, 400 परिवारों को कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों, 100 परिवारों को ग्रामोद्योगों तथा अन्य 100 परिवारों को ग्रामीण सेवाओं, व्यापार उद्यमों आदि के माध्यम से अन्तर्गत लाया जाएगा। इस कार्यक्रम के शुरु से लेकर मार्च, 1981 तक कुल 1,28,41,044 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया था।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ने अक्तूबर, 1980 से काम के बदले अनाज कार्यक्रम का स्थान ले लिया है। इसका उद्देश्य रोजगार के अवसरों, सामुदायिक स्थायी परिसम्पत्तियों आदि का सृजन करना है। 1980-81 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2403.79 लाख श्रमदिनों का रोजगार सृजित किया गया।

ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम) 15 अगस्त, 1979 से शुरु की गई थी जिसका प्रमुख उद्देश्य युवकों में बेरोजगारी को दूर करना है। योजना में मुख्य बल ग्रामीण युवकों को कुशलताओं तथा प्रौद्योगिकी से सज्जित करने पर दिया जाता है ताकि वे स्वरोजगार के व्यवसायों में लग सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कुशलताओं में प्रतिवर्ष लक्षित वर्ग में से लगभग 2 लाख युवकों को प्रशिक्षित करने की योजना है। संस्थागत प्रशिक्षण के अलावा, स्थानीय सेवाई तथा औद्योगिक यूनिटों, मास्टर शिल्पियों तथा ख्यातिप्राप्त कारीगरों के माध्यम से भी प्रशिक्षण दिया जाता है। 1980-81 के दौरान योजना के अन्तर्गत कुल 1,03,124 व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए थे तथा 31,295 व्यक्तियों को स्वनियोजित किया गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी लागत पर अधिक रोजगार सृजित करने की अतीव क्षमता को देखते हुए खादी तथा ग्रामोद्योगों का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। खादी तथा ग्रामोद्योग अधिकांश ग्रामीण लोगों को उनके निवास स्थान पर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। अनुमान है कि 1980-81 के दौरान 30.61 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुलभ किया गया।

इन्द्रप्रस्थ स्टेट दिल्ली में इन्डोर स्टेडियम

4128. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्द्रप्रस्थ इस्टेट दिल्ली में इन्डोर स्टेडियम के निर्माण का ठेका किसी को नहीं दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी का कारण क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, हां, निविदायें प्राप्त हो गई है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

एन० सी० सी० एफ० को घाटा

4129. श्री दयाराम शाक्य : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 81 के दौरान एन.सी. सी. एफ. को व्यापार में कितना नुकसान हुआ और तत्सम्बन्धी कारण क्या है; और

(ख) एन. सी. सी. एफ. को व्यापार-वार कितना नुकसान हुआ तत्ससंबंधी कारण क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब्रजमोहन मंहती : (क) व (ख) :

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, लिमिटेड को अन्तिम लेखाओं के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान व्यापार में कुल मिलाकर कोई घाटा नहीं हुआ है। तथापि, उसे व्यापार-वार आयतित वस्तुओं के मामले में केवल 86.000/- रुपये का घाटा हुआ है। यह इस कारण हुआ कि पिछले वर्ष के 25.08 लाख रुपए के बकाया माल में उसे लम्बे समय तक भंडार करने की वजह से मामूली सी खराबी आ गयी थी। इसलिए इनमें से कुछ माल को उनकी लागत से कम मूल्यों पर बेचना पड़ा था।

सोयाबीन का विकास

4130. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने सोयाबीन में पाए जाने वाले अधिक पोषक तत्वों की दृष्टि से उसके विकास तथा उसके विभिन्न रूपों जैसे सोयाबीन का आटा तथा सोयाबीन के फलेक्स को देश में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : सोयाबीन के विकास से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, मुख्य रूप से, मध्य-प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में सोयाबीन के विकास के लिए उपाय किए गए हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं।—

(1) 1980-81 के दौरान लगभग 6 लाख हैक्टार क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का विस्तार।

(2) उन्नत बीजों एवं अन्य उन्नत पैकेज पद्धतियों का उपयोग

(3) नई किस्मों के बीजों वाले मिनिकिटों, जो आधे हैक्टार के लिए पर्याप्त हों, का निशुल्क वितरण।

(4) खेती की वैधानिक पद्धतियों को अपनाने को प्रचलित करने के लिए कृषकों के खेतों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन।

मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए सोयाबीन के उत्पादन के एक विशेष कार्यक्रम को

मंजूरी दी गई है। इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य है कि 1985-86 तक इस फसल का क्षेत्र बढ़ाकर 18 लाख हैक्टार क्षेत्र है। पांच वर्ष (1981-86) की अवधि के दौरान इस योजना पर व्यय होने वाली समूची 15 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इससे 1985-86 में सोयाबीन का उत्पादन 14.40 लाख मीटरी टन तक होने की संभावना है, जिससे देश में खाद्य तेलों की सप्लाई में पर्याप्त योगदान होगा। इस कार्यक्रम में उन्नत बीजों की सप्लाई, रिजोबियन की खेती, पौध रक्षण उपकरणों, कीटनाशियों, खरपतवार नाशियों की सप्लाई, पैकेज पद्धतियों के प्रदर्शन, किसानों को प्रशिक्षण देने आदि की व्यवस्था है।

सरकार सोयाबीन के लिए समर्थन मूल्यों की घोषणा करती रही है तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को समर्थन मूल्य सम्बन्धी कार्य सौंपे गए हैं।

देश में सोयाबीन के उपयोग को विभिन्न रूपों में प्रचलित करने लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) सोया परिसंस्करण के लिए मार्गदर्शी संयत्र की स्थापना हेतु गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं तकनोलोजी विश्वविद्यालय, पंत नगर को वित्तीय सहायता दी गई है। यह मार्गदर्शी संयत्र खाद्य तकनोलौली विकास की स्थापना के लिये एक केन्द्रक के रूप में कार्य करेगा।

(2) सोयाबीन के उत्पादन कार्यक्रम के अनुकूल समेकित दृष्टिकोण के साथ पर्याप्त परिसस्करण की सुविधाओं की स्थापना के उद्देश्य के लिए मूल रूप से तैयार की गई एक प्लान योजना को छठी योजनावधि में शामिल किया गया है। सीधी खपत के लिए संसाधित सोयाबीन तेल के अतिरिक्त, विनिर्माण के लिए प्रस्तावित मदों में खाद्य सोया आटा, तैयार सोया प्रोटीन, सोया दूध, आदि शामिल हैं।

(3) परिसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के विभिन्न पहलुओं की देखभाल करने के लिए एक उच्चस्तरीय अंत मंत्रालय सोयाबीन समन्वय समिति का गठन किया है, जो सभी प्रकार की उत्पाद संभाव्यताओं, जैसे परिस्कृत सोयाबीन तेल, सोया-चूर्ण को और अधिक परिस्कृत करके सोया खाद्य पदार्थ बनाने संबंधी कार्यों की निगरानी करेगा।

(4) सोयाबीन के उद्योग को सर्वश्रेष्ठ उद्योग का दर्जा दिया गया है, ताकि एम. आर. टी. पी. जैसे बड़े घराने इसमें भाग ले सकें।

देसी नौकाओं का यन्त्रीकरण

4131. श्री ए० नीलालोहिथ दसन नाडार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पकड़ने वाली कितनी देशी नौकाओं का यन्त्रीकरण किया जा चुका है; और

(ख) क्या यह सच है कि मछली पकड़ने वाली देशी नौकाओं के यन्त्रीकरण कार्यक्रम प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किए गए थे।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश की मछली पकड़ने वाली नौकायें मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों के अन्तर्गत आती हैं :

(1) कोरोमण्डल तट केटामेरेन,

(2) डगआउट कानूस;

(3) तख्ती की बनी नौकायें;

(4) बड़े आकार की देशी नौकायें।

प्रयोग के तौर पर कानूस और केटामोरेन तथा यन्त्रीकरण आउट-बोर्ड मोटरों के साथ किया गया है। गुजरात तथा महाराष्ट्र में तख्ती से बनी नौकाओं का यन्त्रीकरण मुख्य रूप से इन बोर्ड तथा आउट-बोर्ड इन्जिनों के साथ किया गया है। इन क्षेत्रों में कुछ सौ नौकाओं का यन्त्रीकरण किया गया।

1977 की पशु संगणना के अनुसार समुद्र तटवर्ती राज्यों में देशी नौकाओं की कुल अनुमानित संख्या 1.35 लाख है। यन्त्रीकृत जलपोतों की कुल अनुमानित संख्या 16.100 है। तथापि, यन्त्रीकृत की गई देशी नौकाओं की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां।

अवैध रूप से पेड़ काटने पर प्रतिबंध

4132. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अवैध रूप से पेड़ काटने का कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है;

(ख) क्या प्राधिकारियों की पूर्वानुमति के बिना देश में पेड़ काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वमीनाथन) : (क) कहीं-कहीं गैर कानूनी ढंग से पेड़ों की कटाई होती ही रहती है, लेकिन उसे देश में आनियंत्रित कटाई की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

(ख) सरकारी पेड़ों को और कुछ मामलों में निजी पेड़ों को भी काटने के लिए सक्षम प्राधिकारियों से पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता होती है। सभी मामलों में लोगों के निजी पेड़ों को काटने पर भी समान नियंत्रण लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) इस स्थिति में प्रश्न ही नहीं होता।

मैसर्स विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड, मरखुआ (गोपालगंज) बिहार की लाइसेन्स तथा अधिष्ठापित क्षमता

4133. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड, मरखुआ (गोपालगंज) बिहार के प्रबन्धकों ने 1979-80 के मौसम के दौरान मिल की लाइसेन्सशुदा और अधिष्ठापित क्षमता के गलत आंकड़ों को दिखाकर बैंक गारण्टी पर 'लेवी' चीनी पर 25 रुपए प्रति क्विंटल की राशि निकाली थी और अधिक ली गई इस राशि के लिए बैंक गारण्टी वस्तुतः प्रस्तुत नहीं की गई थी और;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई इस धोखाधड़ी के लिए प्रबन्धकों के खिलाफ़ सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : 1979-80 मौसम की लेवी चीनी के लिए उत्तरी बिहार जोन, जिसमें विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेट स्थित है, सहित किसी एक में स्थित सभी चीनी यूनिटों के लिए एक ही मूल्य निर्धारित किया गया है। मिलों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर मूल्य निर्धारण आदेश की वैधता को मुख्यतया इस आधार पर चुनौती दी थी कि मूल्य अनुचित और एकतरफा था। उच्च न्यायालय ने अन्तरिम रोक आदेक पारित कर दिया था जिसमें मिलों को अधिसूचित मूल्य के अलावा 59.92 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की थी बशर्ते कि वे मूल्यान्तर राशि के लिए प्रत्येक मास अलाटी को बैंक गारण्टी दें। बताया जाता है कि चीनी मिलों ने भारतीय खाद्य निगम को आवश्यक बैंक गारण्टियां सुलभ कर दी है।

(2) यह मानते हुए कि कमजोर फैक्ट्रियों की लाइसेंसशूदा क्षमता 1219 टी.सी.डी. थी, उनके लिए 26) रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लेवी मूल्य के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश की अनुसूची-6 के अधीन इस फैक्ट्री को कुछ समय के लिए रखा गया था। बाद में जाँच करने पर यह पाया गया कि फैक्ट्री ने उदार लाइसेंसिंग नीति के अधीन अपनी पिराई क्षमता को 1500 टी.सी.डी. तक बढ़ा लिया था। अतः इस फैक्ट्री के नाम को संगत लेवी मूल्य आदेश की अनुसूची-6 से निकाल दिया गया था और इसे चीनी (1980-81 उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1980 की अनुसूची-5 में डाल दिया गया था जिससे इस फैक्ट्री की चीनी मौसम 1980-81 के लिए 26) प्रति क्विंटल की अधिक लेवी मूल्य की हकदारी को समाप्त कर दिया गया था। इस चीनी फैक्ट्री ने सरकार द्वारा उसे अनुसूची-5 में रखने विषयक जारी किये गए आदेश के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिक दायर कर दी थी। उच्च न्यायालय ने फैक्ट्री की याचिका पर अंतिम निर्णय होने तक फैक्ट्री को 26 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त लेवी

मूल्य प्राप्त करने की इजाजत देते हुए अन्तरिम रोक आदेश पारित कर दिया था लेकिन बैंको गारण्टी देने के कोई निदेश नहीं दिए गएथे । रिट याचिका को खारिज करने और रोक आदेश को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन पत्र दायर कर दिया गया है ।

3. मिल की दोनों रिट याचिकाएं कलकत्ता उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ी हैं।

अनुमोदन हेतु पड़ी कर्नाटक की सिंचाई योजनाएं

4134. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक की कौन-सी विभिन्न सिंचाई योजनाएं भारत सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) इन योजनाओं को कब तक अनुमोदन किए जाने की सम्भावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी : (क) केन्द्रीय जल आयोग में स्वीकृति के लिए प्राप्त कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाओं तथा उनकी जांच की वर्तमान स्थिति को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) कावेरी वेसिन की परियोजनाओं को कावेरी विवाद के तय हो जाने पर ही स्वीकृति दी जा सकती है । शेष परियोजनाओं को उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के सिद्ध हो जाने और लागत/लाभ के निश्चित हो जाने पर ही स्वीकृति दी जा सकती है ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति/अनुमोदित होने के कारण
1	2	3
1.	हेमवती	कावेरी जल के बारे में करार न किए जाने के कारण लम्बित पड़ी हुई है ।
2.	काबिनो	तदेव
3.	होसपटना लिफ्ट	तदेव
4.	हरंगी	तदेव
5.	यागचो	तदेव
6.	के० आर० सागर दक्षिण तट नहर चरण-एक (विस्तार)	तदेव

1	2	3
7.	स्वर्णतो	तदैव
8.	अकरावतो	तदैव
9.	कुदेरगुंडिहाला	तदैव
10.	चिकलोहोल	तदैव
11.	उदुथोरेहाला	तदैव
12.	इग्गात्यूर	तदैव
13.	चंगावाड़ी	तदैव
14.	वोतहोल	तदैव
15.	भीमा लिफ्ट सिंचाई	राज्य सरकार को सितम्बर, 1979 में टिप्पणियां भेजी गई हैं। उत्तर की प्रतीक्षा है।
16.	करंजा	इस परियोजना के बारे में अप्रैल 1981 में राज्य के इन्जीनियरों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन करने के पश्चात् राज्य सरकार से अभी संशोधित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
17.	रामथल लिफ्ट सिंचाई	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जुलाई 1981 में मांगे गए स्पष्टीकरणों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।
18.	वेन्नोथोरा	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मई, 1981 में मांगे गए स्पष्टीकरणों की राज्य सरकार से प्रतीक्षा है।
19.	तुंगभद्रा परियोजना की वर्तमान सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	राज्य सरकार से, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा फरवरी, 1979 में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, स्कीम को आशोधित करने के लिया कहा गया है।

1	2	3
20.	वराही परियोजना	विद्युत संघटक को शामिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा परियोजना का आशोधन किया जा रहा है।

सोशल फारेस्टरी प्रोग्राम की निर्धारित धनराशि

4135. **श्री एन० ई० हीरो** : क्या कृषि मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में 'सोशल फारेस्टरी प्रोग्राम' के लिए कुछ धनराशि निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, विहार राज्य के उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिनमें 'सोशल फारेस्टरी प्रोग्राम' लागू किया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) जी, हाँ।

(ख) इस कार्यम के तहत बिहार के आठ जिले अर्थात् संथाल परगना, भागलपुर, गया, नालन्दा, गिरिडीह, धनवाद, औरंगाबाद तथा हजारीबाग आते है।

राज्यों की आवास समस्या के संबंध नीति निदेश और सहायता

4136. **श्री चितामण जैना** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने राज्यों की आवास समस्या को हल करने के विचार से पिछले 6 महीनों में किन्हीं राज्यों को नीति निदेश दिये हैं और कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) उड़ीसा राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) पिछले छः महीनों के दौरान राज्यों को कोई मार्ग निर्देशन जारी नहीं किये गए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1969 से) के प्रारम्भ से आवास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता जोकि राज्यों के योजना-परिव्ययों के एक अंग के रूप में होती है "समेकित ऋणों" और 'समेकित अनुदानों, के के रूप में दी जाती है जो किसी विशिष्टि योजना या विकास शीर्ष से सम्बन्धित नहीं होती। राज्य सरकारें अपनी जरूरतों और अग्रताओं के अनुसार बहुत सी आवासीय योजनाओं के लिए निधियाँ निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं।

(ख) छठी योजना के दौरान उड़ीसा राज्य को आवास के लिए अनुमोदित परिव्यय 21

करोड़ रुपये है तथा वार्षिक योजना (1981-82) के लिए अनुमोदित परिव्यय 427 करोड़ रुपये है। योजना परिव्यय के अतिरिक्त उड़ीसा राज्य सरकार को जीवन बीमा निगम के ऋण का नियतन वर्ष 1980-81 के लिए 2.64 करोड़ रुपये है। इसके अलावा हुडकों ने 18 करोड़ ऋण बचन बद्धता के साथ 40 आवासीय योजनाओं की दूरी दी है। हुडकों की इन योजनाओं के पूर्ण होने पर 12704 रिहायशी एकक, 246 गैर रिहायशी भवन उपलब्ध हो जायेगी और 791 प्लाटों का विकास हो जायेगा।

दिल्ली में भूमि पर अवैध कब्जा

4137. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भूमि पर अवैध कब्जा करना अभी जारी है ;

(ख) यदि हां, तो किन कालोनियों में अवैधकब्जे किए गए हैं और क्या सरकार को इन अवैध कब्जों की जानकारी है ; और

(ग) ऐसे अवैध कब्जों के सम्बन्ध में सरकार का क्या रवैया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

4138. **श्री निहालसिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदा निदेशालय द्वारा दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को इस समय टाइम-वार कितने क्वार्टर आवटित करता है ; और

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन स्वयं अपने क्वार्टर बनाता है तथा उन्हें अपने कर्मचारियों को आवटित किए हुए है ; और

(ग) यदि हां, तो उनको केन्द्रीय सरकार के कोटे से क्वार्टर आवटित करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, हाँ।

(ग) दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को तब तक के लिए सामान्य पूल वास का पात्र बनाया गया है जब तक कि उनके पूल में परितुष्टि की प्रतिशतता सामान्य पूल के मुकाबले कम है।

दिल्ली में सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा

4139. श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्मित क्वार्टरों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह के क्वार्टरों की टाइप-वार संख्या कितनी है और वे किन-स्थानों पर है तथा उनके नाम तथा कब्जे आदि का ब्यौरा क्या है तथा उन पर किन लोगों ने अवैध कब्जा किया है ; और

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी

4140. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तेलों के उत्पादन में प्रत्येक राज्य में जनवरी से अगस्त 1981 के दौरान कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में खाद्य तेलों के उत्पादन में महीने-वार कितनी कमी या वृद्धि हुई है ; और

(ग) उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं ; और

(घ) देश में खाद्य तेलों के उत्पादन और वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) : खाद्य तेलों के उत्पादन के आंकड़े राज्यवार अथवा मासवार नहीं रखे जा रहे हैं। तेल वर्ष 1979-80 (नवम्बर, 1979 से अक्टूबर, 1980) के दौरान खाद्य तेलों का कुल उत्पादन 24.40 लाख मीटरी टन के लगभग होने का अनुमान है, जबकि तेल वर्ष 1980-81 (नवम्बर, 1980 अक्टूबर, 1981) में लगभग 25.00 लाख मीटरी टन का अन्तिम उत्पादन होने का अनुमान है।

(ग) ऊपर दी गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) देश में खाद्य तेलों के उत्पादन और वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार

राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना/काम के बदले अनाज कार्यक्रम

4169. **श्री बुद्धि जैन** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने स्कूल, भवनों और पंचायत केन्द्रों का निर्माण किया गया, कितनी सड़कें बनाई गई और कितनी भूमि संरक्षण, बाढ़ से बचाव और पेड़ लगाए गए ; और

(ख) 1980-81 के दौरान कितने लाख जन-दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया था और 1981-82 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कितने जन-दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध किया जायेगा और उस पर कितना व्यय किए जाने का विचार है,

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक सृजित विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण (1) संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिए संख्या एल.टी. 2822/81]

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत, अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार सृजित रोजगार को श्रम दिनों में दर्शाने वाला एक और विवरण (2) भी संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिए संख्या एल.टी. 2822/81] वर्ष 1981-82 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत 350 मिलियन श्रम दिनों के लिए रोजगार सृजित किए जाने का अनुमान लगाया गया है और इस पर कुल अनुमानित लागत 360 करोड़ रुपये आयेगी। इस लागत केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

वसन्त विहार, नई दिल्ली में भूमि के एक प्लाट पर निर्माण

4170. **श्री केशवरावं पारधी :**
श्री मूल चन्द डागा :
श्री हीरा लाल आर० पटेल :
श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री बसन्त विहार में ए16/10 नम्बर के प्लाट पर भवन के निर्माण के बारे में 6 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6456 के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्राधिकरण ने उप उप पट्टे को किस तारीख को रद्द किया और प्लाट नम्बर ए-16/10 वसन्त विहार स्वामी को उक्त भवन के निर्माण में किए गए परिवर्तन में आवश्यक सुधार के लिए सलाह दी थी ;

(ख) क्या प्लाट नम्बर ए 16/10 के स्वामी से अब तक आवश्यक सुधार कर लिए हैं ;

(ग) यदि नहीं तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है, कब और कितने समय में ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त भवन में आवश्यक सुधार करवाने में दिल्ली विकास

प्राधिकरण की असफलता के कारण उक्त प्लाट के साथ के प्लाट नम्बर ए-16/19 वसन्त विहार में निर्णय कार्य मार्च, 1975 से रुका पड़ा है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो प्लाट नम्बर ए-16/10 वसन्त विहार के स्वामी को हो रही परेशानियां दूर करने लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी आवासों के आवंटन में जनरल पूल और और अन्य पूल में अन्तर

4171. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री चिन्तामणि जैना : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवासों के आवंटन के मामले में अन्य पूल और जनरल पूल बराबरी पर हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो जनरल पूल तथा अन्य पूलों में अन्तर का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सब मामलों में नहीं।

(ख) सामान्य पूल और अन्य पूलों के बीच अन्तर मुख्यतया किराया मुक्त आवास का आवंटन, आवश्यक सेवाओं का अरक्षण तथा मृत/से निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों आदि के आश्रितों को आवंटन करने से सम्बन्धित है।

(ग) संबधित विभागों ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए आवंटन के लिए अपने स्वयं के नियम बनाए है ।

खुदरा व्यापारियों द्वारा चीनी तथा तेल की बिक्री के लिए शर्तें

4172. **मूल चन्द डागा** : नागरिक आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) केन्द्र शासित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में खुदरा व्यापरियों या कोआपरेटिव सोसाइटियों को बिक्री के लिए चीनी तथा मिट्टी का तेल किन शर्तों पर दिया जाता है तथा एक बोरी चीनी और एक कनस्तर तेल पर उन्हें कितना लाभ अर्जित करने की अनुमति है ; और

(ख) क्या सरकार इसे संभव मानती है कि व्यापारी या कोआपरेटिव सोसाइटियां इतने कम लाभ पर यह कार्य ईमानदारी से करेंगे ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री अजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

से भूमि तक कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना, प्रचालन अनुसंधान परियोजना, व्यावसायिक कृषकों का प्रशिक्षण तथा आहार बागानों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि तथा ग्रामीण विकास की आधुनिक प्रौद्योगिकी का समग्र प्रचार कर रहा है।

कृषकों को कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों, युवक मण्डलों, महिला मण्डलों, चर्खा मण्डलों आदि के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। शिल्पकारों को खादी तथा ग्राम उद्योग एजेंसियों द्वारा आयोजित "सरअंजाम" सम्मेलन के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) ब्लाक मुख्यालय या आन्तरिक ग्रामों में समय समय पर ऐसे कैम्पों का आयोजन किया जाता है। विषय वस्तु विशेषज्ञ पैकेज पद्तियों, उन्नत उपकरणों तथा अन्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में किसानों से बातचीत करते हैं। प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है।

सरकारी आवास

4143. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जैड० क्षेत्र में बनाए गए सी-टाईप के नये क्वार्टर घटिया स्तर के हैं, और यहां तक की उस क्षेत्र में और अन्यत्र बने बी-टाइप के क्वार्टरों से छोटे है और यदि हां, तो इनके आच्छादित क्षेत्र (कवर्ड एरिया) का तुलानात्मक ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या टाइप सी में एक कमरा, एक कामन रूम और छोटी बालकोनियां हैं जबकि टाइप-बी में दो कमरे एक कामन रूम और बड़ी बालकोनियां हैं, यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार का विचार टाईप-सी क्वार्टरों को टाईप-बी घोषित करने का है, यदि नहीं, इनके क्या कारण हैं, और यदि हां तो कब से ;

(घ) यदि इन्हें टाइप बी घोषित किया जाता है तो स्टैंड किराया और पानी का प्रभार क्या होगा ; और

(ड.) क्या जिन कर्मचारियों ने ये क्वार्टर स्वीकार किये हैं उन्हें अपने उन वरिष्ठ कर्मचारियों से अभिन्नता प्रदान की जायेगी जिन्होंने क्वार्टर स्वीकार नहीं किए क्योंकि उनके टाईप क्वार्टर पहले ही इनसे बड़े हैं, यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनरायण सिंह) : (क) तथा (ख) क्वार्टरो की स्वीकृति के समय चालू कृषि क्षेत्र मानों के अनुसार क्वार्टरों का निर्माण किया जाता

है। इस प्रकार डी० आई० जेड० क्षेत्र तथा अन्यत्र विभिन्न कुर्सी क्षेत्र मानों वाले बहुत से टाईपों के क्वार्टर हैं। 1975 में, टाईप-ii तथा iii (मुख्य एककों के लिए) के लिए कुर्सी क्षेत्र मान क्रमश: 484 वर्ग फीट तथा 600 वर्ग फीट निर्धारित किया गया था उपलब्ध संसाधनों के भीतर एक त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत एक बड़ी संख्या में क्वार्टरों के निर्माण के लिए 1978 में टाईप "बी" तथा 'सी' (टाईप ii तथा iii के अनुरूप) के लिए कुर्सी क्षेत्र मानक क्रमश; 350 तथा 425 वर्ग फीट तक कम कर दिये गए थे। अत: पहले निर्मित क्वार्टरों में वास के परिणाम में भिन्नता है।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) मूल नियम 45 रु० के अन्तर्गत प्रत्येक इमारत की पूलित लाइसेंस फीस किसी विशिष्ट आवास में उपलब्ध वास क्षेत्र की एकक दर प्रति वर्ग मीटर के आधार पर परिकलित की जाती है जिसमें उस टाईप का ध्यान नहीं रखा जाता है जिसमें ऐसी किसी रिहायश का वर्गीकरण हुआ है। जल प्रभार तथा अतिरिक्त सेवा दरें केन्द्रीय लाक निर्माण विभाग प्राधिकारियों द्वार रिक्ति प्रतिशतता का ध्यान रखकर गत वर्ष के उपयोग के आधार पर निश्चित की जाती है।

(ड.) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

समस्याग्रस्त गाँवों को पीने का पानी सप्लाई करने के लिए ऊंचाई पर विचार

4144. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीने के पानी की सप्लाई के लिए समस्याग्रस्त गांवों को चुनते समय सरकार गांव की ऊंचाई और जल स्रोत से पीने के लिए पानी ले जाने की दूरी को ध्यान में रखती है;

(ख) यदि हां, तो 1972 में ऐसे गांवों को चुनते समय किन राज्यों में इस मानदण्ड को स्वीकार किया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी राज्यों में भी सरकार समस्याग्रस्त गांवों का चयन करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : (क) जी, हां। प्राक्कलन समित (72-73) की सिफारिशों पर आधारित ग्राम से 100 मीटर लम्बी दूरी के भीतर जल के बारहमासी स्रोत की अनुपलब्धता को समय ग्रस्त ग्राम चुनने के लिए विचार किया गया है। जिन ग्रामों में 1.6 किलोमीटर की दूरी या 15 मीटर की गहराई के भीतर जल उपलब्ध नहीं है उनके साथ-साथ इनको स्रोत रहित ग्राम समझा जाता है।

(ख) यह सभी पहाड़ी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के पहाड़ी क्षेत्रों पर भी लागू होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन विकास की जा रही आवासीय कालोलियाँ

4145. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत विकसित की जा रही आवाकी कालोनियों की कुल संख्या कितनी है उनके नाम क्या है तथा कितने लोगों के रहने की क्षमता उनमें है और कब तक उनका निर्माण हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या निकट भविष्य में अनाधिकृत कालोनियों को नियमित किए जाने के अलावा और अधिक कालोनियां बनाने का दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और 2000 ई० तक होने वाली अनुसख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए किसी मास्टर प्लान का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया हैं कि विभिन्न पंजीकृत योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में 31,000 रिहायशी एककों के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है :—

1. कालकाजी सबस्टेशन में कई पाकेट
2. शेख सराय
3. लारेन्स रोड
4. त्रिलोकपुरी
5. दिलशाद गार्डन
6. शालीमार बाग
7. पीतमपुरा
8. सराय जुलाया
9. फ्रेन्डस कालोनी
10. जनकपुरी
11. मोतियाखान
12. पश्चिमपुरी
13. शादीपुर
14. नन्द नगरी

15. गोडेला
16. मंगोलपुरी
17. युसूफ सराय
18. हौज खास
19. कालका जी
20. ग्रेटर कैलाश
21. नीति बाग
22. नारायण बिहार
23. राजौरी गार्डन
24. मालवीय नगर (साकेत)
25. माल रोड
26. सिद्धार्थ एन्कलेव
27. ईस्ट आफ कैलाश
28. मुनीरका
29. बसन्त गांव
30. बसन्त बिहार
31. मस्जिद मोठ

(ख) तथा (ग) 1981-2000 की दिल्ली के लिए दूसरी विकास योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही है। दिल्ली की जनता की आवास सहित विभिन्न आवश्यकताओं को प्रक्षेपी करने से दिल्ली का नियोजित विकास करना इसका लक्ष्य होगा। छठी योजना अवधि 1980-85 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण का 20,000 मकान प्रति वर्ष की दर से निर्माण कार्य करने का प्रस्ताव है। निधियों तथा निर्माण सामग्री उपलब्ध होने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम में गति लाने का प्रयास करेगा और अधिक रिहायशी एककों का निर्माण करेगा। समय-समय पर बनाई गई योजना। स्कीम के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न भागों में जहाँ कहीं भी भूमि उपलब्ध होगी आवास कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है। गेहिणी योजना जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चलाई गई योजनाओं में सबसे बड़ी है और जिनमें करीब 8,50,000 लोगों को आवास प्लाट देने का प्रावधान विचारा गया है वह उत्तर पश्चिम दिल्ली में स्थित है।

हिमाचल प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित
पेयजल सप्लाई योजनायें

4146. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित उन पेय जल सप्लाई योजनाओं के नाम क्या है जो (एक) हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर की है और (दो) गत तीन वर्षों के दौरान जिला वार, मंजूरी के लिए विचाराधीन पड़ी है और उनमें से प्रत्येक पर कितनी लागत आने का अनुमान है ;

(ख) इन योजनाओं का निर्माणकारी सम्भवतः कितनी अवधि में पूरा हो जायेगा;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं के लिए कुल कितनी राशि का नियतन किया गया है और वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 का तत्सम्बन्धी नियतन अथवा योजना क्या है; और

(घ) इस दृष्टि में 1981-90 एक पेय जल दशक होगा, क्या विचाराधीन तथा निर्माणाधीन योजनाओं की मंजूरी देने में कोई वरीयता प्रदान की जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नरायण सिंह): (क) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के 8,870 ग्रामों की योजनाओं की मंजूरी दे दी गई है । अनुमानित लागत के साथ-साथ गांवों की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है । हमीरपुर जिले के बड़ा चोरू के लिए जिसमें 50 गाँव भी शामिल हैं, 17.05 लाख रुपए की अनुमानित लागत की एक उद्वहक जलपूर्ति योजना इस मन्त्रालय में प्राप्त हुई थी । कतिपय तकनीकी प्रश्न उठाए गए हैं जिसका उत्तर राज्य सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति देने से पूर्व दिया जाना है ।

(ख) इन योजनाओं का निष्पादन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । सामान्यितया इन योजनाओं में 2 से 3 वर्ष का उल्लेख कार्य समापन की अवधि के रूप में किया गया है । किन्तु वास्तविक समापन अवधि निधियों एवं सामग्रियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के लिए छठी पंचवर्षीय योजना परिव्यय 600 करोड़ रुपए है । राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का वार्षिक नियतन राज्यवार किया जाता है न कि योजनावार । वर्ष 1980-81 के दौरान, हिमाचल प्रदेश सरकार को 561.77 लाख रुपए की राशि नियत की गई थी और दे दी थी । वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान निधियों के नियतन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है । तथापि, तदर्थ आधार पर राज्य को 208.50 लाख रुपए की राशि सहायता अनुदान के रूप में पहले ही दे दी गई है ।

(घ) जी, हाँ ।

विवरण I

(I) स्वीकृति

क्रम सं०	जिले का नाम	गांवों की संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	बिलासपुर	119	112.97

1	2	3	4
2.	चम्बा	295	161.17
3.	हमीरपुर	706	341.65
4.	कांगड़ा	1175	645.07
5.	किन्नौर	6	16.25
6,	कुल्लू	40	48.04
7.	लाहौल तथा स्पीति	11	7.35
8.	मण्डी	883	296.96
9.	शिमला	132	106.46
10.	सिरमौर	82	77.73
11.	सोलन	226	122.63
12.	ऊना	195	263.20
	योग	3370	2184.49
	जो विचाराधीन है		
	हमीरपुर	50	17.05

(बड़ा चोरू योजना)

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के दबोतसिद्ध गाँव समूह को पीने के पानी की सप्लाई

4147. प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हमीर पुर जिले में दबोतसिद्ध ग्राम समूह को पीने का पानी की सप्लाई योजना के निर्माण कार्य की मंजूरी दे दी है,

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और यह कितने समय में पूरी हो जाएगी; और

(ग) इस कार्य के लिए कितनी 'डच' सहायता देने का वायदा किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आगामी रबी फसल की बुआई के लिए नीति

4148. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आगामी रबि फसल विशेषकर गेहूं की बुवाई के लिए नीति बनाने हेतु पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुला रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस विचार विमर्श से उत्पन्न हुई मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने और रोग से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का निर्धारण करने और रोगरोधी किस्मों का विकास करने और बीज संवर्द्धन का कार्यक्रम बनाने और इसके अतिरिक्त श्रमिकों और किसानों के प्रशिक्षण और कार्यक्रम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) बैठक का आयोजन 29 अगस्त, 1981 को किया गया था जिसमें पंजाब, हरियाणा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक का आयोजन 1981-82 लिए गेहूं के उत्पादन सम्बन्धी नीति पर विचार विमर्श करने के लिये किया गया था।

(ख) विचार-विमर्श के दौरान जिन मुख्य बातों पर विचार किया गया उनमें मोटे तौर पर यह सुनिश्चत करना था कि ज्यादा पैदावार देने वाली किस्मों के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र को लाया जाए और गेहूं की समय पर बुवाई करने पर जोर दिया जाए। इसके अलावा विस्तार कर्मचारी किसानों को मंहगे आदानों (अर्थात् उर्वरकों और खरपतवारनाशियों) के उचित मात्रा में इस्तेमाल करने के बारे में प्रशिक्षण देने हेतु जोरदार अभियान चलाया जाएगा। जहां सूक्ष्म पोषक तत्वों, अर्थात जिनका अभाव होगा, सही किस्म के उर्वरकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया जायेगा ताकि इस कमी को जड़ से साफ किया जा सके। नहरों में जल की सप्लाई को नियमित करके, बिजली और डिजल की पर्याप्त सप्लाई द्वारा सिंचाई सुनिश्चित करके किसानों की सहायता की जाएगी। महामारियों के प्रति बीमा आदि करने के प्रश्न पर भी विचार विनिमय हुआ प्रत्येक राज्य और क्षेत्र के लिए उपयुक्त किसानों का पता लगाया गया। पंजाब में निम्नलिखित किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जायेंगे :—

डब्ल्यू एल—711	के एस एम एल 3
डब्ल्यू एल—1562 एच डी 2009	एच डी—2281
डी डब्ल्यू—5023	सी पी ए एन—1676

(ग) अधिकांश कार्यों और विशेषकर बीज गुणन और विस्तार कर्मचारियों और किसानों को शिक्षा और प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में राज्यों द्वारा कार्यवाही होनी है। अधिकांश राज्य ने अपेक्षित कार्यवाही शुरू कर दी है। विशेष क्षेत्रों के लिए किस्मों के चुनाव का निर्णय वहां उत्पन्न

हो वाली महामारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ा अनुसंधान कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है।

स्वीकृत के लिए विचाराधीन गुजरात तथा महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनायें

4149. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की कितनी सिंचाई परियोजनायें कब कब से विचाराधीन पड़ी हैं,

(ख) उनके विचारधीन पड़े रहने के क्या कारण है; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य (श्री जिआउर रहमान अंसारी : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है जिसमें केन्द्रीय जल आयोग में स्वीकृति के लिए प्राप्त गुजरात और महाराष्ट्र की 62 सिंचाई परियोजनाओं के नाम, उनके प्राप्त होने की तारीखें और जाँच की वर्तमान स्थिति और उनके लम्बित पड़े रहने के कारण दिए गए हैं।

(ग) 16 परियोजनायें (एक गुजरात की और 15 महाराष्ट्र की) योजना आयोग को सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और योजना आयोग द्वारा उन्हें स्वीकृति की जानी है। शेष 46 परियोजनाओं को उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने, लागतों/लाभों के निश्चित हो जाने और जहां आवश्यक हो अन्तर्राज्य पहलुओं के हल हो जाने के बाद स्वीकृति दी जा सकती है।

विवरण I

गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों से केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त परियोजनाओं की सूची, जिन्हें अभी योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जानी है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	केन्द्रीय जल आयोग में जांच/ स्वीकृति की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
	गुजरात		
	बृहद्		
1.	फतेहवाड़ी नहर	6-3-80	राज्य से केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों

1	2	3	4
	प्रणाली का आधुनिकरण		के उत्तर अप्रैल, 1981 में प्राप्त हुए थे और उनकी जाँच की जा रही है। नहरों और वित्तीय पहलुओं के बारे में और आगे टिप्पणियां राज्य के इन्जीनियरोंको जून 1981 में दे दी गई थी राज्य के इन्जीनियरों द्वारा केन्द्रीयजल आयोग के साथ इस परियोजना पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
2.	वत्रक	27.11.76 4.9.81	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर राज्य से सितम्बर, 1981 में प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।
3.	सरदार सरोवर	11.2.80	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर राज्य से हाल में प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है। कुछ पहलुओं के बारे में राज्य से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
4.	पाली थाना में शतरुंजी का आधुनिकीकरण	6.3.80	टिप्पणियां सितम्बर, 1980 में भेजी गई थी। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
5.	खारीकट नहर का आधुनिकीकरण	14.5.80	—वही—
6.	ओरसांग	1.10.78	जलमग्न होने वाले क्षेत्र के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है, जो प्राप्त नहीं हुई है।
7.	माछू-1 का आधुनिकीकरण	6.3.80	केन्द्रीय जल आयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्कीम को आशोधित करने लिए अप्रैल, 1980 में राज्य को पत्र भेजा गया था। राज्य से आशोधित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
8.	उकई काकरापार का आधुनिकीकरण	26.5.80	राज्य के इन्जीनियरों के साथ सितम्बर, 1980 में विचार-विमर्श किया गया था। राज्य से आशोधित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3	4
9.	दन्त-बाड़ा जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण	6.3.80	राज्य के इन्जीनियरों के साथ मार्च, 1981 में विचार-विमर्श किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा फरवरी 1981 तथा जुलाई 1981 में भेजी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य द्वारा आशोधित रिपोर्ट भेजी जानी है।
10.	भादर परियोजना का आधुनिकीकरण	6.3.80	राज्य के इन्जिनियरों के साथ मार्च, 1981 में विचार-विमर्श किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जून, 1981 में भेजी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य द्वारा आशोधित रिपोर्ट भेजी जानी है।
11.	जनखाड़ी जलाशय	18.10.78	वन-भूमि की जलमग्नता को दूर करने अथवा न्यूनतम करने के लिए पर्यावरण मूल्यांकन समिति द्वारा एक वैकल्पिक स्थल के अन्वेषण का सुझाव दिया गया था। राज्य से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
	मध्यम		
1.	मेन	15.1.81	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मई, 1981 में टिप्पणियां भेजी गई थीं। राज्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
2.	उमरिया	1.4.81	जल की उपलब्धता का निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार से जनवरी; 1981 में अनुरोध किया गया था। जुलाई, 1981 में और टिप्पणियां भेजी गई थीं। राज्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
3.	मुक्तेश्वर	15.10.79	राज्य के इन्जीनियरों के साथ अप्रैल, 81 में विचार-विमर्श किया गया था और वे मौजूदा अनुप्रवाह के समुपयोजन को ध्यान में रखते हुए परियोजना रिपोर्ट को आशोधित करने और लागत अनुमानों को अद्यतन बनाने के लिए सहमत हो गए हैं। राज्य सरकार से

1	2	3	4
			आशोधित रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।
4.	अनी	21.8.81	केंद्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।
5.	मजाम	31.12.80	राज्य से सितम्बर, 1981 में उत्तर प्राप्त हुए हैं। राज्य के इन्जीनियरों द्वारा केन्द्रीय जल-आयोग के साथ इस परियोजना पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।
6.	उबेन	11.6.80	राज्य सरकार को 27.8.78 को टिप्पणियां भेजी गई हैं।
7.	भादर	अप्रैल, 1975	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा 24.7.81 को इस परियोजना पर विचार किया गया और इसे स्वीकार्य पाया गया। योजना आयोग की स्वीकृति प्रतिक्षित है।
	महाराष्ट्रा		
	बृहद स्कीमें		
1.	वर्णा	9.11.76	राज्य को मई, 1978 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
2.	लोअर तिरना	13.12.77	राज्य से जुलाई, 1981 में प्राप्त उत्तरों की जाच की जा रही है।
3.	गिरना परियोजना की नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण	18.12.78	राज्य सरकार से दिसम्बर, 1978 में केन्द्रीय जल के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्कीम को आशोधित करने का अनुरोध किया गया था। आशोधित रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
4.	अरुणावती	17.1.79	राज्य को भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
5.	लोअर वुन्ना	17.1.79	राज्य को अप्रैल, और मई, 1981 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1	2	3	4
6.	करवा	19.2.79	राज्य को सितम्बर, 1979 और अगस्त, 1980 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नही हुए हैं।
7.	वाम तट नहर-पुराना गिरना बांध (नासिक)	18.9.79	राज्य को दिसम्बर, 1979 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
8.	दूधगंगा	30.7.79	राज्य को दिसम्बर, 1979 नवम्बर, 1980, मई और जुलाई, 1981 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
9.	वान नदी परियोजना	22.3.80	राज्य को सितम्बर, 1980 तथा जुलाई, 1981 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
10.	बावनथाडी	1.4.80	राज्य को नवम्बर, 1980 तथा मई, 1981 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर और अगस्त 1981 में मांगे गए स्पष्टीकरण राज्य से प्राप्त नहीं हुए हैं।
11.	तिल्लारी	19.6.81	राज्य को सितम्बर, 1980 और फरवरी तथा मई, 1981 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
12.	तुलतुली परियोजना	4.10.80	राज्य को नवम्बर, 1980 तथा मई, 1981 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
13.	लोअर गोदावरी (विष्णुपुरी)	12.2.81	राज्य को अप्रैल, और जुलाई, 1981 में भेजी गयी टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
14.	लोअर दुधाना	मई, 1981	योजना आयोग की सलाहकर समिति के विचारार्थ नोट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।
15.	तालम्बा परियोजना	9.6.81	राज्य को जुलाई और अगस्त, 1981 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1	2	3	4
16.	लोअर वर्धा	30.6.81	आशोधित रिपोर्ट की जांच की जा रह है।
	मध्यम स्कीमें		
1.	हिवरा	27.8.77	योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा 24.7.81 को हुई बैठक में विचार किया गया और इसे स्वीकार्य पाया गया। योजना आयोए की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
2.	अन्जानी	10.2.78	—तदैव—
3.	कोराडीनाला	18.5.79	—तदैव—
4.	रंगावली	18.5.79	—तदैव—
5.	बाहुला	18.5.79	—तदैव—
6.	शहनूर	2.8.79	—तदैव—
7.	बोरगांव	13.8.79	—तदैव—
8.	मदन टैंक	22.2.80	—तदैव—
9.	सोनवाड	28.2.80	सलाहकार समिति द्वारा 24.7.81 को हुई अपनी बैठक में इस पर विचार किया गया और इसे स्वीकार्य पाया गया।
10.	अमरावती	7.4.80	—तदैव—
11	मुन	3.10.80	—तदैव—
12.	तोरना	6.11.80	—तदैव—
13.	पोहरनाला	6.11.80	—तदैव—
14.	वुटीनाला	6.11.80	—तदैव—
15.	देहली	15.12.80	—तदैव—
16.	पनजान	3.3.81	राज्य को अप्रैल, 1981 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
17.	कार	20.4.81	परियोजना के लिए जल की उपलब्धता का निर्धारण करने के लिए राज्य से मई, 1981 में अनुरोध किया गया है।

1 2	3	4
18. पटगांव	6.5.81	राज्य को जून और जुलाई, 1981 में भेजी गई टिप्पणियों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।
19. हेतावाने	1.7.81	जांच की जा रही है।
20. साकोल	16.7.81	—तदैव—
21. रामोहन	16.7.81	—तदैव—
22. देवरजन	16.7 81	—तदैव—
23. रुई	16.7.81	—तदैव—
24. तेम्भापुरी	16.7.81	—तदैव—
25. मणिराम खेद	21.8.81	जांच की जा रही है।
26. मसालगा	5.9.81	—तदैव—
27. बोर	5.9.81	—तदैव—
28. शिवना तकली	8.9.81	—तदैव—

खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों की जांच

4150. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री खादी ग्रामोद्योग आयोग की गतिविधियों की जांच के बारे में 4 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9664 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन कमियों के संबंध में खादी आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिनका उल्लेख 6 अक्तूबर, 1980 के "नव भारत टाइम्स" में किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही लिए जाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कु० कमला कुमारी) : (क) तथा (ख) नवभारत टाइम्स के उक्त लेखा में की गई टीका-टिप्पणियां अधिकांशत: भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की 1978-79 की अग्रिम रिपोर्ट के पैरा 34 पर आधारित हैं।" अग्रिम रिपोर्ट" में की गई विभिन्न टीका-टिप्पणियों के सम्बन्ध में स्थिति को इस मंत्रालय द्वारा स्पष्ट किया गया था और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 26-3-1980 को सभा-पटल पर रखी थी ; लोक लेखा समिति (1980 81) ने इस रिपोर्ट की पुन: जांच की तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय से और स्पष्टीकरण मांगे और अपनी अंतिम रिपोर्ट अर्थात "लोक लेखा समिति (1980-81) (सातवीं लोक सभा) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की 52वीं रिपोर्ट" को 30-4-1981 को संसद के दोनों

सदनों में प्रस्तुत किया/रखा था । लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/टीका-टिप्पणियों के अनुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है ।

हरियाणा में आपरेशन फ्लड एक और दो

4151. **श्री के.ए. राजन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गम्भीर किस्म की उन विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है जो आपरेशन फ्लड एक और दो की दोषपूर्ण योजना तथा क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप हरियाणा में कथित रूप से उत्पन्न हो गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि आपरेशन फ्लड एक से केवल रोहतक तथा गुडगाँव जिलों को लाभ हुआ और यदि हाँ, तो 1970 और 1980 में हरियाणा के अन्य जिलों की तुलना में इन दो जिलों में दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) क्या सरकार का विचार आपरेशन फ्लड दो परियोजना के विभिन्न असंतुलनों को दुर करने की है जिससे इसे सही मायनों में राष्ट्रीय परियोजना बनाया जा सके ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रलयों में राज्य मत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) हरियाणा में आपरेशन फ्लड के सम्बन्ध में कोई गम्भीर समस्या की रिपोर्ट नहीं मिली है :

(ख) हरियाणा में रोहतक, करनाल तथा गुड़गांव के जिले आपरेशन फ्लड 1 के अन्तर्गत आए हुए हैं । कहा गया है कि दुग्ध उत्पादन के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं :

(ग) आपरेशन फ्लड-2 का सम्बन्ध प्राय: सभी राज्यों से है और इस प्रकार यह एक राष्ट्रीय योजना है ।

आपरेशन फ्लड-1 और 2 की कथित असफलता

4152. **श्री के०ए० राजन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की-कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपरेशन फ्लड 1 पाँच वर्ष से ग्यारह वर्ष तक बढ़ाये जाने के बावजूद देश मे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में असफल रहा है ;

(ख) आपरेशन फ्लड 1 के 1970 में शुरू होने और 1981 में इसकी समाप्ति पर आपरेशन फ्लड 1 के जिलों और गैर आपरेशन फ्लड 1 वाले जिलों में दुग्ध उत्पादन के आंकड़े क्या थे ;

(ग) आपरेशन फ्लड 1 के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में इस असफलता को देखते हुए आपरेशन फ्लड 2 को असफलता से बचाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) इस परियोजना के अन्तर्गत लिए गए दुग्ध स्रवण क्षेत्रों में दूध उत्पादन में वृद्धि करने में आपरेशन फ्लड 1 का प्रभाव पड़ा है।

(ख) दूध के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए जिलावार कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) भाग [क] के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

छठे योजनाकाल में सहकारिता कार्यक्रम

4153. श्री बी. वी. देसाई : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय से सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों, जिनमें खासकर कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार की सुविधाएं देना है, प्राथमिकता देने को कहा गया है ;

(ख) क्या छठी योजना में सहकारिता कार्यक्रमों के कार्य के कार्यान्वयन सम्बन्धी नीति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया था कि आवास समम्बन्धी सहकारी समितियों को अधिकतम सम्भव समर्थन दिया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो 1981-82 के दौरान हाउसिंग बोर्ड को कितना फण्ड दिया गया है और पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1981 82 में केन्द्र सरकार द्वारा बोर्ड की किन आवास योजनाओं को धन दिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय सरकार किसी भी आवास बोर्ड को सीधे सहायता नहीं देती। राज्यों को आवास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता योजना वार नहीं दी जाती बल्कि 'समेकित अनुदान' और 'समेकित ऋण' के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारें अपनी जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रीय सहायता उपयोग करने में स्वतन्त्र हैं। राज्य आवास बोर्ड सम्बन्धित राज्य सरकारों के अन्तर्गत कार्य करते हैं।

हुडको भी राज्य आवास बोर्डों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं के लिए ऋण देती है। वर्ष 1981-82 के दौरान इसने अपना लक्ष्य 190 करोड़ रुपये रखा और इसकी तुलना में हुडको ने 1981-82 की प्रथम तिमाही अप्रैल-जून, 1981 में 53.08 करोड़ रुपये की वचनबद्धता दी जिसका 30 प्र०श० समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की आवासीययोजना पर खर्च किया जाएगा।

महाराष्ट्र की रोलर फ्लोर मिल्स को सी० ओ० बी० लाइसेंस

4154. **चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इनके मन्त्रालय को महाराष्ट्र की रोलर फ्लोर मिलों को सी० ओ० बी० लाइसेन्स देने के लिए बहुत से आवेदन प्राप्त हुए है ; जिन पर महाराष्ट्र सरकार ने सिफारिश कर रखी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सभी आवेदन वर्षों से लम्बित पड़े हैं और उन्हें इस सम्बन्ध में नीति स्पष्ट न होने के कारण सी०ओ०बी लाइसेन्स नहीं दिए गए हैं। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सम्बन्धित रोलर फ्लोर मिल्स की कठिनाइयों को दूर करने तथा उन्हें चालू रखने के लिए सी०ओ०बी० लाइसेन्स जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) और (ख) 29.6.1978 से 24.5.1980 की अवधि के दौरान, जब रोलर फ्लोर मिलों को स्थापित करने पर लगे प्रतिबन्ध में आंशिक रूप से ढील दे दी गई थी, राज्य सरकारों को 30 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता तक के लघु क्षेत्र के यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। इस अवधि के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 85 मामलों में परमिट जारी किए थे। इनमें से 7 आवेदन पत्र सी०ओ०बी० लाइसेन्सों के लिए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये गए नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए इन आवेदन पत्रों की फिलहाल जांच की जा रही है।

सुगन्धित सुपारी का इस्तेमाल

4155. **डा० वसंतकुमार पण्डित** : क्या कृषि मन्त्री डेडली टोक्सीन इन सेण्टेड सुपारी के बारे में 23 मार्च, 1981 के तारांकित प्रश्न प्रश्न संख्या 988 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि सुगन्धित सुपारी बनाने के लिये प्रयोग में लायी जाने वाली सुपारी फंफूदी का संक्रमण होता है जिसमें घातक 'पतुलीन' विष और माइकोटाक्सीन हो सकता है जो सुपारी का इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत हानिकारक हो ा है,

(ख). यदि, तो क्या सरकार को इस सार्वजनिक खतरे पर अनुसन्धान और खाद्य टेक्नालाजी विशेषज्ञों, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और अन्य अनुसन्धान संस्थाओं से और आगे किए गए अध्ययन के परिणाम प्राप्त हो गए हैं,

(ग) क्या 'सुगन्धित सुपारी' का बनाया जाना 'खाद्य और औषधि नियंत्रण और निरीक्षण'

के अन्तर्गत आता है,

(घ) सरकार ने बाजार में व्यापक मात्रा में बिकने वाली सुगन्धित सुपारी जिसका प्रयोग स्त्रियां तथा बच्चे भी करते हैं, के नमूनों की निरन्तर जांच करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ङ.) क्या सरकार ने स्वास्थ्य के प्रति इस खतरे की की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है, और यदि हां, तो किस प्रकार से ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) :

(क) और (ख) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 1976-79 तक किए अध्ययन की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 147 नमूने एकत्रित किए गए और उनका विश्लेषण किया गया। इसमें खुशबूदार सुपारी के 67, सुपारी के 54 और सुपारी की छाली के 26 नमूने थे। खुशबूदार सुपारी के दो नमूनों और सुपारी एक नमूने में माइकोटोक्सीन एफ्लेटोक्सीन और पेतुलीन पाये गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने यह पता लगाया है कि सुपारी के माध्यम से पेट में जाने वाले पेतुलीन से किसी प्रकार का स्वास्थ्य सम्बन्धी विकार होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि प्रतिदिन खाई जाने वाली सुपारी की मात्रा बहुत कम होती है। इसके बाद राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान हैदराबाद ने भी यह सूचना दी है कि कुछ लोगों द्वारा बहुत कम मात्रा में और कभी-कभी सुपारी खाने से स्वास्थ्य सम्बन्धी किसी गम्भीर विकास के उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं होती।

(ग) सुपारी का विनिर्माण, बिक्री आदि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आती है।

(घ) और (ङ.) इस सम्बन्ध में आगे कोई कदम उठाने से पहले कुछ प्रयोगशालाओं से अनुरोध किया गया है कि वे बाजार में बिकने वाली सुपारी के नमूने एकत्रित करके बताएं कि इनमें पाये जाने वाले माइकोटोक्सीन, विशेष रूप से एफ्लोटोक्सीन और पेतुलीन की मात्रा कितनी है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वित्त मन्त्रालय के साथ वित्तीय सम्बन्ध

4156. **श्री एस.बी. सिदनाल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने बजट नियमों में परिवर्तन करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ अपने वित्तीय सम्बन्ध का पुनर्विलोकन कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक उच्च स्तरीय समिति से इस कानूनी दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए कहा है कि वित्त मन्त्रालय को मामले प्रेषित करने की आवश्यकता को किस प्रकार टाला जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) :

(क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को अधिक वित्तीय स्वायत्ता की आवश्यकता तथा वार्षिक बजट की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी की स्थायी वित्त समिति, शासी निकाय तथा विगत वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में चर्चा की गई थी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का यह अनुभव रहा है कि वर्तमान वित्त प्रक्रियाएं अनुसंधान कार्यक्रमो और योजनाओं की स्वीकृति और द्रुत कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः अनुकूल नहीं है और इस हद तक अनुकूल नही है कि वे समय-सीमित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मार्ग में आ जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय ने अपनी फरवरी 1981 की बैठक में प्रस्ताव पारित किया था कि सभी मामलों में अर्थात् वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक मामलों में, इसका निर्णय अन्तिम होना चाहिए और एक बार जब योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय पंचवर्षीय योजना परिव्ययों पर सहमति दे दें तो इसके बाद अलग योजनाओं को दुबारा से वित्त मन्त्रालय के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद जैसी स्वशासी वैज्ञानिक संस्थाओं के लिए परिकल्पित 'ब्लाक' अनुदान प्रणाली वित्तीय प्रबंध में आवश्यक लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए प्रभावी होनी चाहिए।

भारतीय अनुसधान परिषद के वार्षिक बजट की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के विषय पर शासी निकाय की मार्च की बैठक में चर्चा हुई थी। इस पर सहमति हुई थी कि वित्तीय प्रस्तावों को शासी निकाय के समक्ष उसके निर्णय के लिए 3-4 महीने पूर्व प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद ऐसे मामलों को वित्त मंत्रालय और योजना आयोग को भेजा जा सकता है। वित्त मंत्रालय और योजना आयोग की टिप्पणियाँ प्राप्त होने के पश्चात् ऐसे मामलों पर शासी निकाय द्वारा अंतिम निर्णय हेतु विचार किया जा सकता है।

शासी निकाय ने, चन्द्रशेखर सिंह, संसद सदस्य की अध्यक्षता में भारतीय कृषि अनुसधान परिषद जैसी अनुसंधान संस्था के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए अपेक्षित वित्तीय स्वायत्तता के उपाय और साधन सुझाने के लिए और विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति की स्थापना की है। यह समिति न्यायिक पक्षों पर भी विचार करेगी।

लोक लेखा समिति (1978-79 के) अवलोकनों के पश्चात, वित्त मन्त्रालय यह सुझाव दे रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संचयनों को सार्वजनिक लेखा में रखना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय के सदस्य (वित्त) के इस सुझाव को प्रथम तो इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, अपने स्रोतों पर पूंजी लगाने और उपयोग में लाने के स्वयं के स्वशासी सोसायटी के रूप में अन्तर्भूत अधिकार के विपरीत जाता है और दूसरे इसलिए क्योंकि इस प्रस्ताव की स्वीकृति परिषद की रुचि के

अनुकूल नही है और तीसरा कारण कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 है। इस मामले पर आगे की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह, संसद सदस्य की अध्यक्षता में गठित होने वाला उपरोक्त समिति का गठन स्वशासी निकाय के नये सदस्यों द्वारा स्थान ग्रहण करने पर किया जाएगा।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में सामुदायिक सिंचाई योजना

4157. **श्री हरिहर सोरेन :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के क्योंझर जिले में 1970 71 में अंत्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई गई सामुदायिक सिंचाई योजना धीरे धीरे उचित रख रखाव और निरीक्षण की कमी के कारण बेकार हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहाँ पर रख रखाव के काम को देखने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) उपर्युक्त सामुदायिक परियोजना को उचित वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार क्या कार्रवाही कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना उड़ीसा सरकार से एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों की खपत का अध्ययन करने के लिये समिति

4158. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :**

डा० कृपा सिंध भोई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक खपत के विभिन्न पहलुओं, इसके असंतुलित उपयोग भू-कटाव के जरिए पोषक तत्वों की हानि और मिट्टी तथा फसल पर्यावरणों के अनुकूल उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों का अध्ययन करने के लिये एक समिति गठित करने का है,

(ख) क्या खेती के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रों को लाने के लिये सीमित अवसर को देखते हुए उर्वरकों के राशन उपयोग पर विचार किया जायेगा, और

(ग) उर्वरकों की वर्तमान खपत कितनी हैं और छठी योजना के अन्त तक इसमें अनुमानित वृद्धि कितनी होगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) जी नहीं। उर्वरक के बेहरतर उपयोग में वृद्धि करने तथा रसायनिक

उर्वरकों के साथ स्थानीय खाद संसाधनों के संयठित उपयोग के लिए कृषि मंत्रालय में पहले ही एक समिति गठित की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी देश के विभिन्न सस्य-मौसम क्षेत्रों के अन्तर्गत उर्वरकों के बेहतर उपयोग के लिए उपयुक्त फसल उत्पादन तकनोलोजी तैयार करने के बारे में क्षेत्रीय प्रयोग करता है। उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग इसके बेहतर उपयोग के लिए पूर्वापेक्षित बात है। कृषि के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाने की सीमित गुंजाईश तथा इसके फलस्रूप कृषि के तहत विद्यमान क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करने की आवश्यकता को देखते हुए, सरकार की यह नीति है कि उर्वरक की खपत में वृद्धि की जाये तथा इसके उचित उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाए।

(ग) 1980-81 में उर्वरक के पोषक तत्वों की खपत 55.16 लाख मीटरी टन थी तथा 1984-85 में पोषक तत्वों की खपत का लक्ष्य 96.54 लाख मीटरी टन है।

दिल्ली में उर्वरकों की सप्लाई के लिए ऐजेन्सियों का आवंटन

4159 : **श्रीकृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के बाह्य क्षेत्र के विभिन्न गांवों में उर्वरकों की सप्लाई के लिए कितनी एजेंसियां आवंटित की गई हैं ; और

(ख) 1981-82 में ऐसी एजेंसियों के आवंटन के लिए सरकार की क्या योजना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति ही उर्वरक का व्यापार कर सकता है जिसके पास राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी किया हुआ पंजीकरण प्रमाण पत्र है। दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली प्रशासन के अंधीन दिल्ली के गांवों में उर्वरकों के पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 38 है। इनमें सहकारी समितियां भी शामिल हैं।

(ख) वर्ष 1981-82 के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा पंजीकृत व्यापारियों की संख्या के बारे में कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। व्यापारियों की अतिरिक्त संख्या दिल्ली प्रशासन द्वारा प्राप्त होने वाले नये प्रार्थना-पत्रों की संख्या और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के अनुसार पंजीकरण सम्बंधी प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले मामलों की संख्या पर निर्भर होगी।

उड़ीसा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करना।

4160. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े राज्यों को कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा में एक और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य को उक्त केन्द्रीय सहायता आवंटित किए जाने का विचार है ;

(ग) क्या प्रस्तावित कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किसी जनजातीय जिले में की जायेगी ; और

(घ) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार ने सभी राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा केन्द्रीय सहायता देने की योजना पहले से चालू की हुई हैं। केवल पिछड़े राज्यों को ऐसी सहायता देने का कोई अलग प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत, भुवनेश्वर में केन्द्रीय सहायता से एक कृषि विश्वविद्यालय पहले से ही स्थापित किया जा चुका है। उड़ीसा में एक और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डेरी बोर्ड द्वारा गैर-डेरी और अन्य व्यापारिक उद्यम

4161. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार 1978 से शुरू की गई आपरेशन फ्लड 2 की जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति के गठन पर विचार करना चाहती हैं ;

(ख) क्या सरकार डेरी निगम और डेरी बोर्ड के वर्तमान प्रबन्ध में पूरा परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि डेरी बोर्ड को गैर-डेरी और अन्य व्यापारिक उद्यमों जैसे कल्ज तिलहनों; बागवानी आदि इसके वृहत उद्देश्यों को देखते हुए लेने से मना किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड सिर्फ ऐसे कार्यकलापों को हाथ में लेती है जो उसके उद्देश्यों के अनुरूप होते है।

आपरेशन फ्लड-2 परियोजना की मन्द प्रगति

4162. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[illegible] [illegible] [illegible] [

उसके बाद समिति की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है, क्योंकि समिति के निर्णयों के अनुसार क्रियान्वयन की रीति निश्चित करने के लिए परियोजना-प्राधिकारियों तथा क्रियान्वयन करने वाली एजेन्सियों के बीच द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया जा रहा था।

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने भारतीय डैनी निगम राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को देश में डेरी विकास के विभिन्न पहलुओं के विषय में सलाह देने के लिए चार क्षेत्रीय सलाहकार परिषदें गठित की हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा दुग्ध उत्पादक संगठनों का क्षेत्रीय परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया गया है और उनकी नियमित रूप में बैठकें होती हैं।

रिकार्ड व्हीट आउटपुट क्लेम चैलेन्जड शीर्षक समाचार

4164. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री रशीद मसूद :

श्री बी०वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अगस्त, 1981 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में रिकार्ड व्हीट आउटपूट क्लेम चैलेन्ज शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) और (ख) : जी हां। यह समाचार "पंजाब और हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आमद ओर वसूली" विषय पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द द्वारा किए गए एक अध्ययन पर आधारित था। इस अध्ययन में पंजाब और हरियाणा राज्यों की 650 से अधिक मण्डियों में से तीन मण्डियों और उनके आस-पास के 86 परिवारों को ही शामिल किया गया है। इस अध्ययन का दायरा इतना छोटा था कि इससे इन दो राज्यों के उत्पादन स्तर और समूचे भारत के गेहूं उत्पादन के बारे में न्याय संगत विश्वसनीय और सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस बात को पुन; दोहराया जाता है कि 1980-81 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन एक रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया था।

रावी और व्यास नदी का अतिरिक्त जल

4165. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 100 करोड़ रु० के मूल्य पर पाकिस्तान से प्राप्त रावी और व्यास नदी का विवाद-ग्रस्त अतिरिक्त जल पिछले 12 वर्षों से उपयोग में नहीं लाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : 1960 के सिंधु जल समझौते के अधीन तीन पूर्वी नदियों अर्थात् रावी, व्यास और सतलुज का समस्त प्रवाह 1970 में संक्रमण-काल की समाप्ति पर केवल भारत द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध हो गया था। लेकिन, विश्व बैंक के माध्यम से भारत द्वारा 100 करोड़ (ठीक-ठीक 98.36 करोड़) रुपये का अंशदान पाकिस्तान में ऐसी सिंचाई प्रणालियों के पुनः स्थापन की लागत को पूरा करने के लिए दिया गया था जो निभाजन के समय पूर्वी नदियों पर आधारित थीं। इन नदियों के जल-प्रवाह का उपयोग करने के लिए आवश्यक वर्क्स, जो अब तक पूरे किए जा चुके हैं, इस प्रकार हैं :...

(1) 1963 में सतलुज नदी पर निर्मित भाखड़ा बांध ;

(2) 1974 में पौंग के स्थान पर निर्मित व्यास बांध, और

(3) 1977 में निर्मित व्यास सतलुज लिंक।

रावी नदी के लगभग। मिलियन एकड़ फुट (औसतन) वार्षिक जल-प्रवाह को छोड़कर इन तीनों नदियों के शेष 32 मिलियन एकड़ फुट (औसतन) जल का लगभग पूरी तरह उपयोग किया जा रहा है ; थीन बांध के, जो इस समय निर्माणाधीन है, लगभग 8 वर्षों की अवधि में पूरा हो जाने पर इस। मिलियन एकड़ फुट जल का भी उपयोग किया जाएगा।

बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्रों में राष्ट्रीय मरुभूमि उद्यान की स्थापना

4166. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्रों में राष्ट्रीय मरुभूमि उद्यान की स्थापना की योजना कब तैयार की गई थी और उसके लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी ; और

(ख) क्या यह सच है कि उक्त योजना का कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलेश्वर राम) : (क) मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों में 247 लाख रुपए के परिव्यय से मरुभूमि उद्यान की स्थापना के बारे से फरवरी, 1981 में अनुमोदन दिया गया था।

(ख) और (ग) परियोजना के स्वरूप तथा इसके लिए हालही में की गई संस्वीकृति को

देखते हुए प्रगति को धीमी नहीं कहा जा सकता :

पेय जल की सुविधा से वंचित गांवों की राज्यवार संख्या

4167. **श्री बुद्धि चन्द जैन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेय जल की सुविधा से वंचित राज्य-वार गाँवों की संख्या कितनी हैं;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के कितने गाँवों को पेय जल की सुविधा मुहैया कराई गई हैं, और

(ग) देश का यह लक्ष्य कब तक पूरा हो सकेगा जब एक भी गांव पेय जल की सुविधा से वंचित नहीं होगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1971-72 में देश में कुल लगभग 1.52 लाख ग्रामों (साएग्रस्त ग्राम) का पता लगाया गया था जहाँ पेय बल के सुरक्षित और अस्वस्थ्य स्त्रोत नहीं थे। परन्तु विभिन्न राज्य सरकारों ने बाद में सूचित किया कि पहले वाले सर्वेक्षण ने समस्या के परिमाण को पर्याप्त रूप से नहीं दिखाया था क्योंकि यह आंशिक रूप से पूर्ण नहीं था तथा आंशिक रूप से अनुवर्ती वर्षों में सूखे की स्थिति के कारण कुछ नये क्षेत्र सामने आये जो जल की कमी से प्रभावित थे। राज्य सरकारों द्वारा 1-4-1978 तक बताये गये समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या के आधार पर तथा वर्ष 1978।79 तथा 1979.80 के दौरान लाभ पहुंचाए गए ग्रामों की संख्या को कम करके छठी योजना (1-4-1980) के आरम्भ में छठी योजना के दस्तावेजों में समस्याग्रस्त गामों की संख्या का अनुमान 1.90 लाख लगाया गया था।

राज्य सरकारों द्वारा 1972 और 1978 में बताये गये समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या सलग्न विवरण में दी जाती है।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर उपलब्ध सूचना यह बतलाती है कि 1979-80 के अन्त तक एक या अन्य प्रकार की योजनाओं से लगभग 1.84 लाख ग्रामों को जल सप्लाई से लाभान्वित किया गया था।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष समस्याग्रस्त ग्रामों में से अधिकतम ग्रामों को पेय जल मुहैया कराने का प्रयास होगा। छठी योजना के अन्तर्गत समस्याग्रस्त ग्रामों को जल सप्लाई के लिए 2,007.11 करोड़ रुपए का परिव्यय है जोकि पांचवीं योजना (1974-79) के 429-27 करोड़ रुपए की तुलना से काफी अधिक है।

विवरण

समस्या ग्रस्त पाये गए ग्राम

पेय जल की व्यवस्था करने के लिए शेष ग्राम

राज्य संग राज्य क्षेत्र	1972 में पता लगाए गए के अनुसार	1978 में सूचित किए गए
1 2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	6133	5482
2. असम	7619	17665
3. बिहार	35000	22773
4. गुजरात	3000	6718
5. हरियाणा	4180	3353
6. हिमाचल प्रदेश	9400	10245
7. जम्मू तथा कश्मीर	4000	4809
8. कर्नाटक	8252	8202
9. केरल	1514	590
10. मध्य प्रदेश	14020	28081
11. महाराष्ट्र	5233	5250
12. मणिपुर	1100	1062
13. मेघालय	3306	3185
14. नागालैन्ड	814	694
15. उड़ीसा	4619	11286
16. पंजाब	2340	1449
17. राजस्थान	4277	20032
18. सिक्किम	—	430
19. तमिल नाडु	2585	17857
20. त्रिपुरा	3396	3212
21. उत्तर प्रदेश	15478	307306

1	2	3	4
22.	पश्चिम बंगाल	12451	27306
23.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	70	153
24.	अरुणाचल प्रदेश	2451	2451
25-	चण्डीगढ़	—	—
26.	दिल्ली	145	166
27.	दादरा और नगर हवेली	—	72
28.	गोवा, दमण तथा द्वीव	241	73
29.	लड़ा द्वीप	—	—
30.	मिजोरम.	693	227
31.	पाण्डिचेरी	75	85
		152,392	233,622

राजस्थान मरुस्थल में वृक्षारोपण

4168. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसा सरकारी एजेंसियां कौन-कौन सी है, जिन्होंने इस वर्ष वन महोत्सव के दौरान राजस्थान के बाड़मेर, जेसलमेर और जोधपुर मरुस्थल जिलों से वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया था और यह अभियान कितने दिन चला था;

(ख) इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक एजेंसी द्वारा क्षेत्रवार/स्थानवार मितने वृक्ष लगाये गये थे,

(ग) अब तक वृक्षारोपण पर कितनी राशि खर्च की गई थी और संबंधित एजेंसियों के नाम क्या हैं तथा वृक्षारोपण किन-किन स्थानों पर शुरू किया गया था और किन-किन मदों पर राशि खर्च की गई थी, और

(घ) ये वृक्ष जीवित रहें और फलें-फूलें, यह सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) राज्य से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना/काम के बदले अनाज कार्यक्रम

4169. **श्री बुद्धि जैन** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कितने स्कूल, भवनों और पंचायत केन्द्रों का निर्माण किया गया, कितनी सड़कें बनाई गई और कितनी भूमि संरक्षण, बाढ़ से बचाव और पेड़ लगाए गए ; और

(ख) 1980-81 के दौरान कितने लाख जन-दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया था और 1981-82 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कितने जन-दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध किया जायेगा और उस पर कितना व्यय किए जाने का विचार है,

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक सृजित विभिन्न प्रकार की परिसम्पत्तियों को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण (1) संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिए संख्या एल.टी. 2822/81]

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत, अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार सृजित रोजगार को श्रम दिनों में दर्शाने वाला एक और विवरण (2) भी संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया-देखिए संख्या एल.टी. 2822/81] वर्ष 1981-82 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत 350 मिलियन श्रम दिनों के लिए रोजगार सृजित किए जाने का अनुमान लगाया गया है और इस पर कुल अनुमानित लागत 360 करोड़ रुपये आयेगी। इस लागत केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाएगी।

वसन्त विहार, नई दिल्ली में भूमि के एक प्लाट पर निर्माण

4170. **श्री केशवरावं पाटंकी** :

श्री मूल चन्द डागा :

श्री हीरा लाल आर० परमार :

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री बसन्त विहार में ए16/10 नम्बर के प्लाट पर भवन के निर्माण के बारे में 6 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6456 के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्राधिकरण ने उप उप पट्टे को किस तारीख को रद्द किया और प्लाट नम्बर ए-16/10 वसन्त विहार स्वामी को उक्त भवन के निर्माण में किए गए परिवर्तन में आवश्यक सुधार के लिए सलाह दी थी ;

(ख) क्या प्लाट नम्बर ए 16/10 के स्वामी से अब तक आवश्यक सुधार कर लिए हैं ;

(ग) यदि नहीं तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है, कब और कितने समय में ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त भवन में आवश्यक सुधार करवाने में दिल्ली विकास

प्राधिकरण की असफलता के कारण उक्त प्लाट के साथ के प्लाट नम्बर ए-16/19 बसन्त विहार में निर्णय कार्य मार्च, 1975 से रुका पड़ा है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो प्लाट नम्बर ए-16/10 बसन्त विहार के स्वामी को हो रही परेशानियां दूर करने लिए सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी आवासों के आवंटन में जनरल पूल और और अन्य पूल में अन्तर

4171. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवासों के आवंटन के मामले में अन्य पूल और जनरल पूल बराबरी पर हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो जनरल पूल तथा अन्य पूलों में अन्तर का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सब मामलों में नहीं।

(ख) सामान्य पूल और अन्य पूलों के बीच अन्तर मुख्यतया किराया मुक्त आवास का आवंटन, आवश्यक सेवाओं का अरक्षण तथा मृत/से निवृत्त/सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों आदि के आश्रितों को आवंटन करने से सम्बन्धित है।

(ग) संबंधित विभागों ने अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए आवंटन के लिए अपने स्वयं के नियम बनाए है ।

खुदरा व्यापारियों द्वारा चीनी तथा तेल की बिक्री के लिए शर्तें

4172. **मूल चन्द डागा** : नागरिक आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) केन्द्र शासित राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में खुदरा व्यापरियों या कोआपरेटिव सोसाइटियों को बिक्री के लिए चीनी तथा मिट्टी का तेल किन शर्तों पर दिया जाता है तथा एक बोरी चीनी और एक कनस्तर तेल पर उन्हें कितना लाभ अर्जित करने की अनुमति है ; और

(ख) क्या सरकार इसे संभव मानती है कि व्यापारी या कोआपरेटिव सोसाइटियां इतने कम लाभ पर यह कार्य ईमानदारी से करेंगे ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दालों की आवश्यकता और उत्पादन

4172. श्री मूल चन्द डागा :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री एस०एस० कृष्णा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) भारत में इस समय दालों की कुल मांग कितनी है और कुल उत्पादन कितना है और मांग पूरी करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ;

(ख) क्या इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अथवा किसी अन्य अनुसंधान लैबोरेटरी ने कोई कार्य किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) दलहनों की खपत अनेक घटकों से प्रभावित होती है. उनमें से मुख्य इस प्रकार है ;—उनकी घरेल उपलब्धि, प्रतिस्थापन्न खाद्य पदार्थों की उपलब्धि, सब्जियाँ, मांस, मछली अंडे आदि, उनके तुलनात्मक मूल्य, आय के स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की सीमा आदि । इसको ध्यान में रखते हुए दहलनों की मांग का सही अनुमान उपलब्ध नहीं है । नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार, 1980-81 के दौरान भारत दलहनों का उत्पादन 100 से 114 लाख मीटरी टन हुआ है । भारत में दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गत कुछ वर्षों के दौरान अपनाई गई नीति में निम्न बातें शामिल है - (1) वर्धन के माध्यम से प्रति हेक्टार उपज में वृद्धि करना व दलहन फसलों के उन्नत बीजों का प्रयोग करना, वनस्पति संस्करण उपायों को अपनाना, फास्फेट युक्त उर्वरकों का प्रयोग करना, रिजोबियम कल्चर व अन्य पैकेज पद्धति से बीजों का उपचार करना ; (2) मूंग, उड़द, चना व अरहर के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना तथा चावल वाली परती भूमि में उड़द, मूंग आदि की अल्पावधि किस्मों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र में वृद्धि करना ; और (3) सिंचित व असिंचत क्षेत्रों में अरहर, सोयाबीन, बाजरा, कपास व मूंगफली की अन्वर्ती फसलें उगाना शामिल हैं ।

(ख) और (ग) देश में दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान व विकास की द्वि-मुखी नीति अपनायी गई है । एक दृष्टिकोण यह रहा है कि शीघ्र तैयार होने वाली किस्मों का विकास किया जाय । दूसरा दृष्टिकोण उन्नत किस्मों, पैकेज पद्धतियों को अपनाकर परम्परागत रूप से दाल उगाने वाले क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाना रहा है । गत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान प्रयासों से निम्न किस्में निर्युक्त की गई हैं :—

फसल	किस्म
मूंग	पी०एस०-16 मोहिनी
ससूर	पन्त एल 406
मटर	हन्स
चना	बी०जी 209

गेहूं का आयात

4174. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या कृषि मन्त्री गेहूं के आयात के बारे में 17 अगस्त, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अमेरिका अनाज विक्रेताओं का ब्यौरा क्या है जिन से गेहूं खरीदा जा रहा है।

(ख) क्या उन्होंने जून, 1981 में यह कहते हुए कि देश में पर्याप्त गेहूं है, गेहूं आयात की सम्भावनाओं से इन्कार किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके एक महीने बाद जुलाई, 1981 में गेहूं आयात का निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) निम्नलिखित नौ अमेरिकी अनाज-फर्मों से गेहूं की खरीददारी की गई है :—

(1) मैसर्स कारगिल इंक
(2) मैसर्स कोलम्बिया ग्रेज इंक
(3) मैसर्स बंगे कारपोरेशन
(4) मैसर्स गारतैक ग्रेन कम्पनी इंक
(5) मैसर्स लुइस ड्रेफ्स कारपोरेशन
(6) मैसर्स फार-मार-को एक्सपोर्ट
(7) मैसर्स कान्टीनेंटल ग्रेन एक्सपोर्ट कारपोरेशन इंक
(8) मैसर्स नार्थ पैसिफिक ग्रेन ग्रोवर्स इंक
(9) मैसर्स मारूबेनी अमेरिका कारपोरेशन

(ख) और (ग) ऐसे विशेष महत्वपूर्ण विषय पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले आयात के पक्ष और विपक्ष के विभिन्न विचारों की बारीकी से समीक्षा करनी पड़ी थी। देश में गेहूं की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट जानकारी केवल वसूली की सामान्य अवधि, अर्थात् जून, 1981 के बाद ही हुई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा किए गए जन दिवसों की संख्या

4175. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आम तौर पर और विशेष तौर पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में "काम के लिए अनाज" कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से 1977-78 से 1981-82 (जून, 1981 तक) तक वर्षवार रोजगार के कुल कितने जन-दिवस पैदा किए गए।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : 1977-78, 1978-79 1979 80 और 1780-81 के वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्ष 1981-82 (जून, 1981) के दौरान सृजित रोजगार के बारे में सूचना अभी उपलब्ध होनी है।

विवरण

(10-9-81 की स्थिति)

1977-78, 1978-79, 1979-80 तथा 1980 81 के वर्षों के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	सृजित रोजगार 1977-78 (लाख श्रम दिन)	सृजित रोजगार 1978-79 (लाख श्रम दिन)	सृजित रोजगार 1979-80 (लाख श्रम दिन)	सृजित रोजगार 1980-81 (लाख श्रम दिन)	अवधि जिससे संबंधित है।
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	186.79	532.91	476.99	मार्च, 81
2.	असम	6.11	4.06	115.86	असूचित	
3.	बिहार	14.76	641.42	753.39	280.74	दिस०,80
4.	गुजरात	—	301.00	523.84	9.75	मार्च, 81
5.	हरियाणा	—	30.03	124.19	257.17	मार्च, 81
6.	हिमाचल प्रदेश	0.70	2.72	43.47	असूचित	
7.	जम्मू तथा काश्मीर	—	10.99	29.83	28.90	दिस०, 80
8.	कर्नाटक	5.02	44.71	12.13	असूचित	
9.	केरल	21.43	40.69	57.26	5.69	जून, 80
10.	मध्य प्रदेश	44.00	450.00	456.02	असूचित	मार्च, 80
11.	महाराष्ट्र	—	143.00	499.12	असूचित	
12.	मणिपुर	—	—	असूचित	असूचित	
13.	नागालैंड	—	—	असूचित	असूचित	
14.	उड़ीसा	68.69	362.39	552.27	294.06	सिद०, 80
15.	पंजाब	0.14	49.93	32.28	6.40	मार्च, 80
16.	राजस्थान	6.87	500.74	400.35	154.75	दिस०, 80
17.	सिक्किम	—	—	—	असूचित	
18.	तमिलनाडु	—	—	222.54	143.02	मार्च, 81
19.	त्रिपुरा	—	29.65	99.97	77.45	मार्च, 81
20.	उत्तर प्रदेश	58.19	223.32	819.52	479.36	दिस., 80
21.	पश्चिम बंगाल	218.43	533.44	540.50	328.51	मार्च, 81
22.	अंडेमान व निकोबार					

1	2	3	4	5	6	7
	द्वीप समूह	—	—	असूचित	2.55	जून, 80
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.15	0.30	दिस०, 80
24.	चंडीगढ़	—	—	—	असूचित	
25.	मिजोरम	—	2.00	—	असूचित	
26	पांडिचेरी	—	—	1.50	1.17	दिस०, 80
	योग	444.34	3556.88	5817.10	2546.81	

(–) दर्शाता है कि संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र ने वर्ष के दौरान कार्यक्रम भाग नहीं लिया था ।

राज्यों को एन.आर.ई.पी. के अधीन खाद्यान्नों के केन्द्रीय आबंटन में कटौती किया जाना

4176. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री राज्यों को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन के बारे में 17 अगस्त, 1981 के अतरांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 की तुलना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन राज्यों को खाद्यान्नों के आबंटन में भारी कटौती की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के बारे में कितनी कटौती की गई है ; और

(ग) इस कटौती के क्या कारण हैं ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को आबंटित किए जाने वाले खाद्यान्न चालू वर्ष में कार्यक्रम के लिए निर्धारित 360 करोड़ रुपये के समूचे आंबंटनों का केवल एक भाग है जो 1980-81 के दौरान उपलब्ध किए गए खाद्यान्नों सहित 340 करोड़ रुपये के समग्र आंबंटन से अधिक है । केन्द्र सरकार के पास खाद्यान्न स्टाकों की तंग स्थिति के कारण कटौती केवल वस्तु रूप में अर्थात खाद्यान्नों में करनी पड़ी है । 1980-81 तथा चालू वर्ष के दौरान आंबंटित किए गए खाद्यान्न संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अर्न्गत राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित खाद्यन्नों की मात्रा दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य	1980-81 के दौरान आबंटित खाद्यान्न (मीटरी टन)	1981-82 के दौरान आबंटित खाद्यान्न (मीटरी टन)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,65,880.00	16,592.00
2.	असम	25,965.00	3,000.00
3.	बिहार	2,48,769.32	20,000.00
4.	गुजरात	26,695.80	4,600.00
5.	हरियाणा	26 054.52	1,250.00
6.	हिमाचल प्रदेश	21,347.09	1,000,00
7.	जम्मू तथा कश्मीर	25,111.15	1,250.00
8.	कर्नाटक	58,325.00	14,386.00
9.	केरल	44,301 50	6.700.00
10.	मध्य प्रदेश	2,87,9658.00	11,000.00
11.	महाराष्ट्र	72,000.00	12,000.00
12.	मणिपुर	5,500.00	150.00
13.	मेघालय	2,000.00	200.00
14.	नागालैंड	9,056.70	100.00
15.	उड़ीसा	1.47,760.12	10,250.00
16.	पंजाब	17,639.39	2,150.00
17.	राजस्थान	2,23.226.00	4,000,00
18.	सिक्किम	750,00	100,00
19.	तमिलनाडु	77,313.72	14,138.00
20.	त्रिपुरा	4,750.00	500.00
21.	उत्तर प्रदेश	3,98,467.11	27,900.00
22.	पश्चिम बंगाल	1,05,288.00	27 900 00
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1 050.00	150,00
24.	अरुणाचल प्रदेश	1,270.00	400.00
25.	चण्डीगढ़	50,00	—
26.	मिजोरम	2,400,43	150.00
27.	पांडिचेरी	799.98	150 00
	योग :—	20,89,828,84	1,76,081.00

खाद्यान्नों की ढुलाई

4177. श्री निहाल सिंह : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाले विवरण सभा के पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1981 से 31 जुलाई, 1981 तक भारतीय खाद्य निगम ने रेलवे द्वारा खाद्यान्न की कितनी मात्रा भेजी ;

(ख) खाद्यान्न को समय पर न उठाने के कारण उन्होंने रेलवे मन्त्रालय को विलम्ब शुल्क की कितनी धनराशि का भुगतान किया ;

(ग) रेलवे स्टेशनों पर से खाद्यान्नों को समय पर न उठाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री० आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) : भारतीय खाद्य निगम ने पहली अप्रैल, 1981 से 31 जुलाई, 1981 तक रेल द्वारा लगभग 44 लाख मीटरी टन खाद्यान्न भेजा था ।

(ख) पहली अप्रैल, 1981 से 31 जुलाई, 1981 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा भेजे गए खाद्यान्नों के बारे में रेलवे को दिए गए विलम्ब शुल्क के सम्बन्ध में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है । प्रत्येक मामले में लगाए गए विलम्ब शुल्क की औचित्यता की आवश्यक जांच करने के बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा रेलवे को भुगतान किया जाता है जिसमें समय लगता है ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम औसतन प्रतिमास 10 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का संचलन कर रहा है जिसमें प्रति दिन औसतन 1500 से अधिक वैगनों में लादने/उतारने का कार्य होता है । ऐसे बड़े कार्य में कभी-कभी कुछ वैगन विभिन्न कारणों, अर्थात हैंडलिंग ठेकेदारों की विफलता; टर्मिनल डिपों की हैंडलिंग क्षमता से अधिक वैगनों का एक साथ आ जाना, खराब मौसम आदि की वजह से मुक्त अनुमेय समय से अधिक समय तक टर्मिनलों पर रूके रह जाते हैं ।

(घ) बिलम्ब शुल्क के भार को कम से कम करने की दृष्टि से भारतीय खाद्य निगम प्रबन्ध ने सभी जोनल प्रबन्धकों और क्षेत्रीय प्रबन्धकों को हाल ही में अनुदेश जारी किए हैं कि विलम्ब शुल्क लगाने के सभी पहलुओं की जांच करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में उप प्रबन्धक के स्तर के अधिकारियों की एक समिति गठित की जानी चाहिए ।

रामाकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में सूखे नाले पर मोटर गाड़ियों के लिए पुल का निर्माण

4178. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री डा० ए० यू० आजमी :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली के सेक्टर-1 में गहरा, चौड़ा और

सूखा नाला है जिसके किनारे समतल नहीं हैं तथा जिस पर मोटर गाड़ियों के आवागमन के लिए कोई भी पुल नहीं है;

(ख) क्या रामकृष्ण पुरम, सेक्टर-11 में स्कूल का रास्ता बरसात के दिनों में दलदली हो जाता है और उस पर पानी भर जाता है जिससे सेक्टर-1 के स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत कठिनाई होती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस नाले को भूमिगत बनाया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त क्षेत्र का या तो खेल का मैदान अथवा पार्क बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा क्योंकि रामकृष्ण पुरम सेक्टर-I और II में इन सुविधाओं का अभाव है; और

(घ) यदि उपरोक्त (ग) सम्भव नहीं हैं तो क्या स्कूल जाने वाले बच्चों की सुविधा के लिए इसे कृत्रिम झील बनाकर उस पर पक्की सड़क बनाई जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

निर्माण और आवास मन्त्रालय तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में बीमारी के आधार पर सरकारी आवास का आबंटन

4179. **श्री राशनाय सोनकरास्त्री :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

डा० ए० यू० आजगो : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दशक में निर्माण और आवास मन्त्रालय तथा उससे संबद्ध एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में उनके सरकारी कर्मचारियों ने अपने माता-पिता की बीमारी के आधार पर सरकारी आवासों का आबंटन प्राप्त किया और इस तरह आवास के लिए प्रतीक्षा में खड़े अन्य लोगों को आवास से वंचित कराया ;

(ख) यदि हां, तो धोखा करके क्या बिना बारी ऐसे आबंटनों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे ज ल्साज कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के प्रयोजन से कोई सर्वेक्षण कराया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता :

विभिन्न सरकारी निकायों पर संसद-सदस्य

4180. **श्री एन० ई० होरो** : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सदस्यों के नामों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1080-81 के दौरान विदेशों में जाने वाले विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलों अथवा सरकार द्वारा प्रायोजित और वित्त पोषित प्रतिनिधि

मण्डलों में शामिल किया गया है और वे किस-किस राजनीतिक दल के हैं; और

(ख) उन संसद सदस्यों के क्या नाम हैं जिन्हें 1980-81 के दौरान विभिन्न सरकारी निकायों, स्वयत्त संगठनों आदि में उनके व्यक्तिगत आधार पर, संसद के वैधानिक प्रतिनिधित्व से भिन्न, शामिल किया गया है और वे किस राजनीतिक दल के हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नरायाण सिंह) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी स्टोर

4181. श्री एन० ई० होरो : क्या नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंजीकृत किए गए उपभोक्ता सहकारी स्टोर की संख्या का क्या ब्यौरा है ;

(ख) उन उपभोक्ता सहकारी स्टोरों की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है जिन के पास नियमित खुदरा शो-रूम है जहां वे व्यक्ति भी सामान खरीद सकते हैं जो इन के सदस्य नहीं हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन सभी उपभोक्ता सहकारी स्टोरों का पंजीकरण समाप्त करने का है जो कि वास्तव में पारिवारिक रूप से चल रहे है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत उपभोक्ता सहकारी भंडारों की कुल संख्या 604 है। इनमें सुपर बाजार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डार लि० शामिल हैं। 604 उपभोक्ता सहकारी भण्डारों में से 165 समापधीन हैं और 120 निष्क्रय हैं।

(ख) ऐसे 319 उपभोक्ता भण्डार कार्य कर रहे हैं, जिनके नियमित खुदरा शो-रूम हैं। इनमें सुपर बाजार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक भण्डार शामिल हैं।

(ग) और (घ) : चूंकि किसी उपभोक्ता सहकारी भण्डार के पंजीकरण के लिए एक न्यूनतम विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्यों का होना आवश्यक है, अतः यह एक ही परिवार का कारोबार नहीं हो सकता है।

बाढ़ों पर नियंत्रण करने हेतु हिमचाल प्रदेश के लिए योजना

4182. श्रीकृष्ण दत्त सुलतानपुरी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से राज्य में नदियों की बाढ़ों पर नियंत्रण करने की कोई योजना स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है तथा इस बारे में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कौन-कौन से उपाय करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) राज्यों की किन-किन नदियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से तुरन्त बाढ़ नियंत्रण उपाय करने का अनुरोध किया गया है और उस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा तथा क्या इस बारे में ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वान नदी को सरणोबद्ध करने (चेनल इजेशन) और इस नदी द्वारा और आगे कटाव को रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए 42 करोड़ रुपये की एक समूची स्कीम एक भाग के रूप में पहले चरण में 12 करोड़ रुपये की लागत वाला एक प्रस्ताव तैयार किया है। उनका पोंग बांध के अनुप्रवाह में व्यास नदी की सरणोबद्ध करने का भी एक और प्रस्ताव है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय जल आयोग के एक विशेषज्ञ ने मई, 1981 में इन क्षेत्रों का दौरा किया था और अपने सुझाव दिये थे। दिए गए सुझावों को रोशनी में संशोधित प्रस्ताव अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

"काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को दिया गया खाद्यान्न।

4183. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष "काम के बदले अनाज कार्यक्रम" के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार को खाद्यान्न की दी गई मात्रा का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वर्ष 1981 और 1982 में खाद्यान्न की कितनी मात्रा दिए जाने का विचार है और खाद्यान्न के स्थान पर आटा सप्लाई करने के क्या कारण है,

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1979–80 के उठाए न गए शेष खाद्यानों सहित 21,347.09 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा दी गई थी।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान, अभी तक 1,000 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा दी गई है। इस मंत्रालय ने राज्य को खाद्यान्नों के स्थान पर कोई आटा नहीं दिया है।

हिमाचल प्रदेश में एशिया होटल काम्पलेक्स के निर्माण हेतु भूमि।

4184. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि एशिया होटल काम्पलेक्स के निर्माण हेतु वन विभाग को रियायती दर पर कुछ भूमि दी जाए ; और

(ख) यदि हाँ तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या तत्सम्बन्धी ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) हिमाचल प्रदेश की सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें एशिया रिपोर्ट (प्राइवेट) लि० द्वारा निर्माण होने वाले फाईव स्टार होटल को एरियल ट्राम्वे से कालका-शिमला राजमार्ग से जोड़ने के लिए एम्बार्कशन प्लेटफार्म का निर्माण करने हेतु सांलन वन प्रभाग में

0.54 हैक्टार वन भूमि के हस्तान्तरण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति मांगी गई है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वन क्षेत्र के बेचने की शर्तों का उल्लेख नहीं किया है।

(ख) इस प्रस्ताव पर कार्यवाही चल रही है।

दिल्ली से बाहर काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

4185. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश के शिमला और अन्य नगरों में मकानों का निर्माण करने की कोई योजना है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : शिमला में सामान्य पूल में 104 क्वार्टरों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। टाइप-I के 24 क्वार्टर पहले तैयार हो गए और टाइप-II के 64 तथा टाइप-III के 16 शेष। क्वार्टरों का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तैयार हो जाने की सम्भावना है। शिमला में टाइप-II के 16 और क्वार्टरों का निर्माण के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) पहले ही स्वीकृत किए गए 104 क्वार्टरों के निर्माण पर होने वाला कुल सम्भावित व्यय लगभग 33 लाख रुपये होगा।

तूफान से कुष्ठ रोगियों के आश्रम के गिरे मकान

4186. **श्री पी०के० कोडियन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस वर्ष मई में आए तूफान में ताहिरपुर शाहदरा में गांधी कुष्ट रोगी आश्रम के मकान गिर गए थे।

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने निवासियों को चोटें आईं और उन्हें क्या सहायता दी गई ;

(ग) क्या यह सच है कि ठेकेदार द्वारा इन मकानों के निर्माण में बहुत घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था;

(घ) क्या सरकार का ध्यान 24 मई, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में 1974-75 से 1980-81 के दौरान स्टाक का रख-रखाव

4187. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली, में स्टाक के रख-रखाव के बारे में 24 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8044 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग भवन; नई दिल्ली में 1974-75 से 1980-81 तक की अवधि के दौरान स्टाक के रख-रखाव में किस प्रक्रिया का पालन किया गया और

(ख) स्टाक के रख-रखाव तथा वस्तुओं की गिनती करने और मूल्य निर्धारित करने के वैज्ञानिक पद्धति अपनायें जाने के बाद पिछले सात वर्षों के लिए वर्षिक "स्टाकटेकिंग" के बारे में वर्षवार आंकड़े क्या है

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में उप मंत्री (कु० कमला कुमारी) : (क) इस समय खादी ग्रामोद्योग भवन; नई दिल्ली सूती तथा ऊनी खानी तथा ग्रामीण उद्योग के उत्पादों के स्टाक का रख-रखाव मूल्य के आधार पर कर रहा है। रेशमी तथा पशमीने की वस्तुओं के टाक; सिले सिलाए कपड़ों को छोड़कर मदवार तथा मात्रावार रखे जाते हैं। बिक्र काऊन्टरों पर भी स्टाक; संख्या और मीटरों में रखे जाते हैं।

(ख) गत सात वर्षों के इतिशेष स्टाकों के वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गये हैं।

वर्ष	लाख रुपये में
1974-75	91-92
1975-76	99.96
1976-77	133.98
1977-78	183.08
1978-79	177.95
1979 80	195.55
1980-81	238,12

घटिया चावल की सप्लाई

4188. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उसे घटिया चावल की सप्लाई करने के बारे में खाद्य नियत्रक, बरेली को कोई शिकायत की है ; और

(ख) क्या यह सच है कि खाद्य नियंत्रक बरेली के कार्यालय से सम्बंधित फाइल रहस्यमय ढंग से गायब हो गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ। भारतीय खाद्य निगम ने पहली जनवरी, 1981 को उत्तर प्रदेश सरकार

से चावल का स्टाक लेते समय क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, बरेली को उन्हें घटिया किस्म का कुछ चावल सप्लाई करने के बारे में शिकायत की थी।

इस मामले की भारतीय खाद्य निगम और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जांच की थी। जाँच करने के फलस्वरूप चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इस स्टाक का उच्च-श्रेणीकरण कर उसे समान विनिर्दिष्टयों के अनुरूप लाने के बारे में आवश्यक अनुदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

(ख) यह सही है कि संबंधित फाइल क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, बरेली के कार्यालय में मिल नहीं रही है। तथापि, वर्तमान खाद्य नियंत्रक द्वारा उसको फिर से तैयार कर लिया गया है।

कालकाजी, नई दिल्ली में जिनिंग प्रेस

4189. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री 4 मई, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9597 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि मकान संख्या जी० 1/ए, कालकाजी, नई दिल्ली (डी० टी० सी० बूथ के ठीक पास का कोने का प्लाट) में पिछले बहुत से वर्षों से 'जिनिंग प्रेस' चल रही है ;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से विद्युत कनेक्शन भी लिया गया था और उस संस्थान से इसका सत्यापन कराया जा सकता है ;

(ग) क्या गलत जानकारी देने के इस मामले में वह दिल्ली नगर निगम से सम्पर्क करेंगे ;

(घ) क्या ऋतु में परिवर्तन के साथ और शरद ऋतु के आगमन पर 'जिनिंग प्रेस' का चलना इस समय आरम्भ किया जा रहा है ; और

(ङ) इस 'जिनिंग प्रेस' जिससे पर्यावरण सम्बन्धी खतरे तथा वातावरण में प्रदूषण, विशेष कर आस-पास के घरों में उत्पन्न हो रहा है, को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अपना मकान होते हुए सरकारी भवन में रहने वाला सेवा निवृत अधिकारी

4190. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री 'टाप आफिसर्स आर आलमो टाप लैंड लार्डस' शीर्षक से समाचार के बारे में 17 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 144 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिए गए उत्तर में सेवा निवृत्ति के काफी समय बाद सरकारी आवासों में रहने वाले सचिवों की सूची में से संचार मन्त्रालय के भूतपूर्व सचिव और बाद में सांख्यकी विभाग के सचिव जिसकी शान्ति निकेतन कालोनी में अपनी भव्य कोठी है और जिसका

उन्हें काफी किराया प्राप्त हो रहा है, का नाम सरकारी आवास में बने रहने वाले सचिवों की सूचि में से हटा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) सेवानिवृत्ति के कितने समय बाद तक यह अधिकारी सरकारी कोठी में रहता रहा ; और

(घ) उससे सरकारी आवास खाली करवाने के लिए जैसाकि अन्य सेवानिवृत सचिवों के साथ किया जा रहा है क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सन्दर्भित सूची में सचिव, संचार मन्त्रालय बाद में सचिव, संख्यकीय विभाग का नाम छूट गया था ।

(ख) प्रश्न संख्या 144 में उन सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों के बारे में सूचना मांगी गई थी जो सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे अभी तक सरकारी वास में रह रहे थे । चूंकि भूतपूर्व सचिव, संचार मन्त्रालय ने पहले ही 20-5-81 को सरकारी वास खाली कर दिया था अत: उनका नाम प्रश्न सूची में शामिल नहीं किया गया था ।

(ग) तथा (घ) प्रश्नगत अधिकारी सरकारी सेवा से 31-7-78 को सेवानिवृत्त हुआ था । अत: 30-9-78 से उसके नाम से बंगला नं० 5, हरीशचन्द्र माथुर लेन का आवंटन नियमों के अन्तर्गत अनुमेय मकान रखने की दो माह की सामान्य अवधि देने के बाद निरस्त कर दिया गया था । उसके बाद, नियमों के अनुसार उसे 1-10-78 से 31-3-79 तक बंगला और छः महीने रखने की अनुमति दी गई थी । उन्हें आयात प्रतिस्थापना के उन्नयन के लिए तकनीकी आर्थिक तथा स्कूल नीतियों की समीक्षा हेतु सीमित का अध्ययन नियुक्त किया गया था । सरकार द्वारा उसे पूर्वोक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में पदावति के लिए सरकारी वास रखे रहने के लिए अनुमेय करने का निर्णय लिया गया था । समिति 31-10-80 को समाप्त हो रहे । जहां की अधिकारी 31-10-80 को सरकारी वारा खाली करने में असफल रहा तो लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों बेदखली) अधिनियम; 1917 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही आरम्भ की गई थी तथा सम्पदा अधिकारी द्वारा बेदखली आदेश पारित किए गए थे । अधिकारी ने 20-5-1981 को बंगला खाली कर दिया था ।

सरकारी आवासों के आबंटन के लिए पूल

4191. **श्री वसन्तकुमार पण्डित**

श्री चिन्तामणि जेना

श्री भीखभाई : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी आवंटन के उद्देश्य से सरकार के पास कितने पूल हैं ;

(ख) उनका वर्गीकरण किस प्रकार किस आधार पर किया गया है, और उन्हें अधिकार कहां से प्राप्त होते हैं ;

(ग) क्या उनका वर्गीकरण प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) सामान्य पूल के अलावा 11 विभागीय पूल हैं।

(ख) ये पूल सम्बन्धित विभागों द्वारा उनकी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सृजित किए गए हैं और वे सरकारी निर्णयों से अपने प्राधिकार प्राप्त करते है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी आवास

4192. रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने मामले है जिनमें सरकारी आवास का तदर्थ आधार पर आवंटन सेवा-निवृत होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि 1 जनवरी 1977 से 30 अप्रैल 1979 और 1 मई 1981 से आज तक सरकारी आवास (दिल्ली सामान्य पूल) के आबंटन नियम 1963 के सा०का० 317-13-25 के अंतर्गत सामान्य आवासीय पूल का आबंटनधारी था के सुपात्र बच्चे को किया गया ;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सामान्य पूल के सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी और दूसरे पूल के उसके बेटे और दूसरे पूल के सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी और सामान्य पूल के उसके बेटे को उक्त अवधि के दौरान सरकारी आवास का आबंटन किया गया ; और

(ग) और ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सामान्य पूल के अतिरिक्त अन्य पूल के सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी और उसके बच्चों को उक्त अवधि के दौरान तदर्थ आधार पर सरकारी आवास का आबंटन किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनरायण सिंह) : (क) 356

(ख) तथा (ग) सामान्य पूल से ऐसा कोई आबंटन नहीं किया गया है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के कागज की भारत सरकार मुद्रणालय नई दिल्ली में हेराफेरी

4193. श्री सतीश प्रसाद सिंह

श्री मनोहर लाल सैनी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के 15;000 रुपए से अधिक की कीमत के कागज और एक लाख रुपए के मूल्य की अन्य विभिन्न वस्तुओं की हेराफेरी भारत सरकार मुद्रणालय, मिण्टो रोड, नई दिली के पी. एल. विग के जनरल स्टोर कीपर द्वारा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वस्तुवार पूर्ण ब्यौरा क्या है और हेराफेरी किस तारीख को की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मामले को सम्बद्ध अधिकारियों ने दबा लिया है और संब-

धित स्टोर कीपर के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(घ) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और दोषी के खिलाफ सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) : विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय से प्राप्त कागजों का स्टाक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली के फोटोलिथो शाखा में किताबों में ले लिया गया है और उनकी कोई हानि ध्यान में नहीं आई है। जहां तक अन्य मदों का सबध है, मार्च, 1981 को समाप्त हुए वर्ष तक वार्षिक स्टाक का मिलान का कार्य पूरा हो गया है यदि कोई कमी हो तो उसका पता इन आंकड़ों को किताबी आंकड़ों से मिलाने के बाद ही चलेगा।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

वरिष्ठ पुल इन्जीनियरों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों का खरीदा जाना

4194. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई वरिष्ठ पुल इंजीनियरों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्लाट खरीदे हैं ;

(ख) क्या इन प्लाटों को इन इंजीनियरों ने सामान्य बोली द्वारा अथवा लक्की लाट्स के माध्यम से प्राप्त किया है ;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इनमें से कितनों ने इन प्लाटों पर मकान दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास ड्यूटी अथवा सेवा कर की अवधि में ही बना लिए हैं ; और

(ङ) क्या उन्होंने अपने मकानों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण का परिवहन और भवन निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा वनस्पति की बिक्री

4195. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या नागरिकपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है हिन्दुस्तान लीवर के पास देश में अपने चारों एककों में प्रतिवर्ष कुल 409 मीट्रिक टन वनस्पति उत्पादन की लाइसेंस क्षमता थी;

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर ने यह स्वीकार किया है कि 1974 के दौरान जब देश में वनस्पति का अभाव था उसने अनिवार्य और दुर्लभ खाद्य तेल की काफी मात्रा बेची;

(ग) क्या एफ. ई. आर. ए. के अन्तर्गत विदेशी सहायता प्राप्त कंपनी को इस प्रकार के आन्तरिक व्यापार की अनुमति है;

(घ) क्या इस संबंध में इस कंपनी के दोषी प्रबंधकों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है और

(ङ) क्या हिन्दुस्तान लीवर अभी भी इस प्रकार की गतिविधियां "प्रोसेस्ड ट्राइगलाइसराइडिस" जैसे नए बनाए गए शब्दों के अन्तर्गत कर रहा है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी हां।

(ख) वनस्पति के उत्पादन में इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्री सरकार द्वारा अवंटित आयातित खाद्य तेल और वनस्पति कारखाने द्वारा बाजार से क्रय किए गए देशी तेल होते हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कंपनी ने 1974 के दौरान आयातित तेल को, जो आवंटित किया गया था खुले बाजार में बेचा है और न ही उसने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने ऐसा किया था।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इसकी जांच कराई जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लेटों का आवंटन

4196. **श्री ईरा अनवारासु** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में क्रमशः एच० आई० जी०, एम० आई० जी० और एल० आई० जी० श्रेणी से सम्बन्धित आय वाले व्यक्तियों को एम० आई० जी० एल० आई० जी० और ई० डब्ल्यू० एस० मकान फ्लेट आदि आवंटित करने के लिए कौन सा अधिकारी सक्षम प्राधिकारी है;

(ख) क्या उस प्राधिकारी ने किसी मामले में अपनी उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग किया है, और

(ग) यदि हां, तो किन-किन बातों पर विचार करके उन्होंने ऐसा किया है तथा ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति हैं, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण को सामान्य निर्धारित पद्धति में ढील देते हुए फ्लेटस आवंटित किए गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि अध्यक्ष-उपाध्यक्ष अनुकम्पा के आधार पर आवंटन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर निर्णय लेने में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं।

(ख) तथा (ग) : यदि पंजीकृत व्यक्ति की आय किसी विशेष श्रेणी के लिए जिसमें वह पंजीकृत है, निर्धारित आय सीमा से कुछ ही अधिक होती है या कम पड़ती है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उपाध्यक्ष इस अन्तर को सामान्यितया माफ कर देता है; दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि वर्ष 1980-81 के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं है।

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कथित आरोप

4197. **श्री शिव शरण शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1981 से जुलाई 1981 की अवधि के दौरान कुछ सांसदों ने उन्हें एक पत्र लिखा था, जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवास विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण में विद्यमान भ्रष्ट प्रक्रियाएं और विभागीय धोखा धड़ी के आरोप लगाए गए थे; और

(ख) यदि हाँ; तो इस पत्र में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं और पिछले पत्रों में क्या आरोप लगाए गए थे तथा इन आरोपों की जांच करने के लिए अब तक क्या कार्य- वाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

वर्ष 1980-81 के दौरान ग्रामीण सड़कों हेतु राज्यों के लिए स्वीकृत धनराशि

4198. **श्री कृपा सिन्धु भोई** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान ग्रामीण सड़कों हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कुल कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी;

(ख) क्या सभी राज्यों ने इस प्रकार स्वीकृत धननाशि का पूरा-पूरा उपयोग कर लियाथा ;

(ग) ऐसे कौन-कौन से राज्य है, जो सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग करने में असमर्थ रहे और धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1981-82 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 1980-81 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए परिव्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (विवरण-1) ।

(ख) व (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) एक विवरण संलग्न है (विवरण-2) ।

विवरण I

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

1980-81 के दौरान ग्रामीण सड़कों के लिए परिव्यय

(लाख रुपए में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1980-81
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	450

1	2
2. असम	558
3. बिहार	2300
4. गुजरात	2814
5. हरियाणा	50
6. हिमाचल प्रदेश	600
7. जम्मू तथा कश्मीर	400
8. कर्नाटक	665
9. केरल	380
10. मध्य प्रदेश	1325
11. महाराष्ट्र	1490
12. मणिपुर	200
13. मेघालय	150
14. नागालैंड	130
15. उड़ीसा	605
16. पंजाब	375
17. राजस्थान	1037
18. सिक्किम	118
19. तमिलनाडु	700
20. त्रिपुरा	230
21. उत्तर प्रदेश	4600
22. पश्चिम बंगाल	652
योग-राज्य	19829

(लाख रुपए में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1980-81
1. अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह	76
2. अरुणाचल प्रदेश	85.4
3. चण्डीगढ़	—
4. दादरा तथा नगर हवेली	1.0
5. दिल्ली	5.1
6. गोवा, दमन तथा द्वीव	3.0
7. लक्ष्यदीप	2.2
8. मिजोरम	184.0
9. पाण्डिचेरी	10.5
योग-केन्द्र शासित क्षेत्र :	367.2
महायोग	20196.2

विवरण-2

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम

1981-81 (लाख रुपए में)

राज्य/ केन्द्र शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	मरुभूमि विकास कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	972.00	1896.00	570.00	—
2. असम	402.00	400 00	427.50	—
3. बिहार	1761.00	2420.00	—	—
4. गुजरात	654.00	560.00	307.50	65.08
5. हरियाणा	261.00	160.00	97.50	153.81
6. हिमाचल प्रदेश	207.00	120.00	—	25.00
7. जम्मू तथा काश्मीर	225.00	160.00	97.50	59.16
8. कर्नाटक	525.00	828.00	345.00	—
9. केरल	432.00	804.00	—	—
10. मध्य प्रदेश	1374.00	1320 00	315.00	—
11. महाराष्ट्र	888.00	1420.00	315.00	—
12. मणिपुर	78.00	20.00	—	—
13. मेघालय	72 00	20.00	—	—
14. नागालैंड	63.00	20.00	—	—
15. उड़ीसा	942.00	820.00	187.50	—
16. पंजाब	351.00	252.00	—	—
17. राजस्थान	696.00	468.00	592.50	496.95
18. सिक्किम	12.00	16.00	—	—
19. तमिलनाडु	1131.00	14.80.00	360,00	—
20. त्रिपुरा	51.00	60 00	—	—
21. उत्तर प्रदेश	2628.00	3340.00	375.00	—
22. पश्चिम बंगाल				
23. अण्डेमान तथा निकोबर दीप समूह	38.00	16.00	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	225.00	16.00	—	—
25. चण्डीगढ़	36.00	4.00	—	—
26. दादरा तथा नगर हवेली	6.00	—	—	—
27. दिल्ली	30.00	—	—	—
28. गोवा दमन तथा दीप	72.00	—	—	—

1	2	3	4	5	6
29	लक्ष्यदीप	30.00	—	—	—
30.	मिजोरम	120.00	16.00	—	—
31.	पांडिचेरी	24.00	16.00	—	—
	अखिल भारत	15336.00	18000.00	4252.50	800,00

*वार्षिक योजना 1981-82 में समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 14500 लाख रुपए का कुल परिव्यय सुलभ किया गया है।

**वार्षिक योजना 1981 82 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 4000 लाख रुपए का कुल परिव्य सुलभ किया गया है।

भण्डारण क्षमता

4199. **श्री सुभाष चन्द्र बोस यादव :**

श्री बी0 वी0 देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों का भण्डार करने के लिए सरकार के पास कुल कितनी भंडारण क्षमता उपलब्ध है ;

(ख) क्या कुछ खाद्यान्न खुले में भी भंडार किया हुआ है और यदि हाँ, तो कितना ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार खुले भण्डार किया गया कितना खाद्यान्न नष्ट हो गया था ;

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) कितने राज्यों में भण्डारण क्षमता को बढ़ाया गया हैं ;

(च) यह क्षमता कितनी-कितनी बढ़ाई गई है ; और

(छ) क्या भारतीय खाद्य निगम ने यह सुनिश्चत किया है कि इस वर्ष वर्षा के कारण खाद्यान्न का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वमीनाथन) :

(क) भारतीय खाद्य निगम, जो कि खाद्यान्नों के बफर स्टाक का प्रबंध करने के लिए जिम्मेदार है, के पास 1.7.1981 को 206.22 लाख मीटरी टन की कुल भण्डारण क्षमता उपलब्ध थी।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1.7.1981 को खुले कम्पलैवसों (कवर और प्लिथ) में रखे गए खाद्यान्नों का कुल स्टाक 18.82 लाख मीटरी टन था।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के खुले कम्पलेवसों (कवर और प्लिथ) में खाद्यान्नों की क्षतिग्रस्त और मानव उपभोग के अयोग्य हुई मात्रा इस प्रकार थी—

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)
1978-79	92,467
1979-80	69,239
1980-81	13,811

(घ) और (छ) भारतीय खाद्य निगम के खुले कम्पलेक्सों [कवर और प्लिथ] में भण्डारित खाद्यान्नों की हानि को बचाने के लिए निम्नलिखित पग उठाये जाते हैं—

(1) स्टाक को लकड़ी के क्रेटों पर रखा जाता है और उन्हें विशेष रूप से तैयार की गई वाटर प्रूफ पोथीलीन की चादरों से ढका जाता है। पोलीथीन की चादरों को अच्छी तरह बाँधने के लिए नाइलन की रस्सियाँ सुलभ की जाती हैं ताकि तूफानों की हालत में गुब्बारे का रूप धारण करने के कारण चादरों को क्षति से बचाया जा सके।

(2) प्रमुख कैम्प कम्पलेक्सों (कवर और प्लिथ) में मौनोफिल मेंट के जाल और कवर टाप्स भी सुलभ किए गए हैं ताकि मौसम के प्रकोप से अनाजों की अतिरिक्त सुरक्षा की जा सके।

(3) पोलीथीन की चादरों को समय-समय पर बदल दिया जाता है ताकि हमेशा अच्छे ढंग से खाद्यान्नों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

(4) खाद्यान्नों को अच्छी हालत में बनाए रखने के उद्देश्य से साफ मौसम के दौरान खुले में रखे हुए स्टाक का अनिवार्य रूप से वातन किया जाता है।

(5) खुले में रखे हुए स्टाक की नियमित रूप से जांच करने, उसका उपचार तथा परीक्षण करने के लिए उपयुक्त ध्यान दिया जाता है।

(ङ) और (च) 1980-81 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने आन्ध्र प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कुल 5.974 लाख मीटरी टन की और ढकी हुई भण्डारण क्षमता तैयार की है।

नवकेतन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में अनियमितताएं

4200. **श्री जी० एन० निहालसिंह वाला** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकार, सहकारी समितियाँ, दिल्ली के भाई और उसके कर्मचारियों को नवकेतन ग्रुप हाउसिंग कम्पलेक्स में फ्लैट्स दिए गए हैं और इसी वजह से पंजीकार उक्त सोसायटी अनियमितताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं तथा पदाधिकारियों को बचा रहे है ;

(ख) क्या मकान दो वर्ष पहले बन गए थे और सोसायटी ने अपने सदस्यों को अब तक इसका हिसाब नहीं बताया है और जो सदस्य हिसाब माँगते हैं, उन्हें सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा धमकाया जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जाँच कराने के लिए तैयार है, यदि हाँ, तो कब ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) समिति ने फ्लैट्स दो साल पहले बनाए थे और समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए नवीनतम प्राक्कलन में मूल प्राक्कलन के ऊपर उच्च वृद्धि के लिए कोई औचित्य नहीं है। दिल्ली प्रशासन के सहकारी समिति के पंजीकार से दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत आगे और जाँच के आदेश दिए हैं। तथापि, इस जाँच को दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक दिया है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : (व्यवधान) मैं आपको एक-एक करके बुलाऊंगा। यदि आप सब इस प्रकार खड़े होते रहे तो मैं यह कैसे सुन पाऊंगा कि आप सभा के समक्ष क्या पेश करना चाहते हैं। इसलिए मैं एक सदस्य को इस ओर से और दूसरे को उस ओर से बुलाऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमान मैंने आपको एक नोटिस दिया है···।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइये। अभी मैं प्रो० दंडवते को बुला रहा हूं। आप एक खास बात कहिए और लम्बा भाषण मत दीजिए।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, रोज ये लोग पहले बोलते हैं, आज हमें पहले सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : श्रीमान मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे दल के सदस्यों पर जो नियम लागू किये जाते हैं वही नियम विपक्ष के सदस्यों पर भी लागू किए जाने चाहिए। विभिन्न दलों के बीच एक आचार-संहिता होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात पर आपसे सभी सहमत हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : एक अपील मैं विपक्ष के सदस्यों से यह करना चाहता हूं कि वे सभा के समक्ष जो बात कहना चाहें वे कह सकते हैं परन्तु उन्हें नियमों के अनुसार ऐसा करना होगा. यदि वे चिल्लाते हैं और हमारे सदस्य भी फिर चिल्लाते हैं तो हमारे सदस्यों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं प्रोफेसर को इजाजत दूंगा। उसके बाद आपको बुलाऊंगा। मैं आपको एक-एक करके बुलाऊंगा। मैंने प्रोफेसर को इजाजत दी है, किसी और को नहीं। मैं श्री नाबी और श्री भगत को बुलाऊंगा। मैं इस ओर से भी कुछ सदस्यों को बुलाऊंगा और उसके बाद श्री लकप्पा को बुलाऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपकी आज्ञा से यह बात उठा रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अध्यक्ष महोदय को लिखा है। शान्ति-शान्ति, मैंने इजाजत नहीं दी है। आपने केवल पत्र लिखा है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं। क्या आपको इस पर आपत्ति है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक विद्वान सदस्य हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आपकी आज्ञा से मैं यह कह रहा हूं। क्या अध्यक्ष महोदय वित्त मंत्री

के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पर अपना विनिर्णय देंगे। इसलिए जो अतिरिक्त जानकारी हमारे पास है वह हम उस विशेष धारा के अन्तर्गत उठा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता दूं कि अध्यक्ष ने सभा को सूचित कर दिया है कि सदस्यों के पास यदि कोई नया साक्ष्य अथवा नया दस्तावेज है तो वे उसे दे सकते हैं। यदि आपके पास कोई नया साक्ष्य है तो आप अध्यक्ष से सम्पर्क कर सकते हैं। यह कृपया उन्हें दे दीजिए। उसका जिक्र यहां मत कीजिए। आप अध्यक्ष महोदय के पास जाकर उनसे मिल सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह बात आपकी आज्ञा से कह रहा हूं। आप अधीर न हों।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अध्यक्ष महोदय का नाम लिया है। मैंने कहा है कि अध्यक्ष ने सभा को पहले ही सूचित कर दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अध्यक्ष से मिल चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष के पास जा सकते हैं और उन्हें नया साक्ष्य, यदि कोई हो, तो दे सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बताना चाहता हूं (व्यवधान) संसदीय कार्य मन्त्री क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, मैंने प्रोफेसर को इजाजत दी है। इसके अलावा कोई और बात कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं की जायेगी। (व्यवधान)*

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि विनिर्णय कल दिया जायेगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार कर लेंगे। आप इस सभा पटल पर रख सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते। आप आधे मिनट इन्तजार क्यों नहीं कर सकते। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं। (व्यवधान) में आपको इसकी इजाजत नहीं देता (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपनी बात आधे मिनट में समाप्त कर दूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको बता रहा था कि क्योंकि विनिर्णय कल दिया जाएगा इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि 27 अक्तूबर को महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने लिखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पत्र अध्यक्ष महोदय के पास भेज दिया है।

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : आपने मुझे अपनी बात कहने की इजाजत दे दी है। आप अपना विनिर्णय क्यों बदल रहे हैं ? मैं अपनी बात आधे मिनट में कह दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मुझे समाप्त करने दीजिए। (व्यवधान)

हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे परन्तु हम इसके आदी नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने यह पत्र अध्यक्ष के पास नहीं भेजा है ?

प्रो० मधु दंडवते : पत्र भेजा जा चुका है। कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए। (व्यवधान) वह इसे सभा पटल पर रख रहे हैं। कृपया बैठ जाइये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये (व्यवधान)

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : महोदय, बिना सभापति की अनुमति के वह सभा पटल पर पत्र नहीं रख सकते। आपने अनुमति नहीं दी है। आप पत्र सभा पटल पर नहीं रख सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैंने बोलना बन्द नहीं किया है। आप उन्हें बैठने के लिए कहें (व्यवधान) महाराष्ट्र सरकार के जन सम्पर्क अधिकारी श्री वसंत देशमुख ने एक पत्र में कहा है कि :

"मुझे सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी ने कृपापूर्वक इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान की स्थापना हेतु सहमति दे दी है।"

मैं अपनी अनुमति से इसे सभा पटल पर रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अपना विनिर्णय देता हूं यहां निदेश 118 बिल्कुल स्पष्ट है।

118 (1) यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य सभा पटल पर कोई पत्र या दस्तावेज रखना चाहता है तो वह अध्यक्ष को उसकी एक अग्रिम प्रति देगा ताकि वह निर्णय कर सकें कि पत्र या दस्तावेज को रखने की अनुमति दी जाये या नहीं। यदि अध्यक्ष ऐसी अनुमति दे देते हैं तो सदस्य उपयुक्त समय पर पत्र सभा पटल पर रख सकते हैं। यहां पत्र रखने की अनुमति नहीं दी गई है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। आप सभी बैठ जाइये। (व्यवधान) मैंने श्री वाजपेयी को बोलने को कहा है (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षण की सूचना दी है। इस शताब्दी का यह सबसे बड़ा 86 करोड़ रुपये के स्वर्ण का घोटाला है। सारी जनता सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। प्रेस में समाचार आया है कि पुरी आयोग का प्रतिवेदन रद्द कर दिया जायेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सी० बी० आई के लिए मामले का पता लगाना जरूरी है। इस महत्वपूर्ण मामले पर दिये गए मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सर्व श्री हरिकेश बहादुर, बापुसाहिब परुलेकर, जयपालसिंह कश्यप, सोमनाथ चटर्जी, राम विलास पासवान, के० पी० उन्नीकृष्णन, नीरेन घोष, मधु दंडवते और अजित कुमार मेहता से अनेक विषयों पर विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये सभी विचाराधीन हैं। (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

छठी लोक सभा और सातवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिक्षाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : मैं श्री भीष्म नारायण सिंह की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिक्षाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :

एक विवरण संख्या 23	—दूसरा सत्र 1977	छठी लोक
(दो) विवरण संख्या 21	—सातवां सत्र 1979	सभा
(तीन) विवरण संख्या 9	—दूसरा सत्र, 1980	
(चार) विवरण संख्या 13	—तीसरा सत्र, 1980	सातवीं लोक
(पांच) विवरण संख्या 6	—चौथा सत्र, 1980	सभा
(छः) विवरण संख्या 5	—पांचवां सत्र, 1981	

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 2812/81]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती): राव वीरेन्द्र सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन- भाग 2-(प्रशासन और वित्त) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 2813/81]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखेंगे जिसके द्वारा अल्कायड और मलेइक रेजिन को, जिनमें फ्यूमारिक रेजिन शामिल है, चाहे वह उपांतरित हो अथवा नहीं (किन्तु ढलाई के पउडरों और किसी भी रूप में योगिकों को छोड़कर) उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है तथा रेजिनों की किस्मों की परिभाषा दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये सख्या एल० टी० 2814/81]

वनस्पति तेल उत्पादक नियन्त्रण (संशोधन) आदेश 1981

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती : में निम्नलिखित) पत्र सभा पटल पर रखता हूं : आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत वनस्पति तेल उत्पादक नियन्त्रण (संशोधन) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 463 (ङ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका शुद्धि पत्र जो दिनांक 1 दिसम्बर 1981 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 502 (ङ) में प्रकाशित हुआ था,

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2815/81]

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। (व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं। "कि संशोधन बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले लेंगे। श्री चिन्तामणि पाणिग्रही।

श्री चिन्तामणि पणिग्रही : उड़ीसा का एक गैर-सरकारी ...(व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय पिछले ईद के पवित्र (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दौलत राम सारण (व्याधान)*

मैं अगली मद पर चला गया हूं। यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं होगा। (व्यवधान)*

(व्यवधान)*नियम 377 के अधीन मामलों के लिये हमें अब सभा की आवश्यक कार्यवाही चलायी जानी चाहिये। हमें आपका सहयोग चाहिये। इस शोर में मुझे कुछ सुनायी नहीं दे रहा (व्यवधान)* कृपया बैठिये।

(व्यवधान) मैं अनुमति नहीं देता। कृपया आप बैठ जाइये। आप चिल्लाते क्यों है। (व्यवधान)*

मैं उनमें एक सदस्य को बुलाऊंगा जिन्होंने स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी है।(व्यवधान)* पहले आप अपनों सीट पर बैठिये। (व्यवधान) श्री पलीरो आप बोलिये। क्या कहना चाहते हैं।

श्री एडुआर्डो पलीरो : आप नियम 194 देखिये ग्राह्यता के लिये अध्यक्ष का निर्णय। (व्यवधान)* मैं आपको भी बोलने दूंगा।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने नियम 193 के आधीन सूचना दी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले एक ओर के सदस्य को कहूंगा और फिर दूसकी ओर के सदस्य को बुलाऊंगा। (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : नियम 193 के आधीन मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पुरी समिति के प्रतिवेदन में जिन व्यक्तियों को आरोप लगाये गए हैं उनके विरुद्ध सी० बी० आई० द्वारा जांच कराई जाए। इस प्रतिवेदन को सरकार द्वारा दबाये जाने की खबर है।

श्री एन० के० शेजवलकर : जब आप 377 पर आ गए हैं तो उसे पूरा किए बगैर किसी दसरी मद पर नहीं जाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है।श्री फैलीरो आप बैठिये। अब श्री सोमनाथ चटर्जी बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण कान्त के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है जिन्होंने कुछ अपमानजनक···

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है।

श्री के० लकप्पा : मैंने जमशेदपुर दंगों के बारे में एक पत्र लिखा है। समिति ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक-संघ पर आरोप लगाते हुऐ कहा है कि दंगों में उनका हाथ है। मैं इस पर चर्चा चाहता हूं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। कृपया बैठिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री राम विलास पासवान (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको कहूंगा। बातें न करें।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैंने जो अजोर्नमेंट कोशन इस सम्बन्ध में दिए हैं, मैं चाहता था कि उनको यहां पर पढ़ा जाता। उनको आपको पढ़ना चाहिए था लेकिन आपने उनको पढ़ा नहीं है और किसी को मालुम नहीं है कि वे क्या हैं। (व्यवधान) मैंने चार एजोर्नमेंट मोशन दिए है। एक प्रविलेज मोशन दिया है वसंत देशमुख, लियाजा आफिस के खिलाफ दूसरा प्रिविलेज मोशन दिया है अरुण शोरी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया है कृष्ण कांत के खिलाफ और चौथा प्रिविलेज मोशन दिया है कांग्रेस (आई) के उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गुन्डों को संरक्षण देकर विदेशों में भेजा है। (व्यवधान) ये मैंने चार प्रिविलेज मोशन दिए हैं और मैं इन पर आपकी फाइडिंग चाहता हूं कि ये आप के अन्डर कंसिड्रेशन हैं या नहीं ? इन पर आपने कोई निर्णय लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको सूचचा दी थी कि आपके नाम समेत सभी के प्रस्ताव अध्यक्ष के विचाराधीन हैं। आप कृपया प्रतीक्षा कीजिए। (व्यवधान)

श्री मालिक एम० ए० ए० खां (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर कम्युनल रायट्स कमीशन की रिपोर्ट अखबार में आ गयी है, जिसमें आर० एस० एस० को (व्यवधान) देवरस को कम्युनल रायट्स के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है। इस पर डिस्कशन होना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। कृपया बैठ जाइये।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने श्री आरिफ मोहम्मद खां संसद सदस्य की सहायता से एक कुख्याद अपराधी मुत्तालीब द्वारा झूठे नाम और पारपत्र की सहायता से पाकिस्तान भाग जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम प्रस्ताव की अनुमति नहीं देते। एक ध्यानाकर्षण विचाराधीन है हां, श्री भगत।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं जनता सरकार तथा उनके मंत्रिमंडल द्वारा 86 करोड़ रुपये मूल्य के स्वर्ण की नीलामी से घोटाले के बारे में ध्यानाकर्षण दिया है। उसकी जांच सी० बी० आई० द्वारा होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : पूरी समिति के प्रतिवेदन के बारे में एक ध्यानाकर्षण विचाराधीन है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हां, श्री रशीद मसूद।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया है कि चीनी फौजें हिन्तुस्तान की सरहदों में घुस गई हैं और लद्दाख में उन्होंने चीनी झंडा लहराया है यह बड़ा सीरियस मसला है। इस सिलसिले में आपने क्या फैसला किया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक ध्यानाकर्षण विचाराधीन है। श्री राजेश पायलट।

श्री राजेश पायलट : मुझे बड़ा विनम्र निवेदन स्वर्ण नीलामी के बारे में करना है। यह देश की राजनीति के लिए राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। यहां कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हुए हैं जो उस समय मंत्रिमंडल में थे जब स्वर्ण की नीलामी हुई थी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक ध्यानाकर्षण विचाराधीन है।

श्री एडुआर्डो फैलोरो : मैंने सी० बी० आई द्वारा जांच के लिए नियम 193 के अधीन सूचना दी है।

श्री राजेश पायलट : राजनीतिक सम्बद्धता से परे होकर हमें इस बिषय पर जोर देना चाहिये ताकि कोई भी भविष्य में राष्ट्र को किसी के हाथ न बेचे।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न पर

प्रधान मंत्री जी के विरुद्ध और श्री अरुण शोरी के विरुद्ध प्रस्ताव दिया है। 12 सितम्बर को इन्डियन एक्सप्रेस में जो निकला है उस मामले पर मैंने प्रधान मंत्री और अरुण शोरी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन पर दिया है। उस पर आपने क्या निर्णय दिया ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब विचाराधीन है।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : वह प्रधान मन्त्री के विरुद्ध किसी विशेषाधिकार के प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। प्रधान मन्त्री के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री के विरुद्ध नहीं। श्री अरुण शोरी के विरुद्ध कोई बात है। यदि प्रधान मन्त्री के विरुद्ध किसी विशेषाधिकार के प्रस्ताव की बात है तो मैं अनुमति नहीं देता।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैंने जमशेदपुर में हुए राइट्स की जो रिपोर्ट आयी है और उसमें आर० एस० एस० और दूसरे लोगों का नाम है; बिहार की पुलिस का नाम भी है, उस पर कामरोको प्रस्ताव दिया है। इन सारी बातों पर यहां विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। ध्यानाकर्षण विचाराधीन है।

श्री अटल बिहारी वजपेयी (नई दिल्ली) : ध्यनाकर्षण पर विचार से पूर्व कृपया गृह मन्त्री का निर्देश दें कि वे समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां उपलब्ध करायें।

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : आज सुबह मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। आपने पुरी प्रतिवेदन के विचाराधीन होने की बात कही है। मैं उसकी बात नहीं कह रहा। मैं उन लोगों की बात कह रहा हूं जो इस सारे स्वर्ण को हजम करना चाहते थे। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ध्यानाकर्षण विचाराधीन है और उसके बाद आप अपनी बात कहिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : मैंने एडजोर्नमेंट मोशन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दोनों दिये हैं। अलीगढ़ के अन्दर कम्युनल राइट्स का जो प्रौलेम्ड ओफेण्डर था जिसके खिलाफ चार्ज था, उसका पासपोर्ट बनाया गया और वह फरार होकर पाकिस्तान चला गया···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण को अस्वीकृत कर दिया गया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, सैंकड़ों लोगों की निर्मम हत्या को

गयी है, मौत के घाट उतारा गया है। उसकी रिपोर्ट आ गई है (व्यवधान)··· वाजपेयी जी··· (व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : यह अजीब आवाज है। कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्री बापूसाहिब पारूलेकर : मैंने दो प्रस्तावों एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव और दूसरे स्थगन प्रताव की सूचना दी है। यह बड़ा गम्भीर मामला है। गृह मन्त्री भी यहां हैं मैं सभा और उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभी विशेषाधिकार प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री बापूसाहिब पारूलेकर : आपको पता होगा कि अभी परसों शाम को इन व्यक्तियों ने दो सिपाइयों पर गोली चला दी। उनमें से एक मर गया···

उपाध्यक्ष महोदय : विस्तार में न जायें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ध्यानाकर्षण विचाराधीन है। (व्यवधान)

श्री बापूसाहिब पारूलेकर : मै विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि विशेषाधिकार प्रस्ताव विचाराधीन है। मैं पहले ही उसे पढ़ चुका हूं। लेकिन आपने सुना नहीं।

श्री गुलाम नबी आजाद : पुरे प्रतिवेदन के अनुसार स्वर्ण की नीलामी का लाभ केवल छः परिवारों को मिला। हम सी० बी० आई० द्वारा जांच चाहते हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ध्यानाकर्षण विचाराधीन है।

इन्द्रजीत गुप्त : मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी बिभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक्स आयोग के कार्य में बांधा डालने के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। वैज्ञानिक विक्षुब्ध हैं। उस ध्यानाकर्षण का क्या हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह विचाराधीन है।

श्री हरिकेश बहादूर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। मैंने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। श्री कृष्ण कांत ने संसद के लिए बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको स्वीकार करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। विशेषाधिकार का प्रस्ताव विचाराधीन है। (व्यवधान) मैं पहले ही आपको उत्तर दे चुका हूं। (व्यवधान)* कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल न किया जाए।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० कृपा सिंधु भोई : मैंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य में बन्द रखे जाने के दौरान हुई हो हत्याओं के बारे में ध्यान आकर्षण की सूचना दी है। यह अत्यधिक असंवैधानिक। मेरे ध्यान आकर्षण का क्या हुआ ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी विचाराधीन हैं। सभा की अनुमति से मैं अगली मद पर आता हूं अर्थात, नियम 377 के अधीन चर्चा (व्यवधान)* आप सब 45 मिनट तक अपनी कह चुके। कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल न की जाए। मैं बोलने की अनुमति नहीं दे रहा। (व्यवधान)* सब विचाराधीन हैं। (व्यवधान) श्री शंकरानन्द के विरुद्ध भी विशेषाधिकार का प्रश्न भी विचाराधीन है। सभी बातें विचाराधीन हैं। चिन्ता न करें। अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे। श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण : खड़े हुए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपके अपने सदस्य हैं। यदि आप नियम 377 के अन्तर्गत कोई व्यक्तव्य दें और बोलते चले जाएं तो आपको कैसा लगे ? यह बहुत गलत है। मुझे बड़ा दुःख है। नियम 377 के अधीन वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ और कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाए। (व्यवधान)* आप उन्हें नियम 377 के अधीन वक्तव्य नहीं देने देंगे ? कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। मेरी अनुमति के अलावा और कुछ कार्यवाही में शामिल न किया जाए। (व्यवधान)* आप आरम्भ से फिर वक्तव्य को पढ़ सकते हैं।

(एक) बीकानेर जिले में रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिग्रहण किया गया चांदमारी क्षेत्र

श्री बोलत राम सारण (चुरु) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के आधीन मैं आपका ध्यान विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

रक्षा विभाग द्वारा राजस्थान सरकार से बीकानेर जिले में तोपखाना अभ्यास हेतु फील्ड फायरिंग एरिया सुरक्षित कराने की मांग की गई है। रक्षा विभागद्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में लूणकरण-सर तहसील के 34 ग्राम और उनका रकबा आता है जो राजस्थान मुख्य नहर और राजस्थान लिफ्ट नहर के मध्यम स्थित है।

इन 34 गांव की जनसंख्या तीस हजार है और दोनों नहरों के मध्यम सिंचाई करने योग्य उपजाऊ कृषि भूमि है। बढ़िया नशल के दुधारू पशुओं और दूध उत्पादन के कारण यह क्षेत्र राजस्थान का डेनामर्क कहलाता है। इस क्षेत्र में बढ़िया राठी नशल की दुधारू गायों की संख्या करीब एक लाख पच्चीस हजार है जहां से बीकानेर सहकारी डेयरी का कुल दूध का लगभग पच्चीस प्रतिशत जाता है। अच्छी नस्ल की ढ़ाई लाख भेड़ें इस क्षेत्र में है जिनकी बढ़िया ऊन बीकानेर मंडी को मिलती है। करीब पचास हजार अच्छी नस्ल के ऊंट इस क्षेत्र में मिलते हैं।

* कार्यवाही वृतांतत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इसके अलावा भेंस और अन्य पशु हैं सैकड़ों वर्षों से इन गांवों के निवासियों ने इस क्षेत्र को आवाद करके विकसित किया है ।

इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रख कर राजस्थान सरकार द्वारा उक्त भूमि सुरक्षित करने के विषय में सम्मलित हेतु 28 नवम्बर 1979 को ,राजस्थान नहर क्षेत्र के विकास आयुक्त श्री तेज कुमार की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने इन 34 गांवों के क्षेत्र को तोपखाना अभ्यासार्थ देने को उपयुक्त नहीं बताया । परन्तु राज्यपाल के शासन काल में जिलाधीश बीकानेर ने बिना पूरी जानकारी किए ही इस क्षेत्र को मील्ड फायरिंग क्षेत्र के लिए देने की सिफारिश कर दी । उसी के आधार पर अब इन 34 गांवों के क्षेत्र को रक्षा विभाग ले रहा है । गत कई वर्षों से इस क्षेत्र में मनमाने तौर पर फायरिंग का अभ्यास किया जाता रहा है और उसमें अनेकव्य क्ति, पशु दुर्घटना ग्रस्त हुए हैं । इन गांवों के निवासितों को जन धन की भारी हानि उठानी पड़ी है । इन गांव की जनता बुरी तरह आतंकित और अस्थिर स्थिति में हैं । उनका विकास रुका हुआ है । वे अनेक प्रार्थना पत्र प्रतिवेदन दे चुके हैं । स्थानीयजन प्रतिनिधि संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों ने भी इन्हें इन गांव से नहीं हटाने के लिए और इन गांवों का रकबा नहीं लेने के लिए बराबर निवेदन किया है । लूणकरणसर तहसील के 34 गांवों के स्थान पर बीकानेर और कोलायत तहसील का उनके समीप कुछ ही दूरी पर नहरी क्षेत्र से बाहर उतना कम आवादी वाला ही ऐसा वारानी रेगिस्तानी क्षेत्र है । इसके उद्देश्य के लिए उस जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है ।

मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान सरकार के साथ सम्पर्क करके रक्षा विभाग की ओर से उपरोक्त सुझावों के आधार पर निर्णय करके पीड़ितों को राहत दी जाएगी और सही साधन किया जाएगा जिससे जन धन की हानि और उत्पादक क्षेत्र को नुक्सान से बचाया जा सकेगा ।

(दो) उड़ीसा की एक गेर-सरकारी फर्म का अपना रक्षित बिजलीघर बनाने की अनुमति

श्री चित्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : रायडात्रा, उड़ीसा में एक निजी फर्म को अपना सुरक्षित विद्युत संयंत्र रखने की अनुमति दी गई है । उसकी प्रतिदिन की आवश्यकता केवल 18 से 20 मेगावाट है । इस फर्म को वर्षों तक 3.5 पैसे की अत्यधिक रियायती दर पर बिजली मिलती रही है जबकि बिजली उत्पादन की प्रति यूनिट लागत 22 पैसे से भी अधिक है । इस पर भी फर्म पर 6 करोड़ रुपया बकाया है और इस फर्म के बोर्ड से लगातार मुकद्दमे चलते रहे हैं । इस सबके बावजूद संघ सरकार का इस फर्म को सुरक्षित विद्युत संयंत्र की अनुमति देना आश्चर्य की बात है और वह भी संयुक्त उपक्रम के रूप में मेरा अनुरोध है कि इस अनुमति को तुरन्त वापस लिया जाय क्योंकि इससे सभी के लिए ऐसा करने के लिए द्वार खुल जाएगा, जिससे औद्योगिक नीति की विनियमन समाप्त हो जाएगा तथा राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(तीन) दीपावली के त्यौहार पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चीनी

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले ईद के पवित्र त्यौहार पर हमारे मुसलमान भाइयों को अतिरिक्त शक्कर देकर प्रशासन ने जो उदारता दिखाई, उसके लिए वह बधाई की पात्र है। इससे प्रशासन ने त्यौहारों के प्रति उदार नीति से एक सुन्दर एवं स्वस्थ छाप छोड़ी है। इसकी सभी ने सराहना की है।

इस विषय में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी राज्यों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि इसी प्रकार की उदारता वह अन्य महत्वपूर्ण त्यौहारों पर भी बरते जो अन्य धर्मों से सम्बन्धित हैं ताकि हमारी धर्म-निर्पेक्षता में किसी प्रकार की आंच न आने पावे और अन्य धर्मावलम्बी अपने को उपेक्षित न समझें। दिवाली के पूर्व इस प्रकार की व्यवस्था का स्वागत सर्वत्र होगा।

(चार) शन्हजहांपुर और मैलानी के बीच नई रेल लाइन बिछाना

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शहाजहांपुर) : 1971 में रेल बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि पहले और दूसरे विश्व युद्ध में उखाड़ी गई रेल लाइनों को, नई रेल लाईन बिछाने पर विचार करने समय, प्राथमिकता दी जाएगी। उपरोक्त निर्णय तहत देश अनेक रेल लाईन फिर से बिछाई गई। पिछले 15 वर्ष से शहाजहांपुर को मैलानी से मिलाने वाली लाइन को बिछाने की मांग की जाती रही है। यह लाइन 1914 में उखाड़ कर अंग्रेजों द्वारा देश से बाहर ले जाई गई थी। इस लाइन को फिर से बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए जाने के आदेश रेल मंत्री ने 1972-73 में दिए थे और सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया गया था कि आर्थिक दृष्टि से सम्भव होने पर इस लाइन को बिछाने का कार्य शुरू किया जाएगा। परन्तु तब से इस पर आगे और कोई कार्रवाई नहीं हुई। विश्वास की अत्यधिक सम्भवना के कारण इस लाइन का बिछाया जाना आवश्यक है तथा इस लाइन से समूचे जिले की अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा।

(पांच) उड़ीसा में मुक्ति मण्डल और अन्य स्मारकों का समुचित रखरखाव और मरम्मत

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मन्दिर समेत 66 ऐसे स्मारक है जिनका प्रबन्ध केन्द्र के हाथ में है। मुक्ति मंडप विद्या और संस्कृति का तथा धर्म का ऐसा केन्द्र है जहां विद्यमान पंडितों, प्रसिद्ध प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों, भविष्य वक्ताओं तथा ज्योतिषियों आदि ने एक साथ बैठकर हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए थे और उसे मनु संहिता एवं वेदान्त आदि के रूप में प्रस्तुत किया। यह मुक्ति मंडप भगवान जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर के साथ-साथ ही लगभग 1000 वर्ष पहले बनवाया गया था। परन्तु इस समय यह बहुत ही खराब दशा में है तथा इसकी दीवारों और छतों आदि से पानी रिसता है तथा विद्यमान पडित लोग अब अपने जीवन को खतरे में डालकर इस स्थान पर इकट्ठा होने में असमर्थ हैं और इस प्रकार विभिन्न समस्याओं और हिन्दू समाज से संबधित महत्वपूर्ण बातों पर अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते। प्रसिद्ध पंडितों के सामने आने वाली

भयंकर समस्याओं के अलावा देश भर से तथा विदेशों से भी लाखों की संख्या में आने वाले तीर्थ यात्री और भक्त भी अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं। उनमें से अनेकों मन्दिर के चारों ओर घूमने से बचते हैं क्योंकि यह मुक्ति मंडप भगवान जगन्नाथ मन्दिर के परिसर में भी स्थित है।

चूंकि यह एक ऐसा स्मारक है जिनकी सुरक्षा का भार केन्द्र पर है, उड़ीसा का प्राचीन स्मारक उप-सर्कल इसकी मरम्मत आदि में रुचि नहीं ले रहा है। उसके पास इसकी मरम्मत आदि के लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं है। उड़ीसा के लिए एक अलग प्राचीन स्मारक सर्वेक्षण संस्क की स्थापना किए जाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा बार-बार की गई प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई है तथा संघ सरकार इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है।

तथापि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मुक्ति मंडप के उचित रखरखाव के लिए उचित ध्यान दे तथा शिक्षा मंत्री कृपा करके इस संबंध में सभा में एक वक्तव्य दें।

(छः) संसद सदस्यों के टेलीफोनों के गलत बिल बनाये जाना

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सदन में कई बार चर्चाएं हुई। सदस्यों ने इस सम्बन्ध में तीव्र रोष भी व्यक्त किया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति सुधरने के बजाए बिगड़ती जा रही है।

पहले तो उपभोक्ता टेलीफोन की लाइन की गड़बड़ी, टेलीफोन का काम नहीं करने की वजह से परेशान थे और अब एक और मुसीबत आ गई है, और वह है गलत ढंग से हजारों रुपये के टेलीफोन बिल भेजने की। मेरा टेलीफोन नं० 397182 है, उसका एस० टी० डी० भी कटा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी करीब चार हजार काल्ज की अतिरिक्त रकम वेतन से काट ली गई है और पता नहीं, कब तक कटती रहेगी। वेतन के नाम पर 'निल' मिल रहा है।

आश्चर्य तो तब होता है कि जिस समय में दिल्ली से महीनों बाहर था और टेलीफोन में ताला लगा था, उस समय भी पांच हजार से अधिक लोकल काल्स का उपयोग मेरे द्वारा दिखलाया गया है। इस तरह की शिकायत काफी संसद्-सदस्यों ने की हैं। जब संसद् सदस्यों के साथ यह धांधली हो रही है, तो आम उपभोक्ताओं के साथ क्या होता होगा? बिहार में टेलीफोन में व्याप्त धांधली, टेलीफोन के काम नहीं करने, गलत बिल भेजने आदि समस्याओं के विरोध में हजारों उपभोक्ताओं ने पिछले दिनों प्रदर्शन किए और करीब पांच सौ टेलीफोन सरकार को वापस कर दिए। आम उपभोक्ताओं में काफी रोष है।

मैंने टेलीफोन में व्याप्त धांधली के सम्बन्ध में कई बार संचार मंत्री को पत्र लिखा और मंत्री महोदय की तरफ से एक ही घिसा-पिटा जवाब भी आ गया। मैंने इस सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व भी संचार मंत्री को पत्र लिखा है। लेकिन क्या जवाब आयेगा, वह मुझे मालूम है।

अतः आप स्वयं आम उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करें और सरकार को इस सम्बन्ध में निदेश दें, जिससे देश के लाखों टेलीफोन उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

(सात) बिहार में सूखा और बाढ़ को देखते हुए राज्य को गेहूं की सप्लाई

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार में भीषण बाढ़ और दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में व्याप्त सूखे की स्थिति ने बिहार निवासियों को भारी संकट में डाल दिया है। इस पर तुर्रा यह कि बिहार की गरीब और पिछड़ी जनता भारत सरकार का कोपभाजन बन गई है। सरकार कहने को कुछ भी कह ले, पर वास्तविकता यही है कि वह बिहार वासियों को बड़ी ही उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। उदाहरण के लिए बिहार को दिये जाने वाले गेहूं के महावारी कोटे को हम ले सकते हैं।

अप्रैल, 1978 से लेकर अगस्त, 1979 तक बिहार सरकार को प्रति-माह एक लाख टन गेहूं मिलता रहा। परन्तु दुख है कि भारत सरकार बिहार को मिलने वाले गेहूं के कोटे को धीरे धीरे काटती गई। इस प्रकार एक लाख टन गेहूं के कोटे को घटा कर 75 हजार टन कर दिया गया। 1980 में उसमें भी कमी कर के 60 हजार कर दिया। अगस्त, 1980 में कोटे की 30 हजार टन किया गया। और बाद में तो उसे 20 हजार टन माहवारी कर दिया गया। परन्तु क्षोभ की बात तो यह है कि इस साल जुलाई से बिहार की आठ करोड की आबादी को खिलाने के लिए केवल 12 हजार टन गेहूं दिया जा रहा है।

गेहूं के कोटे में इस भारी कटौती के कारण बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चरमरा रही है। राशन की दुकानों में गेहूं के अभाव में खुले बाजारों में उसका मूल्य बहुत बढ़ गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में तो गेहूं मिलना भी मुश्किल हो गया है। फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने संकटकालीन पत्र (एस ओ एस) भेज कर भारत सरकार से गेहूं के कोटे में वृद्धि करने की मांग की है।

बिहार को प्रत्येक माह में 40 हजार टन चीनी की आवश्यकता है, पर मिलती है केवल 27 हजार मैट्रिक टन ऐसा खाद्य निगम की ढिलाई के कारण होता है इतना ही नहीं, खाद्य निगम द्वारा बिहार के लिए समय पर चीनी नहीं उठाने के कारण बिहार के कोटे की तमादी हो जाती है।

भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता की खूब ढोल पीटती है। पर बिहार की स्थिति ने यह दिखला दिया है कि सरकारी ढोल में पोल ही पोल है। अतः कृषि मंत्री से मेरा नम्रनिवेदन है कि वह पहले की तरह बिहार का मिलने वाले गेहूं की मिकदार को माहवारी एक लाख टन तो अवश्य ही कर दें। ऐसा करके ही वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संकट को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं, अन्यथा बिहार की जनता को भुखमरी से कोई नहीं बचा सकेगा। आशा है कि सरकार का ध्यान इस ओर फौरन आकृष्ट होगा।

(आठ) अगर तला से कलकत्ता तक के विमान किराये को घटाने की आवश्यकता

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपुरा और शेष देश से

उसको वायुयान सेवा से जोड़े जाने की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने देश के अन्य भागों के साथ-साथ अगरतला से कलकत्ता के बीच का का किराया भी बढ़ाया है। अब यह किराया 228 रुपये है।

कुछ समय पहले यह कुल 48 रुपये थी और थोड़े से ही समय में इसकी दर में इतनी तेजी से वृद्धि हुई कि वह गरीबी की रेखा में नीचे रह रही 83 प्रतिशत जनता के लिए असहनीय हो गई। श्रीमन आप जानते हैं कि त्रिपुरा देश के सुदूर कोने में स्थित है तथा विमान सेवा के देश के शेष भाग से उस ो जोड़ने का एकमात्र साधन है। राज्य से बाहर चिकित्सा हेतु जाने के लिए लोगों को विमान सेवा पर ही निर्भर रहना होता है तथा विमान यात्रा त्रिपुरा वासियों हा लिए विलासिता की वस्तु नहीं है। देश के अन्य भागों के लोग रेल तथा यातायात के अन्य साधनों का उपयोग कर सकते हैं परन्तु त्रिपुरा में यह सुविधाएं सर्वथा अनुपलब्ध हैं।

उपरोक्त स्थिति की दृष्टि से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस निर्णय पर फिर से विचार करें और त्रिपुरा तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विमान किरायों में वृद्धि को समाप्त करे तथा अगरतला और कलकत्ता के बीच पहले के समान सस्ती विमान सेवा चाल करें।

मैं सम्बन्धित मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के सम्बन्ध में सभा में यथाशीघ्र एक वक्तव्य दें।

(नौ) मुरादाबाद दिल्ली एक्सप्रेस को मध्याह्न पूर्व छः बजे बरेली से चलाना

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :

मुरादाबाद से प्रातः लगभग 6 बजे दिल्ली को चलने वाली मुरादाबाद दिल्ली एक्सप्रेस को बरेली से चलाये जाने की मांग बहुत समय से की जाती रही है। रात्रि के 1-40 बजे के पश्चात बरेली से मुरादाबाद होकर दिल्ली आने के लिए अगले दिन सायंकाल साढ़े सात बजे से पूर्व कोई ट्रेन नहीं है। अतः बरेली, बदायूं पीलीभीत, नैनीताल, हल्दानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि के हजारों निवासियों को प्रातःकाल की ट्रेन न होने से काफी असुविधा है और या तो उन्हें काफी समय बरबाद करना पड़ता है अथवा ट्रेन छूट जाने पर 17 घटे की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बरेली पर गोरखपुर व लखनऊ व नैनीताल की ओर से जाने से आने वाली छोटी लाइनें व लखनऊ व अलीगढ़ की ओर से आने वाली बड़ी लाइनें मिलती है। बरेली न केवल रोहिलखंड कमिश्नरी का 5 लाख की आबादी का नगर केन्द्र ही है बल्कि बहुत बड़ा व्यवसाहिक केन्द्र भी है। मुरादाबाद दिल्ली एक्सप्रेस को बरेली से चलाये जाने के निमित लग भग एक वर्ष पूर्व लाखों रुपये व्यय करके वाशिंग ट्रैक बनाने की कार्यवाही भी रेल विभाग द्वारा पूरी करली गई है किन्तु अभी तक इस ट्रेन को बरेली से चलाने की तिथि की घोषणा नहीं की गई।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुग्रह करता हूं कि सार्वजनिक हित से उपरोक्त मुरादाबाद

दिल्ली एक्सप्रेस को बरेली से चलाये जाने की अविलम्ब घोषणा करें जिससे जनता को राहत मिले।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा। मैं सभा को मध्याह्न पूर्व 2.05 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित करता हूं।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 5 मिनट म० पू० के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 10 मिनट पर पुनः समवेत हुई)

उपाध्यक्ष महोदय : (पीठासीन हुए)।

आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आयकर (दूसरा संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सांविधिक संकल्प को लें श्री फूलचन्द वर्मा हम मद संख्या 7 और 8 को एक साथ ले रहे हैं। दोनों मदों के लिए 1½ घन्टे का समय नियत किया गया है।

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : उपाध्यक्ष जी, आयकर संशोधन अध्यादेश जो माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर लाए हैं, उसके उद्देश्य को देखते हुए उसका स्वरूप अच्छा लगता है, किन्तु यह सारा आयकर संशोधन अध्यादेश, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, उनके अनुमानों पर आधारित है।

जहां तक अनुमानों का सवाल है, मेरा इस मामले में निश्चित रूप से यह कहना है कि जो अध्यादेश की परिकल्पना करके माननीय मंत्री महोदय बिल के रूप में इसको यहां पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसको पास भी कराना चाहते हैं, वह अनुमानों पर आधारित है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो अध्यादेश या जो बिल अनुमानों पर आधारित है, उसके कोई निश्चत परिणाम निकलने की संभावना नहीं है। यह माननीय मंत्री जी के लिए सिर्फ दिवास्वपन की बात है। माननीय मंत्री जी ने इस बिल के उद्देश्य में यह कहा है कि इससे मुद्रास्फीत रुकेगी और

यह मुद्रास्फीति को रोकने का जो अभियान है, उसके अन्तर्गत इस बिल को यहां पर लाए हैं। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने यह कही है कि इससे जमा की दरों में वृद्धि होगी और जो वर्तमान दरें हैं, वे जारी रहेंगी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से आप मुद्रास्फीति को रोकना चाहते हैं, जमा की दरें बढ़ाना चाहते हैं और जो वर्तमान दरें उसको लागू रखना चाहते हैं, तो मुद्रास्फीति का कारण क्या है ? क्या इसके पीछे ब्लैक-मनी नहीं है ? इस देश के अन्दर आज कितनी ब्लैक-मीन विद्यमान है, शायद मंत्री महोदय ठीक से नहीं बतायेगें, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इस समय देश के अन्दर पांच हजार करोड़ रु० की ब्लैक-मनी विद्यमान है। उस ब्लैक-मनी को निकालने के लिए मंत्री महोदय समय-समय पर प्रयोग भी करते रहते हैं। अभी उन्होंने बीयरर-बाण्ड का प्रयोग किया, लेकिन उसमें मंत्री जी को पूरी असफलता मिली।

जहां तक इस अध्यादेश का सवाल है, मैं इम अध्यादेश की निन्दा करता हूं और निन्दा करने के पीछे मेरी भावना यह है कि जिस प्रक्रिया से यह अध्यादेश सदन के अन्दर प्रस्तुत किया गया है, मैं सोचता हूं कि उससे पूरे सदन की अवमानना की है। उपाध्यक्ष जी, इसी चेयर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनेकों बार स्टेंडिग आर्डर दिए हैं कि जब लोक सभा का सत्र नजदीक हो तो सरकार को अध्यादेश से बचना चाहिए। लेकिन इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। लोकसभा का सत्र 17 अगस्त से शुरू होने वाला था और यह अध्यादेश 11 जुलाई को निकाल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसी कौनसी आवश्यकता आ पड़ी थी कि मंत्री जी को यह अध्यादेश निकालना पड़ा। मुझे तो इस समय ऐसा लगता है कि यह अध्यादेश से चलने वाली सरकार है या अध्यादेश की सरकार है। यह अध्यादेश के माध्यम से देश के अन्दर शनैः-शनैः आपातकाल की स्थिति को फिर से लाना चाहती है। केवल यही अध्यादेश नहीं है, नागालैंड राज्य अध्यादेश है। और अनिवार्य जमा योजना का अध्यादेश है। मैं समझता हूं कि इस आयकर संशोधन को अध्यादेश के माध्यम से सदन में लाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन सरकार इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करती है। मेरा चेयर से निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने बार बार निर्देश दिए है, उसके लिए सरकार को बाध्य करना चाहिए और सरकार को लिखना चाहिए कि जब सदन का सत्र नजदीक हो तो इस प्रकार का कोई अध्यादेश नहीं निकालना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री जी बहुत विद्वान हैं, अर्थशास्त्र में पूरा दखल करते हैं, मैं उनके विवेक को चुनौती नहीं देना चाहता हूं, लेकिन वह अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक आयकर कानून में लगभग एक हजार संशोधन हो चुके हैं और हर बार अपने संशोधन के पक्ष में उन पूर्ववर्ती मंत्रियों ने इस सदन में यही आश्वासन दिया कि हम इस संशोधन के द्वारा आय-कर कानून को सरल बना रहे हैं, लेकिन हर बार संशोधन करने के बाद आयकर कानून जटिल से जटिल होता गया। अगर मैं यह कहूं - वही रफ्तार बढ़ेंगी जो पहले थी सो अब भी है - तो यह गलत नहीं होगा।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस संशोधन से आप जिन परिणामों

की कल्पना कर रहे हैं क्या निश्चित रूप से आप उनको प्राप्त कर लेंगे ? मैं मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं उन्होंने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि हम आयकर कानून को सरल बनायेंगे । मैं उनसे एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछता हूं आप आयकर कानून का कब तक सरलीकरण करेंगे जिससे कि आयकर दाताओं को आयकर के रिटर्न भरने के समय उसको समझने में जो दिक्कत होती हैं, उससे छुटकारा मिल सके ?

अब कुछ शब्द में आप के आयकर विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । आपका यह विभाग कितने प्रतिशत आयकर वसूल करता है । जहां तक मेरी जानकारी है । 85 प्रतिशत आयकर तो अपने आप विभिन्न स्रोतों से इस डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है तथा इस विभाग के अधिकारियों को केवल 15 प्रतिशत आयकर वसूल करना पड़ता है, लेकिन इस 15 प्रतिशत आयकर को भी इस विभाग के अधिकारी ठीक से वसूल नहीं कर पाते हैं । मैं आकड़े देकर आप को बतलाना चाहता हूं । मार्च 1981 के बाद 804 करोड़ रूपये की राशि बकाया रहने का सरकार का अनुमान था, लेकिन उसके विपरित 1000 करोड़ रूपये की राशि बकाया है । इसी प्रकार 1978-79, 1979-80 तथा 1980।81 के अन्त में बकाया राशि क्रमशः 633,54 करोड़ रुपये, 554,90 करोड़ रुपये और 589,65 करोड़ रुपये थी । इसी अवधि में आपके आयकर विभाग ने क्या वसूली की, अतः मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं । 1978-79 में 77.23 करोड़ रुपये, 1979-80 में 191,14 करोड़ रूपये और 1980-81 में 92,79 करोड़ रूपये । यह आपके आरकर विभाग द्वारा वसूली का काम करने का तरीका है । आपके इस विभाग में जितना करप्शन है, शायद इतना करप्शन कहीं नही होगा ।

इन वर्षों के दौरान आपके आयकर विभाग पर जो सरकारी रुपया खर्च हुआ वह सिर्फ सरकारी रुपया ही नहीं था, वह इस देश के गरीब लोगों का रुपया था, गरीब किसानों का, छोटे बड़े दुकानदारों का, चाहे वे गांवों में रहने वाले हो या शहरों में रहने वाले हों, का रुपया था क्या मन्त्री महोदय ने कभी विचार किया है कि एक साल के अन्दर 1981-82 में आपका इन्कम-टैक्स डिपार्टमेंट खर्च करता है 61 करोड़ रुपया और इनका डिपार्टमेंट वसूल करता है रूपया । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आज आप 61 करोड़ रूपये खर्च करके केवल 91 करोड़ रुपये जो वसूल कर रहे हैं तो क्या इस देश की जनता की जेब में डाका नहीं डाल रहे हैं । इतना पैसा ऐश करने के लिए दे रहे हैं आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों को । कभी आप इन्कम टैक्स के कर्मचारी के घरों में जाकर देखिये । इनको जो तन्खवाय मिलती है, उसके अनुसार इनका जो लिविंग स्टैन्डर्ड है, वह दस गुना ज्यादा है, मैं सारे अधिकारियों पर यह चार्ज नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकांश लोग करप्ट हैं और कोई भी शरीफ आदमी इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने की बात नहीं करता । उससे बाहर ही सौदा हो जाता है और कहा जाता है कि क्यों 24 हजार रुपया जमा करते हो, 12 हजार हमें दे दो, जिसमें से 2 हजार हमारा है और 10 हजार रुपया इन्कम टैक्स आफिसर को दे देगें । छोटे बाबू को पैसा नहीं मिलता है । इसलिए ये जो अधिकारी आयकर विभाग में हैं, इनके बारे में मैं कुछ

सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव यह है कि जब आप आयकर अधिकारियों की नियुक्ति करने जाते हैं, तो नियुक्ति के साथ उनसे एक स्टेटमेंट ले लेना चाहिए कि उस की चल और अचल सम्पत्ति क्या है और इस तरह की प्रक्रिया हर दो साल के बाद अपनाई जाए। मैं केवल आयकर अधिकारियों के बारे में ही यह नहीं कहना चाहता बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि आपके जितने अधिकारी हैं, सब पर यह बात लागू हो, विधान सभा के सदस्यों संसद सदस्यों, मंत्रियों, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति महोदय पर भी यह बात लागू होनी चाहिए और मुझे यह कहने में बड़ा गर्व है कि जनता पार्टी के शासनकाल में जनता पार्टी के संसद सदस्यों को यह निर्देश दिये गये थे कि वे अपनी आय का ब्यौरा प्रधान मंत्री को दें। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि केवल आयकर विभाग के लोगों पर यह प्रतिबन्ध लगाने से काम नहीं चलने वाला है, कस्टम के के लोगों पर अगर इसको लागू कर दिया, तो भी इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर हम चाहते हैं कि देश के अन्दर नेशनल करेक्टर बने, तो फिर इसकी शुरूआत ऊपर से करनी पड़ेगी और ऊपर से शुरूआत का मेरा मतलब यह है कि प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति जी से इसकी शुरूआत की जाए लेकिन आपका जो अमला इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट का है, यह अमला आपको भी खा जाएगा, हम को भी खा जाएगा और देश को भी ले जाकर डुबो देगा। आज इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। आज वहां के अधिकारियों की क्या स्थिति है। उनके घरों के आगे बड़े-बड़े पूंजीपतियों की कारें खड़ी रहती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप आयकर संशोधन पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : पूर्णतः रद्द करना उचित नहीं। आप उसके लिए आपत्ति क्यों नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे केवल संशोधन पर बोलने को कहा है यदि वे ऐसा करें तो उन्हें इतना अधिक समय न लगे। इसके लिए केवल 1/2 घन्टे का समय रखा गया है। सबको बोलने की अनुमती दी जानी चाहिए।

श्री फूलचन्द वर्मा : मैं आयकर अधिकारियों के बारे में कह रहा था। मेरा सभी अधिकारियों के बारे में ऐसा कहना नहीं है लेकिन उनमें अधिकांश लोग भ्रष्ट हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से कहना है कि आयकर विभाग के अन्दर आपको आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। इस प्रकार के अध्यादेश के माध्यम से आयकर कानून में संशोधन करके आप इस देश का भला नहीं कर सकते हैं। इस देश के जो आयकर दाता हैं, जिनसे हमारे देश की सरकार चलती है, हमारी योजनाओं का काम चलता है, देश का निर्माण होता है और गांवों में खुशहाली आती है, यह सरकार उनसे पैसा लेती है लेकिन उनको सहूलियतें क्या देती है? मेरा कहना यह है कि जो चोर है, उसको पकड़िए लेकिन प्रत्येक आयकरदाता चोर नहीं होता है। अगर आप आयकर के आंकड़े देखें, तो 80 परसेंट आयकर व्यापारियों और दूसरे लोगों से मिलता है। कर्मचारियों से तो आयकर बंधा-बंधाया मिलता है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आयकर के मामले में आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और इसमें आप इस प्रकार का कोई निर्णय लें,

जिससे आयकर कानून सरल बने और सरल बनने के बाद आम आदमी उसे समझ सके। आज तो स्थिति यह है कि एक आम-आदमी उसको समझ नहीं सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के अन्दर और यू० के० के अन्दर एक नेशनल सेक्यूरिटी स्कीम लागू की गई है और उस स्कीम के पीछे यह भावना है कि आज अगर कोई आदमी 10 हजार रुपये आयकर देता है, किसी कारणवश, कोई ऐसी स्थिति आ जाए, शारीरिक रूप से वह अस्वस्थ हो जाए, तो सरकार इस बात की गारेन्टी देती है कि जो व्यक्ति आयकर देता था, जितनी राशि वह देता था, उसका कुछ प्रतिशत तय किया गया है, उसके हिसाब से उसको जीवन भर पेंशन के रूप में दिया जाता है। इस तरह की कोई स्कीम लागू की जानी चाहिए, चाहे उसकी कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है, 10 हजार या 20 हजार आयकर देने वालों के लिए या और कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है। इससे लोग आयकर की चोरी नहीं करेंगे और उनको लगेगा कि जो राशि आज हमें दे रहे हैं, अगर आने वाले समय में हम अयोग्य हो जाते हैं या कोई विपत्ति हम पर आ जाती है, दीवालिया हो जाते हैं या बिजनेस ठप्प हो जाती है तो सरकार हमको कम से कम गुजारा करने के लिए धनराशि देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। चोकसी कमेटी ने सन 1978 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उसने 718 सुझाव दिये थे, जिनमें से केवल 14 सुझाव माने गए। मैं जानना चाहता हूं कि बाकी सुझावों के बारे में सरकार क्या करने जा रही है। इन सुझावों को कब आप कार्यरूप में परिणत करेंगे ?

इसी प्रकार आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष श्री एल० के० झा० ने सलाहकार समिति के माध्यम से कुछ सुझाव सरकार को दिये थे, आशा है मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी होगी। उनके बारे में सरकार क्या करने जा रही है।

इन बातों के साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय, उन पर गंभीरता-पूर्वक विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री एन० के० शेजवालकर (ग्वालियर) : उन्हें आधा घन्टे का समय दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आधा घन्टा, जबकि आवंटित समय 3 घन्टे से अधिक या 4 घन्टा हो।

श्री एन० के० शेजवालकर : नियम 178 में यह व्यवस्था है कि प्रस्तावक को 30 मिनट का समय मिलता है। आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं, बाध्य नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : पीठासीन अधिकारी को स्वविवेक का अधिकार है। इस मुद्दे को न उठायें। मुझे स्वविवेक का अधिकार है। मुझे सभा की कार्यवाही चलानी है। केवल डेढ़ घन्टे का समय आवन्टित किया गया है। मैं जानता हूं कि सभा की कार्यवाही कैसे चलाई जाए। वह

संशोधन के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं बोले हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दिया जाना चाहिए। कृपया अपना भाषण पूर्ण करे (व्यवधान) क्या मैं नियम उद्धृत करूं ?

"किसी संकल्प पर भाषण की अवधि, अध्यक्ष की आज्ञा के बिना, 15 मिनट से अधिक नहीं होंगी···

श्री एन० के० शेजवालकर : कृपया नियम का अन्तिम मात्रा पढ़ें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कहा गया है—

"···परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और सम्बन्धित मन्त्री प्रथम बार भाषण देते समय तीस मिनट तक···भाषण दे सकेंगे।"

श्री एन० के० शेजवालकर : मैं 30 मिनट तक बोल सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे स्वविवेक का अधिकार, आप उसमें हस्तक्षेप न करें। प्रत्येक को अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री एन० के० शेजवालकर : यह एक अलग बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : डेढ़ घन्टे का समय आवंटित किया गया है, कृपया अपना भाषण समाप्त करें, अन्यथा मुझे आपको बैठने को कहना पड़ेगा।

श्री एन० के० शेजवालकर : आप मुझको वायदा दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चय ही, मुझे ऐस करना होगा।

श्री एन० के० शेजवलकर : आप नियमानुसार ही चल सकते हैं।

उपाध्क्ष महोदय : मुझे स्वविवेक अधिकार है।

श्री फूलचन्द वर्मा : यह आपका स्वविवेक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त करें। यह तरीका नहीं है।

श्री फूलचन्द वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम विरोधी पक्ष के हैं। हमारे अधिकारों को आप संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा आप भी हमको डिस्टर्ब करते हैं, यह क्या तरीका है ?

श्री एल० के० झा० कमेटी ने जो आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष हैं सरकार को कुछ सुझाव दिए थे। मैं जाना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से अपने उत्तर में बताएं कि आपने उन सुझावों के बारे में क्या निर्णय लिया है ?

मैं भी एक सुझाव देना चाहता हूं। इनकम टैक्स जैसे नाजुक मसले पर जल्दबाजी से कोई कदम नहीं उटाया जाना चाहिए जैसे आपने इस अध्यादेश के माध्यम से उठाया है। अध्यादेश के स्वरूप को देखें तो वह बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसका जो उद्देश्य है वह अपने आप ही

विफल हो जाएगा और जन्म के पहले ही जो शिशु गर्भ में है उसकी मृत्यु हो जाएगी। अनुमानों के आधार पर यह सरकार चल रही है। अनुमानों के आधार पर आज तक सरकार आश्वासन देती आ रही है और किसी भी आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई है। बेअरएबांड वाला मामला इसका ज्वलन्त उदाहरण है। वास्तविकता का आप सामना करने, धरती पर आप आएं। बार-बार आप संशोधन करते जा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा करने की जरूरत है। एक ही बार आप इन संशोधनों के बारे में निश्चय कर लें। आपके आयकर विभाग को मैं सफेद हाथी की संज्ञा देता हूं। इसमें आप आमूलचूल परिवर्तन करें, इसको आप ठीक करें। आयकर कानून का ऐसा सरलीकरण करें कि गांव में रहने वाला ठेठ देहाती, सुदूर वनों में रहने वाला आदमी भी इस कानून को समझ सकें। तब आयकर विभाग एक हौवा नहीं रह जाएगा। लोग ईमानदारी से आयकर जमा करवाएंगे। जैसा मैंने कहा है कि अमरीका के अन्दर, ब्रिटेन में, नैशनल सिक्योरिटी स्कीम लागू है। उसको आप यहां लागू करें। तब इनकम टैक्स की जो चोरी होती है वह नब्बे प्रतिशत कम हो जाएगी। अपने आप लोग आकर आयकर का पैसा अदा करेंगे, राजी-खुशी करेंगे। पान वाला, चाय वाला, होटल वाला, छोटे-छोटे लोग, उनको जब सिक्योरिटी मिलेगी तो वे अपने आप बढ़ा-चढ़ा कर आयकर देने का प्रयास करेंगे।

जो मैंने सुझाव दिए हैं उन पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें और अपने उत्तर में मेरे प्रश्नों का स्पेसैफिक उत्तर दें। इन शब्दों के साथ में इस अध्यादेश का विरोध करता हूं, निन्दा करता हूं, इसकी भर्त्सना करता हूं और जिस तरीके से इसको लाया गया है उस तरीके की भी निन्दा करता हूं।

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमान यह विधेयक 11 जुलाई, 1981 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1981 का स्थान लेगा।

जिन परिस्थितियों के कारण इस कानून को अध्यादेश के द्वारा लागू करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई वे सभा पटल पर रखे गए वक्तव्य में स्पष्ट कर दिये गए हैं तथापि में सभा के सम्मुख उस पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर दूं।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि देश में काले धन के बढ़ते चले जाने से देश की अर्थ-व्यवस्था को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। कर अपवचन की इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए हाल ही के वर्षों में सरकार ने अनकों प्रशासनिक और कानूनी उपाय किए हैं। सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि काले धन का एक बहुत बड़ा भाग बैंकों, कम्पनियों सहकारी समितियों और साझेदारी फर्मों में कर अपवंचकों द्वारा अपन नाम में या बेनामी रूप में जमा किया गया है।

ऐसे लोगों द्वारा काले धन की वृद्धि को कारगर ढंग से रोकने के लिए आयकर अधिनियम में यह उपबंध करने का निर्णय किया गया कि बैंक, कम्पनियां, सहकारी समितियां और साझेदारी फर्में सावधिक जमा राशियों और उन पर मिलने वाले ब्याज को खाते में जमा होने वाले चैकों अथवा खाते में जमा होने वाले बैंक ड्राफ्टों के द्वारा भुगतान करें। इस सम्बन्ध के द्वारा आयकर अधिकारी उस व्यक्ति का पता लगाने में सक्षम होंगे जिसके नाम में राशि जमा की गई है। यह उपबंध उन मामलों में लागू होगा जिनमें ब्याज समेत भुगतान की जमा राशि 10,000 रुपये या उससे अधिक होगी।

यह कहा गया है कि पुनः स्थापित किए गए रूप में विधेयक के उपबंध केवल ऐसे व्यक्तिगत मामलों पर ही लागू होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति द्वारा किसी कम्पनी, सहकारी समिति अथवा साझेदारी फर्म में ब्याज समेत जमा की गई राशि 10,000 रुपये से अधिक है तथा ये उन मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें एक जमाकर्ता ने अलग-अलग राशियां जमा करा रखी हैं जबकि कुल मिलाकर वह प्रमाणित राशि से अधिक हैं। नई धारा 269 (न) के उपबंधों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करने के लिए कि वे उन सभी मामलों में लागू होंगे जिनमें किसी एक व्यक्ति की कुल जमा राशि ब्याज समेत 10,000 रुपये या उससे अधिक होगी, मैं एक संशोधन पेश करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि इस राशि का भुगतान खाते में जमा होने वाले बैंक ड्राफ्ट अथवा बचत खाते का स्थानान्तरण करने अथवा जमा कर्ता के चालू खाते की मार्फत किया जाएगा।

विधेयक में आयकर अधिनियम में ऐसा उपबंध करने के लिए एक संशोधन यह भी किया गया है कि ऐसी जमाराशि का भुगतान यदि किसी अन्य तरीके से किया जाता है तो जिम्मेदार दोषी व्यक्ति को इस प्रकार भुगतान की गई राशि के बराबर जुर्माना देना होगा तथा उसे जेल भी भेजा जा सकता है, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि कुछ लोगों ने विशेष वाहकबन्ध पत्र योजना की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में पेश की गई याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। सरकार का इरादा विशेष वाहक बन्ध पत्रों का भुगतान जमाकर्ता के खातों में जमा होने वाले चैक के रूप में करने का है। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के समय सरकार ने यह बताया था कि विशेष वाहक बन्ध पत्र का भुगतान इसी प्रकार के चैकों द्वारा किया जायेगा। विधेयक में इस सम्बन्ध में एक विशेष उपबंध किया गया है।

श्रीमान यह एक बहुत छोटा सा और सरल सा विधेयक है। मुझे विश्वास है कि सभा के माननीय सदस्य इस विधेयक को एकमत होकर समर्थन देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक काले धन को

प्रकाश में लाने का एक उपाय है। विधेयक के उद्देश्य और कारण सम्बन्धी वक्तव्य में कहा गया है कि इस विधेयक के द्वारा काले धन को प्रकाश में लाया जाएगा। विशेष वाहक बन्ध पत्र योजना भी काले धन को आकर्षित करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। परन्तु देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर नही पड़ा। विशेष वाहक बन्ध पत्र योजना ने काले धन को आकर्षित करने का जो भाव था वह भी आयकर संशोधन विधेयक का उद्देश्य भी वही है। मैं नहीं जान ा कि सरकार इस सभा को या देश को सही-सही यह बताने की स्थिति में है कि देश में काला धन किस रूप में विद्यमान है। क्या यह नकद रूप में है ? या यह सम्पदाओं के रूप में है ? अथवा उत्पादन के रूप में है ? क्या यह धन उद्योगो में लगी पूंजी के रूप में है ? क्या यह व्यापार और वाणिज्य के रूप में है ? कोई नहीं जानता कि देश में काला धस किस रूप में विद्यमान है।

अब प्रश्न यह है कि काले धन को जिस प्रकार प्रकाश में लाया जाये तथा सरकार समेत यह भी कोई नहीं जानता कि इससे किस प्रकार लोहा लिया जाये। कुछ समय पहले वित्त मन्त्री ने कहा था कि देश में या और कहीं अर्थशास्त्री काले धन को प्रकाश में लाने के लिए सफल उपाय सुझाता है तो वे पुरस्कार देंगे। अब वही वित्त मन्त्री देशभर में यह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि यह विधेयक काले धन को समाप्त करने में सफल होगा। यह काला धन सरकार के जमाने मे कोई गड़बड़ पैदा नहीं करता था। जब भी कोई खराबी अर्थव्यवस्था में आती है तो आप लोग जनता सरकार की गलतियाँ ढूढने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु मेरा सुझाव है कि हमें इस काले धन के मूल का पता लगाना चाहिए। यह तो स्वतन्त्रा के पहले भी विद्यमान था। यह संयुक्त बंगाल के जमाने में, 1943 में भी, एक बड़ी भूमिका निभा रहा था। चोरबाजारियों, मुनाफाखोरों तथा जमाखोरों ने चावल तथा अन्य खाद्यान्नों को हथिया लिया और बंगाल में अकाल की ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि 1943 मे 50 लाख लोग काल कवलित हो गए। इसके पश्चात जब पन्डित नेहरू जेल से बाहर आए और वहां के दृश्य देखे तथा बंगाल के अकाल की रिपोर्टें पढ़ी तो उन्होंने कहा, "यदि भारत आजाद हो गया और यदि हम सत्ता मे आए तो हम इन कालाबजारियों तथा मुनाफाखोरों और जमाखोरों के सड़क के लैम्प पोस्ट पर लटका देंगे"। महोदय, नेहरू ने इस देश पर 15 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी को फांसी पर नहीं लटकाया गया, किसी को जेल नहीं भेजा गया, किसी को दंडित नहीं किया गया। किसी का बाल भी बाका नहीं किया गया, जिसके परिणाम यह बढ़ता ही गया और आज यह इतना गम्भीर रुप ले लिया है कि इस विश्व के सबसे प्रजा-तन्त्र राष्ट्र भारत के वित्त मन्त्री को सभा में कहना पड़ा कि यदि कोई व्यक्ति काले धन को समाप्त करने का नुस्खा बता दे तो मैं उसका नाम नोबेल पुरस्कार के उम्मीदवार के रुप में सिफारिश करूंगा। अकुशलता की स्वीकृति का यह कैसा नमूना है ? और यही वे वित्त मन्त्री हैं जिन्होंने यह विधेयक लाकर हमें विश्वास दिला रहे हैं कि इसे काले धन को रोकने के लिए लाया जा रहा है।

सभापति महोदय, भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री वाई० वी० चव्हाण ने इस सभा में चर्चा के

दौरान कहा था कि इस प्रकार की किसी परिकल्पना भी इस देश में काला धन केवल वास्तविक सम्पदा में ही मौजूद है, गलत है। काला धन औद्योगिक उत्पादन के प्रत्येक रुप में पहले से ही परिचालन में है। देश के रुप में हमारे अस्तित्व का प्रत्येक मिनट पर कतिपया इन आर्थिक नीतियों के कारण काला धन पैदा किया जाता है जिसका अनुपालन हम पिछले 34 वर्षों से करते आ रहे हैं।

उदाहरण आपके सामने रखता हूं। इस विधेयक से आप काले धन से संघर्ष करना चाहते हैं। गैर- बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की संस्था सैकड़ों में है। वैयक्तिक रूप से मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध कर रहा कि इन वित्तीय संस्थाओं का अधिग्रहण कर लिया जाए और सबको मालूम है कि काले धन का पैदा होने तथा उसका निवेश का ऐसी गैर-बैंकिंग संस्थाएं सबसे बड़ी स्रोत हैं। अभी तक एक मामला उच्चतम न्यायालय में लड़ा जा रहा है। कलकत्ता, जो मेरा संसदीय चुनाव क्षेत्र है, में एक कम्पनी है। उस कंपनी का नाम संचित है अनेक राजनैतिज्ञों, अमीर व्यक्तियों, काला बाजारियों, मुनाफाखोरों जखीरों बाजों ने अपना धन पास रखा है। बित्त मन्त्री की जानकारी के बिना ऐसा नहीं हो सकता कि यह एक ऐसी संस्था है जो प्रतिवर्ष 48 प्रतिशत ब्याज दे रही है वे आपसे 12 प्रतिशत लिखवाएंगे और भुगतान 48 प्रतिशत करेंगे। आपके घर में ही एक व्यक्ति आयेगा और 48 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज का भुगतान करेगा। यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके परिसपरों पर छापा मारा, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, यद्यपि यह रिजर्व बैंक के क्षेत्राधिकार में दें यह केन्द्रीय सरकार के भी क्षेत्राधिकार में आता है इस छत्रक की भांति ऐसी सैंकड़ों गैर बैंकिंग संस्थाएं वर्षों से इस देश में हैं और आपने कोई विचार नहीं बनाया है। आप उनका अधिग्रहण कर लें यदि आप उनका अधिग्रहण नहीं करते तो कतिपय विधान बनाइए और उनकी गतिविधियों को रोकें। उनके विरुद्ध कुछ करें। लेकिन कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

मैं लोक लेखा समिति का सदस्य रहा हूं। पिछले साल लोक लेखा समिति ने बम्बई का दौरा किया था। मैं कम्पनी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन हम किसी विशेष वस्त्र मिल के यहां गए। वहां जाने पर हमने सुना कि कुछ सप्ताह पहले वहां तैनात किए गए उत्पादकर निरीक्षक ने देखा कि 40 लाख रुपये मूल्य का कपड़ा मिल परिसर बिना उत्पाद शुल्क चुकाये बाहर ले जाया जा रहा है, संबंधित उत्पादकर निरीक्षक हमें बता रहा था कि "इसे पकड़ने के बाद मुझे अब पकड़ा जा रहा है"। हमने उससे पूछा "तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने कहा "मुझे रहस्यमय टेलीफोन काल प्राप्त हो रहे हैं"। हमारे अधिकारी मुझ पर दबाव डाल रहे है। पता नहीं हमारी नौकरी का क्या होगा और पता नहीं हमारे क्या हमारे परिवार के जान को क्या होंगे"।

मैंने इसका उदाहरण एक अन्य मुद्दे को रेखांकित करने के लिए दिया है,। अर्थात औद्योगिक क्षेत्र में चाहे वह निजी सेन्टर हो अथवा सरकारी सेन्टर शत प्रतिशत उत्पादन की रिपोर्ट सरकार को नहीं दी जा रही है। सरकार को भी यह पता है। उनके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। और उससे काला धन पैदा हो रहा है।

उसके बाद तस्करी है। हाजी मस्तान मुसूफ पटेल तथा अन्यों के बारे में सभी को मालूम है। उन्हें हम तस्करों के साथ राजनैतिक संबंध है। तस्कर बदले में राजनैतिक संरक्षण प्राप्त करते हैं। आज जब ऐसी सभी चीजों का भडाफोड़ किया जाता है तथा संसद तथा जनमत के समक्ष राजनैतिक संबंधों को प्रकाशित किया जाता है तब आप उनके बचाव करने के लिए आ जाते हैं (व्यवधान)। आप उन्हें बचाते हैं। इसलिए, पत्रकार के कहने पर भी ·· (व्यवधान) आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप हैं आपमें यह कहने का नैतिक साहस नहीं "हमारा कोई संबंध नहीं है"। इन संबंधों के कारण ही आज आप संकट में है।

गगनचुम्बी इमारतें बन रही हैं। वांचू आयोग ने सभी काले धन को निकालने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसकी सिफारिश में एक सिफारिश यह थी कि बड़े महानगरों में महलनुमा भवनों की बिक्री संबंधी सौदे की जांच की जाए। यदि जांच से यह पता चले कि बिक्री संबंधी सौदे में कम मूल्य अंकित किया गया है। तो सम्बन्धित संपत्ति को जब्त कर लिया जाए और संमत्ति मालिक को बिक्री सम्बन्धी सौदे में आंकित मूल्य ही दिया जाए। सरकार उक्त संपत्ति को बाजार मूल्य पर बेचे। वांचू आयोग की सिफारिशों में एक सिफारिश यह थी।

उस दिन आपने कहा था कि आपने छः भवनें, अर्थात अचल संपत्ति तथा भवनें जप्त किए हैं। 6 अथवा 8 वर्षों के दौरान आपने मात्र छः भवनें जप्त किए हैं।

वांचू आयोग की एक दूसरी सिफारिश विमुद्रीकरण के बारे में थी। आप कम से कम 100 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण कर दें। इस सभा में यह मांग बार-बार की जा रही है। आपका कहना है कि इससे देश में मुद्रा बाजार में असाधारण असर तथा उथल पुथल हो जाएगा। लेकिन काले धन से होने वाली क्षति का क्या होगा? मुद्रास्फीति बेरोजगारी और अनेक अन्य समस्यायों का एक मुख्य कारण काला धन है। आप ऐसा क्यों नहीं करते।

महोदय, सरकार इसे नहीं करेगी, क्योंकि उनका ऐसे उन सभी व्यक्तियों से मिली भगत है जो काला धन जमाखोरी, काला बाजारी कर रहे हैं और व्यापार तथा वाणिज्य में संलग्न हैं।

अधिक से अधिक इस विधेयक को जन सम्पर्क का कार्य कर सकते हैं। श्री वेंकटरमन का मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं क्योंकि मैं इसका विरोध नहीं कर सकता चूंकि इस विधेयक को काले धन से संघर्ष करने के लिए लाया जा रहा है। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री काली चरण शर्मा यहां नही हैं। अतः अब भी श्री के० टी० कोसलराम अपना भाषण शुरू करें।

श्री के० टी० कोसल राम (तिरुचेंडूर) इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं इसके बारे में कुछ शब्द कहना चहाता हूं। आशा करता हूं। कि मेरे मित्र श्री वेंकटरामन मुझसे सहमत होंगे! इस विधेयक का उद्देश्य काले धन को निकालने में मदद करना का है। पहले से ही

हम बैंकों में सावधि जमा करते हैं। तो बैंक कतिपय ऐसे प्रभाव शाली मामलों में जहां नकद दी जाती हैं जो बैंक रजिस्टर से आयकर के अधिकारियों द्वारा ढुंढ़ा जा सकता है । को छोड़कर तकरीबन सभी मामलों में धारक चेक के स्थान पर रेखांकित चेक देते हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि आप कानूनों में जो कमियां हैं उसे दूर करने को कोशिश कर रहे है कुछ समय पहले आपने सभा में कहा था कि बड़ी कम्पनियों के मामले में एक हजार करोड़ रुपये का बकाया है। उसे वसूलने के लिए आपने क्या कदम उठाया है।

तत्पश्चात आपने यह भी कहा था कि आयकर विभाग ने सैकड़ों छापे मारे हैं। समाचार पत्रों में भी यह छपा था। लेकिन कोई नहीं जानता कि अन्ततः उन छापों का क्या परिणाम निकला। मैं कतिपय ऐसे मामलों को जानता हूं जहां आयकर विभाग ने कतिपय बड़े घराने के परिसरों में छापे मारे थे। इसलिए उन्होंने कतिपय रुपया, सोना, चांदी और कतिपय जाली बॉडों को मुहरबन्द कर दिया था। उन्होंने इन्हें जब्त नहीं किना था। यदि वे इन्हें जब्त कर लेते तो आयकर विभाग को इनका मूल्यांकन करना पड़ता और 3 मास के अन्दर उन पर मुकदमा चलाना पड़ता। लेकिन आयकर विभाग के लोगों ने जब्त करने के स्थान पर जानबूझकर मुहरबन्द कर रहे थे। आयकर विभाग के कर्मचारी, वस्तुतः उनकी सहायता कर रहे थे। क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक समय लगता है और अन्त में वे बच जाते हैं और तब मुहरबन्द की हुई चीजें भी उन्हें लौटा दी जाती हैं। यह एक तथ्य है और में इसे प्रमाणित कर सकता हूं।

मैं सुझाव देता हूं कि उन्हें काले धन को बाहर निकालने की यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। वे एक बहुत ही तेज वित्र मंत्री हैं और मैं उन्हें पिछले 30-35 वर्षों से जानता हूं। वे हमारे राज्य में उद्योग और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। काले धन को निकालने में उन्हें अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो उसे मत छोड़िए चाहे वह कोई भी क्यों न हो।

सेटलमेंट आयुक्त का पद क्यों है। मेरा सुझाव है कि सेटलमेंट आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि आपने आश्वासन दिया था, आपको अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति की घोषणा करनी चाहिए।

यद्यपि काले धन को निकालने के लिए यह विधेयक उपयोगी नहीं है, फिर भी मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। अच्छा होगा आप एक व्यापक विधेयक लाएं और यह सुनिश्चित करें कि काला धन बाहर आ जाए।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हिन्दुस्तान से मोहब्बत रखने वाला आदमी सपोर्ट कर सके। लेकिन सवाल तो यह है कि हमारे काबिल दोस्त, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब जिस कदर ब्लैक-मनी को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं उतना ही काफी इस काली दौलत का राज हमारे मुल्क में होता जा रहा है। मेरा सवाल तो यह है कि काली दौलत, ऐसा कोई भी हमारी जिन्दगी का शोबा नहीं

रहा है जहां पर इसकी मौजूदगी न हो चाहे वकील हो, चाहे डाक्टर हो, चाहे सियासतदां हो या इण्डस्ट्रियलिस्ट्स हों। बड़ेबड़े स्मगलर्स तो हमेशा से काले धन पर बिन्दा ही हैं।

अब सवाल यह है कि इस बिल में जो तरकीम लाई गई है उससे क्या काली दौलत पकड़े जाने के इमकानात हैं या काली दौलत में कोई कमी आने के इमकानात हैं? हमें मालूम है कि इससे पहले न मालूम कितनी दफा इनकम टैक्स एक्ट में तब्दीली इस नाम पर की गई है कि काली दौलत को कम करना है लेकिन काली दौलत कम नहीं हुई है। अगर आप पी० ए० सी० की 8 वीं या 9 वीं रिपोर्ट देखें तो उससे मालूम होगा कि इस मामले में गवर्नमेंट की अगर टोटल फेल्योर नहीं तो करीब- करीब टोटल फेल्योर है। मैं यह नहीं कहता हूं कि नीयत काली दौलत को कम करने की हकूमत की नहीं है या नीयत काली-दौलत को कम करने की अफिशियल्स की नहीं है, लेकिन उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया है—यह बात बिल्कुल ठीक है। सन् 1972 में इनकम टैक्स एक्ट में तरमीम की गई थी और वह इसलिए की गई थी कि यदि कोई अपनी जायदाद को ट्रांसफर में कम कीमत पर दिखा रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन हमने देखा कि सन् 19 2 से सन् 1981 तक कितने ऐसे केसेज हैं, जिनमें जायदाद जब्त की गई है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जिनको मैंने एस्टीमेंट कमेटी और पी० ए० सी० की आठवीं और नौवीं रिपोर्ट से लिए हैं। इसमें 11,41 केसेज पर कार्यवाही की गई, लेकिन हुआ क्या? आज तक 2,657 केसेज, 1977 में शुरू किए गए, उनमें से चार जायदादों को जब्त किया गया और 5400 केसेज 1980 में शुरू किए गए थे, उनमें से एक जायदाद ऐसी है, जिस पर कि कब्जा किया गया है। वह भी मैंने सुना है कि कोई बम्बई की इमारत है। इससे अन्दाजा यह होता है कि हम जो काम करना चाहते हैं, उसमें सही तौर पर कामयाब नहीं होते हैं। मैं नहीं समझता कि इस बिल के आ जाने के बाद कोई इसमें बहुत ज्यादा लम्बा-चौड़ा इम्प्रूवमेंट हमारे मोहतरिम मिनिस्टर साहब लाने में कामयाब होंगे। जरूरत इस बात की है कि सिर्फ कानून पास न हों बल्कि हम यह देखें कि कानून के ऊपर अमल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए जरूरी यह होगा कि आपको देखना चाहिए कि आप मशीनरी पूरी तरह से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है।

आप हर दफा एक कानून बनाते हैं और उसके लिए आप को अलग से एक डिपार्टमेंट खोलना पड़ता है और उस पर काफी रुपया खर्च करना पड़ता है। बद-किस्मती से जो आप हासिल करना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा उस पर खर्च हो जाता है। नतीजा यह हुआ कि आज तक न तो कोई बड़ा आदमी ब्लैक मनी वाला पकड़ा गया है, जिससे लोग सबक लेते कि ब्लैक-मनी इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। डाक्टर, वकील और हर सूबे की जिन्दगी में ब्लैकमनी है, कोई ऐसा नहीं है, जहां ब्लैकमनी न हो। मेरे साथी श्री मंगल राम प्रेमी, एम० पी०, उन्होंने मिनिस्टर साहब पिछले दिनों कुछ डाक्टरों के नाम से एक पत्र लिखा कि इन लोगों के पास ब्लैक मनी है और इनको पकडिए। आपके डिपार्टमेंट ने छापा और मेरे ख्याल में करीब 3 लाख रु० की ब्लैकमनी पकड़ी गई, लेकिन ताज्जुब की बात है कि जिन डाक्टरों के नाम श्री मंगल राम प्रेमी ने अपने खत में लिखे थे, उनमें कोई डाक्टर नहीं था जिसको कि पकड़ा गया, दूसरे डाक्टरों

को पकड़ा गया। यदि यह एटीचूड होगा कि आपको खास तौर से इत्तिला की जाए, बता दिया जाए, कि इस-इस जगह पर ब्लैकमनी है और उसके बाद एक्शन ऐसा लिया जाए कि उन लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को पकड़ लिया जाए। होता यह है कि आपके डिपार्टमेंट में जहां अच्छे लोग हैं, वहां यह भी हो सकता है कि ऐसे लोग भी हों जो पहले से इत्तिला दे देते हैं कि आपके यहां फलों- फलां रेड होने वाली है और जब रेड होती है तो वे पकड़े नहीं जाते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि कम से कम अगर और डिपार्टमेंट्स में नहीं हो सकता है- होना तो सभी चाहिए, जब तक और डिपार्टमेंट्स हो, आप अपने डिपार्टमेंट में आफिशियल्स रिक्रूट करते समय उनकी कितनी दौलत है, कितनी जायदाद है, उसको लेखा-जोखा लिया जाये और उसको हर-दो-चार साल में रिव्यू करते रहिए, ताकि यह पता चलता रहे कि थोड़े से वक्त-फेर में वे कितनी जायदाद बढ़ा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि जितने भी हाजीमस-तान और यूसफ पाटिल आदि लोग हैं, इनकी आप आठ-दस साल की हिस्ट्री देखिए, ये सारे के सारे पहले मामूली वर्कर थे, कुली थे, अब ये काफी बड़े लोग हैं। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी दौलत दस-बारह साल के अन्दर ईमानदारी से नहीं कमा सकते हैं। इतना पैसा वह सफेद में नहीं कमा सकता है। जब नहीं कमा सकता है तो इस कानून में ऐसी तरमीम क्यों नहीं लाई जाती कि इन सब की जायदाद को जब्त किया जाय और उन्हें उसी हैसियत में पहुंचा दिया जाय, जिसमें वे 11-12 साल पहले थे।

डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन आप घन्टी बजा रहे हैं, इसलिए यहीं खत्म करता हूं।

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : महोदय, इस विधेयक पास किए जाने के बाद, आवश्यक सेवा विधेयक पर इस सभा द्वारा चर्चा होगी। कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिए पांच घन्टे का समय निर्धारित किया है और सभा द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में वक्ता हैं जो हमारे पक्ष तथा दूसरे पक्ष से वाद-विवाद में भाग लेना चाहेंगे। इसलिए, हमें कतिपय विपक्षी सदस्यों के साथ परामर्श करना होगा। हम सुझाव करते हैं कि आज चर्चा मध्यान्ह पश्चात 6 बजे के बाद भी जारी रखी जाए (व्यवधान)। हमारी एकमात्र चिंता है कि विपक्षी सदस्यों को अवसर दिया जाये। यद्यपि पांच घण्टे का समय आवंटित किया गया है, परन्तु हम इसके तकनीकी पक्ष पर अड़ा रहना नहीं चाहता हूं। हम विपक्षी सदस्यों को वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देना चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रस्ताव क्या है ; इस समय हम एक दूसरे विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री० पी० वेंकटसुब्बैया : यह स्वीकार किया गया है कि हमें इस मध्यान्ह पश्चात 3 बजे उठाना चाहिए।

संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : हम आज ही

चर्चा समाप्त कर देंगे । गृह मन्त्री वाद-विवाद का उत्तर कल देंगे । कल मध्यान्ह भोजन अवकाश नहीं रहेगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज कब तक हम बैठेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें 404 संशोधन मिले हैं । वस्तुतः, सरकार हमें सहायता कर रही है । कितने बजे तक हम लोग बैठेंगे, इस बात का निर्णय हम 6 बजे करेंगे । यदि सभी व्यक्ति को मौका नहीं दिया गया तो शोर-गुल होगा । मैंने मध्यान्ह पश्चात् 6 बजे के बाद भी सभा की कार्यवाही बढ़ाने की अनुमति देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ताकि सभी व्यक्तियों को मौका मिले ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या आप सभी को मौका देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप तब तक बैठने के लिए तैयार हैं जब तक सभी को मौका न मिल जाए, तो मैं सभा की कार्यवाही चलाने के लिए तैयार । हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : हमें व्यावहारिक भी होना चाहिए हमें ऐसे मामलों का पिछला अनुभव है । सरकार को अपनी राय जाहिर करनी चाहिए । क्या वे यह चाहते हैं कि विधेयक आज रात ही पास कर दिया जाए ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : नहीं, चर्चा आज समाप्त होनी चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय जानते हैं और आप लोग भी यह महसूस करेंगे कि 5 घन्टे में विधेयक पर चर्चा समाप्त होने की संभावना नहीं है । बहुत सारे संशोधन पेश किये गए हैं, जैसा कि आपने स्वयं कहा है । इसके अतिरिक्त, हम इसे एक महत्वपूर्ण विधान समझते हैं । इसलिए, किसी भी हालत में यह आज पूरा नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे यह नहीं कह रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस स्थिति में, यदि आप 6 बजे के पश्चात् बैठना चाहते हैं तो उसकी कुछ अवश्य सीमा होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : 9 बजे तक हम लोग बैठेंगे । 9 बजे सभा स्थगित कर दी जाएगी ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं कोई समय-सीमा निर्धारित करना नहीं चाहता हूं । लेकिन हम चर्चा आज अवश्य समाप्त कर लेंगे । गृह मन्त्री वाद-विवाद का कल उत्तर देंगे । खंड वार विचार तथा मतदान कल होगा । पांच घन्टे में पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी । कार्य मन्त्रणा समिति ने पांच घन्टे का सुझाव दिया है । यदि आप उस पर जोर देते हैं तो आप हम पर अधिक तकनीकी होने का आरोप न लगाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम 6 बजे के बाद बैठेंगे । लेकिन हम यह देखेंगे कि किस समय तक

बैठा जाए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : कल हम मध्यान्ह भोजन काल स्थगित रखेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : हम 8 बजे तक बैठना चाहते हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बैया : चाहे 8 बजे या 8 30 हो, चर्चा आज अवश्य समाप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभी दलों को बोलना है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : उन्हें हमारे साथ अवश्य सहयोग करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे हमारा सहयोग एक ऐसे विधेयक पर चाहते हैं जो हमें जेल भेजना हमें सहयोग क्यों करना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो जेल तभी भेजा जाएगा जब आप सहयोग करते हैं, अन्यथा नहीं।

श्री बापू साहिब परुलेकर : सभा द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम 6 बजे के बाद बैठेंगे और चर्चा 9 बजे तक जारी रहेगी। सरकार का यही सुझाव है। श्री रामावतार शास्त्री ने 8 बजे तक का सुझाव दिया है। उस पर हमने निर्णय नहीं लिया है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : माननीय मन्त्री ने कहा है कि हम पूरा वाद-विवाद आज पूरा कर लेंगे और माननीय मन्त्री कल उत्तर देंगे। यह हमें स्वीकार्य नहीं है। अतः इसका निर्णय लेना होगा कि किस समय तक हमें बैठना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह निर्णय हुआ है कि सभा 6 बजे के बाद तक बैठेगी और 9 बजे तक स्थगित हो जाएगी। मैं कोई वचनबद्ध नहीं हो रहा हूं कि सरकार की इच्छा पूरी होगी कि नहीं। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : आप अपनी इच्छा हम पर नहीं लाद सकते।

* **श्री ईरा मोहन** (कोयम्बटूर) : महोदय, मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की तरफ से आयकर (दूसरा संशोधन) विधेयक जिसे श्री आर० वेंकट रमणा, वित्त मन्त्री ने पुरःस्थापित किया है, पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों, सरकारी समितियों तथा कंपनियो में लेखा-भुगतान चैकों और ड्राफ्टों के रुप में परिपम्ब निक्षेपों के भुगतान निश्चित करके काले धन की उत्पति को रोकना है। जबकि में उस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक को जो अपने उद्देश्य में सीमित है, बिना किसी विवाद के पास कर देना चाहिए, तथापि इस विधेयक में उल्लिखित प्रशंस-

* तमिल में दिए गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर

नीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कतिपय सुझाव देना चाहूंगा।

हुन्डियों की प्रथा द्वारा व्यापारी वर्ग अपने वैयक्तिक हित के लिए काफी धन जमा करने में समर्थ हैं जिसके परिणाम स्वरुप काले धन में वृद्धि होती है। ऐसी हुन्डियों का नकद अथवा धारक चैकों द्वारा भुगतान की प्रथा को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए। वस्तुतः, मैं मांग करता हूं कि बैंकों को हुन्डियों का लेन-देन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार चेक कटौती सुविधा की भी मंत्रालय द्वारा गहरी छान-बीन होनी चाहिए। फरीदाबाद स्थित औद्योगिक इकाई दो खाते खोलना है, एक खाता फरीदाबाद बैंक में और दूसरा खाता दिल्ली स्थित बैंक में। इस कंपनी का प्रभारी व्यापारी फरीदाबाद बैंक में चेक ड्रा करता है और इसकी कटौती दिल्ली स्थित बैंक में करवाता है। इस चेक का भुगतान करने में लगभग एक सप्ताह लग जाता है। उस समय से पहले वह इस चैक को वहां प्रस्तुत करने से पूर्व समान राशि वहां जमा कर देता है। चेक कटौती सुविधा उसे निधियों के जोड तोड़ करने में काफी मदद करती है। इसी प्रकार स्टाकों पर अग्रिम राशियों का भी पूरी जांच होनी चाहिए। ऐसा अनेक स्थानों में हुआ है कि स्टाकों पर अग्रिम गलत तरीकों से लिए गए हैं। उदाहणार्थ यदि 100 टीन तेल पर अग्रिम मंजूर किए जाते है तो यह देखा गया है कि टीन की सिर्फ ऊपरी सतह पर तेल होगा और शेष टीनों में सिर्फ पानी होगा। बैंकिंग समस्याओं द्वारा ऐसे कदाचारों को रोकना चाहिए ताकि स्रोत पर काले धन की उत्पति को रोका जा सके। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन सुझावों पर ध्यान दें।

हाल ही मुझे एक समाचार मिला था कि राजधानों में एकसे मिनार में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मांग की थी कि आयकर को वर्तमान सीमा को बढ़ा कर 50,000 रुपये कर दिया जाए। यदि ऐसी मांग उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जैसे मूर्धन्य व्यक्तियों से आती है तो जनता उसे विश्वसनीय मानने लगती है। में महसूस करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो राजनैतिज्ञों से बेहतर प्रतीत नहीं होते, जैसे मूर्धन्य व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक मंच से इस प्रकार के वक्तव्यों पर विचार करना चाहिए। एक अन्य मामले में मद्रास उच्च न्यायलय दियासलाईयों पर उत्पाद करके बारे में 400 से अधिक याचिकाओं पर अन्तरिम स्थगन आदेश दिए हैं। केन्द्रीय सरकार को पिछले एक मास से उत्पाद राजस्व की काफी हानि हो रही है। इस स्थगन आदेश की सहायता से मध्यम सेन्टर दियासलाई उद्योग, जिसे 50 दिया सलाईयों के प्रति ग्रोस 4,60 रुपये भुगतान करना है। 1.60 रुपये प्रति ग्रोस ही भुगतान कर रहा हैं। यदि मध्यम श्रेणी दियासलाई उद्योग को इस मामले में कोई वास्तविक समस्या है तो केन्द्रीय सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और उसका समाधान करना चाहिये। इस प्रक्रिया में छोटे तथा कुटीर दियासलाई उद्योगों को रियायतें दी गई हैं उन्हें निरर्थक नहीं होने देनी चाहिए। तमिलनाडु में लगभग 5000 छोटी दियासलाई इकाईयों को मद्रास उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा हैं। ऐसा समाचार दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार को अब तक उत्पाद कर में 1.5 करोड़ रुपये का घाटा हो

चुका है। 21 अगस्त, 1981 की मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया था और चार सप्ताहों के अन्दर केन्द्रीय सरकार को इस अस्थायी स्थगन आदेश के विरुद्ध याचि-का दायर करनी थी।

यदि ऐसा नही किया गया तो स्वाभाविक है कि अन्तरिम स्थगन आदेश की पुष्टि कर दी जायेगी। जहां तक मेरी जानकारी है मद्रास उच्च न्यायालय में उक्त स्थागन आदेश के विरुद्ध सरकार द्वारा अभी तक कोई याचिका दायर नहीं की गई है। यद्यपि अब तक 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की हानि हो चुकी है तमिलनाडु में उत्पादकर विभाग ने मद्रास उच्च न्याया-लय के समक्ष प्रतिवादी याचिका दायर करने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की है। यद्यपि, प्रत्येक दिन उच्च न्यायालय में भारी संख्या में ऐसी याचिकायें दायर की जा रही हैं और अन्त-रिम आदेश प्राप्त किए जा रहे हैं। यदि न्यायालय यहां के कानूनों की ऐसी व्याख्या करते रहे तो माननीय वित्त मन्त्री के लिए 1982-83 के बचत प्रस्तावों को तैयार करना मुश्किल हो जायेगा। कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाकर ऐसे किसी प्रस्तावों पर लगाये जाने वाले कर के विरुद्ध स्थगन आदेश न्यायालयों से प्राप्त कर लेगा। मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे मामले में तुरन्त कार्यवाही करें ताकि उत्पाद कर में और क्षति को रोका जा सके।

ऐसा प्रतीत होता है कि सेटलमेंट आयुक्त का कार्यालय काले धन उत्पन्न करने का केन्द्र हो गया है। आयकर के छापे निरर्थक हो गये हैं क्योंकि अन्त में सेटलमेंट आयुक्त जब्त की गई सभी परिसम्पत्तियों को कानून तोड़ने वालों को लौटा देता है ऐसे छापों की प्रक्रिया में अनाव-श्यक बिलम्ब के कारण अनेक गैर कानूनी चीजों को कानूनी करवा लिया जाता है। इसलिए आयकर अधिनियम में इन त्रुटियों को दूर करने के लिए अनेक सार्थक संशोधन करने की आव-श्यकता है। इन त्रुटियों के कारण काला धन बनाने में मदद मिल रही है।

मैं तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्दन द्वारा किये गये एक अनोखें उपाय का उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे नही मालूम कि आयकर विभाग ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी है। उन्होंने अपने मकान को, जिसे आयकर विभाग ने जब्त कर लिया था, अपनी पत्नी के नाम बेच दिया और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपना आय कर की बकाया राशि को अंशतः भुगतान करवा लिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या सरकार ऐसे सौदों की अनुमति दूसरे अन्य व्यक्तियों के मामले में भी देगी। मैं वित्त मंत्री से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करता हूं कि आयकर की बकाया राशि के भुगतान में ऐसे अस्वास्थ्यकर पूर्व उदाहरण स्थापित करने की अनुमति नहीं दें। मुझे नहीं मालूम है कि आयकर अधिनियम में संपत्ति को पत्नी के नाम बेचने की अनुमित है अथवा नहीं।

वर्ष 1980-81 के केन्द्रीय बजट पेश करते हुए माननीय वित्त मन्त्री ने अपीलीय प्राधिक रण की नियुक्त की घोषणा की थी लेकिन उसकी नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है मैं जानना चाहूंग कि उसमें आवश्यक बिलम्ब क्यों हो रहा है। माननीय वित्त मन्त्री ने पिछले सप्ताह संसद में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कम्पनियों की और आयकर

की एक हजार करोड़ रुपये की राशि बकाया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इस भारी राशि को वसूल करने में किसी प्रकार के बिलम्ब से काले धन के बनने में मदद मिलेगी।

अपना भाषण पूरा करने के पूर्व में एक छोटी सी बात का उल्लेख करना चाहूंगा। राम नाथपुरम जिले के रामनाथपुरम में आयकर कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है क्योंकि कतिपय कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया था जिन्हें पहले ही दण्डित किया जा चुका है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आयकर कार्यालय को पुनः रामनाथपुरम लाया जाये। लेकिन आय कर विभाग का कम से कम एक कार्यालय रामनाथपुरम में स्थापति किया जाये।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस वाद विवाद में भाग लेने के लिए मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे आशंका है कि इसका भी वही हश्र होगा जो दो महीने पहले पास किये गये "काला" धारक बांड विधेयक का हुआ था। मुझे प्रसन्नता होगी कि यदि सरकार की कोशिश सफल होती है लेकिन विधेयक पर सरसरी नजर देखने पर मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विधेयक में अनेक त्रुटियां हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से कानून के गिरफ्त से बच जायेगा।

इस मामले में पहली चीज जिसका यहां उल्लेख किया गया है यह है कि यह विधेयक बैंककारी कम्पनियों, सहकारी समितियों और फर्मों सहित कम्पनियों को लागू होगा। मेरे विचार में डाकघर बचत बैंक इसके अन्तर्गत नहीं आयेंगे। उदाहरणार्थ, बंगलौर नगर में 80 डाकघर हैं। कोई भी व्यक्ति डाकघरों में खाता खोल सकता है। मैं नहीं समझता कि इस पर भी यह विधेयक लागू होगा।

मुझे डर है कि आर्थिक रूप से यह कोई अच्छी प्रस्थावना नहीं है। अधिकांश धनराशि, जो पहले जमा कराई जा रही है और उत्पादन के लिए लगाई जा रही है,। पहले की तरह दबा दी जायेगी और उसका प्रयोग उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकेगा। इस पर विचार करना होगा। मैंने जो जानकारी एकत्र की है उससे पता चलता है कि जमा की जाने वाली रकम मासा-नुमास कम होती जा रही है।

यदि 10,000 रुपए से कम के बेनामी खाते खोल दिये जायें, तो इसका क्या समाधान होगा ? बंगलौर में 300 बैंक था उनकी शाखायें हैं। यह विधेयक तो केवल उन खातों को लागू होगा जिनमें रकम 10,000/-रुपये या 8,000/- रुपये हों या इतनी रकम के लिए ही कोई खाता खोला जायेगा तो बैंक इतना कैसे संदाय करेंगे।

खण्ड 3 में दण्ड भयोत्पदक दण्ड, की व्यवस्था जो संदाय करने वाले कर्मचारियों को दिया

जायेगा परन्तु जमा करने वाले के लिए दण्ड का कोई उपबन्ध नहीं है इसके पक्षकार जमाकर्ताओं को दण्ड देने के बारे में क्या स्थिति है ? इसका तो यह अर्थ हुआ कि संदाय करने वाले के लिए तो दण्ड का उपबन्ध है जबकि रकम प्राप्त करने वाले के लिए दण्ड का कोई उल्लेख नहीं है ।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

पहले तो आयकर विभाग में भ्रष्टाचार नहीं था परन्तु अब तो वहां भी भ्रष्टाचार का बोल बाला है। लेखा परीक्षक विचौलिया है जिसके माध्यम से आयकर अधिकारी को घूस दी जाती है । अतः कुछ उपाय किये जाने चाहिये जिससे मामलों की अच्छी तरह से छानबीन की जा सके ।

यहां यह भी कहा गया है कि यह रकम किन परिस्थितियों में क्रास चैक द्वारा संहत की जाएगी । मान, लीजिए, मेरा सावधि जमा खाता है । यदि मैं उसका नवीकरण करा देता हूं, तो यह संदाय तो नहीं है ऐसा सम्भव है और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार अपना खाता जारी रख सकता है । दण्ड तभी दिया जाएगा जब संदाय नकद किया जाएगा । परन्तु यदि उसका नवीकरण दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, इस बारे में विधेयक में कोई उल्लेख नहीं है। इस पर भी विचार करना होगा ।

सावधि खाते में से ऋण भी लिया जा सकता है । यदि आपके खाते में 10,000 रुपये हैं, तो आप उस पर 80 प्रतिशत या 90 प्रतिशत ऋण ले सकते हैं । जब पैसा लौटाया जाएगा तो चैक शेष राशि के लिए दिया जाएगा । यदि मैं 1,000 रुपये के खाते में 800 रुपये ऋण ले लेता हूं तो 200 रुपए की शेष राशि का मुझे भुगतान कर दिया जाएगा । इस पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

यदि खाता बेनामी है और यदि उसे जारी रहने दिया जाता है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता । सरकार सिद्धान्तहीन व्यक्तियों को और अवसर प्रदान करने जा रही है जिससे वे अधिकाधिक सिद्धान्तहीन ढंग अपना सके ।

अधिकांश वकीलों डाक्टरों और दलालों की सही आय का कोई पता नहीं है । ये लोग करों की चोरी करते हैं । इस विधेयक की बजाय यह सुनिश्चित करना अधिक अच्छा होगा कि जिनसे कर लेना चाहिए उनसे कर वसूल किया जाये । इन लोगों को कर की लपेट में लाना अधिक अच्छा होगा । इन विधेयक से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी जिसके लिए इसे लाया गया है इसका धनराशि के उत्पादि उपयोग पर कुप्रभाव पड़ेगा । लोग इसे उत्पादी प्रयोजनों में नहीं लगायेंगे । अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धनराशि बकाया न पड़ी रहे, इसे किसी उत्पादन में लगाया जाना चाहिए ।

बंगलौर में कुछ दलाल हैं जो लोगों को इस शर्त पर उधार देते हैं कि वे प्रातः काल 90 रुपए देंगे और सायंकाल 100 रुपये ले लेंगे 90 रुपये पर प्रतिदिन 10 रुपये का ब्याज हुआ । इस प्रकार स्वयं ब्याज हो लगभग 2,000 प्रतिशत पड़ जाता है । कई दलाल हैं जो इस प्रकार कर रहे हैं परन्तु उन्हें इस विधेयक की परिधि में नहीं लाया गया है । माननीय मन्त्री से मेरा

अनुरोध है कि वह इस बात पर विचार करें कि इन लोगों को विधेयक के अधिकार क्षेत्र में कैसे लाया जा सकता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, यदि मन्त्री महोदय ऐसे लोगों को कर की लपेट में लाने के लिए कोई उपाय करेंगे। मुझे इससे भी अधिक प्रसन्नता तब होगी जब यह विधेयक काले बन्धन विधेयक का रास्ता अख्तियार नहीं करेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट)) सभापति महोदय, मेरे विचार में मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस अध्यादेश और इस विधेयक का विरोध करने वाले सांविधिक संकल्प में मेरा नाम क्यों आया है।

देखने में तो यह पता चलता है कि यह एक हानिकारक विधेयक है और इसके पीछे कुछ अच्छी भावना है। परन्तु मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि सर्वप्रथम मैं इसे समझ ही नहीं सका हूं और दूसरे मुझे शंका है कि यह वास्तव में एक भुलावा है। इसका समस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

वास्तविक कठिनाई तो यह है कि इस समय कालेधन की अत्यधिक राशि परिचालन में है और काले धन का उपयोग करने वाले इसी में से कुछ काला धन देकर काले धन का पता लगाने वाले तंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। जब तक प्रश्न के इस पहलू पर विचार नहीं किया जाता है तब तक इस प्रकार के खण्डशः विधान से बिल्कुल कोई मदद नहीं मिलेगी। उदाहरणार्थ, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं जो मेरे दिमाग में आता है, एक मामला, जिसका श्री वेंकटरमन को पता भी नहीं होगा, जो मद्रास में समाचार पत्रों में छपा था कि तमिलनाडु के एक भूतपूर्व विधायक के घर पर छापा मारा गया जिसमें लगभग 20 लाख रुपए लेखावाह्य सम्पत्ति और नकद राशि का पता लगा था। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि बाद में यह सब कुछ लौटा दिया गया और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाई नहीं की गई। ऐसा क्यों होता है ? मैं नहीं जानता कि मंत्री जी इससे अवगत हैं। यदि उन्हें इस बात का पता है तो वह इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। ऐसे मामलों में विधान बिल्कुल ही निष्फल है और उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैं कोई भाषण देने नहीं जा रहा हूं। मैं केवल तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं तो वास्तव में चकरा गया हूं कि आखिर इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ?

उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि सरकार उन लोगों का पता लगाना चाहती है जिनका काला धन बैंकों में जमा है। मैं नहीं समझता कि इसमें वास्तविकता कितनी है कि लोगों ने अपना काला धन सार्वाध जमा या नियत अवधि जमा के रूप में बैंकों में या किन्हीं अन्य गैरबैंककारी संस्थाओं में जमा कर रखा है। मेरा विचार था कि लोग अपना काला धन बैंकों में जमा नहीं कराते होंगे और हो सकता है कि कुछ काला धन किसी दूसरे के नाम या किसी मंत्री के नाम बैंकों में हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि आयकर विभाग को कौन सी

बात रोकती है, आखिरकार, इन खातों को उन्होंने स्वीकार किया है और जब किसी भी नाम में इतनी बड़ी राशि हो···

एक माननीय सदस्य : अन्तुले के नाम में।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे नहीं पता कि क्या अन्तुले बैंक जाते हैं बड़े बड़े खातों की सूची तैयार करने और इन जमाकर्ताओं की आय के साधनों का पता लगाने से आयकर विभाग को कौन रोकता है ? मेरे विचार में यह एक सामान्य प्रक्रिया है और यदि जमा कर्ता इस धन के स्रोत को प्रकट करने में असमर्थ हो, तो प्रथम दृष्टया यह समझना चाहिए कि उसके पास काला धन है अतः मैं नहीं जानता कि इसमें कठिनाई क्या है ?

दूसरे, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान पद्धति से क्या मदद मिलती है जिसके अन्तर्गत निर्धारिती को अपनी विवरणी स्वयं भरनी या भरानी पड़ती है और इसके साथ कर की रकम भी संदत्त करनी पड़ती है ? जहां तक तक मुझे याद है, कुछ वर्ष पूर्व यह पद्धति नहीं थी। पहले पद्धति यह थी जिसके अधीन प्रत्येक निर्धारिती को डिमांड आर्डर भेजा जाता था और यह उसकी इच्छा पर निर्भर था चाहे वह उसे पूरा करें या उसपर आपत्ति उठाये बाद में यह वर्तमान पद्धति लागू की गई जिसके अधीन आयकर की विवरणियां भरना और विभाग को भेजना निर्धारिती की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। अतः इस संदर्भ में कर की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। मंत्री जी ने कुछ दिन पहले बताया था कि आयकर की बकाया राशि जो अभी वसूल की जानी है वह कुल मिलाकर लगभग 1,000 करोड़ रुपये है। यदि इस राशि को या इसका बड़ा भाग वसूल कर लिया जाता है, तो साधन जुटाने के नाम पर लोगों पर अब डाले जा रहे इतने बोझ से बचाया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कर की चोरी करने वाले, जिनके पास काला धन है, स्वेच्छा से कर की विवरणी भरने की वर्तमान पद्धति अपनाने के प्रश्न पर विचार नहीं हो रहा है ? विवरणी भरने और भेजने का काम निर्धारिती पर ही छोड़ देने की बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं नहीं जानना चाहता हूं। अब 10,000 रुपये की सीमा निर्धारित की जा रही है कि इस विधेयक के उपबन्ध तभी लागू होंगे जब ब्याज सहित कुल राशि 10,000 रुपये या इससे अधिक होगी और इस स्थिति संदाय केवल क्रास चैक द्वारा किया जायेगा। इस तरह करने से, श्री वेंकटरमन का कहना है, लोगों का आसानी से पता लगाया जा सके जिन्होंने वह रकम जमा की होगी। मेरी समझ में नहीं आता कि उस अवस्था में लोग 10,000 रुपये से कम की राशि में काला धन जमा कराने लग जायेंगे। यदि मैं 9,500 रुपये या 9,999 रुपये बैंक में जमा करा देता हूं तो इस पर वह कानून लागू नहीं होगा अतः ऐसे लोगों का पता लगाने में यह विधान किस प्रकार कारगर हो सकेगा।' मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं क्योंकि यह तो कोई मामूली सी बात जान पड़ती है जिसका समूची समस्या पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या मैंने कोई ऐसी बात कही है जिससे माननीय महिला सदस्य को गुस्सा आ गया है ? यदि मैंने काले धन के बारे में बोलते हुए उसे गुस्सा दिला दिया हो, तो उसके लिए मुझे खेद है···

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : अब आप जो कुछ कहेंगे, उसे मैं पूरे ध्यान से सुनूंगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादव पुर) : इससे आगे।

वित्त मन्त्री (श्री वेंकटरमन) : वह कुछ और विषय के बारे में कह रही थीं।

सभापति महोदय : यदि वह अब आपकी ओर पूरा ध्यान देती हैं, तो क्या आप को कोई आपत्ति है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बिल्कुल नहीं। इसका स्वागत है। वह तो मेरी एक अच्छी मित्र हैं।

मैंने दो, तीन विशिष्ठ प्रश्न उठाये हैं। एक स्वेच्छा से विवरणी भरने की पद्धति के बारे में है। क्या वे समझते हैं कि कर की चोरी करने वालों की चोरी करने से रोकने का यहां सब से अच्छा तरीका है ? क्या इससे उन्हें सहायता मिलती है या नहीं ? दूसरे आयकर विभाग बैंक में जमा बड़ी बड़ी राशियों के स्रोतों का पता लगाने और उनकी छानबीन करने में क्या रुकावट है ? तीसरे जमा कर्ताओं को 10,000 रुपये से कम की रकमें बैंक में जमा कराने में क्या कोई रुकावट है जिससे वे इस विधेयक की परिधि से बचे रहें ? क्या वे इन बातों को स्पष्ट करेंगे ?

श्री आर० वेंकटरामन : सभापति महोदय, पहले की तरह श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया है। वास्तव में वह व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे से कुछ प्रश्न पूछे हैं और मुझे वादविवाद में से संगत कुछ मामलों पर कुछ कहने का अवसर दिया है।

यह प्रायः होता है कि आयकर के सम्बन्ध में जब भी कोई विधेयक और इस तरह की कोई चीज आती हैं, मुझे लोगों को सिखाना पड़ता है कि आयकर की चोरी कैसी की जाती है। अब श्री इन्द्रजीत ने मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि इस विधेयक से कर की चोरी कैसे रोकी जायेगी। उनका समाधान करने के लिए मुझे यह बताना पड़ेगा कि कर की कैसे चोरी की जाती है और इसका परिणाम यह होगा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त जैसे आप लोग भी कर की चोरी करना सीख जायेंगे।

यह देखा गया है कि कुछ लोग अपना काला धन बैंकों में सावधि खातों में जमा कर देते हैं और नियत समय के पश्चात वह रकम नकद लेकर आगे और कहीं लगा देते हैं जिससे मूलधन या ब्याज की रकम किसी व्यक्ति विशेष के नाम में न रहे। ये लोग प्रायः मासिक ब्याज के लिए रकमें जमा नहीं कराते। वे बढ़ा हुआ ब्याज लेते हैं जिससे पांच या छः वर्ष के पश्चात 10,000 रुपए 15,000 रुपए बन जायें। पांच या छः वर्ष के पश्चात यह रकम खाते में जमा हो जाये या इसका भुगतान क्रास चैक द्वारा किया जाये, तो कर प्राधिकारी इस रकम का पता लगा सकेंगे। परन्तु कर की चोरी करने वाला बैंक में जाता है और 15,000 रुपए नकद ले

लेता है और उसे फिर बैंक में जमा करा देता है और पांच या छह वर्ष के बाद उसे 20,000 या 22,000 रुपए मिल जाते हैं और इस प्रकार वह आगे-आगे जमा करता जाता है और धनराशि बढ़ती चली जाती हैं। इस प्रकार कर की चोरी को रोकने का एक तरीका यह है कि ऐसी रकम क्रास चैक या ड्राफ्ट द्वारा दी जाये या उसे उसके खाते में जमा किया जाये। इस प्रकार कर की चोरी बहुत अधिक हो रही है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता कि कर की कितनी चोरी हो रही है। परन्तु हमें विभिन्न साधनों से पता चला है कि इस प्रकार सावधि जमा राशि नकद ले ली जाती है और उसे आगे पुनः विनिहित कर दिया जाता है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि यदि कोई सावधि जमा राशि 10,000 या इससे अधिक की हो, तो इसका भुगतान क्रास चैक या क्रास बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाये। मैं नहीं कहता कि इस एक मात्र उपाय से समूची समस्या हल हो गई है। इससे कम से कम यह समस्या तो हल हो ही जायेगी कि कोई व्यक्ति कर की चोरी करने के लिए नकद रकम लेकर खाते में चढ़े बिना विनिहित नहीं कर सकेगा।

दूसरी बात श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कही वह यह है कि लोग थोड़ी-थोड़ी राशि जमा करा देंगे और इस प्रकार कानून की जद में नहीं आयेंगे। इसके लिए मैं एक संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति के नाम विभिन्न खातों में कुल रकम 10,000 रुपये या इससे अधिक होगी, तो उसका भुगतान क्रास चैक द्वारा किया जायेगा। अतः वह इस प्रकार रकम को बांटकर थोड़ी-थोड़ी राशियों में भी जमा नहीं करा सकेगा क्योंकि उनको भी हिसाब में लिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह रकम भिन्न-भिन्न नामों में जमा करा देगा :

श्री आर० वेंकटरामन : मैं उस पर भी आ रहा हूं। 10,000 रुपये की राशि रखने का कारण यह है कि भारी संख्या में ऐसे जमा कर्ता भी हैं जो केवल 1,000 रुपये 2,000 रुपए या 3,000 रुपए जमा करते हैं और यदि हम रकम को कम रखेंगे, तो ऐसे छोटे जमा कर्ताओं को बड़ी परेशानी होगी। कर की चोरी रोकने के लिए विधि को इतना कड़ा नहीं बनाया जा सकता जिससे वास्तविक जमाकर्ताओं को कोई परेशानी और कठिनाई हो। इसलिए हमने इसे 10,000 रुपए रखा है और इससे कम रकम नहीं रखी है।

एक अन्य बात जो उन्होंने उठाई है वह यह है कि वह विभिन्न नामों में बेनामी खाते खोल सकता है। जब उसका भुगतान क्रास चैक द्वारा किया जायेगा तो आयकर विभाग उसका पता लगा सकेगा। चैक द्वारा भुगतान करने में यह रकम बैंक के खाते में आ जायेगी तो सर्वेक्षण करते समय किसी का नाम बार-बार आने में उस मामले में शंका उत्पन्न हो जायेगी और अग्रेतर छानबीन की जा सकती है। यदि यह रकम किसी के खाते में नहीं जाती है तो उसका पता नहीं लगाया जा सकेगा। इसीलिए यह विधेयक लाया गया है। जैसाकि मैंने कहा है, विभिन्न खातों की कुल रकम के बारे में मैं एक संशोधन ला रहा हूं। इस रकम का भुगतान क्रास चैक द्वारा किया जायेगा।

अन्य सदस्यों ने ऐसे भाषण दिये हैं जो आय व्यपक पर चर्चा करते हुए दिए जाते हैं।

मैं नहीं समझता कि मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ कहना है क्योंकि इनका वर्तमान विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं श्री मिश्रा को केवल यही कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली भाषा से उसकी संस्कृति का पता चलता है। यदि मैं जवाब में भौंकता नहीं हूं तो समझ लेना चाहिए कि मेरी संस्कृति भिन्न है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमान् मैंने तमिलनाडु के एक मामले का हवाला दिया था।

श्री आर० वेंकटरामन : आपको प्रश्न पूछना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप जाते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं, तो आप हमें कैसे बता सकते हैं ?

सभापति महोदय : श्री फूल चन्द वर्मा।

श्री फूल चन्द वर्मा (शजापुर) : सभापति महोदय, मैं केवल एक दो प्रश्नों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मन्त्री जी यह कह रहे थे कि ब्लैक-मनी इक्टठा करने वाले, बेनामी खातों वाले जो लोग हैं उनको गिरफ्त में लाने के लिए यह विधेयक लाये है। मैं उनसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं—मान लीजिए एक व्यक्ति 5 हजार रुपए 82 महीनों के लिए जमा कराता है, 82 महीनों के बाद वह धन राशि 10 हजार हो जायेगी, क्या उस वक्त आपका इन्कमटैक्स डिपार्टमेंन्ट उसकी असेसमेंन्ट करेगा, उसकी जांच करेगा ? यदि यह सही है तो इससे जमाकर्ता को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं जानता हूं—इसके लिए मन्त्री महोदय ने क्या प्रावधान रखा है जिससे वह परेशानी से बच सके।

इस बिल में मन्त्री महोदय ने एक प्रावधान यह बताया है कि जमाकर्ता को एकाउन्ट-पेई चैक या ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जायेगा। मान लीजिए, भुगतान इस तरह से हो जाता है तो जमाकर्ता अपने बेनामी खाते में उसको जमा करा के चैक द्वारा उस रकम को निकाल लेगा, उस सूरत में बैंक क्या करेगा, कानून में इसके बारे में क्या प्रावधान है ?

ऐसा भी होता है कि बैंक रसीद पर बैंक से ऋण ले लिया है, जो इस अध्यादेश की परिधि में नहीं आता है—उस हालत में आप क्या करेंगे ? इस अध्यादेश का उद्देश्य है कि जमानत के फाइनल भुगतान के समय चैक दिया जाय, लेकिन वहां पहले ही ऋण ले लिया जायेगा, वहां क्या करेंगे ?

अब वहां तक जमा का सवाल है—हमारे देश में 5450 करोड़ रुपया बैंकों के पास फिक्स्ड डिपाजिट में जमा है। जब मन्त्री महोदय अनिवार्य जमा योजना के सम्बन्ध में बिल लाये थे उस वक्त भी मैंने यह आशंका प्रकट की थी कि जो 5450 करोड़ रुपया बैंकों के पास जमा है, उनमें कितने छोटे जमाकर्ता हैं। यदि आप निश्चित रूप से पता लगायें तो आपको मालूम होगा कि उनमें 80 प्रतिशत छोटे जमाकर्ता हैं, बड़े लोगों का पैसा उसमें जमा नहीं है। जो कर की चोरी करने वाले लोग हैं या बेनामी खाते वाले लोग हैं वे बैंकों के पास ज्यादा

रुपया जमा नहीं कराते हैं, वे अपना रुपया जमीनें-जायदाद खरीदने में खर्च करते हैं, दूसरी प्रापर्टीज खरीदते हैं। इस सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं ?

इन प्रश्नों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : श्री वर्मा, आप अपना सर्वाधिक संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री फूलचन्द वर्मा : मन्त्री जी ने उस रोज भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये थे और आज भी वे नहीं देना चाहते हैं। यही तीन प्रश्न मैंने उस दिन भी पूछे थे इसलिए मैं वापस नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 11 जुलाई 1981 को प्रख्यापित आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (1991 का अध्यादेश संख्या 8) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम खण्ड वार चर्चा करेंगे। खण्ड 2 पर सरकारी संशोधन हैं।

खण्ड 2

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 13,—

"269 न" के स्थान पर "269 न (1) रखा जाये"। (1)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 9 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये :

"परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात उस तारीख को या उस तारीख के पश्चात जिसको आय-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किसी विशेष के प्रतिसंदाय को या उसकी बाबत लागू नहीं होगी।

(2) किसी बैंककारी कम्पनी या सहकारी बैंक की कोई शाखा और कोई आय कम्पनी

या सहकारी सोसाइटी और फर्म उसके पास जमा कराए गये किसी निक्षेप का प्रतिसंदाय उस व्यक्ति के नाम में, जिसने निक्षेप किया है, पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय ड्राफ्ट द्वारा से अन्यथा प्रतिसंदाय नहीं करेगा, यदि—

(क) निक्षेप पर देय ब्याज यदि कोई हो, सहित निक्षेप की रकम, या

(ख) बैंककारी कम्पनी या सहकारी बैंक की किसी शाखा या, यथास्थिति, किसी अन्य कम्पनी या सहकारी सोसाइटी या फर्म में ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर धृत ऐसे निक्षेपों और ऐसे निक्षेपों पर ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख की कुल रकम,

दस हजार या उससे अधिक है :

परन्तु जहां प्रतिसंदाय किसी बैंककारी कम्पनी या सहकारी बैंक द्वारा किया जाना है वहां ऐसा प्रतिसंदाय ऐसे निक्षेप की रकम को, उस व्यक्ति के, जिसे ऐसे निक्षेप का प्रतिसंदाय किया जाना है, बचत बैंक खाते या चालू खाते में, (यदि कोई है) जमा करके भी किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात उस तारीख से पूर्व, जिसको आय-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किसी निक्षेप के प्रतिसंदाय को या उसकी बाबत लागू नहीं होगी।"

सभापति महोदय : श्री डागा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 14,—

"सोसाइटी के पश्चात निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये :

"व्यक्तियों का संगम, विधिक व्यक्ति जिसके अन्तर्गत न्यास भी है,"

व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त परिवार।" (4)

पृष्ठ, 2—

पंक्ति 9 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"परन्तु यह और कि इस धारा के उपबन्ध किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त परिवार पर केवल तब लागू होंगे यदि वे कारोबार, वृत्ति या व्यवसाय दे लगे हैं।" (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 14,

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये

"और सभी प्रकार के उधार इसके अन्तर्गत हैं"। (6)

सभापति जी, इसमें एक बात यह कही है कि कम्पनी, का आपरेटिव सोसाइटी और फर्म किसी व्यक्ति को किसी निक्षेप का प्रतिसंदाय पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही करेंगी' तो मैंने कहा है कि यह कम्पनियों के लिए ही क्यों ? अगर किसी आदमी के पास जमा है या हिन्दू अनडिवाइडेड फैमीली के पास रकम जमा है, तो उसको चैक से जमा क्यों नहीं करवाते हैं। आपका जो सेक्शन 2 (31) है, उसमें यह है।

व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त परिवार, व्यक्तियों का निगमित संगम या व्यक्तियों का कोई निकाय चाहे हो अथवा नहीं तो मैंने कहा है कि इसके अन्दर जब आपने फर्म को, चैक को और कम्पनी को लिया है, तो आपने इन लोगों को इन्क्लुड क्यों नहीं किया है। एक आदमी के पास रकम जम ाकी जा सकती है, हिन्दू अनडिवाइडेड फैमीली के पास रकम जमा की जा सकती है, तो उसरकम का जो पेमेंट किया जाए, उसके पेमेंट का क्या तरीका आप निकालते हैं। कोई व्यक्तिहै जिसके पास कोई रकम जमा है तो वह जो पेमेंट करेगा, तो उसके लिए कोई तरीका आपनेनहीं निकाला है। इसके लिए तो आपने कह दिया है कि कोई भी कम्पनी सहकारी सोसाइटी या फर्म किसी व्यक्ति को किसी निक्षेप का प्रतिसंदाय माने वाले के खाते में देय चैक से अन्यथा नहीं करेंगी।

आपने एक बात मानी है कि कम्पनी को जो पेमेंट करना पड़ेगा या बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा या काआपरेटिव सोसइटी को पेमेंट करना पड़ेगा, वह तो पेमेंट करेगा एकाउन्ट पैई चैक के द्वारा लेकिन किसी इन्डिविजूअल के पास रकम जमा है या हिन्दू अनडिवाइडेड फैमीली के पास रकम जमा है या किसी एसोसियेसन आफ पर्सन्स के पास रकम जमा है, तो उनको आप क्यों बचाना चाहते हैं। आपने सेक्शन 2 (30) में जो पर्स को डेफीनीनश है उसमें लिखा है कि फलां फलां इक्लूडेड हैं। इसलिए मैंने जो एमेंडमेंट दी है, उसमें यह लिखा है कि सोसाइटी के बाद यह जोड़ दिया जाए :

"सोसाइटी" के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये :

"व्यक्तियों का संगम, विधिक व्यक्ति जिसके अन्तर्गत न्यास भी है, व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त परिवार"। (4)

"परन्तु यह और कि इस धारा के उपबन्ध किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त परिवार पर केवल तब लागू होंगे यदि वे कारबार, वृत्तियां व्यवसाव में लगे हैं। (5)

"और सभी प्रकार के उधार इसके अन्तर्गत है"। (6)

मैंने कहा है कि अगर हिन्दू अनाडिवाइडेड फैमली है, वह कोई बिजेंस कर रही है, एक इन्डिविजुअल कोई बिजेंस कर रहा है या एसोसियेशन आफ पर्सन्स कई बिजनेस कर रही है, तो उनके द्वारा पेमेंट के लिए भी ऐसा होना चाहिए। यह जो आपने इसमें ब्यूपहोल रखा है इसमें समझाना चाहता था क्योंकि इससे पहले आपने कहा ताकि हमारे यहां जो समानान्तर अर्थ-व्यवस्था है, वह बड़ी गम्भीर समस्या है और हम धीरे-धीरे इसको चीड आफ्ट कर रहे हैं हमारे वित्त मन्त्री जी जो कानून लाते हैं, वे इन्सटालमेंट्स में लाते हैं धीरे-धीरे और आपने यह भी आश्वासन दिया है कि हम एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाएगें। काम्प्रीहैंसिव बिल लाने की बेनिस्बत आप पीसमील थोड़ा-थोड़ा लेजिसलेशन लाते है और उसके अन्दर भी कमी रख देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनको भी इसमें इन्क्लूड करेंगे। फिर आपने लिखा है: आपने डिपोजिट की डेफीनीशन दी है तो डिपोजिट के लिए आप यह करना चाहते हैं वह तो ठीक है लेकिन जो लोन ले, उसके लिए क्या है? मैंने यह भी कहा कि डिपाजिट्स के लिये ही नहीं,लांज शुद आल्सोबी देअर।

तीसरी बात मैंने यह कही है कि इन लोगों को भी पाबन्द करें कि वे भी अपना पेमेंट उसी तरह से करें जिस तरह से फर्मज और कोओप्रेटिव सोसाइटीज करती है।

डिपाजिट्स ही नहीं लोन का भी पेमेंट चैक में होना चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक प्रथम याचिका का सम्बन्ध है कि व्यष्टियों या अविभक्त हिन्दू परिवार आदि को शामिल क्यों नहीं किया है मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करने से प्रशासन के लिए कार्य करना असंभव हो जायेगा। हम उन लोगों को जो डिपोजिट्स कर रहे हैं कहां कहां और कैसे ढूंढते फिरेंगे। इससे अनावश्यक कार्य बढ़ेगा। इसके लिए लोकप्रिय तरीका यह है कि वे कम्पनियों का भागीदारी का और बैंकों आदि संस्थाओं का इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इसका विस्तार व्यष्टियों और अविभक्त हिन्दू परिवारों तक करके इसे अव्यवहारिक नहीं बनाना चाहते और इस तरह उस उद्धेश्य को निष्प्रभावी नहीं करना चाहते जिसके लिए विधेयक सभा के समक्ष लाया गया है।

अब दूसरी बात इस प्रकार के उधारों को शामिल करने के बारे में है। इसमें यह कठिनाई होगी कि हम सब उधारों डिपोजिटों और अन्यों को जो कि किन्हीं विशिष्ट प्रलेखों के आधार पर दिये जाते हैं, शामिल नहीं कर सकेंगे और ऐसे उधारों के मामले में जो बिना किसी प्रलेख के दिये जाते हैं, कानूनी सवाल पैदा हो जायेंगा। मेरे माननीय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी कहेंगे कि यह "प्रलेख द्वारा ऋण" करा गया है यह "बिना प्रलेख ऋण" कैसे हो सकते हैं जब आप कहते हैं कि ऋणों की अदायगी अश्वयक होती चाहिए, तो हमे कैसे पता लगेगा कि ऋण दिया भी गया था या नहीं इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है।

तीसरी बात उपबन्धों के दुरूपयोग जो कि कभी-कभी हुंडियों द्वारा किया जाता है, के

बारे है। इसके लिए पहले ही खण्ड 69 (घ) विद्यमान है जिसमें यह उपबन्ध है कि जब कोई व्यक्ति हुंडी के द्वारा धन का आन्तरण करता है जब तक यह आन्तर पैंची चैक द्वारा नहीं किया जाता आयकर अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए यह उपबन्ध पहले की मौजूद है।

अब मेरे संशोधन संख्या 2 में उन बातों को शामिल किया गया है, जिनका उल्लेख मैंने सामानय चर्चा के दौरान अपने भाषण में किया था, अर्थात यदि डिपाजिट छोटी-छोटी राशियों में विभाजन किया जाना है और एक ही व्यक्ति के मात्र है तो कुल राशि के 10,000 रुपये से अधिक होने पर इस संशोधन के उद्देश्य के लिए उसपर कानून लागू होगा। मेरे संशोधन संख्या औपचारिक है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 13,

"269 न" के स्थान पर " 299 न (1) रखा जाये। [1]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ:

सभापति सहोदय : प्रश्न यह है कि है :

पृष्ठ 2,

पंक्ति 9 के पश्चात निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये :

"परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात उस तारीख को या उस तारीख के पश्चात जिसको आय-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किसी निक्षेप के प्रति संदाय को या उसकी बावत लागू नहीं होगा।

(2) किसी बैंककारी कम्पनी या सहकारी बैंक की कोई शाखा और कोई अन्य कम्पनी या सहकारी सोसाइटी और फर्म उसके पास जमा कराए गए किसी निक्षेप का प्रतिसंदाय उस व्यक्ति के नाम में, जिसने निक्षेप किया है, पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय ड्राफ्ट द्वारा से अन्यथा प्रतिसंदाय नहीं करेगा, यदि

(क) निक्षेप पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित निक्षेप की रकम या,

(ख) बैंकारी कम्पनी या सहकारी बैंक की किसी शाखा या यथास्थिति, किसी अन्य कम्पनी या सहकारी सोसाइटी या फर्म में ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर धृत ऐसे निक्षेपों और ऐसे निक्षेपों पर ब्याज यदि कोई हो, सहित ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख की कुल रकम,

दस हजार या उससे अधिक है :

परन्तु जहां प्रतिसंदाय किसी बैंककारी कम्पनी या सहकारी बैंक द्वारा किया जाना है वहां, ऐसा प्रतिसंदाय ऐसे निक्षेप की रकम को, उस व्यक्ति के, जिसे ऐसे निक्षेप का प्रतिसंदाय किया जाना है, बचत बैंक खाते या चालू खाते में (यदि कोई हो) जमा करके भी किया जा सकता है;

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात उस तारीख से पूर्व, जिसको आय-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1981 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किसी निक्षेप के प्रतिसंदाय को या उसकी बाबत लागू नहीं होगी" । (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मूलचन्द डागा : महोदय मैं अपना संशोधन संख्या 4,5 और 6 वापस लेता हूं ।

सभापति महोदय : क्या संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन, संख्या 4,5 और सभा की अनुमति से वापस लिए गये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधन रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खण्ड पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : खण्ड 4 पर श्री मूलचन्द डागा का एक संशोधन है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4,5,6 और विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 4,5,6, और 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय एक नेक-नीयत आदमी हैं और अर्थ-व्यवस्था के सुधार की बहुत बात करते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से जिन्होंने इस बिल को पेश किया है, उस उद्देश्य की पूर्ति इस बिल से नहीं होने जा रही है, क्योंकि इस देश में हजारों-हजार करोड़ रुपया टेक्स का बकाया है और यह सरकार उसको वसूल करने में असमर्थ है। जिस देश में टेक्स इवेजन की प्रवृति इतनी जबर्दस्त हो कि बड़े से बड़े लोग टेक्स इवेजन करते हों और यह सरकार उसको रोकने में असमर्थ हो, उसको पकड़ने की क्षमता भी उसमें न हो और जहां ब्लैक मनी पैरेलल इकनामी बन गया हो जिससे देश की अर्थव्यवस्था और सारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया हो, उसके बावजूद भी सरकार असमर्थ है कि ब्लैक-मनी को समाप्त कर सके, वहां ऐसे बिल लाने से कोई लाभ नहीं। ब्लैक मनी को लेने के लिए सरकार ने बहुत प्रयत्न किए लेकिन सबमें ये फेल कर गए।

ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि इस बिल में जो 10 हजार रुपया बैंक में जमा करने के ऊपर इनकम टैक्स लगाने की व्यवस्था की जा रही है, इस कानून को लागू होने में मुझे संदेह है। मैं जानता हूं कि इनकम टैक्स अधिकारी अधिकांशतः भ्रष्ट हो गये हैं और टैक्स एसेसमैंट में पैसे लेकर गड़बड़ी करते हैं और इतना प्रतसेस होता है कि रीयल इनकमटैक्स देने वाले को कठिनाई उठानी पड़ती है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में अगर कम्प लैंट हो तो उनको उससे बचने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि इस बिल से कोई लाभ नहीं है, मन्त्री जी इस विषय में एक कम्प्रीहैंसिव बिल लायें जिसका, उद्देश्य इनकमटैक्स के नियमों में सरलीकरण करना हो और जो टैक्स इवेजन करता है, वह लोग उससे पकड़ में आ सकें। यह बिल पेबन्द के समान है। जिस प्रकार से थूक चाटने से प्यास नहीं जाती है, इस बिल से समस्याओं का हल नहीं होगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा का कार्य

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : आज और कल की सभा की बैठकों के बारे में, हमने विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों से विचार विमर्श किया है। उन्होंने एक सुझाव दिया था और सरकार उससे सहमत हो गई है। आज सभा की बैठक सात बजे म० प० तक होगी कल मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं होगा और विधेयक की समूची प्रक्रिया 7.51 म० प० तक पूरी हो जाएगी - इस बात पर सहमति हो गई है।

सभापति महोदय : आज की आधे घन्टे की चर्चा के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : इसे स्थगित कर दिया गया है।

सभापति महोदय : क्या सभा की अनुमति है कि आज की आधे घण्टे की चर्चा को स्थगित कर दिया जाये।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : हम आज 7 बजे म० प० तक बैठेंगे और कल मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं होगा।

श्री भीष्म नारायण सिंह : सूचना कार्य कल 7 बजे म० प० तक हो जाएगा।

आवश्यक सेवा अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और आवश्यक सेवा विधेयक

सभापति महोदय : अब हम संख्या 9 और 10 लेंगे। श्री सोमनाथ चटर्जी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 26 जुलाई, 1981 राष्ट्रपति द्वारा मुख्यापित आवश्यक सेवा अध्यादेश (1981 का अध्यादेश संख्या 10) का निरनुमोदन करती है।"

मैं अपना यह प्रस्ताव न केवल अपनी ओर से उन माननीय सदस्यों की ओर से जिन्होंने ऐसे ही संकल्पों के नोटिस दिये हैं अपितु देश के समूचे श्रमजीवी वर्ग, जिसे यह तानशाही सरकार जिसकी दृष्टि में विधि के शासन और लोकतंत्रात्मक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है, कुचल रही है, की ओर से पेश करता हूं।

यह अध्यादेश और विधेयक जिस ने इस अध्यादेश का स्थान लेना है देश के श्रमजीवी वर्ग और जनसाधारण के अधिकारों का सबसे बड़ा अतिक्रमण और उनके विरुद्ध जिहाद है। परन्तु मैं सरकार को और उसके सहयोगियों को अब यह बताना चाहता हूं कि युद्ध का बिगुल बज चुका है और श्रमजीवी वर्ग कारखानों तथा कार्यालयों में इस काले कानून के विरुद्ध युद्ध जारी रखेगा। सरकार ने श्रमजीवी वर्ग को चुनौती दी है और हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। तथा यह चुनौती इस तानाशाही सरकार के अन्त का कारण बनेगी। पश्चिम बंगाल के लोग, केरल के लोग तथा त्रिपुरा के लोग इस विधेयक के पूर्णतया विरुद्ध हैं और उन्होंने अपना विरोध स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया है। हमें खुशी है कि महाराष्ट्र के श्रमजीवी वर्ग और जनसाधारण ने भी हड़ताल करने का निर्णय किया है। यह घटनाएं जन भावना को प्रकट करती हैं और मैं समझता हूं कि सरकार इस भावना को समझने का प्रयास करेगी।

इस अध्यादेश से न केवल तानाशाही को बढ़ावा मिलता है अपितु हमारा समूचा संसदीय तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। यह काला कानून संसद की बैठक आरम्भ होने से केवल तीन सप्ताह पूर्व प्रख्यापित किया गया और इस प्रकार संसद के अधिकारियों का हनन करके जनसाधारण के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया। अध्यादेशों के माध्यम से देश पर शासन करना संसदीय सरकार के बुनियादी सिद्धान्तों और वसूलों के विरुद्ध है। जहां तक संविधान का सम्बन्ध है आपको ज्ञात है कि अध्यादेश उसी हालत में प्रख्यापित किया जा सकता है जबकि तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी कार्यवाही थी जिसे करना जरूरी था और जिसके लिए राष्ट्रपति को आधी रात यह अध्यादेश प्रख्यापित करने का कष्ट दिया गया? यह विधेयक मुख्यतः इस पर हस्ताक्षर होने से प्रभावी नहीं होता, अपितु उस समय से प्रभावी होता है जबकि कतिपय आवश्यक सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी आदेश जारी किया जाए। हमें किसी ऐसे आदेश की जानकारी नहीं है जो इस अध्यादेश के खन्ड 3 या धारा 3 के आधीन जारी किया गया हो। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कौनसी तुरन्त कार्यवाही आवश्यक थी?

यह विधेयक ऐसा नहीं है जिससे देश के साधारण नागरिक को कोई अधिकार प्राप्त होता हो और न ही यह उन व्यक्तियों को महंगाई भत्ता देने के लिए है जिन्हें महंगाईभत्ता देय है। क्या यह विधेयक विदेशी संसाधनों से विदेशी मुकाबला करने के लिए लाया गया है। परन्तु कोई युद्ध या आक्रमण भी नहीं हुआ है। फिर इस अध्यादेश को जारी करने का क्या औचित्य है? इन बातों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस अध्यादेश के जारी करने का कोई कारण नहीं था तथा यह कार्य केवल संसद और उसकी संप्रभुता का अपमान करने के लिए किया गया है। इस अध्यादेश के जारी करते समय इस सभा के पीठासीन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर उठाई गई आपत्तियों की भी अवहेलना की गई है। हम महसूस करते हैं कि 26 जुलाई, को प्रातः जो कुछ किया गया है वह संविधान के साथ बड़ा धोखा था। मैं नहीं जानता था कि आपने इस काले विधेयक के उपबन्धों को देखा है अथवा नहीं।

सभापति महोदय : जी हां, मैंने देखा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इससे मुझे अपनी बात कहने में सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह अध्यादेश श्रमजीवी वर्ग मध्य वर्ग और तथा बड़े पूंजीपतियों और अधिकारियों या शोषकों और शोषितों के बीच युद्ध आरम्भ करने के सिवाय और कुछ नहीं है और इसलिए देश के सब कार्मिक संघों ने जिनकी श्रमजीवी हितों में रुचि है इस अध्यादेश का बड़ा विरोध किया है। हमने यह भी देखा है कि बड़े-बड़े एकाधिकारियों और पूंजीपतियों ने इसका विरोध किया है। हमने देखा कि नवल टाटा, सोमानी और के० एन० मोदी तथा सी० एम० स्टीफन और श्री कल्पनाथ राय ने भी इस उपाय का स्वागत किया है और इससे सिद्ध होता है कि यह अध्यादेश किनके हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। परन्तु हमें खुशी है कि श्री सी० एम० स्टीफन का श्रमजीवी वर्ग एक भाग पर प्रभाव होने के बावजूद इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी एक भाग मुख्य धारा में शामिल होकर इस काले कानून का विरोध कर रहा है।

हमें ज्ञात हुआ है कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस अध्यादेश पर आपत्ति की है और इसका विरोध किया है। (व्यवधान) मुझे विश्वास है कि उन्हें अभी तक कांग्रेस से नहीं निकाला गया है परन्तु शायद शीघ्र ही निकाल दिया जाएगा। मुझे इस बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है।

हम हर व्यक्ति का जो इस तानाशाही और विरोधी काले कानून का विरोध करता है, स्वागत करते हैं।

प्रो मधु दण्डवते : क्या उनमें श्री स्टीफन भी शामिल है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समझता हूं कि वर्तमान गिरोह में आने से पहले वह भी शामिल थे। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि किसके लाभ के लिए और किसकी सहायता से वह एक महान भारत की रचना करना चाहते हैं, जिसका वह हमेशा दम भरते रहते है। अपने कार्य और नीति से इस सरकार ने बता दिया कि वे क्या करना चाहते है? उन्होंने शोषकों का पक्ष लिया है, क्योंकि उनका दल इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।

सभा के सामने पहले जो विधेयक लाया गया था वह काले धन से सम्बन्धित था। परन्तु माननीय वित्त मन्त्री ने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जिस ढंग से और जिस रूप में उत्तर दिया है उससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों की बात कही है और माननीय सदस्यों द्वारा उठा गई बातों का उत्तर न देना उनकी संस्कृति है। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इस देश में आजादी से लेकर अब तक बड़े पूंजीपतियों, बड़े व्यापारियों, एकाधिकारियों मुनाफाखोरों और गलाधर, अन्तुले प तथा गुन्डूराव जैसे व्यक्तियों का पक्ष किया जाता रहा है। इसके विपरीत देश में श्रमजीवी वर्ग का, साधारण जनता का कालेबजारियों द्वारा शोषण किया जाता रहा है और यह सरकार सदा इन लोगों के विरुद्ध

रही है, जो अपने खून पसीने से देश का निर्माण करते हैं देश का निर्माण जनता करती है और उसके साथ यह व्यवहार किया जा रहा है। इस सरकार ने बता दिया है कि वह किसी की मित्र है और किसी की शत्रु। परन्तु सरकार को यह याद रखना चाहिए कि जनता सदा इसी प्रकार दबी हुई नहीं रहेगी और एक दिन सरकार के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी और सरकार को बता देगी कि उसमें कितनी शक्ति है। यह सकार जनसाधारण को जीवन न्यूनतम सुविधायें प्रदान करने, बेरोजगारों को रोजगार देने तथा दलितों को सामाजिक न्याय देने में बुरी तरह विफल हो रही है और अब श्रमजीवी वर्ग के प्रदर्शन करने, हड़ताल करने के अधिकार को छीन रही है। उच्चतम न्यायालय ने प्रदर्शन करने के अधिकार को मूलभूत अधिकार माना है। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद क्या होगा? बाद में विधेयक के खण्डों का विशलेषण करूंगा और बताऊंगा कि स्थिति क्या है।

सरकार लोगों को जीवन की न्यूनतम सुविधायें और करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में विफल रही है। करोड़ों शिक्षित बेरोजगार हैं तथा अशिक्षित बेरोजगारों की तो गिनती ही नहीं है। उनके बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को इस बात पर शर्म नहीं आती कि आजादी के 34 वर्ष बाद भी लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं और जिन्हें रोजगार मिल गया है, उन्हें अपने न्यूनतम अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। आप इस देश की स्थिति के बारे में अवगत है। इसलिए सरकार की प्रवृत्ति को जानते हुए हमें हस प्रकार का विधेयक लाने पर आश्चर्य नहीं हुआ है। यह सरकार सब प्रकार के काले कानूनों का प्रतीक बन गई है। हम उस बात को नहीं भूल सकते कि 1974 के रेल कर्मचारियों का आन्दोलन कितनी बेहरमी ने कुचला गया था। हम यह भी नहीं भूल सकते कि हर प्रकार के आन्दोलन को कुचलने के लिए 'मीसा' का कितना दुरुपयोग किया गया और इसके अन्तर्गत अपने राजनीतिक विरोधियों छात्रों, शिक्षकों और किसानों को किस तरह सताया गया। हांलाकि सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि 'मीसा' का उपयोग केवल समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध किया गया था, परन्तु हम सब जानते हैं कि छात्रों, शिक्षकों और साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध किस प्रकार इसका दुरुपयोग किया गया। अब 'मीसा' का निरसन किये जाने के शीघ्र बाद ही यह सरकार यह काला विधेयक ले आई है और इसका राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा। अतः इससे स्पष्ट है कि जब से वर्तमान सरकार सत्तारूढ़ हुई है उसने न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे काले कानून पास किए हैं अपितु उनका प्रयोग बदले की भावना से किया जा रहा है। हमने देखा है कि कैसे जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से किए गए समझौते की उपेक्षा की गई और उच्चतम न्यायालय के तत्सम्बन्धी निर्णय की भी तब तक उपेक्षा की गई जब तक कि उसने विशेष निदेश नहीं दे दिया। इसी प्रकार रेल कर्मचारियों के साथ भी बदले की भावना से व्यवहार किया गया और 1100 कर्मचारियों को या तो सेवामुक्त' मुअत्तल अथवा स्थानान्तरित कर दिया गया है। सरकार काले कानून अर्थात नियम 14 (2) का अनुसरण करती है और बिना चार्जशीट, कारण बताओ नोटिस दिए आदेश दे देती है कि 'तुम्हें तुरन्त सेवा से हटाया जाता है' हमने देखा है कैसे श्री स्टीफन के प्रेरक नेतृत्व में बंगलौर के सरकारी क्षेत्र के करखाने की पांच इका-

इयों में तालाबन्दी करा दी जो इस देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। हमने यह भी देखा है कि कैसे उन्होंने कठोर कानून पास करके हड़तालों पर मनमाने ढंग से रोक लगा दी है, परन्तु उन्होंने हड़तालों को निर्दयता से कुचला है और लाठी-गोली का प्रयोग करते हुए हड़ताली नेताओं को जेल में ठूंस दिया है जैसा कि बंगलौर में हुआ है। अत हमें सरकार द्वारा यह विधेयक लाने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि श्रमिक वर्ग इसका संगठित रूप से विरोध करेगा और सरकार को इसे रद्द करने पर मजबूर कर देगा।

इस अध्यादेश का क्या औचित्य हो सकता है ? उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार :

"कुछ ऐसी अशांत प्रवृत्तियां रही हैं जिनके कारण अर्थ-व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।"

"यह काफी अस्पष्ट है और इनमें से किसी एक का भी उल्लेख नहीं किया गया। आगे कहा गया है :

"यह आवश्यक समझा गया है कि यदि समुदाय के प्रसामान्य जीवन को अस्त-व्यस्त होने और जन साधारण को कठिनाइयों से बचाना है यह महसूस किया गया कि राष्ट्र की भलाई और जन-कल्याण के लिए अनुशासन और कार्यचालन क्षमता को सब प्रकार से बनाए रखा जाए।

राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक कल्याण का क्या शानदार तरीका है ? देश में वास्तविक स्थिति भिन्न ही है। औद्योगिक क्षेत्र में जनदिवसों की कितनी हानि हुई है ? इन अस्पष्ट बातों का उल्लेख कर देने से कोई बात तर्क संगत नहीं बन जाती। यही आधारभूत आंकड़े और सामग्री स्थिति स्पष्ट करती है। मन्त्रीगण इस बारे में क्या कहते हैं। हां यह विधेयक श्रम मन्त्री द्वारा पेश नहीं किया गया है बल्कि पुलिस मन्त्री द्वारा पेश किया गया है, जो शायद आज इस दूषित विधेयक पर कोई विशेष सुगंधित वस्त्र ओढ़ाने आये हैं। श्रीमती गांधी के सत्ता में पुन: आने के प्रथम वर्ष 1980-81 में कुल 1.3 करोड़ जन-दिवसों की हानि हुई जो 1979-80 में 4.4 करोड़ के मुकाबले कहीं कम है। इसी प्रकार हड़तालें भी 1978 में 2117 और 1979 में 1336 के मुकाबले 1980 में 899 और 1981 की पहली तिमाही में केवल 255 रहीं। इसी प्रकार उद्योगों में हिंसक घटनाएं भी 1978 में 840 और 979 में 682 के मुकाबले 1980 में केवल 542 थीं। जहां तक उत्पादन का संबंध है, 1976 में आपातकाल में हड़तालों के कारण जन-दिवसों की हानि 1975 में 79 प्रतिशत के मुकाबले घटकर केवल 22 प्रतिशत थी परन्तु साथ-साथ औद्योगिक वृद्धि भी घटकर 4.6 प्रतिशत रह गई थी। 1977 में जनदिवसों की हानि 53 प्रतिशत थी जबकि औद्योगिक उत्पादन 21.64 प्रतिशत बढ़ा। तालाबन्दियों के कारण 1979 में जनदिवसों की हानि 20 प्रतिशत हुई जो 1980 में बढ़कर 46 प्रतिशत हो गई—यह महत्वपूर्ण है। 1979 में जनदिवसों की कुल हानि का 20 प्रतिशत तालाबन्दियों के कारण हुई जो 1980 में बढ़कर 46 प्रतिशत हो गई। अत: जब यह अध्यादेश लाया गया तब जनदिवसों में बढ़ी हुई हानि तालाबन्दियों के कारण थी। यदि इसे रोकने के लिए आधी रात को इस अध्यादेश का जन्म हुआ तब तो उन्हें तभी तालाबन्दी, जबरी छुट्टी और कारखाने बन्द करने को रोकना चाहिए था न कि

हड़तालों को। अतः उस समय उद्योगों में वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी कि ऐसा अध्यादेश जारी किया जाता।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जो देश का एक बहुत महत्वपूर्व संस्थान है, ने एक अध्यादेश किया है। इसका प्रतिवेदन भी हाल में आया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जनदिवसों की हानि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर में कमी का जो पारस्परिक संबंध समझा जाता है, उसकी पुष्टि 1970-1979 के भारतीय आंकड़ों के विश्लेषण से नहीं होती। यह भी बताया गया है कि इन संबंधों की साधारण जांच से लगता है कि निवेश, रोजगार, प्रविधि और उत्पाद-मिश्रण जैसे अन्य पहलुओं के मुकाबले औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि पर जनदिवसों की हानि का प्रभाव अपेक्षाकृत कम पड़ता है ; 1968-75 के लिए, जिसका इस अध्ययन से सम्बन्ध है, श्रमिक वर्ग की वास्तविक औसत आय 1384 रुपये वार्षिक से घटकर 984 रु० हो गई और यही प्रवृत्ति आगे भी जारी रही जबकि 1970-79 में लाभ, लाभांशों और ब्याज में वृद्धि हुई। इस संस्थान द्वारा उन पहलुओं के आपसी सम्बन्धों पर की गई जांच से पता चलता है कि जहां भुगतान की मद में वेतन का अंश बढ़ता है वहां निर्मित वस्तुओं के मूल्य नहीं बढ़ते। दूसरी ओर जब सम्पत्ति और उद्यम की आय बढ़ती है। तब निर्मित वस्तुओं के थोक मूल्य काफी बढ़ जाते है। आय के मुकाबले सम्पत्ति पर किए गए निवेश से मूल्य बढ़ते हैं और वेतन के अंश में कमी से अधिक खपत वाली वस्तुओं की मांग घट जाती है जिससे क्षमता का उहयोग नहीं हो पाता, किफाय और उत्पादन कम हो जाता है और मूल्य बढ़ जाते है। आशा है गृह मन्त्री महोदय इस बात को समझेंगे कि भारतीय लाक प्रशासन संस्थान के इस अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस देश में जन-दिवसों की हानि का उत्पादन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता जबकि वेतन कम हो जाने पर वास्तविक आय कम हो जाती है और उत्पादन भी अनुप्युक्त क्षमता के कारण कम हो जाता है जबकि जन-दिवसों की अधिक हानि होने पर भी लाभ में वृद्धि हुई, ब्याज से आय भी बढ़ गयी और लाभांश भी बढ़ गया। इन निष्कर्षों के बावजूद सरकार ने कोई कदय नहीं उठाये। वे अपनी विफलता के लिए बहाने ढूंढ रही है। एक ओर श्रमिकों की वास्तविक आय कम हुई जबकि दूसरी ओर मुद्रा-स्फीति तेजी से बढ़ती जा रही है।

एक प्रमुख समाचार पत्र में 3-4 दिन पूर्व यह छपा था कि फरवरी में थोक मूल्य सूचकांक 265.3 से जुलाई में बढ़कर 281.7 हो गया, अर्थात 16 या 6 प्रतिशत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 447 हो गया अर्थात 12 प्रतिशत जो थोक से दुगना है।

जब लोगों पर भार अधिकाधिक बढ़ रहा है, वहां दूसरी ओर एकाधिकारियों की पांचों घी में हैं। उनके व्यापार आस्तियों और लाभों में काफी वृद्धि हुई है जैसा कि यहाँ आये दिन दी जाने वाली जानकारी से स्पष्ट है। अतः हम पाते हैं कि इन लोगों को भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण है और इस सरकार द्वारा किए गए कथित समिति-विरोधी उपायों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि सरकार बड़े व्यापारियों और काले धन वालों को हाथ नहीं लगा सकती। मुद्रा प्रसार में वृद्धि हुई है। और बड़े व्यापारियों को अधिकाधिक रियायतें दी गई हैं जबकि जनता में हाहाकार मचा हुआ है।

जब आर्थिक संकट गम्भीर से गम्भीरतम होता जा रहा है और लोगों को अधिकाधिक कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है, फिर भी सरकार यही चाहती है कि जनता और श्रमिक वर्ग विरोध की आवाज तक न निकाले। उनके पास अपने परिवार को पालने का साधन भी नहीं है, अपने बच्चों को शिक्षा और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के भी साधन हैं फिर भी उन्हें अपनी आवाज उठाने की भी अनुमति नहीं है। कीमतें बढ़ा दी जाती हैं ताकि कुछेक लोगों को अधिक लाभ मिले परन्तु श्रमिकों यह सब चुपचाप सहन करते रहना होगा।

अतः यह सोचा समझा हुआ कदम है और इसका वास्तविक कारण संगठित क्षेत्र में वेतन महंगाई भत्ते और अतिरिक्त पदिलकियों को जमा करके वास्तविक वेतन को कम कर देना है। यही उनके लिए मुख्य उद्देश्य है।

आज हम और देश के अधिकांश लोग देखते है कि इस अध्यादेश से देश में व्याप्त आपात स्थितियों से निपटने में सरकार की असहायता और निर्दयता स्पष्ट हो गई है उनका यह मनमाना और क्रूर रवैया किसी भी विमत को दबाने में चाहे उसके लिए देश की जनता को कितना भी मूल्य क्यो चुकाना पड़े, यह विधेयक लाने से स्पष्ट हो गया है।

महोदय, स्थिति यह है और इस प्रकार वे अपनी त्रुटियां, अक्षमता और असहायता को छिपाना चाहते हैं। वे बली का कोई बकरा चाहते थे और वह उन्हें देश के श्रमिक वर्ग के रूप में दिखाई देता है जिस पर वे एक के बाद दूसरा प्रहार करते जा रहे हैं और देश में एक दल, एक व्यक्ति, एक परिवार की तानाशाही लाने के लिए ऐसा गैर-कानूनी विधेयक लाए हैं। यही उनका उद्देश्य है। यह विधेयक इसलिए लाया गया है ताकि श्रमिक उनपर होने वाले अनेक प्रहारों पर कोई बचाव न कर सकें। हम यह भी देखते है कि एक ओर तो ऐसे कदम उठाए जाते हैं परन्तु इसकी ओर लोर लोगों की आर्थिक दशा सुधारने, मूल्य कम करने या मुद्रा-स्फीति घटाने के लिए कोई कारगर कदम सरकार ने नहीं उठाया है। वित्त मंत्री कहते हैं कि यह दर केवल एक प्रतिशत ही है परन्तु बाद में उन्होंने स्वीकार किया है कि यह 22+1 प्रतिशत है। अतः इस प्रकार के कानून का लाभ किसे है? देश में मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति से किसे लाभ मिल रहा है? टाटा, बिरला और उद्योग-व्यापार मंडल के सदस्यों के विरुद्ध क्या कदम उठाया गया? कुछ भी नहीं, दुख उठाने के लिए क्या देश के श्रमिक ही रह गए हैं। देश में इस समय एक ओर मुद्रास्फीति की दर इतनी अधिक है और दूसरी ओर विनाशकारी समानान्तर अर्थ-व्यवस्था है। इन सभी का बुरा प्रभाव श्रमिकों जैसे वर्ग पर ही तो पड़ता है। अतः हम मूल्य वृद्धि रोकने के लिए गम्भीर प्रयास किए जाने की आशा करते हैं जबकि सरकारी कार्य इस आग में घी का काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों, उर्वरकों, सीमेंन्ट के मूल्यों, खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में किस प्रकार वृद्धि कर दी गई है, शायद वित मंत्री को श्री इन्द्रजीत गुप्त की इस टिप्पणी से सहमत होना पड़ेगा कि कर-चोरों के लिए यह गूंई चुगो के बराबर भी नहीं है। परन्तु सरकार ने उनके और मुनाफाखोरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? इसके विपरीत सरकार से उन्हें अधिकाधिक रियायतें ही मिली है। आज स्थिति यह है कि अधिक से अधिक बोझ श्रमिकों पर ही डाला जा रहा है। इसीलिए उद्देश्यों और कारणों के कथन में जिन 'अशान्त प्रवृतियों

का उल्लेख है उनका स्वरूप नहीं बताया गया है, इसका तो यही अर्थ है कि अनुशासन और उत्पादन का दायित्व श्रमिकों पर काम का अधिकाधिक भार डाल कर ही निभाया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि सरकार मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट का बोझ भी उन्हीं पर डाल देना चाहती है। इसीलिए तो उनके वेतन और महंगाई भत्ते वर्तमान तथा जीवन-दशा पर प्रहार करके उन्हें घटाया जा रहा है, निक्षेप और समयोपरि कार्य अनिवार्य बना दिया गया है और कार्यभार भी बढ़ा दिया गया है, इससे तो देश में न्यायोचित श्रमिक संघ गतिविधियों को कुचल ही दिया जाएगा। और तो और असंगठित क्षेत्र भी उनके प्रहार का निशाना बनने जा रहा है। हम देख ही चुके हैं कि कैसे सरकार ने किसानों को लाभप्रद मूल्य दिए जाने की मांग का विरोध किया था और कैसे व्यापक आंदोलन को पुलिस की गोलियों से कुचल दिया गया था। आज हम कहीं अधिक मूल्य देकर अनाज आयात कर रहे हैं ग्रामीणों को काम के बदले कार्यक्रम के अन्तर्गत जो राहत देने के प्रयास किए गए थे किस प्रकार इस कार्यक्रम को ही समाप्त कर दिया गया है। लोक वितरण प्रणाली भी केवल कागजों में ही चालू है। इसका लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। (व्यवधान) इस स्थिति में विश्व बैंक ने भी खाद्य सहायता बन्द कर देने की मांग की है और जनता या बोझ बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने आर्थिक संकट दूर करने और मुद्रा स्फीति रोकने में अपनी विफलता से हताश होकर ही यह कदम उठाया है।

कथित नियंत्रण और उसके कारण के अलावा कर्मचारियों का गला दबाना भी यह विधेयक लाये जाने का एक मुख्य कारण है। इन्हें बिरला और टाटा के विरुद्ध अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए। उन्हें अपने अधिकारी और जीवन निर्वाह योग्य वेतन की भी मांग नहीं करनी चाहिये।

एक ओर घटना घटी है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के साथ बातचीत चल रही है और एक ओर वेतन जाम करने का प्रस्ताव है। जो सरकार की विफलता की कीमत श्रमिक वर्ग द्वारा चुकाये जाने के समान है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 56 करोड़ डालर का अनुदान लेने के लिए मुद्रा-स्फीति रोकने के उपाय स्वरूप उसके साथ एक करार के रूप में लाया गया है जिसके लिए सरकार बातचीत चला रही है। वेतन जाम, हड़तालों पर रोक, राज सहायता बंद करना जिससे लोगों को कुछ राहत मिलती थी, पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में यवृद्धि—ये ऐसे कदम हैं जो हम समझते हैं कि विश्व बैंक और अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सुझाये हैं और यह सरकार उनकी उन शर्तों को मानकर लागू कर रही है। इसलिए भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह विश्वास दिलाना चाहती है कि वह इन मामलों में ऐसे कदम उठाकर गम्भीरता से इस मामले को ले रही है। एक प्रमुख दैनिक समाचार के सम्पादकीय से मैं निम्नलिखित उद्धरण देता हूं :

> "इस संदेह से बचपाना कठिन है कि अध्यादेश जारी करने का समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्णधारों द्वारा निश्चित किया गया था और शाही विवाह के समय उनकी उपस्थिति और 500 करोड़ डालर के ऋण के लिए भारत के आवेदन पर विचार को एक साथ मिला दिया गया। अध्यादेश में अद्वितीय राजनीतिक दृढ़ता से भारत का आवेदन को दुगना बल मिला, विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों के यथार्थ

पूर्ण मूल्य निर्धारण के बाद। देश को सरकार के इरादों की ऐसी झलकियों के लिए और प्रतीक्षा करनी होगी जो वह आर्थिक सद्मार्ग के सीधे और संकरे मार्ग पर चलने के लिए अपना रही है।

इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं है। अतः आज इस अभूतपूर्व किस्म के ऋण को प्राप्त करने के लिए जिसकी शर्तें भी अद्वितीय हैं और जो हमारे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने वाली हैं, साथ ही इससे हमारी अखंडता और श्रमिक वर्ग की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचा है। यह सरकार इसका उपयोग बलि के बकरे के रूप में कर रही है। और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पिठ्ठू होने की नीति का अनुसरण कर रही है। आज भारतीय रेलों की क्या स्थिति है विश्व बैंक ने कड़ी शर्तें लगाई हैं और वे इतनी अधिक हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संसद के अधिकार पर भी यह कुठाराघात है। जो देश के सबसे बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में उसे प्राप्त है। क्या हम विश्व बैंक को अपनी बातें मनवाने देंगे। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह निश्चय करेंगे कि क्या हमारे श्रमिकों को हड़ताल करने का हक है या नहीं और हमारे उत्पादों की हमें क्या कीमत चुकानी है। वही यह निर्णय करेंगे कि किन्हीं वस्तुओं पर राज सहायता दी जाये अथवा नहीं। क्या इन बातों का निर्णय वाशिंगटन से किया जाएगा।

इस अध्यादेश का क्षेत्राधिकार क्या है? क्या इससे बड़ा और व्यापक जाल फैलाये जाने की कल्पना की जा सकती है? हड़ताल की परिभाषा क्या है? अध्यादेश तथा विधेयक में हड़ताल की परिभाषा कितनी लचीली रखी गयी है कि इससे श्रमिकों का अधिक शोषण और उन पर अधिक कार्यभार लादने के षड़यन्त्र रचे जा सकते हैं।

कृपया हड़ताल की परिभाषा देखें। इसमें कहा गया है :

"समयोपरि कार्य करने से इनकार, जहां ऐसा कार्य किसी आवश्यक सेवा को बनाये रखने के लिए आवश्यक हो"

सरकार अपने विभिन्न कार्यालयों को समयोपरि कार्य की अनुमति न दिए जाने के परिपत्र भेज रही है। शायद कल या परसों ही हमने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि उनके अपने कार्यालयों में समयोपरि कार्य की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसका निर्णय कौन करेगा? नियोजक ही तो करेगा। नियोजक कहेगा "मुझे तुम्हारी सेवाएं और दो घंटे के लिए चाहिएं।" यदि ऐसा नहीं किया गया तो कर्मचारी अपने को जेल में पायेगा। संक्षिप्त विचारण और बिना वारंट उसे बन्दी बना लिया जायेगा।

फिर "किसी ऐसे आचरण से यदि किसी आवश्यक सेवा के कार्य में बाधा पड़ती हो अथवा उसकी गति कम होती हो" "हड़ताल" की परिभाषा में शामिल किया गया है। ऐसे मनमाने और निर्बाध उपबन्धों से श्रमिक नियोजक और पुलिस थानेदार की दया पर छोड़ दिए गए हैं।

अतः हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जिस प्रकार हड़तालों से निपटना जाता है उन उपायों

जैसे ही उपाय वहां भी किए जा रहे हैं केवल हड़तालियों को कोड़े ही नहीं मारे जाते।

इसका परिणाम आज यह हुआ कि जहां श्रमिक समयोपरिभत्ता नहीं मांग सकते वहां नियोजक कर्मचारियों को अधिक काम करने पर बाध्य कर सकते हैं। जब आप हड़ताल की परिभाषा में "किसी आवश्यक सेवा में कार्य में काफी कमी" भी ले आयें तब आप सोच सकते हैं कि नियोजकों को कितनी अधिक शक्ति मिल जायेगी ? वे कहेंगे "देखो गत सप्ताह इतनी मात्रा में उत्पादन हुआ जबकि इस सप्ताह इससे कम उत्पादन हुआ। "एक पुलिस थानेदार आयेगा और केवल संदेह पर भी बिना वारंट कर्मचारी को गिरफ्तार कर लेगा संक्षिप्त न्यायालय मे पेश करके संक्षिप्त विचारण के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। शायद इससे श्री स्टीफन को हैरानी हो। और वे इस पर हंसें लेकिन ज्यादा देर तक वह ऐसा नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार एक पुलिस अधिकारी को जब कोई नियोजक यह कह कर बुलाएगा। कि मेरे यहां काम कम हुआ है तो कर्मचारी जेल भेज दिया जाएगा। जबकि कर्मचारी को कोई सरंक्षण प्राप्त नहीं है। यह तो रौलट एक्ट जैसा हुआ। जबकि उसके विरुद्ध गांधी जी लड़े थे। यहां हमारी सरकार उसी को स्वीकार कर रही है।

पुलिस अधिकारियों को क्या शक्ति दी गई है ? वे किसी भी व्यक्ति को मात्र सन्देह पर बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं और उनका संक्षिप्त विचारण किया जायेगा। हमारे देश में केवल हड़ताली कर्मचारियों का ही बिना वारंट गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता को ताक पर रख दिया गया है। जबकि मुनाफाखोरी और काला बाजारियों पर मुकदमें दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता के अधीन ही चलाये जा सकते हैं।

सरकार ने उचित कार्यवाही और न्याय के न्यूनतम मानदंड भी समाप्त कर दिए हैं। खंड 3 के अनुसार :

> "यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक या सभी चीन हैं, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसी किसी भी आवश्यक सेवा में जो आदेश के विनिर्दिष्ट हो, हड़तालों को प्रतिसिद्ध कर सकेगी।

"लोक हित" का फैसला कौन करेगा ? इस विधेयक में आधार का है ? क्या उद्देशिका में कोई चीज है ? मुख्य उद्देश्य क्या है ? "लोक हित" के आधार या मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है इसे चुनौती कब दी जायेगी यदि किसी व्यक्ति का जो हड़ताल पर है, संक्षिप्त रीति से विचारण किया जाता है ? यदि वह इसे चुनौती देता है तो उसे संक्षिप्त विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा और छः मास के लिए जेल भेज दिया जायेगा। वहां मैं लोक हित का प्रश्न नहीं उठा सकता। यह पूर्णतः अनिश्चित है। कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं है इसे चुनौती देने की कहीं भी कोई गुंजाइश यहीं है। लोक हित होगा श्री स्टीफन का मेरे संघ से निपटने के लिए हित क्योंकि उन्हें कम समर्थन मिल रहा है। इसलिए यह लोक हित में होगा कि किसी हड़ताल या आन्दोलन पर लोक लगा दी जाये। अतः इस विधेयक में इस प्रकार के अति कठोर उपबन्ध किये

जा रहे हैं। इसलिए इस देश में श्रमजीवी वर्ग और कर्मकार समुदाय के किसी आन्दोलन को पूरी तरह समाप्त करने के लिए यह शक्ति ली गई है। दण्ड छह मास का है। दण्ड संक्षिप्त विचारण के आधार पर दिया जायेगा जो यही कहा जा सकता है महज जंगल का कानून है। इसे केवल श्री स्टीफन का आर्शीवाद प्राप्त हुआ होगा। (व्यवधान) यदि उनमें कोई विवेक बचा है तो यह आश्चर्य की बात है।

प्रो० मधु दंडवते : विवेक का राष्ट्रीकरण हो गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि कोई हड़ताल करता है, कोई व्यक्ति या मजदूर नेता या मैं गेट मीटिंग में भाषण करने जाऊँ तो मैं उदीप्तक की महान उपाधि से विभूसित किया जाऊंगा। मुझे परवा नहीं। मैं उकसाना चाहता हूं। तब आप एक वर्ष के लिए जेल जाओ।

जहां तक वित्तीय सहायता का सवाल है, हड़ताल करने वाले कर्मकारों की मदद के लिए किसी प्रकार वित्तीय सहायता देने वाले व्यक्ति को एक वर्ष की जेल होगी हड़ताल करने पर एक साल की जेल होगी। जैसा एक पत्रकार ने कहा है। हड़ताल के दौरान हमने देखा है कि श्री स्टीफन जैसे हठी तथा बेरहम नियोजक कोई सुलह नहीं करना चाहते। कोई विचार विमर्श नहीं होता। हड़ताल खत्म करने विचार विमर्श करने और समझौता करने के लिए कोई कार्य वाही नहीं की जाती है। उसके बाद, जब हड़ताली लीडर जिन्दा रहने के लिए यदि संभव हो कुछ पैसा एकत्रित करने के लिए जाते हैं और कोई यदि उन्हें 10 पैसे दे देता है तो उस पर हड़ताल का वित्त पोषण करने का आरोप लगाया जायेगा और उसे एक वर्ष का जेल भुगतना पड़ेगा।

यह है वह स्थिति जिसके लिए यह सब कुछ किया जा रहा है और वे स्थायी विधान बनाना चाहते हैं। (व्यवधान)

इसलिए अध्यादेश के उपबन्ध ये हैं जिन्हें पारित किया गया है अध्यादेश के उपबन्ध ये हैं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक तथा उद्योग में सत्तारुढ़ दल के मिलों को खुश करने के लिए और मजदूरी न बढ़ाने की अपनी नीति के रूप में और कर्मकारों को संगठित होने और देय रकमें वसूल करने से रोकने के प्रयास स्वरूप सभी दमन कारी उपायों के विरुद्ध उनकी आवाज बन्द करने के लिए मध्य रात्रि में पारित किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अध्यादेश मे तालाबन्दी और कामबन्दी के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किन्तु विधेयक में उनके लिए उपबन्ध नहीं किया गया। अब इसे मान लिया गया है हालांकि प्रधान मन्त्री के निवास के सामने प्रायोजित तथा संगठित प्रदर्शनों में से एक में प्रधान मन्त्री ने जानकारी न होने के कारण या कठोरता वश अथवा श्री स्टीफन द्वारा गुमराह किये जाने के कारण यह कहा कि आप चिंतित क्यों है; उसमें तालाबन्दी और कामबन्दी को भी शामिल किया गया है। जाहिर है कि यह बात इन लोगों को दिलासा देने के लिए कही गई थी जिन्हें उनके निवास स्थान पर ले जाया गया था और जिन्हें इस ढ़ंग से लाया गया था जो हमें आपात के दिनों की याद दिलाती है। लोगों के झुंड के झुंड वहां दिल्ली परिवहन नियम की बसों में ले जाये गये थे, संभवतः मेरे मित्र श्री

भगत को इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा था इसलिए उन्हें दिलासा देने के लिए प्रधान मन्त्री ने उसमें तालाबन्दी और कामबन्दी को भी शामिल कर दिया। अलबत्ता हम समाचार पत्रों में पढ़ते है कि मन्त्रिमण्डल और उनके दल में अन्यत्र काफी विरोध है। हमें तो पता नहीं चल सकता कि मन्त्रिमण्डल में क्या गुप्त बातें हुई हैं और न ही मैं यह जानता हूं कि किसने किसका विरोध किया और किस चीज का विरोध किया। किन्तु यह महत्वपूर्ण है कि कारखानाबन्दी को छोड़ दिया गया है। किन्तु क्या तालाबन्दी और कामबन्दी के सम्बन्ध में इन उपबन्धों को कभी क्रियान्वित भी किया जायेगा ? क्या वे किसी को गिरफ्त में लेंगे ? इस देश में हमारे औद्योगिक सम्बन्धों का इतिहास ऐसा नहीं है इस देश में श्रम सम्बन्धी कानूनों के परिवर्तन का इतिहास ऐसा नहीं है। आज उन्हें इस विधेयक में सिर्फ मेल रखने के लिए जोड़ा जा रहा है। इसका भेद केवल प्रधान मन्त्री की 'अनभिज्ञता' को देना चाहिए जिसकी बजह से उन्होंने अब तालाबन्दी और कामबन्दी को भी शामिल कर दिया है। बहुत मजबूर लज्जित होकर उन्होंने ऐसा किया है। किन्तु कारखानाबन्दी को शामिल नहीं किया गया है। कौन पुलिस अधिकारी बिना वारन्ट भी टाटा या श्री बिड़ला अथवा श्री सोमानी को या ऐसे अन्य लोगों को गिरफ्तार करेगा ? और इस देश में कौनसा न्यायालय उन्हें ..... (व्यवधान) हम दिल्ली में हैं, देखेंगे क्या होता है। श्रमजीवी वर्ग जाकर न्याय नहीं मांग सकता, उन्हें जेल भेज दिया जायेगा (व्यवधान) कम से कम मैं नहीं जानता क्या समूची प्रणाली बदलेगी अथवा नहीं किन्तु उस पक्ष में इस बात का पक्का यकीन किसी को नहीं है कि वे कब तक सत्तारुढ़ रहेंगे।

एक माननीय सदस्य : खाम ख्याली।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई सोचता है कि वह सदैव बना रहेगा, वह इस देश का उप मन्त्री बनने का ख्वाब देख रहा है। अब वह अपनी स्थिति कायम रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है।

इसलिए आज ऐसी स्थिति है मैं इस अध्यादेश के विरुद्ध जिसे श्रमजीवी वर्ग के उत्पीड़न तथा दमन का उद्देश्य निहित है, यह संकल्प पेश करता हूं। यह साबित किया गया है कि आपने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है तब यह अध्यादेश किस प्रयोजन के लिए है ? हम गृह मन्त्री से अनुरोध करेंगे कि वह इसका उत्तर दें।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि यदि उसमें अब भी विवेक का कोई मादा है तो वह गलत राह पर आधारित जन-विरोधी और श्रमजीवी वर्ग विरोधी इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित करने में अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर न लगाये। इसके द्वारा आप श्रमजीवी वर्ग तथा आम लोगों को समाप्त कर देंगे। वे इसके विरुद्ध आखिर तक लड़ेंगे और खून की आखिर बूंद तक लड़ेंगे, वे इस अति कठोर कानून के खिलाफ लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे।

गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि कुछ आवश्यक सेवाएं तथा प्रसामान्य सामुदायिक जीवन बनाये रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

सभापति महोदय, इस बिल के लाने के बाद जिन मेंबर साहबान ने स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स और मेमोरेंडम रिगार्डिंग डेलीगेशन आफ लेजिस्लेशन को पढ़ा और गौर से देखा होगा उनको कोई आबजेक्शन इस मामले पर हो नहीं सकता । मैंने जिस रोज इसे इन्ट्रोड्यूस किया इन्ट्रोडक्शन के वक्त काफी दोस्तों ने इस बिल के खिलाफ कहा था और उसके जवाब में कुछ मैंने कहा था । आज भी मिस्टर चटर्जी ने इस रिजोल्यूशन के सम्बन्ध में अपने विचार दिए । उसमें और उस दिन की बहस में सिर्फ इतना अन्तर है कि वह बातें बहुत मेंबरों ने कही थीं और आज मिस्टर चैटर्जी ने अकेले कहीं । और इसमें एक अन्तर और है उस वक्त बहुत जल्दी में थे तो कोई प्वाइन्ट एलेंबोरेट नहीं हो सकां आज मिस्टर चटर्जी ने अपने एलोक्वेंस से, अच्छे अच्छे लफ्जों में (व्यवधान) आप प्रभावशाली वक्त है । मैं इसकी सराहना करता हूं । (व्यवधान) मैं आपकी तारीफ करता हूं । अगर आप अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहते तो और बात है । एक अच्छा एडवोकेट होने का उन्होंने सबूत दिया क्योंकि कमजोर केस को अच्छी तरह से एडवोकेट करना किसी लायक वकील का ही काम होता है, दूसरे का नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम भी आपकी शायरी की दाद देते हैं । हम आपकी शायरी का इन्तजार कर रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : वकालत के लिए क्या मिला ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रमजीवी लोगों का समर्थन वे मेरे पीछे हैं ।

श्री जैल सिंह : चेयरमैन साहब, यह बिल लाने का इरादा सरकार का हरगिज यह नहीं है कि हम वार्किंग क्लास की स्ट्राइक या वार्किंग क्लास की इण्डस्ट्री में डिमाण्ड को सुनें और उनके रास्ते में रुकावट डालें । यह बिल लाने का मतलब सिर्फ यह है कि हमारे सामने जितनी समस्यायें है उनको देखते हुए और देश की एकोनामी को मद्दे नजर रखते हुए यह जरुरी हैं कि देश की प्रोडक्शन बढ़े और लोगों को कोई तकलीफ न हो । उस रोज अगर आनरेबल मेंबर साहब बैठे रहते तो आज कुछ कहने का खयाल भी नहीं था मगर में यह कहना चाहता हूं कि कि हमारे लेबर, हमारे गवर्नमेंट एम्पलाईज, रेलवे एम्पलाईज, लोकोमेन एटसेट्रा या बिजली के कर्मचारी (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : बिजली वाले इसका विरोध करने के लिए आए थे ।

श्री जैल सिंह : चटर्जी साहब ने खुद इस बात को माना कि आर्डिनेन्स लाने के बाद इस पर अमल नहीं किया गया । यह गवर्नमेंट की इमानदारी पर मोहर है कि हमने किसी को दबाने के लिए इसको नहीं बनाया है ।

दूसरे, इन्होंने इस बात पर बहुत चिन्ता प्रकट की कि यह आर्डिनेन्स लाने के लिए इतनी जल्दी क्या थी । इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने पार्लमेंट का अपमान किया । यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है और गलत है । इसको लाने की जरूरत यह थी कि कोई भी दूरन्देश लोग, वे चाहें हुकूमत करते हों या कोई दूसरा कारोबार करते हों, अगर वे अपने दिमाग में आने वाले

समय का ठीक अन्दाज नहीं लगा सकते तो वे कभी कामयाब नहीं हो सकते । जब कोई बात बिगड़ जाए उसके बाद उसका इलाज करना और उसके पहले प्रिवेन्टिव मेजर अख्तियार न करना यह सबसे कम अकलबन्दी की बात है जो कि कोई भी दूरन्देश सरकार नहीं कर सकती है । यह हम जानते हैं कि क्या जरुरत थी और क्या जल्दी थी । अगर यह आर्डिनेस न लाया गया होता तो क्या होता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (बसीरहाट) : क्या होता ? (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : चेयरमैन सहाब, तमाम पार्टियों के नेताओं से प्रार्थना करूंगा अगर कोई एक लीडर होता तो एक से कर लेते लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए मैं तमाम नेताओं से प्रार्थना करूंगा कि कृपा करके वे मेरी बात को सुनें । मैंने चटर्जी साहब को बड़े सम्मान के साथ सुना है अब के सीट पर बैठे बैठे बोलें तो यह अच्छा नहीं लगता । हो सकता है कि चटर्जी साहब के कन्ट्रोल में ये माननीय सदस्य न हों इसलिए मैं तमाम लीडरों से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें तकरीरें करनी है, अमेंडमेन्टस लाने हैं इसलिए वे मेरी बात नोट करते जायें और अगर में कोई गलत बात करता हूं तो उसका जवाब देने में उनको सुविधा रहेगी । इसलिए इस मर्यादा को वे न तोड़ें । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप सब गलत ही कहेंगे, कौन नोट करेगा ।

आचार्य भगवान देव : (अजमेर) ज्ञानी जी, ज्ञान की बातें करेंगे । वे जानते हैं कि मैं गलत नहीं कहूंगा ।

श्री जैल सिंह : मैं बात बेशक ज्ञान की करूं । आपने देखा होगा कि जो आदमी मजबूत होता है, वह गाली नहीं देता है, शोर नहीं मचाता है और जो कमजोर होता हैं वह दूर से शोर मचाता है कि मर-जायेंगे, मर-जायेंगे । इनको अपनी दिमागी शक्ति, अपनी पावर और वोटों, सब चीजों का अभिमान होना चाहिए, तथा धीरज से बैठकर सुनना चाहिए । यह मादा बहुत बहादुरी का होता है, अगर आदमी कमजोर भी हो और उसके पास केस भी कमजोर हो, वे फ़ाखादिली से सुन सकें । मैं चाहता हूं कि आप जरुर सुन सकेंगे ।

मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि एक मौका मुझे और मिलेगा, तब मैं एक-एक प्वाइंटपर जवाब दूंगा । वे बातें जिसका भ्रम दिलों और दिमाग में है, मैं उनको दूर करना चाहता हूं । सबसे बड़ी बात यह सोचने की है कि इसकी तीन कैटागरीज हैं जिसके लिए एशोंशियल सर्विसेज करार की गई । उसमें रेलवे और पी० एन० टी० के लिए एक मशीनरी परमानेंट है, जिसके जरिए उनके ग्रिवेंसिस दूर किए जा सकते हैं और एक गवर्नमेंट एम्प्लायेंज की मशीनरी है जिसको जे० सी० एम० कहते हैं, उनसे भी बात हो सकती है उनको भी रोका नहीं गया, कन्सिलिएशन भी नहीं रोका गया और एड्जूडिकेशन भी नहीं रोका गया । तमाम चीजें जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करने का वायदा करती है इसके अलावा हमारे दोस्त ने कहा कि आर्डिनेस में लांक-आउट और ले-आफ नहीं था.(व्यवधान) आपके साथ बात करते हैं तो आप वांक-आउट कर जाते हैं । इससे वांक-आउट नहीं है । तालाबन्दी और दूसरी चीजों को

रोका गया। उन्होंने रिफ्रेंस दिया कि हड़ताल की निसबत ताल'बन्दी की वजह से मैन-डेज बहुत लॉस्ट हुए, नुकसान हुए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधान मन्त्री के कहने से इसको रखा गया। यह भी उनका यथार्थवाद है, दुरुस्त बात है, उन्होंने कही, हमारी प्रधान मन्त्री को ही क्रेडिट है ' आर्डिनेंस में यह बात नहीं थी और इसके बाद इसमें रखी गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आर्डिनेंस बनाया, किसके लिए बनाया।

श्री जैलसिंह : आर्डिनेंस बनाया, किसके लिए बनाया, मैं कहना चाहता हूं एक आदमी बीमार हो रहा था। उस बीमारी को रोकने के लिए डाक्टर ने उसको औषधि दे दी और उसको बीमारी न हो। कोई आदमी कहे कि फिर क्यों बीमार नहीं हुए ? बीमार होने के बाद आपरेशन किया गया। ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : चैटर्जी साहब, समझने की बात है, आप समझ नहीं रहे हैं।

श्री जैल सिंह : जो दुर्घटनायें घटने वाली थी, वे दुर्घटनायें नहीं घट सकीं, तो उसको हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने यह इसलिए किया था कि उन चीजों को रोका जा सके, वे रुक गई तो हमको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। दूसरे सैन्ट्रल गवर्नमेंट की ईमानदारी इस बात पर भी है कि उस वक्त आर्डिनेंस में लें आफ आदि नहीं था, अब उसको मुकम्मिल किया है अब जब जरूरत पड़ेगी, तो उसको इस्तेमाल करेंगे। चैटर्जी साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि हम चेलेन्ज कुबूल करते हैं।

श्री जैल सिंह : आप मेरी बात को गौर से समझे-उन्होंने कहा कि आपरेशन नही किया मैंने कहा -हमने औषधि ऐसी दी कि आपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, बीमारी आई ही नहीं। आप जरा ठण्डे दिल से गौर करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : बीमार के मर जाने के बाद आपरेशन की जरूरत नहीं रहती, आपने उसको मार दिया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपने तो बीमारी होने के पहले ही आपरेशन कर दिया।

श्री जैल सिंह : अगर एक एक लफ्ज का जवाब दिया जाए तो यह बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। इसलिए आप जरा सब्र से बैठें। भावी में क्या होगा उसके लिये अभी से घबराने की जरूरत नहीं है :—

इब्तदाए इश्क है रोता है क्या,
आगे-आगे देखिये होता है क्या।

चेअरमैन साहब, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी हुई जब चैटर्जी साहब ने शुरू में कहा कि यह अथारिटेरियन गवर्नमेंट है जहां तक मैं समझ सकता हूं और ट्रांस्लेशन को भी मैंने गौर से सुना, उनका मतलब है कि यह सरकार अथारिटी का इस्तेमाल करती है। मैंने दुनिया में

कोई सरकार नहीं देखो, जिसके पास अथारिटी न हो या जो अथारिटी का इस्तेमाल न करती हो (व्यवधान) चैटर्जी साहब, आप जरा मेरी बात सुनिये···

सभापति महोदय : चैटर्जी साहब, यह भी एक इन्टरप्रेटेशन है।

श्री जैल सिंह : मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन डिक्शनरी ला कर देख लीजिये, दुनिया भर में अथारिटी के क्या मायने हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि यह तानाशाही सरकार है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मिसयूज आफ पावर बहुत बुरी चीज है, लेकिन डिसयूज आफ पावर तो निहायत बुरी चीज है। जिनके पास कोई पावर है और वे उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। हमारी डयूटी है कि हम देश के लोगों को अमन और शान्ति प्रदान करें, जब आवा-जाई के साधन रुक जाते हैं तो लोगों को नुकसान होता है, बिजली बन्द हो जाती तो लोगों को नुकसान होता है पानी नहीं मिलता है तो लोगों को नुकसान होता है, हर चीज जिसका लोगों के साथ, जनता के साथ ताल्लुक है, अमीर और गरीब के साथ ताल्लुक है उसको चलाये रखना सरकार की डयूटी है। हम यह नहीं चाहते हैं कि जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको मजबूर होना पड़े ···(व्यवधान)···

मैंने देखा नहीं कि कौन आनरेबिल मैम्बर थे लेकिन मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं इस तरह से नहीं करना चाहिये, जैसे कांटे चुभते हों। प्रेम से बैठिये और मेरी बात को सुनिये चेअरमैन साहब हाउस को कन्ट्रोल करेंगे, आपको क्या चिन्ता पड़ी है।

चैटर्जी साहब ने कहा कि हम बेलैन्ज को कबूल करते है मैं इतना ही कहना चाहता हूं न हमारा चेलेन्ज मजदूरों को है और न जनता को है। अगर वह इसको चेलेन्ज समझते हैं तो यह उनके समझने की बात है, मगर एक ताकत जरूर है जिसको ये चेलेन्ज कर सकते हैं। उस चेलेन्ज को कोई मुकाबला करके कुबूल करना चाहेगा तो हम उस पर कार्यवाही करके दिखलायेंगे कि चेलेन्ज कैसे कबूल किया जाता है। वे कौन लोग हैं ? ये वे लोग हैं। जो मजदूर नहीं हैं, मजदूरों को एक्सप्लाएट करने वाले हैं, उनको आर्गनाइज करके एक्सप्लाएट करते हैं। मुझे बतलाइये अगर यह एक्सप्लाएटेशन नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं डिमाण्ड करते कि हर कारखाने में जितने मजदूर हैं (श्री जैल सिंह जारी) उनकी कोई पालीटीकल रंगत नहीं होगी, एक ही यूनियन होगी और उसी को रिकगनाइज किया जाएगा ताकि मजदूरों की जो डिमान्ड हैं, वे मानी जाएं लेकिन ये मजदूरों की डिमान्ट मनवाने के लिए वहां नहीं जाते हैं। हर एक पालीटीकल पार्टी ने अपने अपने मेंम्बर एलोट किये हैं कि तुम्हें लेबर में काम करना है लेकिन वे लेबर के भले के लिए नहीं वहां जाते हैं बल्कि लेबर में अपनी पार्टी की आइडियोलाजी का प्रचार करने के लिए हैं। यह एक खासा तरीका है कि लेबर का खर्चा कराओ, लेबर की बात कह कर वहां जुलूस निकलवाओ, जलसे कराओ और फिर वहां जाकर लेक्चर दे कर चले आओ। ये जो एक्सप्लायटर्स हैं, उनके लिए जरूर यह एक चैलैंज है, सोमनाथ चटर्जी साहब। उनके रास्ते बन्द होंगें।

फिर इनको बड़ा अफसोस हुआ कि यह बिल लेबर मिनिस्टर के बजाए गृह मन्त्री द्वारा लाया गया और इस पर इनको गुस्सा भी आया और इनको गृह मन्त्री कहने में भी दुःख हुआ और इन्होंने मुझे पुलिस मन्त्री कहा। मुझे जो ये चाहें कह लें

सोमनाथ चटर्जी : आप इस विधेयक को पुलिस मन्त्री के रूप में लाये हैं

श्री जैल सिंह : दोबारा कहिये या तीसरी बार कहिये, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं लेकिन मुझे मालूम नहीं कि आप अमीर हैं या गरीब हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैं मजदूर हूं। मैंने पुख्ता सड़कें बनाई हैं, मैंने टूटे जूतों को गांठा है, मैंने खेतों में जाकर काम किया है, खेतों को पानी लगाया है, डंगर चराये हैं, गायें चराई हैं और इस तरह से मैंने मजदूरों का काम अपने हाथ से किया है। मैं एक किसान के नाते, एक मजदूर के नाते यह कह सकता हूं कि मजदूर हम को प्यारे हैं, मजदूरों का इन्ट्रैस्ट हम सामने रखेंगे और वगैर जद्दोजहद मजदूरों के मतालबात को पूरा करेंगे।

इन्होंने यह भी कहा कि वैस्ट बंगाल और त्रिपुरा के लोगों ने बता दिया है। चटर्जी बता देते या आप बता देते, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है लेकिन किसने बता दिया सरकार ने दोनों प्रोविंशियल सरकारों ने अपना जोर लगा कर बंद किया पर मजदूरों के पक्ष में नहीं बल्कि वे लड़ाई लड़ना चाहते हैं इस मैदान में और मैं तो यह कहूंगा कि यह बिल, जिस बिल को जालिमाना कहा जाता है, यह मजदूरों के कल्याण का बिल है और इससे मजदूरों का एक्सप्लायटेशन रुकेगा और ये जो पालीटीकल अनसर बीच में पड़ कर प्रोडक्शन को बर्बाद करते हैं, उनके रास्ते रुक जाएगें और यह बिल एक बहुत कल्याणकारी बिल होगा और यह बिल मजदूरों के लिए एक इन्कलाबी बिल होगा।

अभी चटर्जी जी ने कहा था कि आधी रात को राष्ट्रपति जी को जगाया। अब वे इस बात का भी ख्याल रखते हैं, कारखाने के मजदूरों का भी ख्याल रखते हैं, राष्ट्रपति कब जागता है मजदूर कब काम करते हैं, । टाटा-बिरला क्या करते हैं, इस सब का इनको पता है। बड़ी शक्ति दी है भगवान ने इनको। ये कहां से शहादत हो गये कि आधी रात को राष्ट्रपति जी को जगाया। राष्ट्रपति जी को आधी रात जगाना बुरा नहीं है। वे राष्ट्र के सबसे ऊंचे दर्जे के हैं और राष्ट्रपति जी को जरूरत पड़े तो जगाया भी जा सकता है। और जागने से उनको कोई इन्कार नहीं लेकिन चटर्जी साहब आपने जजबात उभारने के लिए ये सब बातें कही हैं। और इनकी कोई कीमत नहीं है। इन्होंने कहा कि यह पूंजीपतियों का बिल है, वे खुश होंगे। मैं उनसे पूछता हूं कि यह पूंजीपतियों काम है, टाटा बिरला वगैरह का काम है, रेलवे उनकी है, बिजली उनकी है, पानी का काम उनका है, लोकोमैन की बात उनकी है। कहां वे इन सब बातों में आते हैं ? वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिए हैं या दूसरे लोगों के लिए है, यह बात आपको सोचनी चाहिए। पब्लिक सैक्टर क्या उनका है। यह उन लोगों का नहीं है, यह जनता का है। तो इन बातों को आप भूल जाइए कि यह अमीरों के लिए है बल्कि अमीरों पर भी पाबन्दी है कि वे मजदूरों का खून न चूस सकें। इस चीज को देखने के लिए गवर्नमेंट तैयार रहेगी। जागृत रहे (व्यवधान) शास्त्री जी आपका भाषण भी होने वाला है। आपकी एमंडमैंट्स आ चुकी है। हमने आपके

रामावतार या रावणातार रूप को देखना है हमने आर्डिनेंस जारी करके हाउस का, पार्लिमेंट के मैम्बरों का अपमान नहीं किया है। उनका पूरा सम्मान कर सकते हैं। उनके सामने सरकार जवाब देह है। हम भी उनके सामने जवाब देह हैं। चूकि अपमान उनका हो इसी वास्ते चटर्जी साहब ने गृह मन्त्री का एक पद भी बना कर रख दिया है। हम मानते हैं। हम इन्कार नहीं करते हैं। इससे ज्यादा आपका सम्मान और क्या हो सकता है कि आपकी बातों का जवाब दिया जा रहा है। अगर आप मैं सुनने की शक्ति न हो तो मैं क्या करूं ?

इसका फायदा कौन उठाएगा ? इसका कायदा आम जनता उठाएगी, जिन्होंने रेलों में या हवाई जहाजों में चलना है वे उठाएंगे, खेती बाड़ी जिन्होंने करनी है कारखाने चलाने हैं, बिजली का इस्तेमाल करना है, जिनको डाक और तार बचत पर मिलें, टेलीफोन वक्त पर मिले जिन्होंने इसका फायदा उठाना है। ये टेलीफोन प्राईवेट नहीं है। पब्लिक सैंटर प्राइवेट नहीं है।

हमारे देश में डेमोक्रेसी है। दुनिया के और भी डिवेलपिंग देश हैं। वे भी हमारी तरह से हैं। लेकिन उनका सिस्टम आप गवर्नमेंट हम से जुदा हो सकता है।हमारे यहां फुल डैमोक्रेसी है। इस डैपोक्रेटिव सिस्टम में आप कैसे तरक्की कर सकते हैं कैसे आगे बढ़ सकते है ? दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट एम्पलायी हो या प्राइवेट, छोटा मजदूर हो या बड़ा, किसी के हक को कोई छीन न सके लेकिन साथ-साथ मुल्क का भी उनको ध्यान रखना चाहिए।

आपने प्लानिंग कमिशन की रिपोर्ट को पढ़ा होगा। हमारे देश में 30 करोड़ से ज्यादा वे लोग हैं जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं, गरीबी की रेखा के नीचे हैं, बेरोजगार हैं। उनको कैसे आप राहत देंगे अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ? देश की दौलत नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे उनको राहत देंगे ? इकौनोमी तबाह और बर्बाद हो जाएगी तो कैसे उनको आप राहत देंगे ?

मैं एक्सप्लायटर्ज से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने उन लोगों की आवाज भी उठाई है जो सफाई मजदूर होते हैं, जो जमीन पर सोते हैं, जो भूखा रहते हैं या जो पावर्टी लाइन के नीचे हैं, 66 रुपये पर हैड पर महीना जिस की आमदनी न हो वह पावर्टी लाइन के नीचे समझा जाता है। जो पांच सौ या एक हजार या बारह सौ तनख्वाह पाते हैं और मैं मानता हूं कि महंगाई जब बढ़ती है तो उनको तकलीफ होती है लेकिन यह भी तो आप देखें कि उनको कम से कम नौकरी तो मिल गई है, उनके बच्चे पढ़ते तो हैं उनकी पढ़ाई की जिम्मेवारी भी ली है, उनको मैडीकल एड भी मिफती है और सरकारी मुलाजिमों का जहां तक सम्बन्ध है उनको यह भी प्रिवलेज है कि और कोई आदमी उनकी हत्या करे, उनको लाठी मारे या चोट पहुंचाए तो उस पर दो मुकदमे बनते हैं जबकि साधारण आदमी परअगर ऐसा होता है तो एक ही बनता है। यह भी उनका प्रिवलेज है। ये जो प्रिक्लेज्ड लोग हैं ये आर्गेनाइज्ड हैं, इक्ट्ठे मिल जाते हैं। इनको किसानों में गांवों में जाकर घूमना नही पड़ता, हरिजनों में जाना नहीं पड़ता, बेवरों को देखना नहीं पड़ता है, बे जमीन वालों को देखना नहीं पड़ता है क्योंकि वहां जाकर काम करना पड़ता है। ये कारखानों का गेट जब खुलता है तो जाकर लेक्चर कर आते हैं, लाउड स्पीकर उनका होता है और धूंआधार लेक्चर ये देते हैं। उस लेक्चर में भड़काहट होती है भड़काहट ये पैदा करते हैं। मैं अपना नाम नहीं लेता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लेक्चर तो देते हैं मजदूरों के हक में और खाना खाते हैं मैनेजमेंट के साथ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आई० एन० टी० यू० सी० में बहुत है ऐसे।

आचार्य भगवान देव : चोर की दाढ़ी में तिनका है।

श्री जैल सिंह : मैंने आपको तो नहीं कहा। आप क्यों गुस्सा करते हो। क्या आप ऐसे लोगों को परेशान करते हो? मैं उनको नहीं नहीं कहता। जिनको मैं कहता हूं उनकी वकालात क्यों करते हो। आप मजदूरों के हित की बात करने वाले हो, देश की हित की बात करने वाले आनरेबिल मेम्बर हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ऐसे एलीमेंट का किस तरह से कन्ट्रोल किया जाय। माननीय चैट जी कहते हैं कि अगर लैक्चर किसी ने दे दिया उनको कहेंगे यह उकसाता है उनको। तो उनको भी पकड़ा जायेगा। इस बिल में अगर क्लाज न हो तो इसमें जिन्दगी ही क्या है? जो खामखाह जा कर बरबाद करते हैं, कभी मजदूरों की तरह काम नहीं किया, कभी मजदूरी का काम नहीं किया, लेकिन नेता जी आये हैं मजदूरों की बात करने के लिए। मजदूर खुद कर सकता है। अगर आप मजदूरों की बात करते हो तो भर्ती हो जाइये कारखाने में। लेकिन जाते नहीं।...(व्यवधान) माननीय चैटजी ने कह दिया यह हमको चेलेंज है।...

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप कांसस्टेबिल नहीं रहे तो आप कैसे पुलिस मन्त्री हो गये?

श्री सत्य सधन चक्रवर्ती : आप कहते हैं कि जो लेबर में काम नहीं करता वह कैसे लेबर लीडर हो सकता है? तो मेरा कहना है कि आप कैसे पुलिस मिनिस्टर हो गये जब कि आप पुलिस कांस्टेबिल नहीं रहे?

श्री जैल सिंह : मुझे सोच समझ कर होम मिनिस्टर बनाया है प्रधान मन्त्री ने। मैं जब जेल में गया, पौलिटिक्स में आया उस समय 17 साल का था तब से पुलिस मेरी निगरानी करती है। 22 साल में जेल में गया, 5 साल तक पुलिस निगरानी करती रही। 1943 में रिहा हुआ तो 1948 तक पुलिस ने निगरानी की और उसके बाद जब मिनिस्टर बना तो पुलिस निगरानी करती रही और जब मन्त्री पद से हटा तो युक्ति निगरानी करती रही और जब जनता राज आया तो पुलिस गिरफदार करके ले गई। इस तरह से मेरी तो जिन्दगी और मौत का सवाल पुलिस के साथ खड़ा हुआ है। मैं आज भी पुलिस के घेरे में हूं। अकेला नहीं जा सकता। चेयरमैन साहब, एक दिन मैं कनाट प्लेट गया एक दूकान में मैं गया और जब वहां से कोई चीज लेने का फैसला किया, विटामिन की गोली में खाता हूं, वही लेना चाहता था, मैं बहुत कम लोगों को दिखाता हूं नहीं तो लोग चर्चा करते हैं कि बीमार हो गया. गोली खाकर चलता है। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे देखें। तो हमारे गनौन, सैक्यौरिटी वाले जो थे वह कहने लगे जनाब आप क्यों जाते हो हम ले आते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं मैं अंधेरे में आया हूं बाजार बन्द हो गया है कैमिस्ट की दूकान खुली है चलो मैं ही लिये लेता हूं। लेकिन वह मेरे पीछे आ गये और कहने लगे यह हमारी ड्यूटी है। पुलिस तो हमारे इतने पीछे पड़ी है जितनी किसी के पीछे नहीं पड़ी है। भगवान करे आपके पीछे भी पड़े। श्री

चटर्जी ने हमारी बड़ी मदद की की है, उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जरूरत नहीं थी, पहले भी इस्तेमाल नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे, इसको वापिस ले लिया जाये।

श्री चटर्जी ने फिर दलील दी कि 1978-79 में मैंन डेज ज्यादा बर्बाद हुए, उसके बावजूद प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और अब कम हुए तो सरकार ऐसे बिल ला रही है। मैंने सिर्फ चटर्जी साहब से यही कहूंगा कि वह बड़े विद्वान है, प्रोडक्शन कम होने के और भी कारण हो सकते हैं। कारखाने को बिजली न मिलती हो, बारिश ज्यादा हो गई हो, कच्चा माल कारखानेदार को न मिलता हो, बाहर से आने वाली चीजें न मिलती हों, कोयला वक्त पर न मिलता हो, ऐसी और चीजें हो सकती हैं, जिससे प्रोडक्शन कम हो सकता है। हमने इस बात का ध्यान रखा है।

दो बातें जरूरी हैं, एक तो जनता को परेशानी न हो और दूसरे पैदावार कम न हो। इसके लिए जो प्रबन्ध हम करेंगे, मैंनेजमेंट को भी उसमें बांध कर रखेंगे मजदूर को भी कहेंगे कि तुम न करो मान लीजिये डाक्टरों की हड़ताल होती है, तो उसका असर किस पर होता है? यहां हड़ताल हुई, और जगहों पर भी हुई, बहुत से आदमियों की मौत हो गई, उनकी संभाल नहीं हो सकी। डाक्टरों ने कहा कि हम क्या करें, हम मजदूर हैं, हमको करना पड़ता है, हमारी बात किसी ने सुनी नहीं। हो सकता है कि न सुनी हो, लेकिन हम तो इस बात की गारन्टी देते हैं कि हम बात सुनेंगे। हड़ताल की बजाय अपनी छाती पर एक बिल्ला लगा लो कि हम बात सुनेंगे। हड़ताल की बजाय अपनी छाती पर एक बिल्ला लगा लो कि हम प्रोटेस्ट करते हैं कि यह-यह बात हमारी नहीं मानी गई। हम सुनेंगे और सुनने के बाद आर्बीट्रेशन के लिये भेज देंगे, कौंसिलियेशन की बात होगी तो वह भी करेंगे, उनको इग्नोर नहीं करेंगे। जनता के दिल में डाक्टरों की इज्जत कम हुई, वह नहीं सोचते कि क्योंकि गये। वह सोचते हैं कि कितने कैलस हैं, कितने निर्दयी हैं कि बीमारों का ध्यान भी नहीं करते।

पंजाब में एक बार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, नतीजा क्या हुआ कारखाने बन्द हो गये, 4 लाख ट्यूबवैल उस वक्त पंजाब में थे, वह बन्द हो गये। आप जानते है, खेती-बाड़ी करने वाले यहां कोई बैठे हो तो वह जानते हैं कि जनता का क्या स्वभाव होता है, बस जिम्मेदार अफसर के सामने पड़ता है, पटवारी की भी खुशामद करता है, लेकिन अगर ठीक न हो तो अफसर माल के भी गल पड़ जाता है। तो उन्होंने पकड़ कर बिजली के कर्मचारियों को पीटा कि तुम कौन होते हो, तुम चलाते क्यों नहीं हो? तो बिजली बोर्ड के मुलाजिमों ने खुद ही हड़ताल तोड़ दी और कोई डिमांड नहीं की।

जनता की सिम्पैथी लेने के लिए अगर कोई काम करता रहा है और काम करते हुए अपनी आवाज उठाता है तो लोगों की हमदर्दी उसके साथ रहती है। मजदूर चर्चा क्यों करते हैं, जुलूस क्योंनिकालते हैं? इसलिये कि जनता राज है। जनता के नाम से गलतफहमी हो जाती है, जनता पार्टी वालों को इसलिए मैं आवाम कहता हूं। लोगों की हमदर्दी लेने के लिए लोक-राज में मुजाहरे किये जाते हैं, बताया जाता है ताकि सरकार को कहें कि देखो आपकी सरकार क्या

करती है ? सरकार के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए ढंग ठीक है, होना चाहिए डेमोक्रेसी में और है। मगर काम छोड़कर जाने पर उसका नतीजा जो दूसरे लोगों पर पड़ेगा उससे उनकी हमदर्दी नहीं होगी।

अगर हवाई जहाज की सर्विस बन्द कर दें, शिप्स और रेलें बन्द हो जायें तो क्या जनता उसमें आपके लिए प्रार्थना करेगी कि हे ईश्वर इनको बरकरार रखो और कुछ बख्शो ? वह तो इनके खिलाफ जायेगी। हम तो उनके हमदर्द हैं। लेकिन मजदूरों के बलबूते से, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जो कभी मजदूर नहीं थे, पुस्तकें पढ़कर मजदूरों की हालत को देखकर, सोचकर या सुनकर यह कहें कि हम यह कर देंगे, तो चटर्जी साहब का दिल करता है कि हम देखेंगे। मैं चटर्जी साहब से कहना चाहता हूं कि मेरा ख्याल यह है कि वह न देखें। देखने से उनको परेशानी होगी, कोई फायदा नहीं होगा। चेलेन्ज पर चेलेन्ज करने का क्या फायदा ? वह वह पार्लियामेंटेरियन हैं, अपनी दलील से अपने रीजन से अपने विचारों से प्रेरित कर के हमें साथ ले जाइए, अगर आपकी प्रेरणा कोई नहीं सुनता, तो यह मेरे बस की बात नहीं है। आप क्यों चेलेंज करते हैं कि हम जरूर हड़ताल करेंगे ? अगर आपको करनी ही है, तो कर लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन जितना लुत्फ पहले आता था, शायद वह अब नहीं आयेगा।

उन्होंने कहा कि स्केपगोट बनाते हैं। मैं सोच रहा था कि श्री चटर्जी हमारे हक में बोल रहे हैं। स्केपगोट हम बनाते हैं या आप बनाना चाहते हैं ?—क्योंकि अब तो आपको स्केपगोट मिलेगा नहीं। मजदूर कह देंगे कि हमारी बात सुनी गई है, मेहरबानी कर के जाइए। अब वे आपके कहने पर बस बन्द नहीं करेंगे, बिजली बन्द नहीं करेंगे, अब वे आपके हाथ से निकल जाएंगे और अब आपको कोई स्केपगोट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको इतनी चिन्ता हो रही है। मैं आपके शब्दों में यह बात कहता हूं।

सभापति महोदय : क्या और कुछ रह गया है ? अभी तो बिल पर डिसकशन होगा। बाद में कह दीजिएगा।

श्री जैल सिंह : आपकी बात दुरुस्त है। मैं मानता हूं और समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने विचार करने के प्रस्ताव के लिए संशोधनों की सूचनाएं दी हैं। इससे पहले कि मैं श्री समर मुखर्जी से अपना भाषण आरम्भ करने के लिए कहूंगा। क्या सदस्य अपने अपने संशोधनों को पेश करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक पर 22 दिसम्बर, 1981 तक राय जानने हेतु उसे परिचालित किया जाये।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक पर 18 दिसम्बर, 1981 तक राय जानने हेतु उसे परिचालित किया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक पर 31 दिसम्बर, 1981 तक राय जानने हेतु उसे परिचालित किया जाये।

श्री रवीन्द्रनाथ वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक पर 9 दिसम्बर, 1981 तक राय जानने हेतु उसे परिचालित किया जाये।

श्री त्रिदिब चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक पर 23 दिसम्बर, 1981 तक राय जानने हेतु उसे परिचालित किया जाये।

श्री आर० के० महालगी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक पर 15 नवम्बर, 1981 तक राय जानने हेतु उसे परिचालित किया जाये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक पर 31 दिसम्बर, 1981 तक भारत में सभी रजिस्ट्रीकृत कार्मिक संघों की राय तथा लोक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए।

श्री ए० के राय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक सेवाएं तथा प्रसामान्य सामुदायिक जीवन बनाए रखने का उपबन्ध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिसमें 11 सदस्य हों, अर्थात :—

(1) श्रीमती प्रमीला दण्डवते :

(2) श्रीमती सुशीला गोपालन :

(3) श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

(4) श्री एन० ई० होरो :

(5) श्री चित्त नहाटा :

(6) श्री विजय मोदक :

(7) श्री अमर राय प्रधान :

(8) श्री अजित कुमार साहा :

(9) श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

(10) ज्ञानी जैल सिंह, और

(11) श्री ए० के० राय

और उसे 31 दिसम्बर 1981 तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्रीमन मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। आज जनता है कि इस विधेयक के विरुद्ध बाहर लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शित किया है। केवल हमारे गृह मंत्री ही बाहर प्रकट किए गए इस विरोध से सन्तुष्ट नहीं है।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

परन्तु मेरा विश्वास है कि वह दिन जल्दी ही आएगा जब न केवल गृह मंत्री बल्कि सरकार भी इस बात को महसूस करेगी कि समस्त श्रमिक वर्ग और सभी लोकतंत्री लोग इस विधेयक के विरुद्ध हैं वे इस विधेयक का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार श्रमिक वर्ग के अपना विरोध प्रकट करने के लिए संगठित होने के उनके मूल अधिकार को छीन रही है। यह मूल्य अधिकार उन्हें किसी सत्तारूढ़ दल ने नहीं दिया है। बल्कि इसके लिए उन्हें काफी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं और संघर्ष करना पड़ा है और यह मूल अधिकार को संविधान में स्थान दिया गया है। आप देश के लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं। आप उन्हें महंगाई, बेरोजगारी दे रहे हैं और अब उनसे इनके विरुद्ध विरोध प्रकट करने का अधिकार भी छीन रहे हैं। यदि यह अधिकार छीन लिया गया तो भारत के लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आपने एक बात अच्छी की है कि इस प्रकार आपने लोगों का मंहगाई, बेरोजगारी, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने में मदद की है। इस प्रकार श्रमिक वर्ग में एकता आएगी। आपको इस प्रकार एक सबक सीखना होगा। जब आप 1977 में सत्ता में नहीं रहे थे तब भी आपने कोई सबक नहीं सीखा। अब आपने विपक्ष को इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया है और आपने सभी कार्मिक संघों को इकट्ठा होने के लिए प्रेरणा दी है। हमें खुशी है कि आज हम सबको पुनः एकता के सूत्र में बांध रहे हैं। 1977 में आपसे सत्ता क्यों छीन ली गई थी ? वह आप से आपके अपने ही करतूतों के कारण छीन ली गयी थी। आपने हम सबको इकट्ठा कर दिया था। 1971-72 में आपने पश्चिमी बंगाल में हमारे दल पर हमला किया। उस समय हम अलग-अलग थे। परन्तु 1975 में आपने सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर उन्हें इकट्ठा कर दिया था। हम आपके इस विधेयक का स्वागत करते हैं क्योंकि जब भी विपक्ष इकट्ठा होता है तो आपका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इतिहास ने यह बात सिद्ध कर दी है और अब इतिहास का दूसरा दौर आ रहा है। परन्तु आप इसके अलावा करते भी क्या ? यह पूंजीवाद को संकट से बचाने का एक पूंजीवादी तरीका है। आप और कोई दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते। यह विधेयक भी राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक के क्रम में ही है। आप फिर अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहे है। आप फिर फासिस्टवाद की ओर बढ़ रहे हैं ; हम यहां कोई भी तर्क दें, परन्तु आप अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप तो वचनबद्ध हैं। आप तो सभी विदेशी एकाधिकारियों, बहुराष्ट्र कम्पनियों और बुर्जुआ लोगों के हिमायती हैं। इसीलिए आप यह अध्यादेश लाये थे। ऐसी बात नहीं है कि अचानक अर्ध-रात्रि में यह विचार आपके दिमाग में आया था। आप पर विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दबाव था और कोई समझौता करने से पहले आपको अपनी वचन

बद्धता का प्रदर्शन करना था 1974 में जब आपने रेलवे कर्मचारियों के विरूद्ध दमन-चक्र चलाया तो उस समय भी में सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बोला था और उस समय मैंने कहा था कि यह दमन-चक्र विश्व बैंक और विदेशी पूंजीवादियों के कहने पर चलाया जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ ? 1974 के बाद 1975 का संकट आया और रेलवे की हड़ताल को दबाने के बाद आपको आन्तरिक आपात स्थिति लागू करनी पड़ी। यह आक्रमण जो अब आप कर रहे है वह सभी वर्गों के लोगों पर होने वाले आक्रमण की शुरूआत है। आप 1977 के परिणाम को स्मरण रखिए। आपको कोई नहीं बचा सकता। आपके समर्थन में जो यहां तालियां बज रही है ये भी आपको नहीं बचा करेंगी। आप यहां अपने समर्थकों के कारण खुश हो सकते हैं। मैं उन्हें आपके खुशामदी नहीं कहूंगा, परन्तु वे मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मलिकार्जुन) मैं "मूर्खों के स्वर्ग" शब्दों पर आपत्ति करता हूँ। हम मूर्खों के स्वर्ग में नहीं रह रहे हैं। आप पूरे राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं (व्यवधान) यह असंसदीय हैं।

सभापति महोदय : यह मुहावरा असंसदीय नहीं है।

श्री समर मुखर्जी : मैं अपने मित्रों का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि 1976 में अर्ध-रात्रि को अवमूल्यन किया गया था। 1967 में आपके दल को एक भारी संकट का सामना करना पड़ा और आठ राज्यों में आपकी हार हुई थी। 1969 में आपके दल का विभाजन हुआ था। अब ये बातें क्यों हो रही है। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है क्योंकि आप एक ऐसी प्रणाली का समर्थन कर रहे है जो संकट में है।

श्री मल्लिकार्जुन : हमारे दल का विभाजन कोई नई बात नहीं है। यह देश के विभाजन के समय से ही होता आ रहा है।

श्री समर मुखर्जी : मैं कुछ घटनाओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। विश्व भर में पूंजीवाद संकट में है। चूंकि आप पूंजीवाद प्रणाली पर निर्भर हैं इसलिए आप देश में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेकर और बहुराष्ट्रिक नियमों को आमंत्रित करके हमारे देश में संकट का आयात कर रहे हैं। यह सब आप उनके कहने पर कर रहे हैं। इसलिए आपको उनकी चीजें उनके बताये हुए मूल्यों पर ही खरीदनी पड़ रही हैं। आप यहां लोगों को उनकी वस्तुएं बहुत उंचे मूल्य पर खरीदने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार आप देश में मुद्रा स्फीति और संकट का आयात कर रहे हैं। आप गृह मंत्री अथवा पुलिस मंत्री बेबस हो सकते हैं परन्तु कल हो सकता है आप गृह मंत्री न रहें। आप इसी ढ़ांचे में काम कर रहे हैं। पूंजीवादी देशों में क्या स्थिति हैं। वे भी इसी नीति पर चल रहे हैं। वे भी अलोकतंत्री कार्यवाही कर रहे हैं। वहां भी इसी प्रकार के कानूनों द्वारा श्रमिक वर्ग का दमन किया जा रहा है।

श्री बी० के० नायर : पोलेण्ड में क्या स्थिति है।

श्री समर मुखर्जी : पौलेन्ड की बात मत कीजिए। आप अपनी बात कीजिए

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) ; हम इसकी बात कर सकते हैं। हम चीन की बात भी कर सकते हैं।

श्री समर मुखर्जी : कम से कम पौलेण्ड में श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार है। आप हड़ताल करने का अधिकार छीन रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : क्या आप इस बात को मानते हैं? पौलैंड के प्रश्न के संबंध में आपका क्या दृष्टिकोण है? इन दोनों के बीच संघर्ष में आपकी स्थिति क्या है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम पौलैंड पर अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करते समय चर्चा करेंगे।

श्री समर मुखर्जी : आप यह विधेयक हड़तालों को रोकने के लिए लाए हैं। हड़ताल करना मूल अधिकार है। जब कभी भी हड़ताल करने के अधिकार को छीनने की कोशिश की गई है तो श्रमिकों ने इसका विरोध किया है। मैं जनता सरकार का उदाहरण देता हूँ।

माननीय सदस्य, श्री रवीन्द्र वर्मा, जो जब जनता सरकार औद्योगिक संबंध विधेयक लाई थी तब श्रम मंत्री थे, यहां उपस्थित हैं। उस समय जनता पार्टी के कार्मिक संघों ने भी इसका विरोध किया था और वे हमारे साथ आए थे। तथा एक लाख से अधिक श्रमिक वोट क्लब पर इकट्ठे हुए थे। जनता पार्टी की सरकार को अंदर इस आन्तरिक विरोध के कारण उस सरकार को इस विधेयक को वापस लेना पड़ा था। परन्तु कांग्रेस (ई) के कार्मिक संघों के नेताओं में इस विधेयक का विरोध करने का साहस नहीं है। जनता पार्टी के कार्मिक संघों के नेताओं ने यह साहस दिखाया था। साहस की कमी के कारण आप इस विधेयक का समर्थन कर रहे है। मुझे इस बात का दुख है कि कार्मिक संघों से संबंधित संसद सदस्यों में भी इस विधेयक का विरोध करने का साहस नहीं है।

श्री० पी० उन्नीकृष्णन : वे तो इस विधेयक के प्रायोजक हैं।

श्री समर मुखर्जी : अब तो इंटक से सम्बन्धित श्रमिक भी उसके विरोध में भाग ले रहे हैं। नियोजक भी इस विरोध की कार्यवाही में शामिल हो रहे हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : देखते हैं क्या होता है।

श्री समर मुखर्जी : आपको अन्ततः देखना ही होगा।

चूंकि संसदीय लोकतंत्र पर आक्रमण किया जा रहा है? जनता इसके बारे में जागरूक होती जा रही है और आपका विरोध कर रही है। विजयवाड़ा और वाल्टेर में हाल ही में हुए चुनावों के क्या परिणाम रहे है? आपने सोचा था कि लोग हमेशा आपके गुलाम रहेंगे

और आप कुछ भी करें वे आपको ही वोट देंगे। आन्ध्र प्रदेश के आपके मुख्य मन्त्री ने कहा है कि केन्द्र ने खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा न देकर हमें बड़ी नाजुक स्थिति में डाल दिया है। अत. लोग अब गुलाम नहीं है। परन्तु आप उन्हें गुलाम रखना चाहते हैं। इसलिए आप यह विधेयक लाए हैं। परन्तु अब लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है।

मुझे इस बात की खुशी है कि यह मामलों कि यह विधेयक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा थोपी गई परिस्थितियों का परिणाम है, आम जनता में चर्चा का विषय बन गया है। अब लोग और अधिक जागरूक हो गए हैं तथा श्रमिक वर्ग भी राजनीतिक विचारों को समझने लगा है। हम इस प्रवृत्ति का स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि वह दिन अवश्य आएगा जब इस देश के लोग जो राजनीतिक रूप से जागरूक होते जा रहे हैं एक दिन आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। यह कोई मामूली आर्थिक संघर्ष नहीं है। पूंजीवाद अब बिल्कुल असंगत हो गया है। आप लोगों के असन्तोष को दबाने के लिए कार्यपालिका को मजबूत बनाकर पूंजीवाद के तरीके को यहां कायम रखना चाहते हैं। परन्तु इतिहास इस दिशा में नहीं चलेगा।

आप समाजवाद की बात हैं। मैं इस पर अभी नहीं बोलूंगा। इस पर मैं अपने विचार बाद में व्यक्त करूंगा क्योंकि मैं अब सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता।

यह विधेयक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि, विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों, बड़े एकाधिकार गृहों और देश के निहित स्वार्थी तत्वों के दबाव से लाया गया है। आप उन्हीं के माध्यम के रूप में काम कर रहे हैं। लोगों को पता चल गया है। अब समय आ गया है कि समस्त जनता कि ओर करके आपको कूड़ेदान में फेंक देगे।

सभापति महोदय : श्री चित्तबसु, क्या आप अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं।

श्री चित्त बसु : जी, हां।

सभापति महोदय : मैं विशिष्ट मामले के रूप में अनुमति देता हूं। क्योंकि आपका नाम लिए जाने पर आप अनुपस्थित थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्राय: वह उपस्थित रहते हैं।

सभापति महोदय : मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। तभी मैंने अनुमति दी है। हम एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं।

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि विधेयक पर3 0 नवम्बर 1981 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाय।

श्री एच० के० एल० भगत : (पूर्वी दिल्ली) . संभापति महोदय: मुझे तीन ओजस्वी भाषण सुनने का मिले हैं। एक श्री सोमनाथ चटर्जी का दूसरा काफी ओजस्वी और मसालेदार गृह मंत्री

जी का और तीसरा सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री समर मुखर्जी का। मैंने बड़े सम्मान से ये भाषण सुने हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री समर मुखर्जी ने काफी विशेषणों का प्रयोग किया है और यह आशा व्यक्त की है कि सभा के समक्ष लाये गए विधेयक से सरकार का तख्ता उलट जाएगा। मुझे पता है कि जबसे हम सत्ता में आए हैं विपक्ष किसी न किसी बहाने हम पर प्रहार करना चाहता रहा है। आज के दिन वह अनुभव करते हैं कि उनके पास हम पर प्रहार करने के लिए काफी जोरदार छड़ी है और उनमें कुछ इस विधेयक के विरोध के लिए एकता के भी हो गयी है। यह लोकतंत्र है। किसी ने कहा है कि आपकी नौकरी अस्थायी है, पता नहीं कल आप रहें या न रहें पर व्यक्तिगतरूप से मुझे विश्वास है कि जनता का हम पर भरोसा है। राजनीतिज्ञों की नौकरियां तो स्थायी रूप से अस्थायी होती हैं। कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं। लेकिन उन्होंने इस विधेयक से बहुत आशायें लगायी हैं। इसलिए वह इतनी जोरदार भाषा और प्रभावशाली तर्कों का प्रयोग कर रहे हैं। जोरदार शब्द तर्क बन जाते इसलिए मैं आदर से कहता हूं कि आप सहजता से इस पर विचार करें। सभा में ऐसा आभास दिया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस दल ने श्रमिक वर्ग के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है और हड़तालों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है तथा श्रमिकों के अधिकारों और न्याय प्राप्त करने या हड़ताल करने के उनके वैध अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए इस विधेयक को जन विरोधी और श्रमिक वर्ग विरोधी बनाकर बड़ा कठोर कहा गया है जिससे सत्ताधारी दल समाप्त हो जायेगा। परन्तु क्या उन्होंने विधेयक को ठीक से पढ़ा है। मैं इस विधेयक की कम महत्व का नहीं मानता। इसके महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। लेकिन देश के हितों पर विचार करके हमें परिणाम देखने हैं। किसी ने कहा कि आप श्रमिकों का बलि का बकरा बना रहे हैं। मेरे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने तो यहां तक कहा कि आप संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था कर रहा है लेकिन कालाबाजारियों के लिए आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की। कुछ दिन पहले हमने कालाबाजार निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक आदि पास किया है। उन में भी संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या जो कुछ वह कह रहे हैं वह किया गया है। हम मूर्ख नहीं है कि श्रमिकों के विरुद्ध युद्ध छेड़कर हम सत्ता से हट जायें। कांग्रेस सदा ही श्रमिकों की समर्थक रही है और हम उनके समर्थन से सत्ता में आए हैं यदि वे हमारे विरुद्ध होते तो हम यहां नहीं होते। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी (एम०) का कहना सही है कि हम मजदूरों की अधिक सहायता से सत्ता में आए हैं। लेकिन देश भर में तो हम श्रमिक वर्ग की सहायता से आये हैं। हम उनके अधिकारों को समाप्त नहीं करना चाहते मैं इस तर्क का सहारा नहीं लेता कि उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि यह अध्यादेश असंवैधानिक नहीं है। वे ही आजकल न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि उन्हें सारी जानकारी न्यायालय से ही मिलती है...

श्री सोमनाथ चटर्जी : न्यायालय पहले ही (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भागत (श्री चटर्जी) : मैं आपका सम्मान करता हूं। मैंने बहुत ध्यान से आपको सुना है। अब तक हड़ताल को अवैध घोषित नहीं किया गया था। (2) इस

विधेयक से यदि सरकार आवश्यक समझे तो हड़ताल को अवैध घोषित कर सकती है। सरकार इस बात के लिए अधिकार चाहती हैं कि यदि कुछ उद्योगों में कतिपय स्थिति पैदा हो जाये तो उनसे निबट लिया जाय।

क्या इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हड़ताल का अधिकार समाप्त हो जायेगा। मैं संसद सदस्य हूं और अपने दल के संगठन में मेरा जिम्मेदार पूर्ण पद है लेकिन मैं कह सकता हूं कि वैध शिकायतों को दूर करने के लिए हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध लगाने का हमारे दल का कोई इरादा नहीं है। इस बारे में हड़ताल के लिए हम उनका समर्थन करेंगे (व्यवधान) कृपया बाधा न डालें।

इतनी सारी बातें कही जा रही है और श्रमिक वर्ग को यह दिखाया जा रहा है लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं, राजनीतिज्ञ हैं। हम लोगों का विश्वास अपने दल और देश के लिए चाहते हैं। श्रमिक वर्ग को मजबूत करना है। देश के संकट के समय वहीं हमारे साथ होते हैं। हम चाहते हैं कि वे भी इस अध्यादेश के परिणामों को समझें और केवल ऊंची बातें करने या तर्क देने वालों के प्रभाव में न आयें आप श्रमिक वर्ग को गुमराह करके अपने साथ लाना चाहते हैं इसलिए सभा में ऐसे भाषण दे रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं।

मैं यह मूल प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे मित्रों ने कहा है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है और उसे हमने खराब किया है, हमारी सरकार का कहना है कि जब हमने सरकार संभाली तो आर्थिक स्थिति बहुत कठिन थी। कल्पना से भी अधिक कठिन थी। हमने कुछ उपाय किए हैं लेकिन वे इन उपायों को व्यर्थ कहते हैं। हमारी सरकार कहती हैं कि आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है पर वे इसे खराब ही मानते जा रहे हैं और कहते हैं कि गिरावट आई है। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि एक समझौता हुआ है कि देश की आर्थिक स्थिति में सुधार की जरूरत है इस बारे में हमारे मतभेद हो सकता हैं कि उसे कैसे ठीक किया जाय। यदि यह बेहतर नहीं है तो अच्छी है इसमें सुधार हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उसमें सुधार अवश्य किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि केवल इस विधेयक या अध्यादेश द्वारा ही स्थिति सुधर सकती है लेकिन वित्तीय, धन नियंत्रण सम्बन्धी कर अपवंचकों के विरुद्ध कठोर उपाय किए जायें और अधिकारियों तथा गैर अधिकारियों वाली सतर्कता समितियां बनाई जायें जो मूल्य नियंत्रक सम्बन्धी देखरेख करें और आर्थिक अपराधियों से कड़ाई के साथ निपटें। मैं महसूस करता हूं कि अधिक उत्पादन आवश्यक है। इसका विरोध कोई भी नहीं करेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने मानव दिवस हानि सम्बन्धी कुछ आंकड़े पढ़े हैं उन्होंने कहा कि मानव दिवस की हानि होती है। यह ठीक है।

मेरे पास भी आंकड़े हैं। 1980 में 20.80 मिलियन मानव दिवस की हानि हुई। 1979 में यह 43.85 थी। इसलिए वह कहते हैं कि अब मानव दिवस की कम हानि हुई है। लेकिन यदि हम लोक सभा से बाहर चले जायें और 10 दिन तक न मिलें तो हम देख सकेंगे कि

क्या उत्पादन होता है। यदि मानव दिवस की कम हानि हुई है तो यह श्रमिक वर्ग और सरकार के लिए गर्व की बात है कि औद्योगिक वातावरण पहले से बेहतर हुआ है। पर क्या यह तर्क उचित है कि इसी कारण विधेयक को नहीं लाना चाहिए था और हमें स्थिति में सुधार नहीं करना चाहिये था। इसलिए गृहमंत्री जी ने ठीक ही स्पष्ट किया कि अभी तक हमने इसका प्रयोग नहीं किया है और जब तक आवश्यक न हो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। समय ही बतायेगा कि यह आवश्यक है या नहीं।

मेरा विश्वास है, कि श्री सोमनाथ चटर्जी बड़े सुलझे हुए आदमी हैं वह सी० पी० एम० के हैं लेकिन वह अधिक संवैधानिक और विधिक मनुष्य हैं। उन्होंने कहा : मैं जाऊंगा और श्रमिकों को हड़ताल के लिए उकसाऊंगा।' वे जायें लेकिन वैध कारण और उचित अधिकारों के के लिए उकसायें। उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं करेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वैध हड़ताल का अंतर कहां रखा गया है। आप इस बारे में संशोधन लाइये।

श्री एच० के० एल० भगत : लेकिन यदि वह जाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए हड़ताल हेतु उकसाते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। मुझे विश्वास हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे। हमें औद्योगिक वातावरण को और सुधारना चाहिए।

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि आपको विधान लाने के अतिरिक्त संविधान में भी परिवर्तन करना पड़े तो आप प्रबंध व्यवस्था में श्रमिकों को भागीदार बनाने के लिए आप वह भी कर दीजिए। मेरी सरकार से यही मांग है मुझे पता है बहुत से गैर सरकारी उद्योगपति भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं और कम्पनी विधि के अधीन उनके साथ पूरी तरह नहीं निपटा जा सकता। आप उनकी लूट समाप्त करने के लिए कानून में परिवर्तन करिए। और सुनिश्चित कीजिए कि वे भ्रष्ट आचरण करके बच न पायें।

इस समय में हड़ताल के गुणावगुण में नहीं जाना चाहता लेकिन यदि रेलें ठप्प की जाती है. अनाज को लाया ले जाया नहीं जाता, बिजली घर बन्द हो जाते हैं, सीमेंट कारखाने या अस्पताल बन्द हो जाते हैं, तो देश का क्या होगा ? दुर्भाग्य से आज यहां संघर्ष और टकराव का वातावरण है और कुछ अराजकता वादी शक्तियां है। परन्तु मुझे श्रमिक वर्ग में पूरा विश्वास है। उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी कर्त्तव्य समझा है वे अराजकतावादी शक्तियों के साथ नहीं जाएंगे।

हम सभी जानते हैं कि देश में तनाव और सघर्ष की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। कठिनाई यह है कि हम सभी राजनीतिक व्यक्ति हैं। हमारे राजनीतिक इरादे और लक्ष्य हैं। पर हम सभी आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं लेकिन कुछ लोग खुले तौर पर कहते हैं कि हम रेलें ठप्प कर देंगे, यदि आप ऐसा करेंगे तो श्री जैलसिंह उचित ढंग से मामले से निप-

टेंगे। अतः प्रश्न यह है कि ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे विद्वान भी बार-बार ऐसा कहते रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विश्वबैंक इतना ही बुरा है कि हम उससे ऋण नहीं लेना चाहते तो फिर आपके मुख्यमन्त्री श्री ज्योति बसु विश्व बैंक से क्यों ऋण लेना चाहते हैं। यदि यह बुरा धन है तो वे क्यों इसकी माँग करते हैं। वह अमरीका क्यों गए। यदि नहीं गए तो मुझे खेद है। श्री समर मुखर्जी ने कहा है कि हड़ताल करना मूल अधिकार है लेकिन मैं कहता हूं कि मैं संवैधानिक दृष्टिकोण पर ही निर्भर नहीं करता। मेरा कहना है कि यदि संविधान में हड़ताल के लिए 'नहीं' लिखा हो तो मैं कहूंगा कि यदि राष्ट्रीय हित पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और श्रमिकों को न्याय दिलाने पर असर नहीं पड़ता तो ठीक है। मैं समाजवादी देशों की प्रशंसा करता हूं। हाल ही में मैं सोवियत संघ गया और उसका अधिक प्रशंसक बन गया हूं लेकिन मैं दोनों प्रकार के वादों की तुलना नहीं करना चाहता। उनकी अलग प्रणाली है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को बदनाम करने के लिए बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। हमें पता है कि बंगलौर टेलीफोन जैसी कुछ कारखानों में हड़ताल हुई थी।

77 दिन के लिए यह हड़ताल चली। लोकी की भी हड़ताल थी। यह आभास कराया जा रहा है—मैं कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं करता क्योंकि वे कभी सत्ता में नहीं रहे, लेकिन सी० पी० एम० की बात करता हूं, उन्होंने कहा है कि वे कुछ मुख्य लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। क्या यह तथ्य नहीं है कि 1977 में जनता सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक अध्यादेश पास किया था। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं। फिर 1978 में मध्य प्रदेश में जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने अवैध हड़ताल में भाग लेने वालों को दण्डित करने के लिए अध्यादेश पास किया था। मेरे मित्र श्री समर मुखर्जी ने कहा कि औद्योगिक संबंध विधेयक लाया गया था और जनता पार्टी के कार्मिक संघों में आन्तरिक विद्रोह के कारण उसे वापस ले लिया गया। श्री मुखर्जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं लेकिन जब वह हमें परामर्श देते हैं, जैसा कि वे जनता पार्टी को देते थे तो हम आन्तरिक संघर्ष नहीं पैदा करना चाहते। मेरे विचार से जनता सरकार का पतन इस कारण नहीं हुआ। हर व्यक्ति प्रधानमन्त्री का पद प्राप्त करना चाहता है। यह पद तो एक वधू के समान है और जब कोई बूढ़ा व्यक्ति उसे प्राप्त करना चाहता है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। औद्योगिक संबंध विधेयक तो व्यपगत हो गया था। अब तो उत्पादन में सुधार हुआ है। कोयले का उत्पादन बढ़ा है। उद्योग और बिजली का उत्पादन भी बढ़ा है। आप कह सकते हैं कि अपेक्षित उत्पादन नहीं हुआ लेकिन सुधार तो हुआ है। जनता शासन में तो स्थिति बहुत संकटपूर्ण हो गई थी। क्या आन्तरिक प्रतिक्रिया के कारण औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को व्यपगत होने दिया गया। नहीं स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। बहुत खराब थी। जब आप 1977 के आंकड़े देखते हैं तो आप 1976 के आंकड़े भी देखिए। लेकिन 1975 और 1976 में आपको सत्ता में आने का अवसर मिला। यह एक तथ्य है कि सभी क्षेत्रों में अनुशासन आया जिससे स्थिति में सुधार हो गया। लेकिन हम हार गये। जब आप 1977 के आंकड़े देखते हैं तो आप 1975 और 1976 के उपहारों को भी देखिए। देश में सुधार हुआ लेकिन कांग्रेस हार गयी।

आज भी हम कह रहे हैं कि हम नालियों या कूड़ेदान में फेंके जाएंगे। हमें ऐसा होने की

आशा नहीं है। देश सबसे ऊपर है। देश की उन्नति हो तो हम कूड़ेदान में चले जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा।

आज भी सभा में बहुत भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपने दुर्भाग्य के आने की भविष्यवाणियां की है पर हर बार यह गलत साबित हुई हैं। यह वाद-विवाद तो कल समाप्त हो जाएगा तब हम देखेंगे कि आप कहां पर हैं। प्रत्येक दिन नया दल बन रहा है। कभी कोई दल बनता है तो कभी कोई। अतः मुझे आपकी मूल विचारधारा का पता है।

मान लीजिए श्री समर मुखर्जी कहते हैं कि 'प्रणाली बदल दो ; समाजवाद ले आओ तो कोई समस्या नहीं रहेगी' तब मैं कह सकता हूं कि आप ठीक ढंग से सोच रहे हैं। लेकिन आप तो उसी प्रणाली पर चल रहे हैं। आप संसदीय लोकतन्त्र के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। आपका मुख्यमन्त्री है, आपके विधायक और संसद सदस्य हैं। आप इन नियमों और विनियमों को मानते हैं फिर भी आज ऐसी बातें करते हैं।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि यह विधेयक श्रमिकों के विरुद्ध नहीं है। गृह मन्त्रीजी ने कहा है कि कुछ व्यक्ति कार्मिक संघों में गैर उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य कर रहे है। हमारे बीच में भी एक कुछ लोग हैं। लेकिन पूरी बात तो यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य देश के वातावरण में सुधार करना है और इसके लिए अन्य उपाय भी होंगे। निःसन्देह इस विधेयक का आशय अच्छा है। मुझे विश्वास है कि श्रमिक वर्ग इसकी जटिलताओं को समझेगा, हम श्रमिक वर्ग के साथ हैं। हम उनके नेता हैं। हम सदा उनके साथ रहे हैं और रहेंगे। मुझे विश्वास है कि वे गुमराह नहीं होंगे। विपक्षी दल उन्हें गुमराह नहीं कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : चेयरमैन साहब, हमारे साथी श्री सोमनाथ चटर्जी, जो एक ऐमीनेन्ट लाइयर हैं और जो एक मशहूर वकील के फरजंद अर्जुमन्द हैं और माया-ए-नाज सपूत हैं, उन्होंने आज अपनी तकरीर के दौरान होम मिनिस्टर साहब को पुलिस मिनिस्टर कहकर, मैं समझता हूं कि क्या शब्द इस्तेमाल करूं, क्योंकि मेरे दिल में तो उनकी बड़ी इज्जत है, शायद इसीलिए कि बंगाल में होम मिनिस्टर को पुलिस मिनिस्टर कहते हों, वरना होम मिनिस्टर सिर्फ होम मिनिस्टर ही नहीं, सच पूछिए तो सारे देश का निजाम, सारा ला एण्ड आर्डर सारा एडमिनिस्ट्रेशन यह होम मिनिस्टर के अण्डर आता है।

फिर चटर्जी साहब ने कहा कि लेबर मिनिस्टर की बजाय यह बिल होम मिनिस्टर ने क्यों पेश किया, पुलिस मिनिस्टर ने क्यों पेश किया ? यह लेबर से मुताल्लिका नहीं है, इस बिल के अगर सैक्शन 2 की डैफीनीशन को आप देखेंगे :—

आवश्यक सेवा से अभिप्रेत है—

(i) कोई डाक, टेलीग्राम या टेलीफोन सेवा और इनसे सम्बन्धित कोई सेवा भी इसके अन्तर्गत है।

(ii) कोई रेल सेवा या अन्य परिवहन सेवा···

(iii) विमान क्षेत्रों को चालू रखने या बनाए रखने से सम्बन्धित कोई सेवा···

(iv) किसी महा पत्तन के कार्यकरण सम्बन्धी कोई सेवा···

(v) माल या यात्रियों की सीमा शुल्क से निकासी के सम्बन्ध में कोई सेवा···

(vi) सशस्त्र बलों से सम्बद्ध कोई सेवा अथवा···

और इसी प्रकार···

इस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल गृह-मन्त्री ने, होम मिनिस्टर ने और उनके मुताबिक पुलिस मिनिस्टर ने ठीक तौर पर पेश किया है। लेबर मिनिस्टर का इससे खास ताल्लुक नहीं था।

माननीय सदस्य ने बड़े एडजैक्टिव्ज इस्तेमाल किए हैं। इसको ब्लैक ला भी कहा, ड्रेकोनियन ला भी कहा और जितने शब्द इनके दिलो-दिमाग में आ सकते थे, वह सारे इसको आउटराइट कैंडम करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किए और इस सिलसिले में कहा कि एमर्जेन्सी आ रही है, एमर्जेन्सी आपरेशन्ज हैं।

पता नहीं, क्यों उनके दिलो-दिमाग में यह एमर्जेन्सी का हौवा अब तक जारी है? एमर्जेंसी ने गालिबन बहुत डर लगता है, लेकिन मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि जिस एमर्जेन्सी को कैंडम करते हुए 1977 में इलैक्शन में ये कामयाब हुए थे और इस ख्याल से ही शायद एमर्जेन्सी को सामने लाकर यह दोबारा कामयाब होंगे, 1980 में इलैक्शन में हिन्दुस्तान की जनता ने एमर्जेन्सी की पालिसी पर एमर्जेन्सी पर मोहरे-तस्दीक सबूत की और दोबारा उसी कांग्रेस को, उसी कांग्रेस पार्टी को, उसी पार्टी की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को दोबारा वजीर किया, दोबारा वरसरे-इक्तदार लाये, जिस इन्दिरा गांधी ने एमर्जेन्सी लगाई थी।

एमर्जेन्सी को किसी ने कैंडम नहीं किया था और यह जो कहा जाता है कि एमर्जेन्सी के दौरान अपोजिशन की यूनिटी ने इनको कामयाब किया था, मेरे ख्याल में ये लो गलत फहमी का शिकार हैं। वह कुछ हालात थे, हालात क्या थे, जो फेमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के सिलसिले में सख्ती बरती गई, उससे लोग इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने मुमम म इरादा कर लिया कि कांग्रेस को हराना है। उसका क्रेडिट भी अगर इनकी अपोजीशन की यूनिटी को हो तो इत्तहाद कहां गया था 14 जून को? 1980 के इलेक्शन के बाद हिन्दुस्तान मे 7 पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और 23 असेम्बलीज के इलेक्शन हुए, उस उक्त यह यूनिटी कहां गई थी?

जिस यूनिटी का अभी समर मुखर्जी साहब ने डर दिखाया, हौवा दिखाया, यह हौवा शायद इनके दिमाग पर था, मगर हम ऐसी यूनिटी का स्वागत करेंगे।

चेयरमैन साहब, मैं आपकी बसातत से यह बताना चाहता हू कि हिन्दुस्तान की जनता ने इस यूनिटी का तल्ख तजुर्बा कर लिया है कि मुख्तलिफ तरह के लोग अगर इकट्ठे हों, तो भानमती का कुनवा कभी इकट्ठा चल नहीं सकता। अपोजीशन की यूनिटी की यह हालत थी कि बरघी में एक ऊंट जोड़ा था, एक घोड़ा जोड़ा था, एक बैल जोड़ा था और एक झोटा जोड़ा था। वह बग्घी कभी चल नहीं सकती थी।

समापति महोदय : गधे को आपने क्यों छोड़ दिया?

श्री चिरंजी लाल शर्मा : उसको मैंने दीदा-ओ-दानिस्ता, जान-बूझ कर, छोड़ दिया।

वह यूनिटी हुई थी एक खास मकसद के लिए। उनके इरादे नापाक थे। उस युनाइटिड आपोजीशन ने गांधीजी की समाधि राजघाट पर जा कर कसम उठाई, गंगाजली उठाई। वे लोग मरहूम जयप्रकाश नारायण की छतरी के नीचे इकट्ठे हुए थे। लेकिन आज कहां है वह आपोजीशन? उस आपोजीशन का शीराज बिखर गया, जूतियों में दाल बंटने लगी-जैसा कि एक मशहूर गाना है, इक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। कहां है वे आपोजीशन के नेता? कहां है उनकी विचार-धारा? हम तो जनता पार्टी का स्वागत करते, अगर वह असली मानों में एक पार्टी होती, असली जम्हूरियत का जिन्दा सुबूत होती, ताकि इंगलैंड और अमरीका की तरह यहां भी दो पार्टियां बारी बारी बरसरे-इक्तदार होती।

हिन्दुस्तान की जनता ने उनको पांच साल तक राज करने का मौका दिया था, लेकिन वे उस ताकत को हजम नहीं कर सके। 27 महीनों में ही जूतियों में दाल बंटने लगी। हिन्दुस्तान की जनता सौ-काल्ड कलेक्टिव लीडरशिप, मुश्तरका लीडरशीप का तजुर्बा कर चुकी है और अब वह आजमाए हुओं को दोबारा नहीं आजमायेगी। अब उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। अगर वेईस बिना परकांग्रेस पार्टी को डराना-धमकाना चाहते हैं कि आपोजीशन युनाइट हो जाएगी, तो मैं आपकी बसातत से बड़े अदब के साथ उनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े झटके देखे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उस बर्तानवी साम्राज्य के किले की दीवारों को झंझार किया, जिसके राज्य में सूरज कभी नहीं छिपता था। जिस कांग्रेस पार्टी के सामने बर्तानिया की सनपनाती हुई गोलियां भी फूल बन जाती थीं, युनाइटिड आपोजीशन तो क्या, जमीन की कोई ताकत, समुन्द्र के तूफान और आसमान की बिजली उसके रास्ते में हायल नहीं हो सकते। वैसे अगर आपोजीशन युनाइट हो, तो हम उसका स्वागत करेंगे।

श्री चटर्जी ने कहा कि यू विल नाट लाफ लोग। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हम तो हंसते हंसते आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और हंसते हंसते तीस बरस तक-1947 से 1977 तक राज किया। हिन्दुस्तान की जनता ने इन लोगों को राज करने का मौका दिया, लेकिन पौने तीन साल में ही इनके चेहरों पर जो हंसी और मुस्कराहट थी, वह मातम में बदल गई, जबकि पौने

तीन साल के बाद हमारे चेहरों पर फिर निखार आया। क्यों ?

न हो रात तो दिन की पहचान क्या,
उठाए मजा दिन का इन्सान क्या ?

जिसने गरीबी नहीं देखी, वह अमीरी की कद्र नहीं कर सकता। जिसने गुलामी नहीं देखी, वह आजादी की कद्र नहीं कर सकता। जिसको कांटा नहीं लगा, वह फूल की कद्र नहीं कर सकता। अगर हिन्दुस्तान की जनता को पौने तीन बरस तक जनता पार्टी और लोक दल के राज को देखने का मौका न मिलता, तो वह कांग्रेस पार्टी के तीस बरस के राज की इतनी कद्र न करती। मैं चटर्जी साहब को बताना चाहता हूं कि वी हैव बिन लाफिंग और वी विल कान्टीन्यु लाफिंग एन्ड रूलिंग।

चटर्जी साहब ने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इन्डस्ट्रियल डिसपुट्स एक्ट वगैरह सबको नेस्तो-नाबूद कर दिया गया है। हमारे इरादे नापाक नहीं है। क्यों इस आर्डिनेन्स को लाने की आवश्यकता हुई ? क्यों इस बिल को लाने की आवश्यकता हुई ? आपने देखा कि 1977 में जनता पार्टी के राज के दौरान लेबर में जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए लेबर में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने लेबर के रंग गैरत को उभारा, लेबर को उकसाया, लेबर को देश की एकोनामी को पैरालाइज किया, इंडस्ट्री को तबाह किया। मैं अपने सोनीपत की बात आपको बताऊं, सोनीपत में एक रंग उद्योग फैक्ट्री थी जिसमें 800 आदमी काम करते थे। लाखों करोड़ों रुपये का सरमाया लगा हुआ था। वह बन्द हुई। आपकी जनता पार्टी के नेताओं ने जाकर वहां किस तरह से कई यूनियन्स पैदा की। आप लेबर की यूनिटी की बात करते हैं। मैं इस चीज के लिए आपको मौरिदे इल्जाम ठहराना चाहता हूं कि अगर लेबर के अन्दर आपस में तनाव पैदा किया है, फसाद पैदा किए हैं, झगड़े पैदा किए हैं अपनी लीडरशिप को चमकाने के लिए, अपनी जगह पैदा करने के लिए तो वह आपने किए हैं। जिस लेबर के अन्दर जनता पार्टी की कोई जगह नहीं थी उसके अन्दर अपनी जगह बनाने के लिए यह सब आपने किए। हमारी एटलस फैक्ट्री सोनीपत में आपने यह किया। जिस एटलस फैक्ट्री ने सोनीपत का नाम दुनिया के नक्शे पर पैदा किया वहां पर लेबर की पता नहीं कितनी, आठ यूनियन्स बन गई और न सिर्फ यूनियनें बनीं, लेबर ने लेबर के खून की होली खेली और कई मौत के शिकार हुए। आज तक वहां की हालत ठीक नहीं हुई। वहां न सिर्फ मजदूर बल्कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में जो लोग थे उनको बरसरे आम पीटा गया। यह थी जनता पार्टी की देन जहां निजाम का बिल्कुल जिन्दा जनाजा निकाला गया। और ये लोग लेबर के बिल्कुल हमदर्द बनकर यहां आकर इस बिल का विरोध करते हैं, कहते हैं कि लेबर का क्या होगा ?

मैं यह समझता हूं कि लेबर के हित में यह चीज है। जहां ले-आफ वाली चीज आई जिसके लिए जिक्र था कि पहले नहीं थी, तो गवर्नमेंट के पाक इरादे का अन्दाजा इससे लगता है, उन्होंने सोचा कि विरलाज और टाटाज पर कौन हाथ लगाएगा, इसलिए इसको ले आए। मगर जहां मेरे मोअज्जिज दोस्त लेबर की बात करते हैं, ज्ञानी जी ने बहुत शानदार बात कही थी, ज्ञानी जी

अ नी बिट के लिए तो मशहूर हैं ही···

सभापति महोदय : और ज्ञान के लिए भी।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : इसी वजह से तो लव्ज ज्ञानी है। उन्होंने कहा था कि मजदूरों के हमदर्द जाकर मालिकान के स थ डिनर खाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : आप भी ज्ञानी हैं, अज्ञानी नहीं।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : ज्ञानी जी का तो तजुर्बा हमें बहुत पुराना है। मैं हरयाने से आता हूं। वह हमारे पड़ोसी हैं। पांच स ल तक डटकर पंजाब के मुख्यमन्त्री रहे और इनके पांच साल के राज में जो पंजाब ने तरक्की की, पंजाब में जो ला एंड आर्डर था, उसके लिए आज भी पंजाब का शहरी ज्ञानी जी को खिराजे अकीदक पेश करता है। ज्ञानी जी एक अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और अपनी हाजिर जवाबी के लिए तो मशहूर हैं। अटलजी इस चीज पर मोहरे तस्दीक सावित करेंगे। अटलजी के विट रिमार्क्स का जवाब बड़ी खूबसूरती से उसी पराये में वह देते हैं।

इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स पर चटर्जी साहब ने टीका टिप्पणी की। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स पढ़ने के बाद इस सदन के मेम्बर्स को कोई एडवर्स कमेंट्री करने की आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल कत्तअन कोई आवश्यकता उसकी रहती नहीं।

कुछ ऐसी अशान्त प्रवृत्तियां रही हैं जिनके कारण आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। मैं आपसे तजुरबे के आधार पर अर्ज करूं, नवम्बर दिसम्बर के महीने में जब बच्चों के पढ़ाने का समय आता है, आमतौर पर गर्मियों में इतनी पढ़ाई नही होती, सर्दियों में स्कूलों और कालेजेज के टीचर और प्रोफेसर्स हड़ताल कर देते हैं कि तनख्वाह बढ़ाओ। उनको 12 महीने की तनख्वाह मिलती है। स्टूडेन्ट्स के पेरेन्ट्स 12 महीने की फीस देते हैं लेकिन ऐन उस समय जब पढ़ाने का समय आता है नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में उस वक्त वे कह देते हैं कि हम स्ट्राईक करते हैं, नहीं तो, तनख्वाह बढ़ाओ। इसी तरह बिजली के मुहकमें में आज क्या हालत है? आज एक महीने से बारिश नहीं हैं। एक तरफ एक हिस्से में बाढ़ आई हुई है और इधर हमारे राजस्थान, पंजाब और हरयाने में कहत के आसार हैं। लाखों ट्यूबेल्स लगे हुए हैं। चार लाख के करीब ज्ञानी जी ने बताये। मेरे ख्याल से तीन लाख से कम हरयाने में भी नहीं हैं। जब जीरी को पानी देने का वक्त आता है, जब गेहूं को पकते वक्त पानी देने का समय आता है, जब कारखाने में प्रोडक्शन करने का और हथियार बनाने का समय आता है तो बिजली के कर्मचारी आसन पाटी लेकर पड़ जाते हैं कि हड़ताल करेंगे वरना तनख्वाह बढ़ाओ। अन्दाजा लगाइए, ड्राउट एफेक्टेड एरियाज में जहां कहत पड़ाहुआ है जहाँ अनाज की कमी है। अगर हरयाणा की किसी मन्डी से, पंजाब की किसी मन्डी से राजस्थान को गेहूं भेजना है या जीरी भेजनी है या बिहार में भेजना है या उड़ीसा में भेजना है तो उस वक्त

रेल ट्रांसपोर्टर पहिया जाम करने की धमकी देते हैं। कहते हैं हमारी मांगें मंजूर करो, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ नहीं तो हम रेल का पहिया जाम करते हैं।

इसी तरह से आपको मालूम है कि आज टेलीफोन के लिए जितना हाहाकार मचा हुआ है, टेलीफोन मिलते नहीं है लेकिन जब उसके लिए रा-मैटीरियल पैदा करने की आवश्यकता होती है तो हमारे भाई, जिनका मक्का-मदीना पोलिंग में बना हुआ है, जिनके गिरजे गुरुद्वारे न्यूयार्क और फ्रेसिसको के अन्दर हैं, वे जाकर उन मजदूरों को प्रेरणा देते हैं कि तुम हड़ताल कर दो, हम तुम्हारी मांगों को पूरा करायेंगे। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक मुनज्जम साजिश है, एक षड़यंत्र है, मजदूर की हमदर्दी हासिल करने के लिए, कि हम आपके हकूक के मुहाफिज हे. हम यह करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर बाढ़ ही खेत खाने लग जाए तो क्या होगा? आज बंगाल में किसकी सरकार है, त्रिपुरा में किसकी सरकार है? क्या बंगाल और त्रिपुरा की सरकार हिन्दुस्तान से बाहर है? क्या इस बिल के खिलाफ उनका बंद आयोजित करना हकबजानिब है? अगर बंगाल में क्योटिन कडीशन पैदा हो जाए, ला-आर्डर कन्ट्रोल से बाहर हो जाए तो वे ज्ञानी जी के दरवाजे पर दस्तक देंगे कि ज्ञानी जी फिजर्व पुलिस भेजिए, फौज भेजिए यह जो अर्डिनेन्स लाया गया था, जो अब कानून बनने जा रहा है, वह देश के हित में है, उत्पादन के हित में हैं ला-एण्ड-आर्डर के हित में है ताकि देश की इकोनोमि खराब न हो और इन्फेशन कम हो। अब अगर इस सिलसिले में किहीं की सरकार वहां के सीटिजन्स को प्रेरणा दे कि इसके खिलाफ हड़ताल करो, बन्द करो, तो यह पुटिंग कार-बिफोर-दि-हार्स है।

चेयरमैन साहब, आप इस बात को मानेंगे कि जब किसी को रोजगार की जरूरत होती है, तो वह वह इधर-उधर ठोकरें खाता है, सिफारिशें करवाता है, लेकिन जब उसे नौकरी मिल जाती है, तो चटर्जी साहब की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग उसको प्रेरणा देते हैं कि हड़ताल करो, दिन में काम न करो और आफिस आवर्स के बाद ओवर टाइम के लिए डिमांड करो।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो बिल लाया गया है, इस बिल में सोच समझकर बहुत अच्छे प्रोवीजन्स किए गए हैं। आप देखें :

अवैध हड़तालों में भाग लेने वाले कर्मचारियों की पदच्युति, अवैध हड़तालों के लिए उकसाने, वित्तीय सहायता देने के लिए शक्ति आप मुलाहजा फरमाइए, कुछ आदमी हैं जिनका यह पेशा है वे इसी बात पर जिन्दा है, उनको इसी बात की रोटी मिलती है, कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भली करेंगे भगवान। अभी आपने देखा लोको-शेड स्ट्राइक में क्या नतीजा हुआ। अभी बंगलौर के सात दिन की स्ट्राईक हुई जिसमें 7 मिलियन डेज का नुकसान हुआ ...(व्यवधान)... चेयरमैन साहब, इस सिलसिले में मेरे दिमाग में बोलने के लिए ख्यालात का समुद्र है, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, ज्ञानी जी ने जो बिल यहां पर इन्ट्रोड्यूस किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, यदि मेरे मित्र, गृह मंत्री आपत्ति न करें तो मैं सभी साक्ष्यों की उपेक्षा करके इस बात को मानकर चलूंगा कि वे एक समझदार

व्यक्त हैं। इसलिए मैं कुछ उचित तर्क ही पेश करूंगा और आशा करता हूँ कि मैं उन्हें इस विधेयक को वापस लेने के लिए सहमत कर सकता हूँ।

यह विधेयक सरकार द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश को वैध रूप देने के लिए पेश किया गया है। संविधान में अध्यादेश लागू करने की व्यवस्था सरकार को आपात स्थिति से निपटने के लिए सक्षम बनाने हेतु की गई है। और ऐसा तब किया जाता है जबकि विद्यमान अधिकार अपर्याप्त हों और जब स्थिति ऐसी हो कि सरकार को संसद के सत्र का इन्तजार करने के लिए समय न हो।

मेरे माननीय मित्र ने बड़ी गम्भीर सम्भावनाओं की चर्चा की है। उन्हें इन सब बातों को कहने का अधिकार है। परन्तु अभी तक उन्होंने इस संबंध में एक भी साक्ष्य पेश नहीं किया कि देश के सामने ऐसी आवश्यकता आन पड़ी है कि वे सभा के सत्र का इन्तजार नहीं कर सके। उनका बार-बार यह कहना कि मेरे पास साक्ष्य हैं परन्तु मैं उन्हें सभा के समक्ष्य नहीं रखूंगा सभा की अवमानना करना कहा जा सकता है। परन्तु आजकल सभा की अवमानना पर भी सन्देह व्यक्त किया जाता है। साक्ष्यों के अभाव में यह निष्कर्ष निकलता है कि अध्यादेश को प्रख्यापित करना संविधान की अवहेलना करना है।

आज हम उस विधेयक के खण्डों पर चर्चा कर रहे हैं जबकि वह संविधि पुस्तिका का एक अंग बन चुका है। परन्तु फिर भी हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या यह विधेयक सर्वथा अनिवार्य था? क्या विद्यमान कानून सरकार को इस स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्रदान नहीं करते थे? क्या विधेयक के खण्डों के अन्तर्गत अधिकारों का दुरूपयोग नहीं किया जायेगा? श्रीमन मैं इन सभी प्रश्नों पर संक्षेप से विचार करूंगा।

क्या विधेयक आवश्यक था?

एक माननीय सदस्य : जी, हां।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं आपके उत्तर से अवगत हूं। आप मेरे तर्क सुनिए।

सरकार यह दावा करते नहीं थकती की देश में औद्योगिक स्थिति में सुधार हुआ है, दिहाड़ियों के बेकार जाने में कमी हुई है। तथा दिहाड़ियों के बेकार जाने में हुई यह कमी इस बात का सूचक है कि औद्योगिक संबंधों की स्थिति में सुधार हुआ है। श्रीमन एक क्षण के लिए चलिए मैं यह बात मान लेता हूं। यदि यह सत्य है कि औद्योगिक स्थिति में सुधार हुआ है तो आपको हड़तालों को अवैध घोषित करने वाला बिल लाने की क्या आवश्यकता थी। क्या विधेयक औद्योगिक संबंधों संबंधी पद्धति को एकतरफा बनाने, दन्ड को और कठोर करने तथा कानून को लागू करने में और कमियां पैदा करने के लिए लाया गया है? क्या यह देश के लोगों के मूलभूत अधिकारों को समाप्त करने के लिए लाया गया है? यह आंकड़े गलत हैं या ये आंकड़े सही हैं परन्तु मैं देख रहा हूँ कि इसके पीछे गृह मंत्री की कुछ दुर्भावनाएं हैं जो उन्हें संघर्ष के भय से भर रही हैं और इसलिए वे अपने आप को सशस्त्र कर कर्मचारी वर्ग को निशस्त्र करना चाहते हैं।

परन्तु मुझे गृह मंत्री को उनका देय देना चाहिए। जब अध्यादेश लागू किया गया था तो वह सर्वथा नग्नपन लिए हुए था। यह नंगा सत्य इस बात से स्पष्ट है कि सरकार का इरादा कर्मचारी वर्ग को हड़ताल करने के अधिकार से वंचित करना था। यह तो बाद में उसमें अनमने रूप में तालाबन्दी और जबरन छुट्टी का उल्लेख किया गया।

विधेयक अपने मूल रूप में इस बात का द्योतक है कि गत वर्षों में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में हमारे सोचने का रवैया क्या रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि लोकतंत्र में सरकार को कमजोर वर्ग की रक्षा करने तथा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करने का अधिकार है, परन्तु साथ ही मूलभूत अधिकारों को बनाए रखना भी उसका कर्तव्य है। मूलभूत अधिकारों को छीन कर कमजोर वर्ग की रक्षा नहीं की जा सकती तथा आवश्यक सेवाओं को नहीं बनाए रखा जा सकता। तालाबन्दी और जबरन छुट्टी पर भेजने वाली बात विधेयक में बाद में सोच कर जोड़ी गई।

गृह मंत्री इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि सरकार का इरादा औद्योगिक सम्बन्धों सम्बन्धी वर्तमान कानूनी व्यवस्था की उपेक्षा करना था। मैं यह मानता हूँ कि वे वर्तमान कानूनी व्यवस्था से अनजान नहीं हैं। गृह मंत्री ही ने सबसे पहले इसे विधेयक को पेश किया है। ऐसा बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया गया है। औद्योगिक शान्ति बनाए रखना उद्योग मंत्री का काम नहीं है। यह काम पुलिस का है एक मध्यस्थ का नहीं जिसने अतिरिक्त अधिकारों की मांग की है। इसके अलावा और हो भी क्या सकता है जबकि विधेयक का उद्देश्य पुलिस को औद्योगिक शान्ति का मसीहा बनाना है।

मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्र यदि पूरा नहीं तो अधूरा ध्यान तो मेरे कथन की ओर देंगे। मेरा कहना है कि यह विधेयक वास्तव में औद्योगिक विवाद अधिनियम का अतिग्रहण है विधेयक के खण्ड 12 में कहा गया है :—

"इस अधिनियम के और इसके अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उपबंध, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी, प्रभावी होंगे।',

यह कानून वर्तमान विधान का 'वीटो' करता है। यह अपने आप में ही कानून है। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का अतिग्रहण करता है खण्ड 11 में कहा गया है : —

"दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का संक्षिप्त विचारण होगा...।"

यह समर्थकारी उपबन्ध न होकर इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी अपराधों के लिए अनिवार्य संक्षिप्त सुनवाई की व्यवस्था की गई है। फिर खण्ड 10 में यह व्यवस्था है कि एक पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट मात्र सन्देह पर गिरफ्तार कर सकता है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

यह विधेयक बड़ा सरल है तथा हमारे गृह मंत्री भी बड़े सरल है और वे ऐसे सरल हैं कि वे लोगों को निःशस्त्र कर रहे हैं। यदि उद्देश्य औद्योगिक शान्ति बनाए रखना, हड़तालो से दम की अर्थ-व्यवस्था को बचाना, आवश्यक सेवाओं के बन्द होने को रोकना है तो हमारा इन उद्देश्यों से कोई विवाद नही हैं।

क्या मैं उनसे दो प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या वर्तमान औद्योगिक विवाद अधिनियम इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपर्याप्त थे ? जी नहीं। वे कौन से अधिकार है जो वर्तमान अधिनियम सरकार को नहीं देता ? गृह मंत्री को इनका उत्तर देना चाहिए, पर कविता सुना कर नहीं। (व्यवधान) मैं जानता हूँ कि आप उनकी प्रसंशा करते रहे हैं तथा आगे भी आपको यह अवसर मिलेगा परन्तु इसके लिए आप मेरे भाषण का उपयोग क्यों कर रहे है ? वे कौन सी शक्तियां है जिनके द्वारा विधेयक इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता हैं ? (व्यवधान) मेरी बात सुनने से उनकी जानकारी बढ़ेगी। विधेयक सरकार को किसी भी उद्योग को अनिवार्य सेवा घोषित करने और हड़तालों पर रोक लगाने का अधिकार देना है। क्या ये शक्तियां उसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हैं अधिनियम में लोकोपयोगी सेवाओं को स्पष्ट किया गया है तथा उसमें उन उद्योगों का हवाला भी दिया गया है जिन्हें सरकार लोकोपयोगी सेवा घोषित कर सकती है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय मेरे तर्क को समझेंगे और विधेयक को वापस ले लेंगे। (व्यवधान)

अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत सरकार को किसी भी उद्योग को प्रथम अनुसूचि में जोड़ने का अधिकार है और इसलिए प्रथम अनुसूची में तदनुसार संशोधन किया जाए। अतः यह स्पष्ट है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सरकार किसी भी उद्योग को लोकोपयोगी सेवा घोषित करने का अधिकार है।

लोकोपयोगी सेवा घोषित किए जाने के बाद क्या सरकार को हड़तालों आदि पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हे ?

धारा 22 (1) (क) कर्मचारियों पर 6 सप्ताह की सूचना दिए बिना और बातचीत के दौरान ऐसी सेवाओं में हड़ताल पर जाने पर रोक लगाती है।

धारा 24 (1) में कहा गया है कि धारा 22 अथवा 23 का उल्लंघन कर हड़ताल करना या तालाबन्दी करना अवैध है। धारा 10 की उपधारा (3) अ व धारा 10 क की उपधारा 4 के अन्तर्गत जारी आदेशों के अतिक्रमण में हड़ताल आदि करना भी अवैध है।

वर्तमान औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 (1) और 1-क सरकार को किसी भी औद्योगिक विवाद को बोर्ड अलावा श्रमिक अदालत को सौंपने का अधिकार देती है और ऐसा करने पर कोई भी हड़ताल धारा 10 की उप धारा (3) के अन्तर्गत अवैध होगी।

लोकोपयोगी सेवाओं के सम्बन्ध में सरकार के लिए आवश्यक है कि वह इसके उल्लेख

धारा 10 (1) के अन्तर्गत करे। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी उद्योग को लोकोपयोगी सेवा घोषित किया जा सकता है। अधिनियम समझौते सम्बन्धी बातचीत के लिए कोई समय सीमा नहीं लगाता।

अरे मित्र श्री स्टीफन इनसे अवगत हैं और सिर हिला रहे है। इस समय सरकार को किसी भी वैध हड़ताल को रोकने का अधिकार प्राप्त है फिर नया विधेयक क्या पाना चाहता है? गृह मंत्री महोदय और कौन सा अधिकार चाहते हैं?

श्री सी० एम० स्टीफन : आपने कहा...(**व्यवधान**)

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं उस बात पर आ रहा हूं कि आप औद्योगिक विवाद अधिनियम को वा तरफ क्यों करना चाहते हैं? ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति महोदय : आप अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सी० एम० स्टीफन : यह एक तर्क संगत भाषण है उन्हें बोलने दिया जाए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम में हड़ताल रोकने का अधिकार समझौते के प्रयत्न से जुड़ा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त . सूचना क्यों दी जाती है?

श्री रवीन्द्र वर्मा : विवाद को हल करने के लिए तथा शिकायतों को दूर करने के लिए प्रयत्न करने हेतु यह विधेयक सरकार को विवाद को समझौते के प्रयत्नों के द्वारा हल करने के लिए वाध्य नहीं करता।...(**व्यवधान**) यह सरकार को समझौते के लिए प्रयत्न करने के भार से भी मुक्त करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह कर्मचारी वर्ग के मूलभूत अधिकारों पर सीधा प्रहार है।

नए विधेयक के अन्तर्गत किसी भी आयोग को आवश्यक सेवा सोषित किया जा सकता है। और हड़तालों को तुरन्त रोका जा सकता है। तथा अवैध होने के कारण दण्ड दिया जा सकता है। परन्तु औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत एक लोकोपयोगी सेवा में हड़ताल तभी अवैध होती है जबकि विवाद को समझौतों के लिए बोर्ड अथवा किसी अन्य मध्यस्थ, को सौंपा गया हो।

औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक, का जिसे जानता सरकार ने पेश किया था उल्लेख किया गया। इसे संविधि पुस्तिका में यथायक शामिल नहीं किया गया। यह एक न्यायोचित विधेयक था जिसे सभा में लाया गया था।

श्री पी० वेंकटसु ब्बैया : इसे वापस ले लिया गया था।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इसे वापस नहीं लिया गया था। इसे एक प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव संभा के सामने था संसदीय लोकतंत्र में यह सामान्य प्रक्रिया है जिससे सुधार हो सके। परन्तु फिर भी...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें बोलने दें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक में आवश्यक और गैर आश्वयक सेवाओं में भेद स्पष्ट किया गया था। परन्तु उन विधेयक में हड़तालों और तालाबन्दी को कारगर तंत्र के द्वारा समझौते के द्वारा विवादों को हल कर समाप्त करने की बात कही गई थी।

इसके विपरीत, आवश्यक सेवा की पूरी अवधारणा जैसा कि ज्ञानी जी ने कहा—अर्थात समाज को आवश्यक सेवाओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने की इच्छा—सरकार की यह उत्तरदायित्व के विचार से जुड़ी हुई है कि आवश्यक सेवाओं में उत्पन्न कोई विवाद को तुरन्त तथा शीघ्रता से एक निष्पक्ष तंत्र द्वारा समाधान करना चाहिए।

सभापति महोदय : कम से कम एक मुद्दे पर आप सहमत हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर हम सहमत हैं परन्तु उनके निष्कर्ष भिन्न है। यदि मेरे पास समय तथा मौका होता तो मैं औद्योगिक संबंध विधेयक पर चर्चा करता करता। मुझे उसके बारे में कुछ शर्म करने की जरूरत नहीं हैं। लेकिन, यह उचित अवसर नहीं है और इसलिए मैं सिर्फ दोनों विधेयकों में अन्तर के बारे में ही उल्लेख करूंगा और मैं यह कहना चाहूंगा औद्योगिक संबंध विधेयक की इस बात के लिए आलोचना नहीं की जा सकती जिसके लिए इस विधेयक की आलोचना की जा रही है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत कोई हड़ताल तब गैर कानूनी हो जाता है जब यह धारा 23 का अथवा धारा 10 अथवा 10 (क) के अधीन आदेश का उल्लंघन करती है। औद्योगिक संबंध विधेयक के अधीन जिसे हमने इस सभा में पुरः स्थापित किया था, यद्यपि धारा 92 में उन परिस्थितियों की व्याख्या की गई थी जिनके अंतर्गत कोई हड़ताल अथवा तालाबंदी गैर-कानूनी हो जाती, तथापि धारा 93 में यह कहा गया था कि किसी हड़ताल अथवा तालाबंदी के गैर-कानूनी होने के बारे में विवाद होने पर श्रम न्यायालय का फैसला अन्तिम होगा। धारा 93 (1) में यह स्पष्ट कहा गया है :

"जहां किसी हड़ताल या तालाबन्दी के अवैध होने या न होने के बारे में कोई विवाद है वहां या तो संबद्ध नियोजक या जिन कर्मचारियों की तालाबन्दी की गई है उनके सम्बन्ध में वार्ताकारी अभिकर्ता उस श्रम न्यायालय को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी हुई है, आवेदन कर सकेगा या समुचित सरकार उस श्रम न्यायालय से यह अनुरोध कर सकेगी कि वह उस विवाद का न्याय विनिर्णय हो और वह उस विवाद का न्याय निर्णयन करेगा और श्रम न्यायालय का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

क्या इस विधेयक में ऐसा कोई प्रबन्ध है ? शायद ज्ञानी जी इस बारे में कुछ कोई उल्लेख करेंगे।

इससे गैर-कानूनी हड़तालों अथवा तालाबंदियों के लिए दंड प्रश्न चिन्ह लगता है। इस

विधेयक में विवारण तथा दंड की स्कीम पर तीन मुद्दों को देख करके जांच करनी है गी।

ये तीन मुद्दे हैं : अपराधों के प्रसंज्ञान के लिए शर्तें, विचारण के लिए प्रक्रिया और विभिन्न अपराधों के लिए निर्धारित दंड।

औद्योगिक विवाद अधिनियम यह सुनिश्चित करने में बहुत ही चौकस है कि विधेयक के उपबंधों का बदले की भावना, मनमाने अथवा मनमौजी ढंग से दुरूपयोग न किया जाय। अधिनियम में यह उपलब्ध है कि :

"कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का या ऐसे किसी अपराध के अभिप्रेरणा का प्रसंज्ञान, समुचित सरकार को प्राधिकार के द्वारा या अधीन किए गए परिवाद पर के सिवाय नहीं होगा।"

लेकिन इस विधेयक में, जिसे मेरे माननीय मित्र ने पुरः स्थापित किया है, ऐसा कोई उपबंध नहीं है। इसके विपरीत इस विधेयक की धारा 10 दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों की उपेक्षा करती है। उक्त धारा इस प्रकार है :

"दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरूद्ध युक्ति युक्त रूप से यह संदेह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है। बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है।"

कोई भी पुलिस अधिकारी शक्तियुक्त है। कोई वारंट की जरूरत नहीं है ; कोई गवाही की जरूरत नहीं है ; संदेह पर्याप्त है। किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यहां तक कि उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिसने किसी को थोड़ी मदद की हो।

इस विधेयक में विचारण के लिए क्या प्रकिया है ? मेरे माननीय मित्र, जादवपुर से माननीय सदस्य ने पहले ही इसका उल्लेख किया है और संक्षिप्त विचारण तथा अपराधों के लिए अनिवार्य संक्षिप्त विचारण के खतरे का उल्लेख किया है।

अब हम दंड के बारे में कहना चाहूंगा। इस विधेयक द्वारा उस कामगार के लिए दंड में वृद्धि की गई है जो गैर-कानूनी हड़ताल पर जाता है। दंड को बढ़ाकर एक महीने से छः महीने कर दिया गया है हड़ताल पर जाने के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के लिए दंड को बढ़ाकर छः महीने से एक वर्ष कर दिया गया है तथा वित्तीय सहायता देने के लिए दंड को छः महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है। दंडों में वृद्धि करके ही वे संतुष्ट नहीं हुए बल्कि विधेयक में कामगारों के लिए दंडों का एक नया संयोजन किया गया है इसमें न सिर्फ कैद का उपबंध है बल्कि बर्खास्तगी का भी उपबंध है ; न सिर्फ उसे स्वतन्त्रता से वंचित किया गया है बल्कि उसकी तथा उसके परिवार की रोजी-रोटी भी छिनी गयी है। जनता सरकार का औद्योगिक संबंध विधेयक

में जिसका मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है, दूसरी तरफ धारा 94 में सुरक्षा के लिए विशिष्ट उपबंध थे, वह धारा इस प्रकार है :

"शंकाएं दूर करने लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि कोई हड़ताल या तालाबंदी चाहे वह अवैध या अन्यथा हो, सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों के बीच संबंधों को स्वतः समाप्त करने वाली नहीं समझी जाएगी।"

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा, जैसा कि जादवपुर से माननीय सदस्य तथा मेरे माननीय मित्र ने किया है कि इस विधेयक ने हड़ताल की परिभाषा बढ़ा दी है। इस आकाश के नीचे प्रत्येक चीजें हड़ताल की परिभाषा में आती हैं यदि आप उत्पादन में कमी का उल्लेख करते हैं तो किसी प्रबन्ध मण्डल के लिए एक अच्छा मौका होगा कि वह कामगारों को तंग करें तथा उन पर मुकदमा चलाये जैसा कि इस विधेयक में उपबंध किया गया है।

मेरे माननीय मित्र तथा मंत्री महोदय इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि वर्तमान औद्योगिक विवाद अधिनियम किसी उपक्रम को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करने तथा हड़ताल रोकने की पूरी शक्ति देता है इसलिए इस विधेयक का वास्तविक उद्देश्य पंचनिर्णय के लिए तंत्र की व्यवस्था करने के लिए सरकार को उत्तरदायित्व से मुक्त करना, कामगारों को अपनी मांगें उठाने से रोकना और मांगों के समाधान के लिए कोई तंत्र की व्यवस्था न करना है ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार घबराहट में है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि अर्थव्यवस्था तक नहीं सुधर सकती जब तक कि औद्योगिक सद्भाव न हो तथा आपस में सहयोग न हो। माननीय गृह मंत्री भी जानते हैं कि सहयोग प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय बन्दूक नहीं है यदि आप संदेह तथा तंग करने की नीति अपनाते हैं तो इसके परिणामस्वरूप असंतोष की भावना अवश्य पैदा होगी। मेरे माननीय मित्र लगभग दो वर्षों तक शासक पक्ष में रहे हैं। आप अक्सर औद्योगिक संबंधों की प्रणाली में सुधारों कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने, प्रबन्धमण्डल में कामगारों को भागीदार बनाने की बात करते हैं। लेकिन क्या आपने कामगारों को सुरक्षा देने उनके अधिकारों को बढ़ाने, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने, प्रबन्धमण्डल में उनकी भागीदारी की भावना जागृत करना, यदि भागीदार न बनाना ही संबंधी एक भी विधान बनाया है ? आपने तो जनता सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए काम को आगे नही बढ़ाया है। (व्यवधान) आप अधिक से अधिक यही कह सकते हैं वाह ; वाह ! (व्यवधान)

जनता सरकार ने कोयला खानों, बन्दरगाहों, गोदी, सीमेंट, इस्पात और बैंकों के कर्मकारों के साथ मजदूरी संशोधन करार सफलतापूर्वक तय किए थे (व्यवधान)। अतः आप कर्मकारों के प्रति मुखातिब क्यों नहीं होते (व्यवधान)

श्री सी०एम० स्टीफन : मैं यह बात पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : वास्तविक कारण तो मजदूरी संशोधन करार है। इन करारों की

अवधि 1982 में पूरी होगी। आपको नए करार तय करने होंगे। (व्यवधान) आप क्यों चिल्ला रहे हैं। आप भयभीत क्यों हैं? आप तो मजदूर संघ नेता हैं; कम से कम पहले तो थे ही।

आप शायद इस लिए डरे हैं कि आप को कर्मकारों से मुखातिब होना होगा। जीवन बीमा निगम के मामले से तथा अन्य संगठनों के मामले से यह बात तो स्पष्ट हो ही चुकी है कि मजदूरी संशोधन करार के सम्बन्ध में आपका दृष्टिकोण यह है कि आपका विश्वास सामूहिक सौदेबाजी में नहीं है तथा आप यहां अपनी बहुसंख्या के बलबूते पर मजदूरी तथा काम की शर्तें अपने आप ही एकतरफा निर्धारित करना चाहते हैं। यह बात सिद्ध हो चुकी है। आप कीमतों पर नियन्त्रण नहीं नहीं पा सके हैं, जीवन निर्वाह व्यय बढ़ रहा है, महंगाई भत्ते की किश्तें और देने शोध्य हो गई है।

श्री सी०एम० स्टीफन : जो बात आप कह रहे हैं···(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह बात अब आपको अखरती है। आप भाग रहे हैं···(व्यवधान) महोदय, आपको मुझे संरक्षण प्रदान करना है।

सभापति महोदय : मैं कर रहा हूं।

रवीन्द्र वर्मा : आप नहीं कर रहे हैं। मैं अपना भाषण समाप्त करने वाला हूं।

वे शोध्य महंगाई भत्ते की किश्तें देने में हिचकिचा रहे हैं। अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे घबराहट में हैं, वे भयभीत हैं उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि वे कर्मकारों के प्रतिनिधियो से कैसे मिले तथा महंगाई भत्ते की मांग और मजदूरी बढ़ाने की मांग को कैसे पूरा करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यही कारण है कि उन्होंने जे.सी.एम. से भेंट रद्द कर दी है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : वे सोच रहे हैं कि मजदूरी में वृत्ति न की जाए। कर्मकारों से तब बातचीत करना चाहते हैं जब कर्मकारों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाए जब वे निःशक्त हो जाएं और जब उनको और शक्ति मिल जाए। यही कारण है कि वे यह विधेयक लाये हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं कर रहा हूं। क्योंकि वे लोग अपने हाथ मजबूत करना चाहते हैं और कर्मकारों के अधिकार कम करना चाहते हैं इसलिए वे यह विधेयक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा लायेहैं। उनका यह विधेयक विश्वास है कि इन दोनों विधेयकों के अधिनियम बनने से उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो जाएगी जो आपात स्थिति में उनकी थी। किन्तु वे भ्रम में है। इसका सदन में तथा सदन के बाहर भी डट कर मुकाबला किया जाएगा।

अभी भी समय है कि वे स्थिति को समझें। अतः मैं अपने माननीय मित्र गृहमन्त्री जी से

अनुरोध करूंगा कि वह असलियत को समझें और झगड़े को छोड़ें। अध्यादेश की अवधि समाप्त होने दें। पुलिस अधिकारी से राजनेता बनना अच्छा है। अध्यादेश को समाप्त होने दें, विधेयक को वापस लें, औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम पर निर्भर करें, समझौते और बातचीत का रास्ता अख्तियार करें तथा झगड़े का रास्ता त्याग दें।

सभापति महोदय : सभा कल ग्यारह बजे म.पू. तक के लिए स्थगित होती है।

7.14 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 15 सितम्बर 1981/24 भाद्र 1903 (शक) के ग्यारह बजे म.पू. तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक आर० आर० गुप्ता प्रैस, 472, पण्डित रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित।